खण्ड–526, अंक–02
मंगलवार, 08 श्रावण, शक संवत् 1946
(दिनांक 30 जुलाई, 2024 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)
(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2024)

(खण्ड 526 में 04 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
प्रश्नोत्तर	8-159
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण	159-160
श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की ओर से माननीय सदस्यों को आज उनके जन्मदिवस की बधाई	160-161
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	161-163
प्रदेश में 108 व 102 एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारियों के लम्बित ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	164
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बढ़नी में कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	164-165
जन-सुनवाई पोर्टल पर आई0 जी0 आर0 एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	165
जनपद सहारनपुर के ग्राम कल्लरपुर पर बने पुल की टी0 ए0 सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	165
जनपद झांसी महानगर के कतिपय विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	166
जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	166
जनपद रामपुर में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाधिकारी द्वारा पौधारोपण के स्थान की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर में 132 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
ग्राम कुमरिया जुगला में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168
जनपद अयोध्या के स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट के कतिपय अध्यापक व प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मेरठ में हापुड़ रोड पर कूड़ा डिपो तथा नसबन्दी केन्द्र नियम विरुद्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	169
जनपद आजमगढ़ के धुरिया जाति के लोगों का राजस्व अभिलेखों में नाम सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	169-170
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में सड़क चौड़ीकरण, नव निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	170
प्रदेश के कैंसर मरीजों को सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	170-171
जनपद बदायूं के दातागंज के ग्राम सेजनी में नवनिर्मित उपकेन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	171
जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर तारों को सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	171-172
जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ग्राम सभा जीरिकपुर में सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172
जनपद सुल्तानपुर के भड़रा में उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172-173
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173
जनपद बलिया में पुलिस के खराब कार्य व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173-174
जनपद प्रयागराज के पश्चिमी शहर में राजकीय डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	174
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	175

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	175
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	175
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का बीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	175
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का इक्कीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	175
याचिकाओं का उपस्थापन (जारी)	176
ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	176
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	176
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	176
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	176
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	176
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	177
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	177
श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	177
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	177
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	177
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	178

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	178
श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	178
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	178
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	178
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	178
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	179
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	179
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	179
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	179
डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	179
श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	179
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	180
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	180
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	180
श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	180

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	180
श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	181
श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	181
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	181
श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	181
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	181
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	182
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	182
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	182
श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	182
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	182
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	182
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	183
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	183
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	183

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	183
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	183
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	183-184
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	184
श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	184
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	184
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	184
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	184
डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	184-185
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	185
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	185
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	185
श्री सुशील कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	185
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	185
याचिकाओं के उपस्थापन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	185-186
याचिकाओं का उपस्थापन (क्रमागत)	186

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	187
श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	187
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	187
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	187
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	187
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	187
श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	188
डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	188
श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-300 के अन्तर्गत अपनी बात रखने का प्रयास	188-189
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	189-190
उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित)	190
बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित) ...	190-191
कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित) ...	191
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	191-207
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यक्तिगत प्रकरण उठाने का प्रयास	207-213
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (पारित) ...	214-222
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (पारित) ...	222-228

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 (पारित) ...	229-237
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 (पारित)	237-256
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (पारित)	257-263
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	263-267
नत्थियाँ	268-291

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2024

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-368

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
13. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
14. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
15. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
16. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
18. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
22. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
23. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
24. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
25. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
26. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
27. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
28. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
29. अरमान खान, श्री — लखनऊ
30. अरविन्द कुमार सिंह, श्री — शाहजहांपुर
31. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
34. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
35. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
36. अशरफ अली खान, श्री — शामली
37. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
40. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
41. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
42. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
43. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
44. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
46. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
47. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
48. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई

49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
50. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
51. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
52. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
53. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
57. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
58. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
59. ओ0 पी0 श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
60. ओमकुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
64. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
65. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
66. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
67. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
68. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
72. कैलाश, श्री चन्दौली
73. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
74. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
77. गुड़िया देवी, श्रीमती औरैया
78. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
79. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
80. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
81. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
82. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
83. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
84. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
85. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
86. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
87. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
88. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
89. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
90. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
91. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
94. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
95. जाहीद, श्री भदोही
96. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
97. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
98. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
99. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
100. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
101. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
102. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
103. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
104. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
105. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
106. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
107. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
108. दिनेश कुमार, श्री मेरठ
109. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
110. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
111. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया

112. दुधराम, श्री बस्ती
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
114. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
117. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
119. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
120. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
121. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
123. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
124. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
125. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
126. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
127. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
129. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
130. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
134. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
135. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
136. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
137. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
138. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
139. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
140. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
143. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
144. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
145. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
146. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
150. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
151. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
152. प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, श्री हाथरस
153. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
154. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
155. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
156. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
157. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
158. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
159. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
160. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
161. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
162. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
163. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
164. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
165. बाबूराम, श्री पीलीभीत
166. बाबूलाल, श्री आगरा
167. बावन सिंह, श्री गोण्डा
168. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
169. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
170. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
171. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
172. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़

173. बेदी, श्री गाजीपुर
174. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
175. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
176. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
177. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
178. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
179. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
180. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
181. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
182. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
183. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
184. मनीष रावत, श्री सीतापुर
185. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
186. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
187. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
188. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
189. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
190. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
191. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
192. महबूब अली, श्री अमरोहा
193. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
194. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
195. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
196. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
197. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
198. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
199. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
200. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
201. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
202. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
203. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
204. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
205. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
206. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
207. मेघश्याम, श्री मथुरा
208. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
209. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
210. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
211. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
212. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
213. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
214. योगेश धामा, श्री बागपत
215. योगेश वर्मा, श्री खीरी
216. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
217. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
218. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
219. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
220. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
221. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
222. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
223. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
224. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
225. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
226. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
229. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
230. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
231. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
232. राकेश कुमार यादव, श्री बलरामपुर
233. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
234. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
235. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात

236. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
237. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
238. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
239. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
240. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
241. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
242. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
243. राजमणि, श्री प्रयागराज
244. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
245. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
246. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
247. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
248. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
249. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
250. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
251. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
252. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
253. राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी, श्री मथुरा
254. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
255. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
256. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
257. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
258. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
259. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
260. रामकेश निषाद, श्री बांदा
261. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
262. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
263. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
264. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
265. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
266. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
267. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
268. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
269. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
270. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
271. राम सिंह पटेल, श्री प्रतापगढ़
272. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
273. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
274. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
275. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
276. लकी यादव, श्री जौनपुर
277. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
278. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
279. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
280. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
281. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
282. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
283. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
284. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
285. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
288. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
289. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
290. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
291. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
292. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
293. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
294. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर

295. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
296. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
297. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
298. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
299. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
300. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
301. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
302. शलभ मणि त्रिपाठी, डा0 देवरिया
303. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
304. शशांक वर्मा, श्री खीरी
305. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
306. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
307. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
308. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
309. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
310. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
311. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
312. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
313. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
314. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
315. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
316. संग्राम सिंह, श्री बलिया
317. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
318. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
319. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
320. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
321. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
322. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
323. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
324. सचिन यादव उर्फ जखई, ई0 फिरोजाबाद
325. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
326. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
327. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
328. सभाकुंवर, श्री देवरिया
329. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
330. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
331. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
332. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
333. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
334. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
335. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
336. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
337. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
338. सुचि, श्रीमती बिजनौर
339. सुधाकर सिंह, श्री मऊ
340. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
341. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
342. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
343. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
344. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
345. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
346. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
347. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
348. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
349. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
350. सुरेश राही, श्री सीतापुर
351. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
352. सुशान्त सिंह, कुँवर बिजनौर
353. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
354. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
355. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
356. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
357. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
358. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी

359. सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी	364. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
360. स्वामी ओउ्मवेश, श्री	बिजनौर	365. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
361. हंसु राम, श्री	बलिया	366. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
362. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	367. हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
363. हरिओम, श्री	कासगंज	368. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :-नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), सहकारिता मंत्री (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), आयुष मंत्री (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन शोषण की रोकथाम विषयक

*1-**डॉ0 रागिनी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन शोषण के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन शोषण की रोकथाम हेतु किये गये मुख्य उपाय निम्नवत् हैं :-

1-बाल अपराधों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो, इसके लिये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

2-बच्चों के साथ किसी उत्पीड़न/अपराध को रोकने हेतु किशोर न्याय अधिनियम (जे0जे0एक्ट-2015) के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में SJPU (Special Juverile Police Unit) का गठन किया गया है एवं सभी थानों पर (CWPO (Child Welfare Police Officer) नियुक्त किये गये हैं।

3-प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में Anti-Human Trafficking Unit की स्थापना की गई है।

4-प्रदेश के समस्त जनपदों में थाना स्तर पर महिला बीट प्रणाली विकसित करते हुए महिला बीट गठित कर उनमें महिला बीट अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

5-प्रदेश के 1584 पुलिस थानों में महिला हेल्पडेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिसके माध्यम से थानों पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का समुचित निस्तारण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न मा0 मुख्य मंत्री जी से था कि उत्तर प्रदेश में आये दिन महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, उसकी दर को रोकने के लिए और उनकी मदद के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? मुख्य मंत्री जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने जवाब में लिखा हाँ, दर बढ़ती जा रही है। आप खुद इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न में टॉप नम्बर पर है, पूरे

इण्डिया में सबसे पहले नम्बर पर है। मैं और हमारे सभी सदस्य सदन में जब-जब विभिन्न विभागों के सवाल उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं तो बार-बार यही कहा जाता है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया ? अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकारें रहीं और इस तरीके की वारदातें हुईं, लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, लोगों ने धरना दिया, उसकी अनुमति भी मिली, लोकतंत्र जीवित रहा। आज स्थिति यह हो चुकी है कि आप स्वयं इस बात पर हामी भर रहे हैं कि एन0सी0आर0बी0 के आँकड़े बढ़ते जा रहे हैं लेकिन लोगों की आवाजों को बन्द कर दिया जा रहा है। कल विधान सभा में जब एक प्रश्न एक महिला जनप्रतिनिधि के द्वारा मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से किया गया तो उनके द्वारा नंगा जैसे शब्द का प्रयोग करना, यह दर्शाता है कि आपकी महिलाओं की तरफ क्या सोच है और आपकी सरकार महिलाओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। अध्यक्ष जी, हम समाजवादी हैं, हम संविधान वादी हैं, आपके झूठ को तेज आवाज में बोलने से हम डरने वाले नहीं हैं, हम आन्दोलन करेंगे। मेरा प्रश्न मा0 मुख्य मंत्री जी से सीधा है कि वर्ष 2017 से लेकर 2023 तक कुल ऐसे कितने यौन शोषण के मामले महिलाओं के और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स के तहत कुल कितने केसेज दर्ज किये गये और उन लोगों को सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाओं के तहत मदद की गयी ? क्या उनकी मदद के लिए कोई काउंसलिंग सेशन्स आर्गनाइज किये गये ? क्या उन्हें बेहतर शिक्षा और चिकित्सा प्रोवाइड की गयी ? क्या उसकी सरकार ने जिम्मेदारी ली ? क्या कोई स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम्स या फिर एडवांस हायर स्टडीज के माध्यम से उन्हें मदद की गयी जिससे वे अपना भूतकाल जो कि इतना सदमें वाला है उसे भूलकर एक बेहतर भविष्य की तरफ सोच सकें ? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि अभी हाल फिलहाल में बलिया की न्यूज सभी मा0 सदस्यगण जो यहां हैं वह जानते हैं कि आज बार्डर्स कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं और साथ ही साथ शायद आपको अपने अधिकारियों पर भरोसा भी नहीं है कि एस0पी0 बलिया के होने के बावजूद भी बाहर से टीम भेजकर जांच कराई गयी। यह सारी चीजें दर्शाती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आये दिन बढ़ती चली जा रही है तो वर्ष 2017 से 2024 के बीच में टोटल महिलाओं और बच्चों के कुल कितने केस लापता एवं गुमशुदगी के दर्ज हुए और उनमें से कितने लोग आज भी गुमशुदा हैं, आपकी 8 साल के सरकार के कार्यकाल में, जिन्हें आप नहीं ढूंढ पाये हैं ? कृपया इसका जवाब दे दीजिए, धन्यवाद।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और वास्तविक तथ्य इस माननीय सदन के समक्ष आने चाहिए। महिला और बाल सुरक्षा और खास तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, वह केवल बाहर से ही नहीं होते हैं, इसके दोनों तरीके हैं, घर के अन्दर भी और घर के बाहर भी और इसलिए इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रख करके सरकार ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाये हैं, वह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में आना बहुत आवश्यक है। अगर मैं महिला सम्बन्धी अपराध को, जिसमें घरेलू हिंसा से जुड़े हुए या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए

जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करूँ तो सबसे पहले माननीय सदस्या को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूँ कि 2016 की तुलना में दहेज जैसे घटना के बारे में देखें तो 2016 में कुल घटनाएँ जो घटी थीं, उसकी तुलना में 2023-24 के बीच में लगभग साढ़े सत्तरह प्रतिशत की कमी घटनाओं में आयी है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 2023-24 में उससे तुलना करें तो इसमें 25.30 प्रतिशत की कमी दिखायी गयी है। लेकिन हम अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में महिला और जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उसमें प्रदेश सरकार के अपने प्रॉसीक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24402 प्रकरणों में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलायी जा चुकी है। 2017 से लेकर 2024 के बीच में पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 9875 अभियोगों में सजा दिलायी गयी है। 2022 से 2024 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पॉक्सो अपराध में न्यायालय के द्वारा 16718 अभियुक्तों को सजा दी गयी है। जिनमें 21 को मृत्यु दण्ड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गयी है। प्रदेश के अन्दर अगर हम लोग देखें, इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गम्भीरता से लिया जाता है और इसके लिए इन्वेस्टीगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल अफेंसेज के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थीं, लेकिन 2017 के बाद से हम लोगों ने इस पर काम प्रारम्भ किया और अप्रैल, 2018 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनीटरिंग, फोकस मॉनीटरिंग प्रदेश के अन्दर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेन्डेंसी थी, यह पेन्डेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, यह वर्षों-वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला सम्बन्धी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेन्डिंग थे, उस पेन्डिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश, देश के उन टॉप थ्री राज्यों में है, जिन लोगों ने पेन्डेंसी को पूरा करते हुए, देश के अन्दर पेन्डेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में तृतीय स्थान और अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अन्दर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है।

महोदय, ई-प्रॉसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यह ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अन्दर नम्बर एक पर यू0पी0 का स्थान है। महिला और बाल अपराध शमनीय अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है, लगभग हमारे 98 फीसदी से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का पहला स्थान रखता है और मैंने पहले भी कहा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला शमनीय अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध

होती है। इन सबको इन्टीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ 181, 1090 और 112 को भी इन्टीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है तो उस सूचना को सम्बन्धित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं प्रदेश के अन्दर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ-साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करायी गयी है और हर थाने में जो प्रदेश के अन्दर 1585 थाने हैं इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बनाकर के एक व्यवस्था बनाई है और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अन्दर मिशन शक्ति एक अभियान को आगे बढ़ा रही है, मिशन शक्ति के अन्तर्गत पिछले सात वर्षों में हम लोगों ने लगभग डेढ़ लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है। मुझे यह बताकर प्रसन्नता है कि वर्ष 2017 के पहले जितनी भी भर्तियां हुईं उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल दस हजार महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 2017 से लेकर के 2022-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों ने प्रदेश में बीस हजार से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, यानि आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्तियां हुई थीं, उससे दोगुनी महिला भर्ती अकेले पांच वर्ष के अन्दर हमने पुलिस महिलाओं को भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनको बीस फीसदी हॉरिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, जिसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अन्दर लागू किया गया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूँ में महिला पी0ए0सी0 की बटालियन की गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया, लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थीं वह केवल एक कान्स्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने तक सीमित न रखें, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अन्दर दस हजार से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि यह महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अन्तर्गत वहां पर जाएंगी, वहां पर सप्ताह में एक बार जा करके महिला समनीय घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पर तो चर्चा करेंगे ही इससे सम्बन्धित समाधान भी निकालेंगे, लेकिन इसके अलावा महिलाओं से सम्बन्धित उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित जो भी या उनकी स्किल डेवलेपमेण्ट से सम्बन्धित या उनके स्वावलम्बन से सम्बन्धित कौन सी स्कीम केन्द्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे और यह मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रदेश के अन्दर लगातार यह जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबको सामने से देखने को मिले हैं। यह सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गम्भीर है और उस गम्भीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अन्दर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्यवाही की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है और मुझे बताते हुए दुःख है कि एण्टी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था और मुझे बोलने में भी यह कोई संकोच नहीं है कि महिला सम्बन्धी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों

में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े लोग ही इन्वॉल्व्ड पाए जाते हैं और यही नहीं महिला सम्बन्धी अपराधों में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं तो ये लोग महिला सुरक्षा की क्या बात करते हैं क्योंकि महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गम्भीर खतरा हैं और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह से सचेत है, सक्रिय है और हर बेटी को भी और हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मा0 मुख्य मंत्री जी, आपने बताया कि हमने इतने लोगों को दण्डित कराया तो क्या पूछा गया था कि कुल कितनी घटनाएँ हुईं ? मेरा कहना है कि जिन मामलों में लोग कोर्ट से दण्डित हो जाते हैं, आप केवल उन्हीं को घटनाएँ मानते है या सभी घटनाएँ जो घटित होती हैं, आप उनको भी घटनाएँ मानते हैं। आप यह स्पष्ट कर दें कि कुल कितनी घटनाएँ घटित हुईं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपने दो-दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। आज आपने यहाँ पर पहला प्रश्न किया है। पहले तो मैं आपके चयन के लिए आपको बधाई देता हूँ। ठीक है और वह अलग विषय है कि आपने चच्चा को गच्चा दे ही दिया। (सदन में जोर की हँसी) चचा, बेचारा हमेशा ऐसे ही मार खाता है और उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ष 2016 में प्रदेश के अन्दर महिला सम्बन्धी अपराध 24000 थे। अगर हम देखें तो उस समय बलात्कार की 1838 घटनाएँ घटित हुई थीं लेकिन अगर मैं वर्ष 2024 के अन्दर की घटनाएँ बताऊँ तो उनकी संख्या 1373 है। मुझे लगता है और घटनाएँ यह बताती हैं कि उनमें 25 फीसदी से अधिक की कमी आई है। हालांकि आबादी तो इस दौरान भी बढ़ी होगी लेकिन आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियन्त्रित हो रहा है। मैंने जो कहा कि महिला सम्बन्धी अपराध दो प्रकार के होते हैं, वे घर के अन्दर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। किन्तु, सरकार ने दोनों के लिए उस प्रकार की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई हैं। घरेलू हिंसा से सम्बन्धित मामलों में 181 नम्बर की सेवा है। घर से बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ताकि वे सहायता के लिए तत्काल कॉल कर सकें, उसके लिए 1090 नम्बर की सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ-साथ हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम-112 भी है जो इन दोनों सेवाओं के साथ इण्टीग्रेट करती है। अगर कहीं पर भी कोई अपराध होता है और यदि इन तीनों में से किसी एक को भी कॉल की जाएगी तो वहाँ पर आपको सेवा उपलब्ध होगी। साथ ही समय पर चार्ज शीट दाखिल कराना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का जुडिशियरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रॉसिक्यूशन को

आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र सजा दिलाई जा सके। यह सब महत्वपूर्ण है और यह उसी का परिणाम है, जो मैंने आपको पहले बताया कि महिला सम्बन्धी और पॉक्सो सम्बन्धित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16718 अभियुक्तों को सजा दिलाई है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से 21 को हमने मृत्यु दण्ड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को दस वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10331 को हमने 10 दस वर्ष से कम के कारावास की सजा दिलाई है। इन अपराधों में जिन अपराधियों को सजा दिलाई गई है, उनके बारे में आप अक्सर देखते होंगे और समाचार-पत्रों में भी आता रहता है कि दुष्कर्मी को एक महीने के अन्दर ही सजा दिलाई गई तो यह सब प्रॉसिक्यूशन को फास्ट करने और समय पर चार्ज शीट दाखिल करने का ही परिणाम है। नहीं तो, पहले क्या होता था कि जब इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था। लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था अपराध बढ़ते थे और फिर इसको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वह देश के अन्दर नम्बर एक पर है। उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को महिला सम्बन्धी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित हर घर जल योजना अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति कराने विषयक

***2-श्री अनिल प्रधान, श्री मौहम्मद फहीम इरफान तथा श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पेयजल हेतु हर घर जल परियोजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों में समय-सीमा निर्धारित कर पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जी हाँ।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को दिसम्बर, 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न में तीन मा0 सदस्य को बोलना है इसलिए सीधे प्रश्न पर आइये क्योंकि तीनों सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में हर घर नल योजना का प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य सम्पादित किया जा रहा है उससे पूरे गाँवों की सड़कें चाहे वह लोहिया गाँव योजना के तहत बनाई गई हों, अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत बनाई गई हों, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हों अथवा विधायक सांसद निधि से बनाई गई हों या किसी भी योजना के तहत बनाई गई हों पूरे उत्तर प्रदेश की गाँव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे की कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किया गया। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे तो इससे सम्बन्धित मेरे दो-तीन विषय हैं उन पर आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जवाब चाहूँगा आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है कि 2024 दिसम्बर तक आप पानी दे पाएंगे। पानी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे वह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आप के विभाग के द्वारा जो सड़कें खोदी गई हैं उन्हें पुनः उसी तरह बनाएंगे अथवा नहीं बनाएंगे और यदि आप उन्हें बनाएंगे तो क्या उसकी कोई समय-सीमा निर्धारित है जैसे किसी सड़क को आपने वर्ष 2020 में खोदा है तो वह वर्ष 2024 में बनेगी, वर्ष 2026 में बनेगी अथवा वर्ष 2027 में बनेगी उसके लिए कोई समय-सीमा है कि नहीं है ? दूसरा जो अनुपूरक है आपके माध्यम से कि जनता को शुद्ध पेयजल की बात आपने कही है तो मेरा यह पूछना है कि आप जो पानी देने जा रहे हैं, वह दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे वह तो समय ही बताएगा लेकिन जो आपकी योजना है उसमें पानी निःशुल्क देंगे या उसका पैसा लेंगे ? चूँकि ऐसे ही विद्युतीकरण के नाम पर फ्री मीटर दिए गए, फ्री कनेक्शन दिए गए पता नहीं बिजली पहुँची भी अथवा नहीं पहुँची लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं। एक मेरा आखिरी प्रश्न मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से है। यह मेरा व्यक्तिगत है लेकिन इन्हीं के विभाग से सम्बन्धित है। हमारे जनपद चित्रकूट में एक रसिन बाँध है। रसिन बाँध से बरूआ बाँध पम्प कैनाल की कार्य योजना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य इसको आप लिखकर दे दें इसका उत्तर अभी नहीं होगा क्योंकि पर्टीकुलरली उसके लिए प्रश्न में पूछा नहीं गया था।

श्री अनिल प्रधान-

ठीक है मेरे दो ही अनुपूरक हैं कि यदि आप पानी देंगे तो कब तक देंगे और जो रोड खोद रहे हैं उसको आप कब तक बनाएंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जो आपका इंडीविजुअल प्रश्न है उसको आप लिखकर पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी पर्टीकुलरली आपने उस रोड के बारे में नहीं पूछा था, वह मंत्री जी बाद में बता देंगे।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

बहुत शुक्रिया, मुझे आपने अनुपूरक पूछने का मौका दिया सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपकी सेहत की शुभकामना करता हूँ अल्लाताला आपको सेहत अता फरमायें। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो योजना चल रही है उस योजना में मा0 मंत्री जी सबसे पहले नल की व्यवस्था होती थी नल से पानी मिलता था और लोगों को उस व्यवस्था में काफी आसानी हो जाती थी। पहले तो नल की व्यवस्था पूरी तरीके से बन्द कर दी गई और उस नई व्यवस्था को चालू नहीं किया गया तो न तो नल से लोगों को पानी मिला और न ही नमामि गंगे का जो प्रस्ताव चल रहा है या जो काम चल रहा है उससे लोगों को जल मिल पाया है तो सबसे बड़ी परेशानी का तो लोगों को इस तरह से सामना करना पड़ा है। इण्डिया मार्का हैण्डपम्प बन्द होने के बाद शुद्ध पेयजल से वंचित प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसी क्रम में मा0 विधायक जी ने जो कहा यह बहुत गम्भीर विषय है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो पाइप लाइन बिछायी जा रही हैं, चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं यह बड़ा गम्भीर विषय है मा0 मुख्य मंत्री जी जो ठेकेदार काम करने वाला है वह काम तो कर देता है लेकिन चूँकि बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सरकार ने भी बनवायी है और हम विधायक लोग भी बनवाते हैं। ठेकेदार उन सड़कों को तोड़कर चले जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह उन सड़कों को ठीक नहीं करते हमने काफी बार लिखकर भी दिया, कोशिश भी की है, डी0एम0 साहब से भी कहा। तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान केन्द्रित करना चाहूँगा मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी और अब तक इसमें कितना प्रतिशत काम हो चुका है ? इस योजना के अन्तर्गत बिछायी जा रही पाइप लाइन का साइज भारत सरकार के सी0पी0एच0पी0ओ0 मैनुअल के अनुसार कितना है ?

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इस योजना में प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइप लाइन बिछायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। यह प्रदेश की नहीं बल्कि देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम हर

गाँव में मजरे तक शुद्ध पेयजल पहुँचाएंगे। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो वर्ष 2019 में यह योजना शुरू हुई और लक्ष्य था कि दिसम्बर, 2024 तक इसको पूर्ण किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, आज 6 वर्षों के बाद हम जुलाई के महीने में यह चर्चा कर रहे हैं। जो हकीकत के आँकड़े हैं, वह यह है कि प्रदेश के 96 हजार 8 सौ 87 गाँव कवर होने हैं परन्तु अभी तक मात्र 41 हजार 1 सौ 83 गाँव ही इस परियोजना को छू पाये हैं। लगभग 50 प्रतिशत से भी कम के लक्ष्य की पूर्ति सरकार कर पायी। मेरा सीधा सा जो प्रश्न था, वह यही था कि इस लक्ष्य की पूर्ति सरकार कैसे करेगी ? जब आप 6 साल में 50 प्रतिशत पूरा कर पाये हैं तो 6 महीने इसमें बचे हैं, उसमें सरकार की क्या योजना है ? मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगी चूंकि वह बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं और हमेशा बड़ी ही संवेदनशीलता से जवाब देते हैं। अध्यक्ष जी, मैं दो बातें आपके माध्यम से इनके संज्ञान में लाना भी चाहती हूँ। सबसे पहले, अभी दो खबरें मैंने पढ़ी कि एक दिन मा0 डिप्टी सी0एम0 साहब एक टंकी का, पेयजल की योजना का आरम्भ करने गये परन्तु जैसे ऑन किया तो पाइप से फव्वारे निकलने लगे। कहीं न कहीं मानक के विपरीत जो उसमें चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो पाइप इस्तेमाल किये जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता कमजोर है, उस पर यह सवाल उठता है। अभी कुछ दिन पहले दुःखद घटना मथुरा में हुई कि पानी की टंकी बनी लेकिन एक महीने के अन्दर वह पानी की टंकी भरभरा कर गिर गयी और उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गयी। इसलिए कहीं न कहीं जिस तरह से या तो जो सबलेट किये जा रहे हैं, टेण्डरिंग हो रही है, उसमें क्या किसी विशेष ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए या विशेष जगह से आए, निर्यात किये गये ठेकेदारों को, विशेष प्रदेश के ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए यह किया जा रहा है ? और अगर ऐसा नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? अब सीधा-सा सवाल जो मा0 हमारे सदस्य ने भी उठाया, वह बात कई बार सदन में आ चुकी है, चूंकि यह सरकार का ही राजस्व है, सरकार पी0डब्लू0डी0 से, आर0ई0एस0 से, विभिन्न योजनाओं से, विधायक निधि से सांसद निधि से जो सड़कें बन रही हैं, उनकी यह ठेकेदार जो पाइप लाइन डालते हैं, उसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं और उसमें उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि जो बजट उनको दिया गया है, जिस पर उन्होंने टेण्डर लिया, उसमें इसका कोई प्रावधान भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पर आइये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विषय महत्वपूर्ण है। एक और समस्या है कि जो पानी की टंकी बनेगी, उसको ग्राम पंचायत को हैण्डओवर कर दिया जायेगा। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत के पास रोजमर्रा की गाँव की समस्या को पूरा करने के लिए तो पैसा है नहीं, उस टंकी की मेंटीनेंस क्योंकि अगर एक बार मोटर जल जाती है तो लगभग 25 हजार से 30 हजार का खर्चा आता है तो क्या ग्राम पंचायतें उसका निर्वहन करने के लिए सक्षम हैं ? और ऑपरेटर का जो मासिक वेतन है, वह कौन देगा ? यह पूरी तरह से, अस्थायी रूप से जो

व्यवस्था की जा रही है, चूंकि बिजली का बिल भी महत्वपूर्ण है, उसमें यदि कल को बिजली का बिल नहीं होगा और टंकी बन्द हो गयी तो पानी नहीं मिलेगा। मा0 अध्यक्ष जी, इसके चलते जो सबसे बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप डिबेट न करिए, प्रश्न करिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक मिनट लूँगी।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट नहीं, 4 मिनट हो गये हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, ग्रामीण इलाकों में हैण्डपम्प दिये जाते थे।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रश्न फहीम जी ने पूछ लिया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, जब यह हैण्डपम्प इस योजना के चलते दिये जाते थे, वह योजना भी बन्द कर दी गयी। मेरा केवल मा0 मंत्री जी से सीधा सवाल है। मेरे 3 अनुपूरक प्रश्न हैं, मेरा पहला प्रश्न है कि आपने दिसम्बर, 2024 तक पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की पूर्ति आप कब तक और कैसे करेंगे, सरकार बताये कि इसकी क्या योजना है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि रिपेयरिंग और आपरेटर की व्यवस्था के लिए क्या परमानेंट प्रबन्धन इस योजना में सरकार करेगी यह सदन को बताये और मेरा तीसरा प्रश्न है कि जब तक यह योजना नहीं पूरी हो जाती तब तक क्या हैण्डपम्प की व्यवस्था जैसे पहले थी, वह सरकार देगी। ये मेरे 3 प्रश्न हैं।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखेंगे कि राज्य के अन्दर बीमारी चाहे इन्सेफेलाइटिस की हो, जे0ई0 की हो या तीव्र इन्सेफेलाइटिस या सिण्ड्रोम वी0एस0 की हो, हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा। सभी राज्य के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो देश खुशहाल होगा। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें इसलिए 15 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की। जिस समय इस योजना की शुरूआत हुई थी उस समय राज्य के अन्दर नल का कनेक्शन 1.96 प्रतिशत था। आज 2.65 करोड़ घरों में से लगभग 2 करोड़ 24 लाख घरों में नल का कनेक्शन है, जो कि 84.56 प्रतिशत है। 2024 तक मैं इसको 100 प्रतिशत कवरेज कर लूंगा। दूसरी घटना जो सड़क की आपने चर्चा की, चित्रकूट में ग्रामों की संख्या जो इस

क्वेश्चन में नहीं आयी है। इसमें सड़कों का उल्लेख नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि चित्रकूट में 411 ग्रामों की संख्या है, जिसमें रोड कटिंग 443 है। 200 रोड पुनर्स्थापना की है, जो 66 प्रतिशत हो गयी है। जो रिपोर्टिंग है, जो चेकिंग होती है, थर्ड पार्टी है, ग्राम प्रधान है, ये सभी के सिग्नेचर से ग्राम प्रधान, लोकल का ए0ई0 और ये थर्ड पार्टी इसके हिसाब से ही आता है। मान लो बरसात आ जायेगी, रोड कल टूट जायेगी, गीली हो जायेगी, कोई गाड़ी निकल गयी तो पाईप लाईन की टोटी टूट सकती है। लेकिन फिर भी कोई कठिनाई है तो आप बैठकर मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन रोड कटिंग भी समय से पूरी होगी और 2024 तक सभी घरों में नल कनेक्शन और पानी की व्यवस्था भी कर दी जायेगी।

श्री अनिल प्रधान-

क्या पानी निःशुल्क मिलेगा ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

अनिल जी ने सिंचाई से सम्बन्धित जो विषय उठाया था। वह अभी जो बोले हैं उसको मैं दिखवा लूंगा और रसिन बांध का बंधा जो वह बोल रहे हैं उसे दिखवा कर करवा देंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

रोड कटिंग वाले में क्या है ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

रोड कटिंग वाला तो बता दिया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

रिपेयरिंग के बारे में भी बता दीजिये।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

रिपेयरिंग तो होती रहेगी। 2024 तक रिपेयरिंग हो जायेगी। पहले नल का शुद्ध पानी घरों में पहुंच जाय और उसका 6 महीने टेस्टिंग हो जाय और पानी का कनेक्शन घर-घर पहुंचने लगेगा। रोड कम्प्लीट हो जायेगी। आप निश्चिंत रहिए, आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी गांव में गड्ढा नहीं रहेगा। मैं गारण्टी से आपको एकतरफा विश्वास दिलाता हूँ।

प्रदेश में नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कराकर रोकथाम कराने विषयक

***3-श्री अभय सिंह-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ विभीषिका के दृष्टिगत में नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कराकर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से सुझाव लेकर बाढ़ के रोकथाम के लिए कोई विशेष योजना सरकार ने तैयार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ विभीषिका के दृष्टिगत बाढ़ के रोकथाम हेतु नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थलों को चिन्हित कराकर स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधियों, मा0 विधायकगण, मा0 सांसदगण तथा जिलाधिकारियों के बहुमूल्य सुझाव पर विचार करते हुए कार्यस्थल की संवेदनशीलता एवं जनहित के दृष्टिगत तथा तकनीकी साध्यता पाये जाने पर बाढ़ परियोजनाओं का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त परियोजनाओं पर कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रश्न यह था कि जन प्रतिनिधियों के सुझाव ले करके बाढ़ की रोकथाम के लिए योजना बनाने के लिए हम इस सदन के माध्यम से सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे यहां विलासीगंज घाट पर जिओ वेट कटर का निर्माण किया। परक्यू प्वाइंट फाइव स्टेप का निर्माण किया। परक्यू प्वाइण्ट प्रेसिंग का निर्माण किया। वहां पर राम जानकी मंदिर था। स्टेट हाई-वे था, जो कि अयोध्या टाण्डा रोड स्टेट हाई-वे है, वह कटने से बच गया। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

आप बोलिये या तो हम बोले।

श्री अध्यक्ष-

आपस में बातचीत न करिये। मैं यहां पर बैठा हूँ। तूफानी जी जो भी बात करनी है मुझसे करिये। डायरेक्ट कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा।

श्री अभय सिंह-

माननीय मंत्री जी, टेल तक पानी पहुँचाने के लिए मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने टेल तक पानी पहुँचाने का काम किया। यह हमारे बगल के जिले, अमेठी के विधायक जी थे, हमारे सामने शिकायत कर रहे थे। जिस तरीके से अगले ही दिन चीफ इंजीनियर, एस0ई0 ने पहुँच करके, जगह-जगह पहुँच करके, गाँव-गाँव तक जाकर टेल तक पानी पहुँचाने का काम किया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गये जवाब से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बस आधा मिनट हमें दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वह तो हो गया है, वह प्रसन्न हैं, आपको क्या मतलब, किसी की प्रसन्नता में भी आप दुःखी है ?

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में और कुछ नहीं होता है। प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप बैठिये।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कह दिया, वह पक्का हो गया। आप बैठिये।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया। मान्यवर, यह असंसदीय शब्द है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, यह हमेशा होता है, पहली बार नहीं हुआ है। यह इतिहास में भी हुआ है। आप बैठिये।

(सदस्य, श्री शिवपाल सिंह यादव के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संग्राम जी, आप माननीय शिवपाल जी को क्यों उठा रहे हैं। आप उनको बैठाइये। वह अच्छा-खासा बैठे हुए थे।

(सदस्य, श्री शिवपाल सिंह यादव के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शिवपाल जी, आप कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़े हैं, आप बैठिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, सुन लीजिए।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब चाचा को आपत्ति नहीं है तो इनको क्यों हो रही है ?

श्री अध्यक्ष-

यही तो मैं कह रहा हूँ कि जबर्दस्ती न उठायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, यह समस्या आप के वहाँ भी है। ब्रजेश पाठक जी बैठे हैं, जरा देखो उधर भी।

(सदस्य, श्री शिवपाल सिंह यादव के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी और उनकी होती रहती है, बैठिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी प्रश्नकाल में कहा था कि मैंने 20 हजार महिलाओं की भर्ती कर ली है।

श्री अध्यक्ष-

कांस्टेबल्स की भर्ती।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पी0ए0सी0 में भी कर ली है, पुलिस में भी कर ली है। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

शिवपाल जी, वह बात खत्म हो गई है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे। वह प्रश्न खत्म हो चुका है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम भी लिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपको बहुत लेट याद आया। वह प्रश्न खत्म हो चुका है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मेरा ध्यान तो तभी गया था।

श्री अध्यक्ष-

फिर अभी तक कहाँ थे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आपने समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप कहाँ खड़े हुए। मैं आपको उसी समय मौका देता। मैं सोच रहा था कि आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं की।

(सदन में हँसी)

श्री अध्यक्ष-

अरे, हमारी कहीं पर निगाहें हैं, कहीं पर निशाना है, इसीलिए आज जानबूझकर आप की तरफ नहीं देखा।

(सदन में हँसी)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हमें गच्चा नहीं मिला है। देखिये, पाण्डेय जी बहुत सीनियर है। हम लोग समाजवादी ही है। समाजवादी के साथ-साथ आपकी तरफ से भी हमें कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया गया था। वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे।

श्री अध्यक्ष-

मेरी शुभकामनायें और आगे के लिए हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि तीन वर्ष आपके सम्पर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया।

(सदन में हँसी)

श्री अध्यक्ष-

अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपने गच्चा दिया तब प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया। अब समाजवादी पार्टी आगे हो गयी है। अब फिर वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी आपको हराकर आगे हो जायेगी और आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वह आपको फिर गच्चा देंगे।

***4-डॉ0 संग्राम यादव-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना में राज्यांश बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए मदरसा शिक्षकों का समायोजन/पुनः नियुक्त किये जाने विषयक

*** 5-श्री महबूब अली-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना में राज्यांश बन्द करने के कारण कितने मदरसा शिक्षक बेरोजगार हुए हैं ? क्या सरकार बेरोजगार मदरसा शिक्षकों के समायोजन/ पुनः नियुक्ति हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ तथा पंचायती राज मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)-

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 21126 शिक्षक योजना से आच्छादित थे। इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना केन्द्र पुरोनिधानित थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17-10-2023 के अनुसार यह योजना वर्ष 2021-22 तक ही अनुमोदित थी।

श्री महबूब अली-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था, मुझे लगता है मा0 मंत्री जी ने प्रश्न सही से पढ़ा नहीं है। अगर प्रश्न सही से पढ़ा होता तो शायद उत्तर उसके विपरीत नहीं आता। प्रश्न में मैंने कहीं पर आच्छादित का जिक्र नहीं किया है। मैंने बेरोजगारों का जिक्र किया है, बेरोजगार पिछड़ों का किस तरह समायोजन करेंगे उसके बारे में बात की है। आज आप कह रहे हैं कि 21126 टीचर्स हैं, यह आँकड़ा गलत है। यह आँकड़ा 24523 है। 10 लाख विद्यार्थी हैं, 7292 मदरसों से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2008 में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजूकेशन इन मदरसा से चुनांचे यह योजना बनाई थी। योजना में स्पष्ट था विधि विज्ञान और हिन्दी, अंग्रेजी, मदरसों के अरबी, उर्दू और फारसी के अलावां इसका भी ज्ञान बच्चे प्राप्त कर लें। इस मकसद से योजना बनाई थी लेकिन आपने दूसरे प्रश्न में कह दिया कि यह योजना वर्ष 2021-22 तक बनाई थी। मैने पूरी गाइड लाइन पढ़ी है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि वर्ष 2021-22 तक ही योजना थी। अगर योजना वर्ष 2021-22 तक की थी तो आज वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार ने क्यों बन्द की, वर्ष 2021-22 में ही बन्द हो जाना चाहिए था। इसलिए स्पष्ट है प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में

कम्प्यूटर हो। उसी आशय को ध्यान में रखते हुये यह योजना बनाई गयी थी लेकिन प्रदेश सरकार ने दिनांक 08-01-2024 को इस योजना को बन्द कर दिया। मेरा स्पष्ट अनुरोध है कि इस योजना को लागू किया जाये। जिन 25 हजार टीचर्स को 56 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी थी तब इस योजना के साथ-साथ इनका 3 हजार और मानदेय बढ़ाने का काम किया गया था। मेरा मा0 मंत्री जी से सवाल है कि 56 महीने का शेष मानदेय कब तक दे देंगे। टीचर्स भर्तियों में आरक्षण देकर करीब 25 हजार टीचर्स का समायोजन करेंगे वह स्पष्ट कर दें ?

(इसी मध्य पूर्वाह्न 11 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो सवाल किया है उसका उत्तर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 21126 शिक्षक योजना से आच्छादित थे। दूसरा प्रश्न है कि बेरोजगार मदरसा शिक्षकों के समायोजन/पुनः नियुक्ति हेतु सरकार कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ?

इस काम की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यदि नहीं है तो आपका प्रश्न है कि क्यों ? मान्यवर, इसका जवाब दिया गया है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना केन्द्र पुरोनिधानित थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17-10-2023 के अनुसार यह योजना वर्ष 2021-22 तक की अनुमोदित थी।

(सदस्य श्री महबूब अली के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न का जवाब तो आ गया।

श्री महबूब अली-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यदि आप माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हों तो मैं बैठ जाऊं। मान्यवर, मैंने सीधा प्रश्न किया था कि 56 माह से 25 हजार टीचर्स का वेतन शेष है।

श्री अधिष्ठाता-

जब योजना ही बन्द हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा।

श्री महबूब अली-

योजना बन्द कैसे हुई उसकी कोई गाइडलाइन होगी, उसे पढ़कर सुना दें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जी0ओ0 की कापी मा0 सदस्य को दे दूंगा।

श्री महबूब अली-

आप पढ़कर सुना दें जिससे कि सदन भी सुन ले।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, आप जी0ओ0 की कापी माननीय सदस्य को पहुंचा दीजियेगा।

श्री महबूब अली-

स्पष्ट कह दें कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। मेरा सीधा दूसरा प्रश्न था कि 25 हजार टीचर्स को आरक्षण देकर क्या इनको समायोजित करने का काम करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब योजना बन्द हुई तो सरकार किसकी थी ? उस समय चिन्ता क्यों नहीं की गई और बन्द होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2024 तक इसको चलाया।

(सदस्य श्री महबूब अली के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, पहले उत्तर सुन लें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय सदस्य जी, आप सुन लें, क्यों परेशान हैं, चार बार आपकी सरकार रही, इतने चिन्तित आप अल्पसंख्यक समाज के लिये रहे हैं।

श्री महबूब अली-

योजना कब बन्द हुई यह बता दें, 1994-95 की योजना है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आप सदन के अनुभवी मेम्बर हैं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तमाम यूनिवर्सिटी सरकारों ने खोला, चार-चार बार आपकी सरकार रही क्या आपने अल्पसंख्यकों के लिए कहीं यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को समायोजित करने का काम किया है। आपको अल्पसंख्यकों की चिन्ता नहीं थी आपको केवल वोट की चिन्ता थी। कहने से पहले आप सोच लें कि बन्द आपकी सरकार में हुई, 60:40 का रेशियो था। 60 परसेंट धन केन्द्र सरकार और 40 परसेंट धन उत्तर प्रदेश सरकार को देना था। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 40 परसेंट जो राज्यांश था उस हिसाब से जो आपने सवाल किया कुछ उसमें से मानदेय दिया जा रहा था लेकिन जब केन्द्र सरकार ने बन्द कर दिया तो प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था इस नाते प्रदेश सरकार ने भी बन्द कर दिया।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के कारण शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाये जाने विषयक

***6-श्री समरपाल सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री संदीप सिंह कुमार)-

सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। शिक्षामित्रों के मानदेय शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा रुपये 1450/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2001 द्वारा रुपये 2250/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा रुपये 2400/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 15 जून, 2007 द्वारा रुपये 3000/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2009 द्वारा रुपये 3500/-प्रतिमाह, एवं शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 3500/-प्रतिमाह से बढ़ा कर रु0 10,000/-प्रतिमाह किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, किसी काम में मैं माननीय मंत्री जी के यहां गया तो उनका नौकर कुत्ते को सहला रहा था, मैंने पूछा कि भाई महीने में क्या खर्चा आता है तो कहने लगे कि 20 हजार से ऊपर लेकिन मान्यवर, शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपया दिया जा रहा है। कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20 हजार से ऊपर और शिक्षामित्र को 10 हजार रुपया, क्या आदमी पेट पालेगा और क्या बच्चों को पढ़ा लेगा। माननीय मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं कम से कम इतना तो करो कि बच्चों की पढ़ाई, लिखाई, बस्ता, कागज का खर्च निकल जाये, उसकी बीबी को भी कहीं कुछ लेना-देना पड़ता है तो साहब उस पर रहम करो। हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली, आप मुस्कराते रहते हैं आपकी जरा सी कलम चल जायेगी तो इनका कल्याण हो जायेगा, पूरे सूबे का मामला है। ये नियमित शिक्षक थे, कितने लड़कों की शादियां टूट गई, कितनों के घर बरबाद हो गये, अगर एक दाना उनके पास भी चला जायेगा तो सरकार के पल्ले से क्या जा रहा है।

जब कोरोना में प्राइमरी स्कूल चल रहे थे तो स्कूल का समय 8 बजे से 1 बजे कर दिया, फिर 8 बजे से 2 बजे कर दिया। अब 8 बजे से ढाई बजे तक चल रहा है, यह बच्चों का समय भी सेट कराओ। छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, बिजली आप दे नहीं रहे हो, बहुत गर्मी है और स्कूलों में पंखे तक नहीं है। अभी स्कूलों में जूते, मोजे और ड्रेस तक नहीं बटे हैं। आप कहोगे तो मैं इसकी जांच भी करा दूंगा, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम 30 हजार रुपये महीना इनको वेतन दिया जाए, ताकि इनके बच्चों का लालन पालन हो सके, यह सारी समितियां और जितने भी संगठन हैं, ये शिक्षक सभी हमसे आकर मिलते हैं कि

आप विधान सभा में हमारी बात नहीं रखते। मैं आपसे मांग करता हूं कि कम से कम प्रति दिन 1000 रुपये इनका वेतन कर दिया जाए।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय मा0 सदस्य ने शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में जो उनके मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया है। सबसे पहले तो मुझे अनुचित लगा कि जिस तरह मा0 सदस्य ने हमारे शिक्षामित्र जो कि पठन-पाठन का कार्य कराते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं, उन्होंने जिस तरह से शिक्षामित्रों की तुलना एक पशु के साथ की तो मुझे सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगा और इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। जहां तक पैसे बढ़ाने की बात है तो आपकी सरकारों में शिक्षामित्रों का जो मानदेय था वह 3500 रुपये था और उसके बाद इनको आपने शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। लेकिन मा0 सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उनके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए उनको वापस शिक्षामित्र के रूप में हमारे विभाग के अन्दर समायोजित कर लिया गया। हमने वर्ष 2017 में 3500 रुपये जो इनको मानदेय दिया जाता था, उसको बढ़ाकर हमने 10000 रुपये कर दिया है और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में सम्प्रति विचारधीन नहीं है, भविष्य में इसके सम्बन्ध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो, आपके माध्यम से मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराउंगा।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी, सहायिका एवं रसोईया को न्यूनतम मजदूरी दर दिलाए जाने विषयक

***7 श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी, सहायिका एवं रसोइया के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कार्मिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर/मानदेय देते हुए राज्य कर्मचारी की भांति सुविधा दिलाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

1-बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आंगनबाडी सहायिकाओं का विवरण निम्नवत् है-

कुल आंगनबाडी कार्यकत्रियों की सं0-1,63,015

कुल आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सं0-1,38,422

2-प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 3,72,292 रसोइया पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत हैं।

1-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं से मानदेय आधारित सेवाएं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा ली जाती हैं। शासनादेशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है। मानदेय आधारित सेवाएँ होने के कारण न्यूनतम मजदूरी दर से आच्छादित नही है।

2-प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों के मानदेय के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्याः (रिट-ए) 9927/2020 में पारित आदेश दिनांक 15-12-2020 को स्पेशल अपील संख्या-(डिफेक्टिव) 123/2021 में पारित आदेश दिनांक 05-02-2021 द्वारा set aside किया जा चुका है जिसके अनुसार रसोइया मानदेय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यह मेरा प्रश्न साढ़े सात लाख कर्मचारियों से जुड़ा है जो बेसिक शिक्षा में प्राइमरी पाठशालाओं में काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्राथमिक विद्यालयों में 1 करोड़ 67 लाख पंजीकृत बच्चें हैं और आपके नियम के अनुसार 25 बच्चों पर एक रसोइया की नियुक्ति होती है। आपने उत्तर में दिया है कि हमारे यहां रसोईया 3 लाख 72 हजार हैं, मैं कहना चाहूंगा कि 25 के सापेक्ष अगर आप नियुक्ति करते तो इनकी नियुक्ति में 6 लाख 68 हजार की नियुक्ति होनी चाहिए थी। एक तो आपने आधी नियुक्ति की है जिससे बच्चों का भोजन मिलता है, इनकी व्यवस्था होती है उस पर पर्याप्त कर्मचारी भी आपने नियुक्त नहीं किए हैं। मान्यवर इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि हम उनको मात्र रु0 2000/-देते हैं। रु0 2000/-इतना कम है कि उनको अपना जीवनयापन करने में दुश्वारियां हो रही हैं। यहाँ सभी माननीय लोग बैठे हैं। अगर पाँच-सात लोगों का भोजन बनाने के लिए घर में एक नौकर रखते हैं, तो वह भी रु0 10 से 12 हजार लेता है, लेकिन रसोइयों को 25 से 50 बच्चों का देख-रेख करने, खाना बनाने और उनके जूठे बरतन साफ करने के लिए आप रु0 2000/-देते हैं, यह बहुत ही कम है। यह उनके साथ अन्याय है।

मा0 अधिष्ठाता जी, हमने आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भी बात की है, जिनकी संख्या आपने एक लाख तिरसठ हजार बतायी है और आंगनबाड़ी सहायिका की संख्या एक लाख अड़तीस हजार बतायी है। आप आंगनबाड़ी सहायिका को रु0 3000/-और आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रु0 6000/-दे रहे हैं। जो मिनी आंगनबाड़ी है, उन्हें रु0 2250/-और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रु0 4500/-दे रहे हैं। मान्यवर, ये जो

कार्यकत्री हैं, ये शिक्षण का कार्य करती हैं, बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का कार्य करती हैं, उनको देखने का कार्य करती हैं और जो सहायिका हैं, वह साफ-सफाई का भी काम कर देती हैं। एक तरफ उसी समान कार्य के लिए जो शिक्षक हैं, उन्हें रुपये साठ हजार दे रहे हैं और इन्हें रु0 6000/-भी देने में आपको मुश्किल हो रही है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यहाँ हमारे मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, मैं सीधे प्रश्न पर आ रहा हूँ। इन्होंने सदन में स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी रु0 10400/-से कम मानदेय नहीं देते हैं। यह सभी मा0 सदस्यों ने सुना भी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमानुसार जो बेसिक शिक्षा में पंजीकृत छात्र हैं, 25 के सापेक्ष जो आपका अनुपात है, उस अनुपात के आधार पर क्या रसोइया के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेंगे। दूसरा, क्या आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, रसोइया का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी कम से कम रु0 10400/-दिलाते हुए राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधाएं देने पर विचार करेंगे। मान्यवर, मैं सीधे-सीधे उत्तर चाहूँगा, घुमा-फिराकर नहीं।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि विद्यालयों में बच्चों के भोजन बनाने के लिए जो रसोइयों को नियुक्त किया जाता है। मा0 सदस्य के पास बच्चों और रसोइयों को लेकर जो आँकड़े हैं, तो बताना चाहूँगा कि वर्तमान में एक करोड़ छप्पन लाख बच्चे इस सत्र में हमारे परिषदीय विद्यालयों में हैं और जो रसोइयों की संख्या है, वह हमने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है। वर्तमान में सभी विद्यालयों में बच्चों को मिड-डे-मील के माध्यम से भोजन दिया जाता है। वर्तमान की जो व्यवस्था है, उसमें कोई भी असुविधा अभी किसी भी विद्यालय में, प्रदेश में हम सब लोगों के सामने नहीं आयी है। जो भोजन बच्चों के लिए तय किया गया है, वह इन रसोइयों के माध्यम से बनाकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है और जहाँ तक इनके मानदेय की बात है, तो हम आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रु0 8000/-मानदेय प्रतिमाह देते हैं, आंगनबाड़ी सहायिका को रु0 4000/-प्रतिमाह 11 महीने दिया जाता है और रसोइयों को जो रु0 1500/-दिया जाता है, उसको वर्ष 2022 में अपनी सरकार में बढ़ा करके रु0 2000/-प्रतिमाह 10 महीने के लिए दिया जाता है। जिस तरह से उन्होंने इनका मानदेय बढ़ाने के लिए कहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मानदेय आधारित सेवा है, इसलिए ये न्यूनतम मजदूरी दर से आच्छादित नहीं होती है। माननीय सदस्य ने जो संख्या बतायी है, उस वेतन के बराबर इनके वेतन को नहीं किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। प्रश्न संख्या-8 मा0 पंकज पटेल जी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने कहा कि ये न्यूनतम मजदूरी के एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए इन्हें उतना मजदूरी नहीं देते हैं, लेकिन वह काम तो दिन भर करती है और न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से काम करती हैं। तो क्या मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए मा0 सदस्य के प्रश्नानुसार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे और करेंगे, तो कब तक ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 नेता प्रतिपक्ष का जो प्रश्न है, तो मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कह दिया है कि यह मानदेय है, यह कोई वेतन नहीं है। इनको 10-11 माह के लिए सरकार मानदेय पर रखती है। इसलिए इनकी धनराशि को वर्तमान में बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सेवा कांस्ट्रेक्च्युअल है। यह मजदूरी में इसलिए नहीं आयेगा, क्योंकि उतने पीरियड तक यह सेवा नहीं करती हैं। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप स्वयं प्राइमरी स्कूल में गये होंगे। रसोइया 10 बजे स्कूल में आती हैं और वह भोजन बनाती हैं, उसके बाद दोपहर में बच्चों को खिलाती हैं, उसके बाद बरतन साफ करती हैं, लेकिन समय तो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से ही उनका पड़ता है। अगर आप देखें, तो कार्य 8 घण्टे से ज्यादा हो जाता है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अधिष्ठाता जी, एक बात मैं नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार वर्ष 2012-2017 तक थी। उस समय रसोइयों को जो मानदेय मिलता था, वह रु0 500/-से कम मिलता था। ये जो तीन लाख बहत्तर हजार रसोइया हैं, एक तो उनकी सेवा 8 घण्टे नहीं होती है। दूसरा, आप लोगों ने उनके साथ अन्याय किया कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनको सेवा से हटा दिया जायेगा। तीसरा, मनमर्जी से चयन करते थे और उसकी कोई मेरिट नहीं होती थी। यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया और वर्ष 2022 में उनके मानदेय को हम लोगों ने न्यूनतम रु0 2000/-किया है। समाजवादी पार्टी के समय में यह पैसा उनको रु0 500/-से भी कम मिलता था। उसमें भी चयन में भेद-भाव होता था, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का।

मा0 अधिष्ठाता जी, सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं इन सभी का अभिनन्दन करूँगा, क्योंकि फील्ड लेवल पर इन्होंने कोरोना काल खण्ड में बहुत बेहतरीन कार्य करके अपनी

सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुँचाने के लिए बहुत अभिनन्दनीय कार्य किया है। यही कारण है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री हों, या आंगनबाड़ी सहायक हों, इन सबके मानदेय में बढ़ोत्तरी भी की है और इन्हें टैबलेट से आच्छादित करने के साथ-साथ इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी मिल सके, इसका प्रावधान भी किया गया है और बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री इसके माध्यम से बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। आपकी विधान सभा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई विधान सभा है और आप इस बात को देखते होंगे कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया गया है। पंचायत सचिवालय के निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम गाँव को ही स्वावलम्बी बना करके राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार कर सकें। वहाँ पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है। बी0सी0 सखी रखी गयी हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी, वह गाँव के अन्दर वित्तीय लेन-देन का कार्य करती हैं। हमने छः माह के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब उस बैंक से उनका कमीशन बन गया, तो वह अच्छा पैसा कमा रही हैं। सुल्तानपुर की एक बी0सी0 सखी अब तक रु0 15.50 लाख से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है। यह कार्य उस पर निर्भर करता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पंचायत सहायक को भी हम 6000 रुपये प्रति माह देते हैं। वह गांव में 6000 रुपये तो फिक्स मानदेय प्राप्त कर ही रहा है, इसके साथ-साथ जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से सम्बन्धित जिन योजनाओं की वह ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपये अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो उसको बेहतरीन इन्सेन्टिव मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। मुझे लगता है कि कार्य के साथ-साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं, तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पायेंगे और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की है। फिक्स मानदेय के साथ-साथ हम उनको ऐसा इन्सेन्टिव देंगे कि उस इन्सेन्टिव के माध्यम से उनको फिक्स पैकेज उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है और समय आने पर जब आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है, उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों, कम्प्यूटर सहायकों को न्यूनतम मानदेय दिये जाने विषयक

***8-श्री पंकज पटेल-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों, कम्प्यूटर सहायकों के मानदेय तथा बिजली का बिल का भुगतान किस मद से किया जाता है ? क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा कम्प्यूटर सहायकों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रधानों, पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि तथा अन्य योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाता है तथा बिजली का बिल का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त धनराशि से किया जाता है।

जी नहीं, क्योंकि शासनादेश संख्या-2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16-12-2021 द्वारा ग्राम प्रधानों के मानदेय को रु0 3,500 से बढ़ाकर रु0 5,000 किया गया शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021, दिनांक 25-07-2021 के क्रम में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के चयन की कार्यवाही रु0 6,000 प्रतिमाह के मानदेय पर की गयी है। उक्त मानदेय के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1939/33-3-2022-989/2021, दिनांक 03-10-2022 के अन्तर्गत पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित जनसुविधा के विलेज लेवल इन्टरप्रिन्योर (VLE) के रूप में कार्य करते हैं, जिसके लिए इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप प्रति सेवा रु0 5.00 की दर से धनराशि का भुगतान किया जाता है।

श्री पंकज पटेल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने ग्रामीण आंचल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न उठाने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज प्रदेश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारे अन्नदाता हैं और जब उनके विकास की बात आती है तब उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उनके लिए जो बजट दिया जाता है, गांव के विकास के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए या उनके विकास के लिए उसमें भी विभिन्न प्रकार की कटौतियां कर दी जाती हैं। एक ग्राम सभा का जो प्रधान है, वह कैसे गांव का विकास करे ? जो ग्राम सभा का मानदेय दिया जाता है, प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय, गौशाला के केयर टेकर का मानदेय, पंचायत भवनों के इलेक्ट्रिक बिल का मानदेय, विद्यालय के इलेक्ट्रिक बिल का मानदेय, प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट का बिल और चुनाव खर्च के लिए बिल यह सारे जो मानदेय या बिल होते हैं यह ग्राम प्रधान की निधि से कटते हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 2 लाख 65 हजार होता है, इसमें इलेक्ट्रिक बिल शामिल नहीं है। 2 लाख 65 हजार रुपये से ज्यादा का जो बजट जाता है, वह मानदेय में ही खर्च हो जाता है। अगर एक छोटी ग्राम सभा ले ली जाए और उसका महीने का जो खर्च आता है, वह 25 से 30,000 आता है और एक साल का साढ़े 3 से 4 लाख रुपये आ जाता है। एक छोटी ग्राम सभा में केन्द्रीय वित्त व राज्य वित्त का जो साल भर का बजट है, वह 8 लाख 56 हजार रुपये है और महीने के ग्राम प्रधानों के खर्च से जोड़ दिया जाए तो एक ग्राम प्रधान को छोटी ग्राम सभा का विकास करने के लिए मात्र 5 लाख रुपये सालाना मिलता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना प्रश्न पूछें ?

श्री पंकज पटेल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जब साढ़े 4 से 5 लाख रुपये एक साल में प्रधान को मिलता है, तो ग्राम सभा का विकास कैसे हो सकता है ? मेरा मा0 मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या सरकार ग्राम सभा में दिये जाने वाले मानदेय के लिए अलग से बजट देने पर विचार करेगी ? हां तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार छोटी ग्राम सभाओं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है, उनके बजट को बढ़ाने पर विचार करेगी ? हां तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस सवाल पर मा0 मुख्य मंत्री ने भी बताया है। जो मा0 सदस्य का प्रश्न है। ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायक, एकाउन्टेंट कम-डाटा-एन्ट्री आपरेटर के मानदेय का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि तथा अन्य योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाता है तथा बिजली के बिल का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त धनराशि से किया जाता है। दूसरा मा0 सदस्य का प्रश्न है कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा कम्प्यूटर सहायकों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेगी ? जी नहीं। क्योंकि शासनादेश संख्या-2350/33-3, 2021-2257-2021, दिनांक 16-12-2021 द्वारा ग्राम प्रधानों के मानदेय को 3500 से बढ़ाकर रुपया 5,000 किया गया है। मान्यवर, शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021....

श्री पंकज पटेल-

मान्यवर, यह जवाब तो आ गया है। लेकिन मैंने जो अनुपूरक सवाल किया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, एक मिनट आप रुक जाइए, उत्तर आ जाने दीजिए। मा0 मंत्री जी आप सीधे बताइए। ग्राम प्रधानों के मानदेय को रु0 3,500 से बढ़ाकर रु0 5,000 किया गया है यह मा0 मंत्री जी आप सीधा इनको बता दीजिए।

श्री पंकज पटेल-

मान्यवर, मेरा जो सवाल है कि क्या सरकार ग्राम सभा में दिये जाने वाले मानदेय को अलग से बजट देने पर विचार करेगी कि नहीं करेगी ? दूसरा सवाल यह है कि क्या छोटी ग्राम सभाएं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है उनके बजट को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी ? मैं इस पर मा0 मंत्री जी से जवाब चाहता हूँ।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो सवाल है इस पर हम लोगों ने बैठक किया। बारह सौ छाछठ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके यहां बजट पांच लाख के आस-पास जाता है। उनके बजट को बढ़ाने के सम्बन्ध में विभाग के प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, हम लोग बैठ करके चर्चा किये हैं। आपकी भावना की कदर की जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री पंकज पटेल-

मान्यवर, मानदेय जो अलग से पूछ रहे हैं, इस पर भी जवाब दे दीजिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, देखिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने उस पर बताया आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि 6000 रुपये के अलावा.....

(सदस्य श्री पंकज पटेल द्वारा बीच में खड़े होकर टोका-टाकी किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप उत्तर आ जाने दीजिए। मा0 सदस्य आपकी बात आ गई है और अब उत्तर आ जाने दीजिए। आप पहले उनका उत्तर तो सुन लीजिए। आप बैठ जाइए। आपकी बात आ गई है। वह उत्तर दे रहे हैं आप पहले उनका उत्तर सुन लीजिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए।

श्री पंकज पटेल-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी गलत दिशा में जा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, नहीं हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री पंकज जी आप कृपा करके बीच में नहीं बोलिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, 6000 रुपये पंचायत सहायक जो पंचायत सचिवालय में रखा गया उसको 6000 रुपये दिया जाता है। 207 ऐसी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत सहायक करेगा तो उसको पांच रुपया पर-काम पर अनुमन्य है। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(सदस्य श्री पंकज पटेल द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, माननीय सदस्य अभी उनका स्पष्ट उत्तर आ गया है। छोटी ग्राम पंचायतों के लिए उन्होंने आपको आश्वासन दिया है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय सदस्य जी आप जानकारी करिए, आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न को आप पहले पढ़ लीजिए। हम भी नये हैं पुराने नहीं हैं।

(सदस्य श्री पंकज पटेल और मत्री जी श्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा आपस में बात किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप दोनों कृपया करके आपस में बात मत करिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 सदस्य श्री पंकज पटेल जी आपने अनुपूरक बजट पर पूछा तो मैंने बता दिया कि बारह सौ छाछठ ग्राम सभाएं ऐसी हैं, जो पांच लाख और छः लाख के बीच में उनके पास बजट जाता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं मा0 मंत्री जी आपने अपनी बात को स्पष्ट रखा है।

प्रदेश में ब्लाक स्तर पर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज संचालित किये जाने विषयक

***9-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ब्लाक स्तर पर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये ब्लाक स्तर पर बालिकाओं के लिये पृथक से राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना प्राविधानित नहीं है।

उक्तवत्।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने मा0 मंत्री जी से सवाल पूछा था कि बालिकाओं के लिए प्रदेश में एक अलग से हर ब्लॉक में विद्यालय खोलने की बात राजकीय विद्यालय के बारे में मैंने पूछा था। उनका जवाब आया और बहुत गर्व के साथ आया, मैं यही देख रहा था कि जो संगठन जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं उनका इस पर जवाब है कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक से राजकीय इण्टर कॉलेज खोले जाने की कोई योजना प्राविधानित नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं और जो मेरी मंशा थी जैसे हम गांव में जाते हैं लोगों से पूछते हैं। तरह-तरह की घटनाएं होती हैं, जब बच्चियां दूर पढ़ने जाती है। तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि हर ब्लॉक पर, बल्कि प्राइवेट निजी विद्यालय तो हर गांव में

खोले जा रहे हैं और यह सरकार मान्यता देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब घर की बेटियों को शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थान को सौंपने जा रही है। जब गरीब की बेटी निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। एक गरीब किसान मजदूर जो सरकार के सन्दर्भ में सोच करके सपने संजोया होता है इनके घोषणा-पत्रों को देख करके कि मेरी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी।

मान्यवर, यह स्पष्ट होता है कि सरकार को इनके लिये कुछ करना ही नहीं है। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि आप अलग से विद्यालय तो खोल नहीं रहे हैं, तो क्या गरीब परिवार की बच्चियों की शिक्षा के लिये सरकार अलग से कोई अनुदान देने की व्यवस्था करेगी ? किसान भी गरीब होता है और हिन्दुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, तो किसानों के लिये और गांवों में रहने वाले लोगों के लिये क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी और वहां जो निजी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में क्या कोई कोटा तय करेगी जिससे गरीब की बच्ची पढ़ सके और आगे बढ़ सके।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 सदस्य ने ब्लाक स्तर पर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बात कही है, यह इसलिये प्राविधानित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदेश में केवल छात्राओं के लिये 775 राजकीय बालिका हाई स्कूल, 440 राजकीय बालिका इण्टर कालेज संचालित हैं। इसके अलावा 711 राजकीय हाई स्कूल बालक संवर्ग एवं 534 राजकीय इण्टर कालेज बालक संवर्ग संचालित हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बालक विद्यालयों में भी सह शिक्षा की व्यवस्था प्राविधानित की गई है। इसके साथ-साथ प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त 1939 विद्यालय हाई स्कूल स्तर के, 2573 विद्यालय इण्टरमीडिएट स्तर के तथा स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त 20957 विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में भी सरकार द्वारा सह शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, इसमें भी हमारी बालिकायें पढ़ती हैं। इस प्रकार मैं समझती हूं कि ब्लाक स्तर पर बालिकाओं की इण्टरमीडिएट शिक्षा की कोई भी व्यवस्था की बात उचित नहीं है। अतः ब्लॉक स्तर पर ऐसी न तो कोई योजना है और न ही इसका कोई औचित्य बनता है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने को-एड विद्यालयों के बारे में बताया। आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने को-एड विद्यालय हैं जिनमें बालक व बालिकायें एक साथ पढ़ते हैं ? जो विद्यालय को-एड किये गये हैं उनमें कितनी बालिकाओं ने दाखिला लिया है, इसकी जानकारी आ जाये, ताकि थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय को-एड किये गये हैं और जहां पर बालिकाओं के पढ़ने की व्यवस्था की गई है, वहां ऐसी क्या व्यवस्था की जाये कि ज्यादा से ज्यादा बालिकायें वहां पढ़ें ? क्या सरकार इसके बारे में कुछ करेगी ? दूसरा, उन विद्यालयों में

स्टाफ की कमी है, शिक्षक की कमी है, लैब नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, वह सभी सुविधाएं नहीं हैं जो एक बालिका विद्यालय में होनी चाहिये। क्या सरकार ने इस तरह की कोई योजना बनाई है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं।

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्रीमती गुलाब देवी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह अच्छी बात है कि मा0 सदस्य को बच्चियों की पढ़ाई के बारे में ध्यान आया और यह बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अब ध्यान आया है। मैंने अभी आंकड़े दिये कि इस प्रकार के विद्यालय हैं जिनमें बालक और बालिकाओं के लिये किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। सभी बच्चे वहां पढ़ सकते हैं और उन सभी को पूरी सुविधायें मिलती हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पूरे प्रदेश की बच्चियों को पढ़ाने के लिये पर्याप्त है ? यह व्यवहारिकता है, मैं तो समस्या बता रहा हूं, उसका संज्ञान ले लें और पता कर लें। यदि स्टाफ की कमी है तो उसकी व्यवस्था करें। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हर बात का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिये। सवाल पर तो ध्यान दें। महिलाओं का, बच्चियों का सवाल है, हमारी बालिकाओं का सवाल है। हमारी बालिकाएं प्रदेश और देश का भविष्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन मा0 मंत्री जी के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। मा0 मंत्री जी यह तो बता दें कि जो कमियां-खामियां मैंने बताई हैं, अगर वह कमियां हैं तो उनको दूर करने और उनको सुविधायें देने पर क्या यह सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर कमियां हों तो बताई जायें। कोई कमियां नहीं हैं, हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं। हमारे 775 राजकीय बालिका हाई स्कूल है और 440 राजकीय बालिका इण्टर कालेज संचालित हैं, जो केवल बालिकाओं के लिये हैं। इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि प्रदेश की एक-एक बालिका पढ़े।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा 711 हाई स्कूल बालक संवर्ग एवं 534 राजकीय इण्टर कालेज बालक संवर्ग संचालित हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बालक विद्यालयों में भी सह शिक्षा की व्यवस्था प्राविधानित की गई है। इसके अलावा 2573 विद्यालय इण्टरमीडिएट स्तर के तथा स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त 20957 विद्यालय संचालित हैं। आप इससे बढ़िया और क्या व्यवस्था देखना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, धन्यवाद। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।†

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने विषयक

***10-श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षामित्रों का मानदेय 40 हजार रुपया प्रतिमाह करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

शिक्षामित्रों के मानदेय शासनादेश दिनांक 26, 1999 द्वारा रुपये 1450/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2001 द्वारा रुपये 2250/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा रुपये 2400/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 15 जून, 2007 द्वारा रुपये 3000/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2009 द्वारा रुपये 3500/-प्रतिमाह एवं शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रुपये 3500/-प्रतिमाह से बढ़ा कर रुपये 10,000/प्रतिमाह किया गया है।

प्रश्न नहीं उठाता।

***11-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-**

[02-गुरुवार के ता0 प्र0 सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत विषयक

***12-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में निर्माणाधीन पानी की टंकी से जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन डालने में ग्रामों के मार्गों की खुदाई के उपरान्त उक्त मार्गों की मरम्मत कराने की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त घरों को नल से जल दिया जाना है। तत्क्रम में प्रत्येक ग्राम में पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पाइप लाइन बिछाने हेतु कहीं-कहीं पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

नोट :- नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सड़कों की पूर्व जैसी स्थिति तक मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य कराये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में रखे जाने विषयक

***13-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 68500 शिक्षक भर्ती में ओ0बी0सी0 एवं दिव्यांगजन को आरक्षित वर्ग में रखे जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि आरक्षित वर्गों एस0सी0/एस0टी0 की भांति उत्तीर्णांक में मिलने वाली 5 प्रतिशत की छूट से ओ0बी0सी0 एवं दिव्यांगजन को उपरोक्त भर्ती में वंचित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार 68500 शिक्षक भर्ती में ओ0बी0सी0 व दिव्यांगजन को आरक्षित वर्ग में रखे जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ। शासनादेश दिनांक 09-01-2018 में बिन्दु सं0-7 में उल्लिखित है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है। उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार भर्ती परीक्षा सम्पादित कराकर परीक्षाफल घोषित किया गया। चूंकि उक्त भर्ती परीक्षा केवल पात्रता मानदण्डों से सम्बन्धित है अतः परीक्षा के समय निर्धारित उत्तीर्णांक में ओ0बी0सी0 एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त छूट प्रदान नहीं की गयी। साथ ही उक्त परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पुनः आवेदन प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया में ओ0बी0सी0 एवं दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करायी गयी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 हेतु निर्धारित उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत की छूट किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में याचिका सं0-7145 (एस0एस0)/2020 अवध नरेश सिंह चाहर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं याचिका सं0-18354/2018 ममता देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, योजित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में उक्त याचिकाओं में विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित दोनों याचिकाएँ अद्यतन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 के घोषित परीक्षाफल में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंको एवं अन्य शैक्षिक गुणांक के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए रिक्त पदों के प्रति वर्गवार/श्रेणीवार आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए भर्ती की कार्यवाही सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सम्पादित करायी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गरीब वर्ग के मुस्लिम बेटियों के विवाह व बीमारी के इलाज हेतु अनुदान राशि बढ़ाए जाने विषयक

***14-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब वर्ग के मुस्लिमों की बेटियों की शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु विगत तीन वर्षों में कितने लोगों को कितनी अनुदान राशि दी गई है ? क्या सरकार उक्त अनुदान राशि को बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

वर्ष 2021-22 में 24962 अल्पसंख्यक समुदाय की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना में रु0 49,92,40,000/-की धनराशि से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2022-23 में 107 अल्पसंख्यक समुदाय की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना में रु0 21,40,000/-की धनराशि से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा योजनान्तर्गत कोई धनराशि का बजट प्राविधान स्वीकृत नहीं किया गया। उक्त योजना की धनराशि शासन द्वारा मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में समायोजित कर दी गयी है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी भी लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त योजना समाज कल्याण विभाग से संचालित है। पूर्व में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से शादी अनुदान के अन्तर्गत प्रति शादी रु0 20,000/-का व्यय निर्धारित था और वर्तमान में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति शादी रु0 51,000/-व्यय किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में आर0टी0ई0 अधिनियम के मानकानुसार अध्यापकों का जनपदवार विवरण की जानकारी

***15-श्री अतुल प्रधान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि आर0टी0ई0 अधिनियम के मानकानुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या-1,04,93,389 एवं 3,32,734 नियमित अध्यापक हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या-43,14,803 एवं 1,20,860 नियमित अध्यापक हैं।

जी हाँ।

प्राथमिक विद्यालयों में 1,04,93,389 नामांकित छात्रों के सापेक्ष कार्यरत 3,38,590 अध्यापकों के फलस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है एवं 1,43,450 शिक्षामित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 43,14,803 नामांकित छात्रों के सापेक्ष कार्यरत 1,20,860 अध्यापकों के फलस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है एवं 25,223 अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 29:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

जी हाँ। (जनपदवार विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को छुटटा पशुओं द्वारा मारे जाने पर 25 लाख रुपये मुआवजा तथा आश्रित को सरकारी नौकरी दिये जाने विषयक

***16-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेतों की रखवाली कर रहे किसानों की छुट्टा पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक किसान परिवार के सदस्यों को 25 लाख रुपये तथा एक सरकारी नौकरी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/मु0सं0-11/एक-9-2020-2एफ/2018, दिनांक 28-02-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदेश में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत किसानों की दुर्घटना से हुयी मृत्यु पर उनके आश्रितों/वारिसों को रु0 05 लाख की सहायता राशि दी जाती है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-586/ एक-11-2022-4 (जी)/2015, दिनांक 13-10-2022 द्वारा प्रदेश में सांड़ एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

प्रदेश में गनर या शैडो की नियुक्ति हेतु प्रथम पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति निकाल कर सुरक्षा कर्मियों की भर्ती किये जाने विषयक

***17-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा हेतु गनर या शैडो की नियुक्ति हेतु प्रथम पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति निकाल कर सुरक्षा कर्मियों की भर्ती पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध कराये गये अधियाचनों के क्रम में प्रख्यापित सेवा नियमावलियों के अनुसार सीधी भर्ती हेतु चयन की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा हेतु गनर/शैडो की भर्ती हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नए मदरसों को मान्यता देने की अवधि सुनिश्चित करने विषयक

***18-श्रीमती पिंकी सिंह-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने नए मदरसों को मान्यता दी गई है तथा कितने नए मदरसों की मान्यता के आवेदन वर्तमान में विचाराधीन हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक उक्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में नवीन मदरसों को मान्यता नहीं दी गयी है। रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् के स्तर पर किसी नये मदरसे की मान्यता के आवेदन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति किये जाने विषयक

***19-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकांश पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों का संचालन प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के कारण कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कराकर प्रधानाध्यापकों की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-523/2024 हिमांशू राणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के उपरान्त पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

***20-डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के विद्युतीकरण की योजना बनाई गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना अन्तर्गत कितने प्राइमरी स्कूलों का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा वर्तमान तक कितने प्राइमरी स्कूलों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त स्कूलों को चिन्हित कर विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 84,150 प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण करा दिया गया है। अवशेष 2821 प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण शेष है।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रु0 86.63 करोड़ को शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 द्वारा जनपदवार हस्तान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में दैवीय आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को आकस्मिक हानि से मुआवजा देने विषयक

1-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष तेज हवा के साथ ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अति वृष्टि, बाढ़ आदि दैवीय आपदाओं के कारण किसानों की विभिन्न फसलों की आकस्मिक हानि से सरकार परिचित है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आकस्मिक हानि के सापेक्ष चिन्हित किसानों को प्रतिवर्ष मुआवजा देने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रदेश में प्रति वर्ष तेज हवा के साथ ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अति वृष्टि एवं बाढ़ आदि दैवीय आपदाओं के कारण कृषकों की फसल प्रभावित होती है। प्रभावित कृषकों को भारत सरकार के शासनादेश सं0-33-03/2020-NDM-1, दिनांक 11 जुलाई, 2023 के तहत कृषि निवेश अनुदान प्रदान किया जाता है।

मद	दर
कृषि भूमि से गाद निकालना	रु0 18,000/-प्रति हेक्टेयर, प्रति किसान न्यूनतम रु0 2200/-
भू-स्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग बदलने से हुई हानि	रु0 47,000/-प्रति हेक्टेयर, प्रति किसान न्यूनतम रु0 5000/-
ऐसे छोटे एवं सीमान्त किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है (इनपुट सब्सिडी जहां बाढ़/अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान 33 प्रतिशत और उससे अधिक है)	
कृषि, बागवानी, वार्षिक फसलों के लिए	रु0 8500/-प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्रों में प्रति किसान न्यूनतम रु0 1000/-
	रु0 17,000/-प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में प्रति किसान न्यूनतम रु0 2000/-
बारहमासी फसलें	रु0 22,500/-प्रति हेक्टेयर, प्रति किसान न्यूनतम रु0 2500/-
रेशमकीट पालन/उत्पादन	रु0 6000/-प्रति हेक्टेयर ऐरी, मलबरी, टसर के लिए। रु0 7500/-प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिए।
ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है (इनपुट सब्सिडी जहाँ बाढ़/अति वृष्टि से फसलों का नुकसान 33 प्रतिशत और उससे अधिक है, वहां सहायता प्रदान की जा सकती है, जो प्रति किसान 2 हेक्टेयर की सीमा के अधीन है।)	
	रु0 8500/-प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में। रु0 17,000/-प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में। रु0 22,500/-प्रति हेक्टेयर बारहमासी फसलों के लिए।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों में शिक्षा का स्तर उठाने विषयक

2-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाने हेतु विगत पांच वर्षों में किए गए प्रमुख उपायों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार हर जिले में अच्छा प्रदर्शन वाले तीन मदरसे चिन्हित कर उन्हें नवोदय विद्यालय जैसी विशेष सुविधाएं देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु हर जिला मुख्यालय पर कोचिंग सेंटर की स्थापना पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी हाँ।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों में पढ़ाई का स्तर ऊँचा उठाने हेतु किये गये प्रयास निम्नवत् है :-

(1) प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों में पारदर्शिता हेतु मदरसा पोर्टल की स्थापना।

(2) वर्तमान में एस0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू है। बेसिक शिक्षा विभाग की भाँति चरणबद्ध रूप से एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू किया जाना।

(3) शिक्षा का माध्यम हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी में किये जाने का प्रावधान किया जाना।

(4) परीक्षाओं का ऑनलाइन संचालन करना।

(5) ए0आई0 (आर्टीफीशियल इन्टेलीजेन्स) की शिक्षा प्रदान कराना।

इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में इससे सम्बन्धित कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों के नियुक्ति किये जाने विषयक

3-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,152 पद एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,338 पद रिक्त है।

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षामित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 1,20,860 अध्यापकों एवं 25,223 अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 29:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी) के पद स्वीकृत नहीं हैं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियाँ निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय-समय पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। सम्प्रति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किये गये हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-523/2024 हिमांशू राणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के उपरान्त पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आरक्षित वर्ग में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों की बैकलॉग नियुक्ति किये जाने विषयक

4-श्रीमती पूजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर बैकलाग नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,886 पदों के सापेक्ष 3,32,734 शिक्षक कार्यरत हैं एवं शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 1,62,198 पदों के सापेक्ष 1,20,860 शिक्षक कार्यरत हैं

एवं शिक्षकों के 41,338 पद रिक्त हैं। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी) के पद स्वीकृत नहीं हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में छुट्टा पशुओं के हमलों से मृत किसान के आश्रित को सरकारी नौकरी देने विषयक

5-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा पशुओं के हमलों से मृत किसान के आश्रित को सरकारी नौकरी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रदेश में छुट्टा पशुओं के हमलों से मृत किसान के आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में मल्टी सेक्टोरियल विकास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पॉलीटेक्निक कॉलेज को पूर्ण करके शैक्षणिक सत्र संचालित करने विषयक

6-श्री महबूब अली-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मल्टी सेक्टोरियल विकास योजना के अन्तर्गत कितने निर्माणाधीन पॉलीटेक्निक कॉलेज वर्तमान तक अपूर्ण हैं ? क्या सरकार ऐसे अपूर्ण पॉलीटेक्निक कॉलेजों को पूर्ण कर उक्त में शिक्षा सत्र संचालित करने की समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

प्रदेश में मल्टी सेक्टोरियल विकास योजना (वर्तमान नाम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) से आच्छादित कुल 26 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में से 21 राजकीय पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन हैं।

प्रश्नगत योजना से आच्छादित 26 राजकीय पॉलीटेक्निक में से 05 राजकीय पॉलीटेक्निक का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं संस्थायें स्वयं के भवनों में संचालित हैं। अपूर्ण संचालित 09 संस्थाओं में से 06 अपने निजी भवनों तथा 03 मेंटर संस्थाओं में संचालित हैं तथा शेष 12 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर आगामी शैक्षिक सत्र से पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किया जाना है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वज्रपात से मृत व्यक्तियों के परिजनों को भुगतानित मुआवजा की जानकारी

7-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कितने लोगों की मृत्यु वज्रपात से हुई तथा मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार विगत 3 वर्षों सहित वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31-01-2024 तक मृत परिजनों के भुगतानित मुआवजा का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में विगत 3 वर्षों में वज्रपात से हुई जनहानियों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम-संख्या	वर्ष	जनहानियों की संख्या
1	2021-22	273
2	2022-23	410
3	2023-24	320

राजस्व अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0-303/1-11-2016-4 (जी)/16 दिनांक 27-07-2016 के माध्यम से वज्रपात को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वज्रपात से मृत्यु की दशा में प्रति मृतक के आश्रितों को रु0 04.00 लाख दिये जाने का प्रावधान है।

विगत 03 वर्षों का आकाशीय विद्युत/वज्रपात से हुई जनहानि का जनपदवार विवरण संलग्न† है।

मृत परिजनों को रु0 4.00 लाख की दर से भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत जल निगम कार्मिकों के बकाए धनराशि का भुगतान निश्चित समयावधि में कराये जाने विषयक

8-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल निगम ग्रामीण में कार्यरत कर्मियों का कितनी अवधि के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि की कितनी धनराशि का भुगतान वर्तमान में बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाए का भुगतान किसी निश्चित अवधि में कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-268-271 पर।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कर्मियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में वेतन, भत्ते एवं पेंशन के मद में कोई धनराशि का भुगतान बकाया नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

9-श्री स्वामी ओउ्मवेश

[02 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के सभी ब्लाकों में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले जाने विषयक

10-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के सभी ब्लाकों में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

जी नहीं।

उ0प्र0 शासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विचार किया जाता है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के सभी ब्लाकों में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

11-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्र0 सं0-68 के अर्न्तगत स्थानान्तरित।]

12-श्रीमती पिंकी सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने विषयक

13-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने हेतु कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश में 1,43,450 शिक्षामित्र कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्। हाँ।

जनपद फतेहपुर में स्थित ससुर खदेरी नदी में सिल्ट सफाई व नदी को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने विषयक

14-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर स्थित ससुर खदेरी नदी में सिल्ट जमा होने एवं नदी तट पर अतिक्रमण से नदी का वास्तविक स्वरूप बदल गया है ? क्या सरकार उक्त नदी की सिल्ट सफाई कराकर एवं अतिक्रमण मुक्त कराकर नदी को पुनर्जीवित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत कतिपय रजबहों/मानइरों की विशेष मरम्मत विषयक

15-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत कतिपय रजबहों/मानइरों की विशेष मरम्मत विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 नं0-133553, दिनाँक-06/09/2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

मा0 विधायक जी के पत्र के साथ संलग्न सूची में 34 नहरों का उल्लेख है। इनमें से 6 रजबहे एवं 28 माइनरें है। इस वित्तीय वर्ष में 3 रजबहे (आलमगंज, रावतपुर एवं कॉधी) एवं 3 माइनरों (जोनिहों, सहवाजपुर एवं रैना) के सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त पुनरोद्धार की परियोजनायें बनायी जा रही हैं। परियोजनाओं के तकनीकी अनुमोदन, प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

शेष रजबहे/माइनरों की स्थलीय/तकनीकी आवश्यकतानुसार, परियोजनायें आगामी वर्षों में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत राजकीय महिला डिग्री कालेज बिन्दकी में बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 की कक्षाएं संचालित कराने विषयक

16-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत राजकीय महिला डिग्री कालेज बिन्दकी में बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं एम0 काम0 की कक्षाएं सरकार संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में 03 राजकीय महाविद्यालय, 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 74 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एवं 01 आटोनामस महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में 01 राजकीय महाविद्यालय एवं 07 स्वावित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 की कक्षाएं संचालित किये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अद्यतन स्थिति का विवरण विषयक

17-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में सम्मिलित विद्यालयों एवं उनमें की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार शेष विद्यालयों को भी उक्त योजना में सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में संचालित 185 परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष 180 विद्यालय 'ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत निर्धारित 19 पैरामीटर्स के सापेक्ष 15 पैरामीटर्स पेयजल सुविधा, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालयों में रनिंग वॉटर, शौचालय में टाइलीकरण, मल्टीपल हैण्डवॉश, ब्लैक बोर्ड, किचेन शेड, रंगाई-पुताई, रैम्प रेलिंग, विद्युत

उपकरण, विद्युत कनेक्शन, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय एवं टैपरनिंग वॉटर से संतृप्त किया जा चुका है।

उक्तवत्।

संतृप्तीकरण से शेष 24 विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय, 09 विद्यालयों में कक्षा-कक्ष टाइलीकरण, 71 विद्यालयों में फर्नीचर तथा 08 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पंचायती राज विभाग एवं मनरेगा फतेहपुर द्वारा कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय के पंत्राक-माध्यमिक/5087/2023-24 पर कृत कार्यवाही विषयक

18-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-37/07/226/2023, दिनांक 27-07-2023 जो आई0जी0आर0एस0 संख्या-18167230146674 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय के पंत्राक-माध्यमिक/5087/2023-24, दिनांक 11-08-2023 की आख्या के आधार पर राजकीय इण्टर कालेज पूराकलाँ की स्थापना कराये जाने विषयक है, पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

राजकीय इण्टर कालेज पूराकला की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर परीक्षणाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शामली के तहसील ऊन में ग्राम भोगी माजरा जाने हेतु मार्ग का सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के विषयक

19-श्री प्रसन्न कुमार-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-201 के उत्तर के क्रम में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि में ग्राम पंचायत भोगी माजरा के ऊन-चौसाना मार्ग से ग्राम भोगी माजरा जाने हेतु मार्ग का सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई लगभग 350 मी0 व चौडाई 3.30 मी0 है, जिस पर वर्तमान में खडंजा लगा है। मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य में लगभग 18 लाख रु0 का व्यय होने का अनुमान है। उक्त मार्ग जिला पंचायत शामली का मार्ग नही है। जिला पंचायत शामली की वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना तैयार कर e-gram swaraj portal पर अपलोड की जा चुकी है। अतः उक्त सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आगामी जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

20-श्री जगदीश नरायण-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-174 के अर्न्तगत स्थानान्तरित।]

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत व मड़ियाहूं में द्वितीय चकबन्दी प्रक्रिया शुरू करने विषयक

21-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत व मड़ियाहूं में द्वितीय चकबन्दी प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर की केराकत तहसील के 13 ग्रामों में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य ग्रामों में ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जनपद स्तर पर उपयुक्त पाये जाने पर द्वितीय चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया में प्रख्यापन हेतु उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

तहसील मड़ियाहूं में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त स्थिति में तहसील मड़ियाहूं में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री जगदीश नारायण-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-175 के अर्न्तगत स्थानान्तरित।]

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में सरकारी भूमि गाटा सं0-443 पर अवैध कब्जे के दोषियों की चल अचल सम्पति की कुर्की विषयक

23-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील-बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम-बारा हरदो में सरकारी भूमि गाटा संख्या-443, रकबा 0.126 हे0 पर अवैध

कब्जा कर, सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के कारण दिनांक 17-02-2023 को तहसीलदार, बीघापुर, उन्नाव द्वारा दोषियों से रु0 3,75,000.00 की क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली किये जाने के आदेश कर वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 26-03-2023 को जारी किया गया तथा दिनांक 28-07-2023 को दोषियों के विरुद्ध प्रपत्र आर0सी0-37 जारी किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषियों की चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की हेतु दिनांक 18-01-2024 को आर0सी0-38 निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषियों से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली की गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रकरण से सम्बन्धित वाद संख्या-टी 202210690503517 में पारित आदेश दिनांक 17-02-2023 के विरुद्ध प्रतिपक्षी श्रीमती सरोज रावत पत्नी स्व0 अवधेश कुमार रावत द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-01-2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 17-02-2023 का क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा स्थगित करते हुए वाद पुनर्स्थापित कर दिया गया है। पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के निस्तारणोपरान्त वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज में प्रतिभा जागृति विद्यालय द्वारा सरकारी भूमि व स्थानीय निवासियों की भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने विषयक

24-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के परगना-झलोतर अजगैन, तहसील-हसनगंज में प्रतिभा जागृति विद्यालय, पछियाँव, झलोतर नवाबगंज के निर्माण में निर्माणकर्ताओं द्वारा वन विभाग की सरकारी भूमि तथा स्थानीय निवासियों की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त सरकारी भूमि एवं स्थानीय निवासियों की भूमि पर से अवैध अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वन विभाग की भूमि पर विद्यालय का कब्जा नहीं है। बंजर एवं अन्य की भूमि पर अवैध कब्जा है।

ग्राम सभा की भूमि पर पहुंचने के लिए विद्यालय द्वारा लगाये गये अवैधानिक अवरोध को हटा दिया गया है। शेष अवैध स्थायी कब्जा को हटवाने हेतु विद्यालय संचालिका को दिनांक 25-07-2024 को नोटिस दी गयी है।

विद्यालय की संचालिका को 10 दिन के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गयी है। उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् नगर पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बुढ़नपुर के ग्राम मेवा नवादा स्थित वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति (कब्रिस्तान) से अवैध निर्माण हटाये जाने विषयक

25-श्री राम अवतार सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बुढ़नपुर के ग्राम मेवा नवादा स्थित वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति (कब्रिस्तान) से अवैध निर्माण हटाये जाने विषयक पत्र दिनांक 08-02-2024 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी हाँ।

उक्त पत्र पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शिकायती-पत्र में वक्फ संख्या अंकित नहीं है और न ही आराजी कब्रिस्तान की चौहद्दी का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त नाजायज कब्जेदारों के समस्त नाम, पता आदि पूर्ण विवरण भी अंकित नहीं है। क्या अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसका भी उल्लेख नहीं है।

इस परिप्रेक्ष्य में बोर्ड के तीन पत्र संख्या-1575-1577/C.E.O-2024, दिनांक 25-07-2024 द्वारा शिकायतकर्तागण से उक्त विवरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद व सम्भल के ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित अवधि में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण करने विषयक

26-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में जनपद-मुरादाबाद व सम्भल के ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्रदेश में कितने अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार अन्त्येष्टि स्थल विहीन ग्रामों में किसी निश्चित अवधि तक अन्त्येष्टि स्थल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद मुरादाबाद एवं सम्भल में क्रमशः 35 एवं 26 अन्त्येष्टि स्थल निर्मित कराये गये हैं, तथा प्रदेश स्तर पर कुल 2629 अन्त्येष्टि स्थल आवंटित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 1961 पूर्ण एवं अवशेष 668 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उन ग्राम पंचायतों में जहाँ पारम्परिक रूप से अन्त्येष्टि की जाती है, उनमें धनराशि की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया जायेगा।

प्रदेश में आधुनिक सुविधायुक्त अन्त्येष्टि स्थल, शुद्ध पेयजल केन्द्र, शौचालय काम्पलेक्स एवं स्नानागार का निर्माण कराने विषयक

27-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर सामूहिक स्नान एवं मृतकों की अन्त्येष्टि करने हेतु विगत पांच वर्षों में आधुनिक सुविधायुक्त अन्त्येष्टि स्थल, शुद्ध पेयजल केन्द्र, शौचालय काम्पलेक्स एवं स्नानागार का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी हाँ।

जनपदों में गंगा व अन्य सहायक नदियों के तट पर निर्मित अन्त्येष्टि स्थलों जिसमें पेयजल, शौचालय, स्नानागार आदि का निर्माण किया गया है, का जनपदवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना पारा में दर्ज अपराध सं0-0411/2027 की पुनः विवेचना कराने विषयक

28-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 02-11-2023, जो कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत थाना पारा में दर्ज अपराध संख्या-0411/2022, अं0 धारा-498ए, 323, 504, 506 भ0द0सं0 एवं 3/4 डी0पी0ए0 मुकदमे में पीड़िता द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों/तथ्यों एवं बयानों को ध्यान में रखते हुए उक्त मुकदमे की पुनः विवेचना किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापा नहीं गया।

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

वादिनी श्रीमती पूनम रावत पुत्री श्री राम लखन रावत पत्नी मयंक वर्मा, निवासिनी म0नं0-555/ख/26 पुरैया खेड़ा डिप्टी खेड़ा आलम नगर, थाना पारा, जनपद लखनऊ की तहरीरी सूचना पर दिनांक 29-08-2022 को मु0अ0सं0-411/2022, धारा 498ए/323/504/506 भादवि एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम आरोपीगण 1-ननद-प्रीति, 2-देवर-शशांक रावत, 3-नाना-कन्हैया लाल, 4-नन्दोई-अनुराग वर्मा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान नामित अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता न पाये जाने के कारण नामित अभियुक्तगण का नाम पृथक किया गया तथा तमामी साक्ष्य संकलन से अभियुक्त 1-पति-मयंक वर्मा, 2-सास-श्रीमती सरोज के विरुद्ध धारा-498ए/323/504/506 भादवि एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 01-04-2023 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में वित्तीय वर्ष 2016-2021 तक कराये गये विकास कार्यों में अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध जाँच कराये जाने विषयक

29-श्री राम अचल राजभर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-24 के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में वित्तीय वर्ष 2016-2021 तक कराये गये विकास कार्यों की संयुक्त जाँच कमेटी (दिनांक 23-12-2020) द्वारा जाँच किये जाने पर सम्बन्धित ग्राम सचिवों को व्यय सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों को गायब करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किये जाने का दोषी पाया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 17-05-2022 द्वारा सम्बन्धित को दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु आदेश दिये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, वि0ख0-असोहा, उन्नाव के कार्यालय पत्र दिनांक 04-02-2024 द्वारा सरकारी अभिलेख गायब करने वाले दोषी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की सूचना दी गयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट किन धाराओं में, किन अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी हाँ।

जी हाँ।

मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 17-05-2022 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0), असोहा को ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कराये गये कार्यों से सम्बन्धित सचिवों से अवशेष अभिलेख जाँच अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे।

जी हाँ।

खण्ड विकास अधिकारी, असोहा के कार्यालय पत्र दिनांक 04-02-2024 के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0), असोहा के कार्यालय पत्र दिनांक 24-07-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि थाना असोहा में श्री राजदेव सिंह, पत्रवाहक के विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा-409 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसकी विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा की जा रही है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज मे टिनिच रजवाहा मे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने विषयक

30-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में टिनिच रजवाहा, जो कि सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा के अन्तर्गत आता है, में पानी की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

टिनिच राजवाहे के हेड रीच में सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराकर किसानों को सुचारु रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में कप्तानगंज-पोखरा मार्ग से लहिलवारा गाँव तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक

31-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में कप्तानगंज पोखरा मार्ग से लहिलवारा गाँव तक विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क जर्जर है ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 870 मी0 व औसत चौड़ाई 03 मी0 है। उक्त मार्ग पर सांसद निधि से किसी अन्य विभाग द्वारा लेपन कार्य कराया गया था, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। उपरोक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने में लगभाग रु0 40.00 लाख का व्यय अनुमानित है। सन्दर्भित मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जनपद बस्ती की कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुये प्रस्ताव जिला पंचायत, बस्ती की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा एवं सदन के अनुमोदनोपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

जनपद फिरोजाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में माननीय सांसद एवं विधायकों के बैठने हेतु कक्षों के निर्माण की जानकारी विषयक

32-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद एवं विधायकों के बैठने हेतु कक्षों के निर्माण कराये जाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कलेक्ट्रेट फिरोजाबाद परिसर में मा0 सांसद एवं मा0 विधायकों के उपयोगार्थ पृथक से कक्षों का निर्माण कराये जाने की कोई योजना नहीं है।

शासन द्वारा कलेक्ट्रेट निर्माण मानकीकरण हेतु वर्तमान में अनुमोदित मानचित्र के अनुरूप जनपद फिरोजाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में वी0आई0पी0 प्रतीक्षालय उपलब्ध है।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरने हेतु टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने विषयक

33-श्री अनिल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापक एवं 1,43,450 शिक्षामित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियाँ निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय-समय पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। सम्प्रति मा0 सर्वोच्च

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के 250 से अधिक आबादी के मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

34-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-06/02/226/2024, दिनांक 07-02-2024 जो प्रदेश के 250 से अधिक आबादी के मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की कार्यवाही विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी हाँ।

जिला पंचायत, ललितपुर को आवंटित वर्ष 2024-25 की धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना तैयार हो चुकी है। ग्राम हर्षपुर, खांदी, बिजरौठा एवं कडेसरा कलाँ की बड़ी ग्राम पंचायतों के मजरे जिनकी आबादी 250 से अधिक है, को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु जिला पंचायत की आगामी वर्ष 2025-26 की कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु बोर्ड बैठक में निर्णय लिये जाने हेतु रखा जायेगा। बोर्ड के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के पिहार बाहा पर रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में

35-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के पिहार बाहा पर रेगुलेटर न होने के कारण बरसात के दौरान बदरहुआँ की तरफ से पानी का दबाव बढ़ने पर पिहार, अखईपुर, नवकापूरा, कांतिपुर, सिंरही इत्यादि गांवों सहित फसलें जलमग्न हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पिहार में रेगुलेटर का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ग्राम पंचायत पिहार में विभाग द्वारा कोई भी तटबन्ध निर्मित नहीं है। तटबन्ध के बिना रेगुलेटर गेट का निर्माण कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बनवाये जाने विषयक

36-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में छात्राओं के उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए राजकीय महिला डिग्री कॉलेज न होने के कारण लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु दूरस्थ क्षेत्र में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में 01 राज्य विश्वविद्यालय, 02 राजकीय महिला महाविद्यालय, 10 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 256 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के 10 किमी0 की परिधि में 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 12 स्वावित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक

37-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शेष लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी हाँ।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 22-07-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत 02 विकास खण्ड क्रमशः अजमतगढ़ एवं हर्रैया आते हैं। दोनों विकास खण्डों में 2011

की सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन का विवरण निम्नवत् है :-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 2011 की सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड अजमतगढ़ में 935 लाभार्थियों तथा विकास खण्ड हरैया में 514 लाभार्थियों अर्थात् कुल 1449 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अब उक्त सूची में कोई पात्र लाभार्थी शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में अग्निशमन केन्द्र बनवाये जाने विषयक

38-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के विकास खण्ड शिकोहाबाद के नसीरपुर में अथवा उसके आस-पास एक अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद में ग्राम रहचटी एटा रोड पर स्थायी अग्निशमन केन्द्र शिकोहाबाद स्थापित/संचालित है तथा तहसील सिरसागंज में करहल रोड निकट एन0एच0-2 पर स्थायी अग्निशमन केन्द्र सिरसागंज स्थापित/संचालित है। उक्त दोनों अग्निशमन केन्द्र की थाना नसीरपुर से दूरी लगभग 15 किमी0 है। थाना नसीरपुर क्षेत्र की प्राप्त अग्नि दुर्घटनाओं की सूचना पर नजदीकी अग्निशमन केन्द्र सिरसागंज व अग्निशमन केन्द्र शिकोहाबाद से फायर टेण्डर मय फायर यूनिट प्रस्थान कराकर अग्निशमन कार्य किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश की प्रत्येक तहसील पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 40,000/-प्रतिमाह किए जाने के सम्बन्ध में

39-श्री सर्वेश सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 40,000/- प्रतिमाह करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

शिक्षामित्रों के मानदेय शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा रुपये 1450/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2001 द्वारा रुपये 2250/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा रुपये 2400/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 15 जून, 2007 द्वारा रुपये 3000/-प्रतिमाह, शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2009 द्वारा रुपये 3500/-प्रतिमाह एवं शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 3500/-प्रतिमाह से बढ़ा कर रु0 10,000/-प्रतिमाह किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में सिंचाई हेतु नहर, बम्बा आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री सर्वेश सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में जहां सिंचाई हेतु नहर, बम्बा आदि नहीं है, किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न 62 जनपदों में '2100 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना' प्रचलित है। उक्त परियोजना द्वारा प्रदेश के 62 जनपदों में भू-गर्भ जल विभाग द्वारा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्डों में 2100 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से 105000 हे0 असिंचित भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनिया में तालाबों का सौन्दर्यीकरण कराने विषयक

41-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनिया के अन्तर्गत ग्राम कैलावर में दो तालाबों का चयन अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त तालाबों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

ग्राम पंचायत-कैलावर में एक ही बाउण्ड्री के अन्दर दो तालाब स्थित हैं। दोनों तालाब एक ही बाउण्ड्री में होने के कारण मनरेगा योजनान्तर्गत एक तालाब का चयन वर्ष 2022-23 में अमृत सरोवर के रूप में किया गया है।

जी हाँ।

चयनित तालाब एवं दूसरे तालाब पर जिला पंचायत द्वारा पूर्व में दो तरफ से सीढ़ी का निर्माण कराया गया है। चयनित अमृत सरोवर पर मनरेगा योजनान्तर्गत रुपये 3.40 लाख से मिट्टी कार्य कराया गया है। फ्लैग होस्टिंग का कार्य भी पूर्ण करा लिया गया है। ग्राम निधि से रुपये 5,79,301.00 से पाथ-वे, बेंच एवं सोलर लाइट की स्थापना का कार्य कराते हुए अमृत सरोवर पूर्ण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा कराये जाने विषयक

42-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी एवं अण्डरग्राण्उड पाइप लाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्यों में मानकों के अनुरूप किए जाने की जांच की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद चन्दौली सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों को मानक के अनुरूप परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी नामित है, जिसके नियमित रूप से जांच की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फ़िरोज़ाबाद की राजा का ताल चौकी को उच्चीकृत करते हुये नवीन थाना की स्थापना कराये जाने विषयक

43-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की राजा का ताल चौकी को उच्चीकृत करते हुये नवीन थाना की स्थापना सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सरकार द्वारा जनपद फिरोजाबाद की राजा का ताल चौकी को उच्चीकृत करते हुये नवीन थाना बनाये जाने का सम्प्रति निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के मवई बाईपास तिन्दवारी रोड स्थित धर्मकाँटा मेन रोड से श्रीमती पुष्पा के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण कराये जाने विषयक

44-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के मवई बाईपास तिन्दवारी रोड स्थित धर्मकाँटा मेन रोड से श्रीमती पुष्पा के मकान तक लगभग 100 मी0 कच्चा मार्ग पर निवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग का इण्टरलॉकिंग एवं मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 300 मी0 है। उक्त मार्ग पर सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने में मु0 20.00 लाख का व्यय होना अनुमानित है। सन्दर्भित मार्ग का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत, बांदा की आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया जायेगा एवं सदन की स्वीकृति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

फ़िरोज़ाबाद के थाना दक्षिण के पुराने भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात् नवीन भवन बनाये जाने विषयक

45-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के पुराने भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात् नवीन भवन बनाये जाने हेतु धनराशि जारी कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार थाना दक्षिण के नवीन भवन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

थाना दक्षिण के पुराने भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात् नवीन भवन बनाये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 15-03-2024 द्वारा धनराशि रु0 748.33 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि रु0 374.16 लाख व्यय हेतु अवमुक्त किया गया है, जिसका भुगतान कार्यदायी संस्था को किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की भोगनीपुर ब्रांच की सिंचन क्षमता बढ़ाये जाने विषयक

46-श्री मनीष असीजा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की भोगनीपुर ब्रांच की सिंचन क्षमता बढ़ाने के दृष्टिगत उक्त ब्रांच के 0 से 171 किमी0 की रिमॉडलिंग हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

भोगनीपुर ब्रांच की लम्बाई 171.400 किमी0 है, जो जनपद फिरोजाबाद, इटावा, औरैया एवं कानपुर देहात से होकर गुजरती है। भोगनीपुर ब्रांच के किमी0-0.000 से किमी0-60.000 तक के पुनरोद्धार की परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति से दिनांक 13-09-2023 को एवं भोगनीपुर ब्रांच के किमी0-60.000 से किमी0-171.400 तक की पुनरोद्धार की परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति से दिनांक 12-02-2024 को अनुमोदित हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में दोनों परियोजनाओं का बजट में भी प्राविधान है। इन परियोजनाओं की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फ़िरोज़ाबाद के प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने विषयक

47-श्री मनीष असीजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ फर्नीचर नहीं हैं ? क्या सरकार इन विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद फिरोजाबाद में 1200 प्राथमिक विद्यालय एवं 290 कम्पोजिट विद्यालय, कुल 1490 प्राथमिक स्तर के विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 1118 प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर सुविधा हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। 'आपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत अन्तर्विभागीय समन्वय से प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य स्तर से चरणबद्ध रूप से कार्य योजना तैयार की गयी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में अन्त्येष्टि स्थल विहीन ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराये जाने विषयक

48-श्री मनीष असीजा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की कितनी ग्राम पंचायत हैं जहाँ अन्त्येष्टि स्थल नहीं हैं ? क्या उप मुख्य मंत्री अन्त्येष्टि स्थल विहीन ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद-फिरोजाबाद की 506 ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल नहीं हैं।

प्रदेश स्तर पर वर्ष 2014-15 से अन्त्येष्टि स्थल निर्माण योजना संचालित है। अब तक आवंटित 5102 अन्त्येष्टि स्थल में से 4434 पूर्ण एवं 668 निर्माणाधीन हैं, जिसमें से विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद-फिरोजाबाद का लक्ष्य 11 में 07 पूर्ण एवं अवशेष 04 निर्माणाधीन हैं।

प्रत्येक वर्ष प्रावधानित बजट के अनुरूप जनपदों का लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित करते हुए धनराशि आवंटित की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना का कुल रु0 243.60 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसका जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन स्तर से जनपद-फिरोजाबाद का लक्ष्य निर्धारण के उपरान्त जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा। चयनित ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया के गोपालनगर (टाडी) व शिवाल मठिया में घाघरा नदी के कटान से ग्रामवासियों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए रिंग बांध का निर्माण कराये जाने विषयक

49-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के गोपालनगर (टाडी) व शिवाल मठिया में घाघरा नदी के कटान के कारण बाढ़ से ग्रामवासियों को बचाने के लिए रिंग बांध का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम गोपालनगर (टाडी) व ग्राम शिवाल मठिया, सुरेमनपुर तटबन्ध तथा घाघरा नदी के मध्य डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में रिंग बांध का निर्माण कराना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों को प्रोन्नति से भरे जाने विषयक

50-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों को प्रोन्नति से भरे जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही बाधित है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम गोसाईगंज एवं राधा नगरी को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को बनवाए जाने विषयक

51-श्री वीर विक्रम सिंह-

द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-57 के उत्तर के क्रम में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम गोसाईगंज एवं राधा नगरी को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु रु0 27.00 लाख का अनुमोदन जिला पंचायत, उन्नाव की बैठक दिनांक 24-04-2023 में किया गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त धनराशि से उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना था, परन्तु कई माह के उपरान्त भी उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जिला पंचायत, उन्नाव की बैठक दिनांक 24-04-2023 में प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा ग्राम गोसाई खेड़ा, राधा नगरी, एकघरा को आपस में जोड़ने वाले मार्ग के अवशेष 1100 मीटर भाग पर खड़न्जा कार्य जिसका विस्तृत प्राक्कलन रु0 26.673 लाख का गठित किया गया है, की निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाता से अनुबन्ध की

कार्यवाही पूर्ण कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में ब्लाक असोहा के ग्राम राधा नगरी अन्तर्गत ग्राम दऊ को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को बनवाये जाने विषयक

52-श्री वीर विक्रम सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-56 के उत्तर के क्रम में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम दऊ में आरती चौधरी के खेत से चेतन गुप्ता के फार्म होते हुए ग्राम राधा नगरी को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड, उन्नाव की बैठक दिनांक 24-04-2023 में अनुमोदित उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण सरकार जनहित में पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम दऊ के आरती चौधरी के खेत से चेतन गुप्ता के फार्म होते हुए ग्राम राधा नगरी को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के कच्चे भाग पर खड़न्जा कार्य तथा पूर्व में लगे खड़न्जे के मरम्मत कार्य का जिला पंचायत, उन्नाव की बैठक दिनांक 24-04-2023 के प्रस्ताव संख्या-04घ (35) द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के उपरान्त जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा 300 मीटर में खड़न्जा कार्य तथा 600 मीटर भाग पर पूर्व में लगे खड़न्जे के मरम्मत कार्य जिसका प्राक्कलन रु0 10.107 लाख का गठित किया गया है, की निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाता से अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रदेश के मदरसों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान देने के सम्बन्ध में

53-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने मदरसों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान दिया गया तथा कितने नये मदरसों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में पूर्व से अनुदानित 558 मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान दिया गया। वर्ष 2023-24 में किसी नवीन मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी की भीषण कटान व बाढ़ से बचाव हेतु स्थाई परियोजना बनाये जाने विषयक

54-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी की भीषण कटान से भुआल छपरा, नौरंगा, चक्की भगवानपुर आदि गांव को गंगा में विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बाढ़ से बचाव तथा ग्रामीणों को सुरक्षित करने हेतु स्थाई परियोजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित भुआल छपरा, नौरंगा, चक्की भगवानपुर आदि गांव डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी फैलता है तथा जलस्तर कम होने पर स्वतः नदी में चला जाता है। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थायी परियोजना बनाना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के छपरौली राजवहा निरपुडा की बायीं पटरी पर सड़क निर्माण एवं टीकरी राजवहा तथा दोघर, भगवानपुर, गैडंबरा, सूजती व मिलाना माइनरों पर खड़न्जा निर्माण कराने विषयक

55-डॉ0 अजय कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजवहा निरपुडा की बायीं पटरी (सर्विस रोड) पर सड़क निर्माण एवं टीकरी रजवहा तथा दोघर, भगवानपुर, गैडंबरा, सूजती व मिलाना माइनरों की सर्विस रोड (बायीं पटरी) पर खड़न्जा निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

राजवाहा निरपुडा के किमी0-0.00 से किमी0-11.000 तक बायीं पटरी पर खड़न्जे के निर्माण हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

राजवहा टीकरी, राजवहा निरपुडा की अवशेष रीच तथा सूजती माइनर की बायीं पटरी पर खड़न्जा निर्माण की परियोजना स्वीकृत है। परियोजना पर धनावंटन प्रक्रियाधीन है। वित्तीय स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त अवशेष माइनरों दोघट, भगवानपुर, गैडंबरा एवं मिलाना की बायीं पटरी पर खड़न्जे के निर्माण की परियोजना तैयार कर ली गयी है, जिसको आगामी मुख्य अभियन्ता समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। परियोजना स्वीकृति एवं धनावंटन उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बारात घर का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

56-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में ग्रामीण परिवेश की जनता के हितों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बारात घर के निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

ग्राम पंचायतों में बारात घर निर्माण सम्बन्धी कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के प्राइमरी विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि जारी होने के बावजूद विद्युतीकरण न होने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

57-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के प्राइमरी विद्यालयों में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2020 से वर्तमान तक जारी धनराशि के सापेक्ष कितने विद्यालयों का विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा कितने प्राइमरी स्कूलों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार शेष स्कूलों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार धनराशि जारी होने के बावजूद विद्यालयों का विद्युतीकरण न होने के लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध जाँच करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

अब तक 1322 प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जा चुका है। अद्यतन 54 प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण का कार्य शेष है। शेष 54 प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

शेष 54 प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को धनराशि हस्तान्तरित करते हुए विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकीय कन्या इण्टर कालेजों के निर्माण का विवरण व जनपद बिजनौर के नगीना में भी राजकीय कन्या इण्टर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में

58-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कितने राजकीय कन्या इण्टर कालेजों का निर्माण कराया गया तथा वर्तमान में निर्माण के मानकों में कोई बदलाव की नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार जनपद बिजनौर के नगीना में भी राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मा0 मुख्य मंत्री घोषणा/आदेश एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज योजनान्तर्गत 54 इण्टर कालेज तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत 21 इण्टर कालेज, कुल 75 राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें 11 राजकीय कन्या इण्टर कालेज हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में मा0 मुख्य मंत्री जी घोषणान्तर्गत ही सीधे राजकीय (बालक/बालिका) इण्टर कालेज की स्थापना की जाती है।

केवल केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0 के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहाँ 05 किमी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है तथा जहाँ 07-10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

जी नहीं। जनपद बिजनौर के नगीना तहसील में निर्धारित मानकानुसार 07 से 10 किमी0 की परिधि में 03 राजकीय (सह शिक्षा), 04 वित्तपोषित (03 सह शिक्षा, 01 बालिका शिक्षा) कुल 07 राजकीय/वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त 12 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सह शिक्षा संचालित हैं। जनपद बिजनौर की नगीना तहसील संतृप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में

59-श्री अनिल प्रधान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में महाविद्यालय के निर्माण हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के नाम अंकित भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानकानुसार भूमि उपलब्ध न होने के कारण महाविद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम हुरहुरी, पोस्ट जय गोपालगंज में काली रोड से देवी प्रसाद सिंह के घर तक मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक

60-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक केराकत के ग्राम हुरहुरी, पोस्ट जय गोपालगंज में काली रोड से शंकर प्रसाद सिंह के घर से होते हुए डॉक्टर राम सिंह के घर तक तथा काली रोड से देवी प्रसाद सिंह के घर तक मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सन्दर्भित मार्ग विकास खण्ड केराकत के ग्राम-हुरहुरी, पोस्ट-जय गोपालगंज में शंकर प्रसाद सिंह के घर से होते हुए डा0 राम सिंह के घर तक के मार्ग पर स्थलीय विवाद है, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कराये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव है। उक्त के अतिरिक्त काली रोड से देवी प्रसाद सिंह के घर तक के मार्ग की कुल लम्बाई 115 मी0 है जो वर्तमान में कच्चा है। उपरोक्त मार्ग पर खड़न्जा कार्य कराये जाने में लगभग मु0 2.53 लाख लागत का प्रस्ताव दिनांक 20-07-2024 को जिला पंचायत, जौनपुर की आहूत बैठक में सदन के पटल पर रखा गया। चूंकि वर्ष 2024-25 की कार्य योजना फ्रीज हो चुकी

है। अतः सन्दर्भित मार्ग के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव आगामी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2025-26 में सम्मिलित करते हुए आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं सदन के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में अवैध कब्जा हटाने विषयक

61-श्री विनोद चतुर्वेदी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-100 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में आ0नं0 714/मि/0093 हे0 भीटा खाते की भूमि के 0.049 हे0 भूमि भाग पर होरी लाल पुत्र स्व0 झिंगुरी के अवैध कब्जा को हटा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अतिक्रमणकर्ता के पक्ष में 100 वर्ग मीटर भूमि का अवासीय पट्टा दिनांक 24-07-2024 को स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत आराजी नं0-714/मि0/0.049 हे0 भीटा को कब्जा मुक्त कराकर ग्राम प्रधान को सुपुर्द कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के ब्लॉक पालन के ग्राम सभा कटाई पानी, ग्राम कटाई में इण्टरलॉकिंग निर्माण विषयक

62-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के ब्लॉक पालन के ग्राम सभा कटाई पानी, ग्राम कटाई में श्री राज बहादुर सिंह के मकान से ग्राम सभा पवनी कलाँ में श्री कमलेश पासवान के घर तक मार्ग पर सरकार इण्टरलॉकिंग का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत-कटाई में श्री राज बहादुर सिंह के मकान से ग्राम पंचायत-पवनी कलाँ के सरहद पर ग्राम पंचायत-कटाई में स्थित श्री कमलेश पासवान के मकान के बीच की दूरी लगभग 1000 मीटर है, जिस पर इण्टरलॉकिंग लगाने की लागत लगभग 50 लाख रुपये आयेगी। ग्राम पंचायत-कटाई में वार्षिक आवंटन 15.88 लाख रुपये है, जिसमें ग्राम प्रधान मानदेय पर मु0-60000/-रुपये, पंचायत सहायक मानदेय पर मु0-72000/-, सामुदायिक शौचालय रख-रखाव व केयरटेकर मानदेय पर मु0-108000/-रुपये एवं 11 प्रतिशत

(मु0-60000/-) गौ-वंश आश्रय हेतु व्यय के उपरान्त मु0-12.88 लाख रुपये अन्य विकास कार्य हेतु अवशेष बचता है, जिससे ग्राम पंचायत कटाई में इण्टरलॉकिंग कार्य कराने हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य ग्राम सभा से कराना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लॉक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में इण्टरलॉकिंग व सीवर लाइन के निर्माण विषयक

63-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लॉक मुफ्तीगंज में ग्राम असवारा में राजेश सिंह मास्टर के घर से प्रकाश के घर से होते हुए सरवन सिंह के घर के पास स्थित मन्दिर के पीछे से तालाब तक सीवर लाइन का निर्माण तथा इण्टरलॉकिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में काली रोड से राधेश्याम के घर से होते हुये राजेश सिंह (मास्टर) के घर तक मार्ग का इण्टरलॉकिंग कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सन्दर्भित स्थान पर पहले से कवर नाली बनी है और ठीक स्थिति में है। सीवर लाइन की आवश्यकता नहीं है। इण्टरलॉकिंग का कार्य सरवन सिंह के घर के पास स्थित मन्दिर से होते हुए प्रकाश के घर से होते हुए इण्टरलॉकिंग का कार्य पहले से हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

काली रोड से राधेश्याम के घर से होते हुए राजेश सिंह (मास्टर) के घर तक खड़न्जा लगा हुआ है, जो अच्छी स्थिति में है, इसकी दूरी 65 मीटर है, जिसमें इण्टरलॉकिग लगाने की लागत लगभग रु0 3.65 लाख रुपये आयेगी, जबकि केन्द्र वित्त आयोग से टाईड में रु0 95099.00 जो नाली एवं स्वच्छता में खर्च होगा एवं राज्य वित्त अनटाईड फण्ड में रु0 33,758.00 एवं राज्य वित्त आयोग में रु0 2,53,436.00 है, जिसमें से पंचायत भवन निर्माणाधीन है एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य को ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम भुईली में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिये जाने विषयक

64-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम भुईली में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र सन्दर्भ संख्या-40019423030850, दिनाँक 29-05-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नूरपूर में राजकीय बालक एवं बालिका विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक

65-श्री राम अवतार सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में राजकीय बालक एवं बालिका विद्यालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र नूरपूर में 02 विकास खण्ड नूरपूर एवं बुढ़नपुर हैं। विधान सभा क्षेत्र नूरपूर के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 01 राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय धौलागढ़, 10 सहायता प्राप्त एवं 42 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 06 बालिका विद्यालय हैं तथा अधिकांश विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है। अतः जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपूर में बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है।

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बुढ़नपुर के खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाये जाने विषयक

66-श्री राम अवतार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बुढ़नपुर के ग्राम सदाफल के खसरा सं0-215, क्षेत्रफल 0.0680, श्रेणी-4-6 खलिहान की भूमि पर

अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा निर्माण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर, परगना स्योहरा के ग्राम सदाफल स्थित खसरा संख्या-215, क्षेत्रफल 0.0680 हे0 राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-4 खलिहान के रूप में दर्ज है, जिसके 0.0440 हे0 पर देशबन्धु व कुलदीप पुत्रगण नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सदाफल के द्वारा अवैध पक्का निर्माण किया गया है।

जी हाँ।

अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार धामपुर में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत योजित वाद संख्या-टी 202413160308977 ग्राम सभा बनाम कुलदीप कुमार व देशबन्धु विचाराधीन है। सुनवाई के उपरान्त पारित आदेशानुसार बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0-254 के विवेचना अधिकारी की अभियुक्तों से सांठ-गांठ की जांच विजिलेन्स अथवा अन्य जांच एजेन्सी से कराये जाने विषयक

67-श्री राम अवतार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0-254, दिनांक 18-09-2023 के विवेचना अधिकारी उपाधीक्षक, बिजनौर की अभियुक्तों से सांठ-गांठ की जांच विजिलेन्स अथवा अन्य जांच एजेन्सी से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 न0-642871, दिनांक 05-10-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

मा0 सदस्य विधान सभा के उक्त पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 12-10-2023 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, जनपद-बिजनौर को निर्देशित किया गया तथा उक्त कार्यवाही से शासन के पत्र संख्या-1/406974/2023, दिनांक 13-10-2023 द्वारा मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को भी अवगत कराया गया है।

तत्क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद-बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद-बिजनौर के थाना-कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0-254 की विवेचना दिनांक 12-01-2024 को समाप्त की जा चुकी है।

प्रकरण में पूर्व विवेचना अधिकारी उपाधीक्षक, बिजनौर की अभियुक्तों से सांठ-गांठ के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री धर्म सिंह मार्छाल जनपद-बिजनौर से जांच करायी गयी जिनके द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में क्षेत्राधिकारी नगीना के द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना में कोई लापरवाही बरतना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में हर घर जल योजना के अन्तर्गत ग्रामों में कार्य पूर्ण/योजना के क्रियान्वयन में तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

68-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में हर घर जल योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों के नाम की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 07 ग्राम पंचायतों यथा-दरियाबाद, जनता, हसनापुर, टिकरी मनौटी, शिवरी, नरैचा एवं सराय में पाइप पेयजल योजना के कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के 12 ग्राम पंचायतों यथा-जनता, उमरगहना, कोटिया, केवई, बनियानी, बीनू, दरियाबाद, हसनापुर, टिकरी मनौटी, शिवरी, नरैचा एवं सराय में सड़कों के मरम्मतीकरण का कार्य करा लिया गया है। शेष ग्राम पंचायतों में तोड़ी गयी सड़कों की मरम्मत/निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत राजकीय महिला डिग्री कालेज बिन्दकी में बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 की कक्षाएं संचालित कराने विषयक

69-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत राजकीय महिला डिग्री कालेज बिन्दकी में बी0 एस0 सी0, एम0 एस0 सी0 एवं एम0 कॉम0 की कक्षाएं सरकार संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में 03 राजकीय महाविद्यालय, 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 74 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एवं 01 आटोनामस महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में 01 राजकीय महाविद्यालय एवं 07 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 की कक्षाएं संचालित किये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में गंगा नदी पर बाढ़ रोधक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कराकर बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

70-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में गंगा नदी पर बाढ़रोधक कार्यों की स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराकर बांध का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर, जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत वर्तमान में कोई भी कटाव निरोधक कार्य स्वीकृत नहीं है और न ही कोई कटाव निरोधक कार्य की परियोजना निर्माणाधीन है। अतः कार्यों के स्थलीय निरीक्षण कर बांध का निर्माण पूर्ण कराने का कोई प्रश्न नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के बस्ती शहर में रोडवेज तिराहे से कम्पनी बाग तक आवागमन पर रोक से शहरवासियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में

71-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बस्ती शहर में विभिन्न आयोजनों के समय रोडवेज तिराहे से कम्पनी बाग तक गाँधी नगर मार्ग पर गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगाने से जिला महिला चिकित्सालय आने वाले मरीजों तथा तीमारदारों एवं शहरवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु

उक्त मार्ग को रोडवेज तिराहे के स्थान पर राजकीय महिला इण्टर कालेज के मैदान में खड़ी करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद बस्ती में विभिन्न आयोजनों के समय रोडवेज तिराहे से कम्पनीबाग तक डायवर्जन/गाड़ियों के प्रवेश को रोकने के दौरान भी जिला महिला अस्पताल हेतु आकस्मिक वाहनों एवं स्थानीय व्यक्तियों के वाहनों को प्रवेश नहीं रोका जाता है तथा उन्हें अन्य मार्ग से अपने गन्तव्य तक जाने हेतु अवगत भी कराया जाता है।

कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के सभी थानों में विवेचना कक्ष व हॉस्टल का निर्माण कार्य कराने विषयक

72-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के सभी थानों में विवेचना कक्ष व हॉस्टल का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश संख्या-936/2022/-/001/सीएन-1669230-6-7099-614-2022, दिनांक 13-12-2022, शासनादेश संख्या-936/2022/-/001/सीएन-1669199-6-7099-597-2022 दिनांक 13-12-2022 एवं शासनादेश संख्या-44/2023/001-6-7099-397-2022 दिनांक 14-01-2023 द्वारा तहसील जसराना के अन्तर्गत थाना जसराना में 48 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष, थाना फिरहा में 48 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष एवं थाना एका में 16 कर्मियों हेतु हॉस्टल का निर्माण कार्य प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में तैयार हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट भवनों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से शुरू कराने व शिक्षकों की संख्या के सापेक्ष छात्रों की संख्या का अनुपात कम होने के सम्बन्ध में

73-श्री सर्वेश सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में कितने ऐसे हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं, जिनके भवन बनकर

तैयार हैं, परन्तु वर्तमान तक उनमें शिक्षण कार्य सुचारु रूप से शुरू नहीं हो पाया है ? क्या सरकार उक्त कॉलेज में आगामी शैक्षणिक सत्र से शिक्षण कार्य शुरू कराएगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त क्षेत्र में कितने हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या की तुलना में कम है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र में सिरसागंज में कुल 05 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिनके भवन बनकर तैयार हैं। सभी विद्यालयों में सुचारु रूप से शिक्षण हो रहा है।

सभी पाँच राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से ही शैक्षणिक कार्य शुरू हो चुका है।

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत शिक्षक
1	राजकीय हाई स्कूल करहरा	55	04
2	राजकीय हाई स्कूल सोथरा	110	05
3	राजकीय हाई स्कूल कारीखेड़ा	78	05
4	राजकीय हाई स्कूल नगला केशरी	64	03
5	राजकीय बालिका इ0का0 नगला बल्ल	120	03

छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार सभी विद्यालयों में मानक पूर्ण है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में बन्द ट्यूबवेल को चालू कराने विषयक

74-श्री सर्वेश सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद फिरोजाबाद में विकास खण्डवार कितने सरकारी ट्यूबवेल स्थापित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त जनपद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में किन-किन स्थानों के ट्यूबवेल वर्तमान में किन कारणों से बन्द हैं ? क्या सरकार किसान हित में बन्द ट्यूबवेलों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

दिनांक 01-04-2024 को जनपद फिरोजाबाद में विकास खण्डवार स्थापित राजकीय नलकूपों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल स्थापित राजकीय नलकूपों की संख्या
1	फिरोजाबाद	81
2	टूण्डला	37

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल स्थापित राजकीय नलकूपों की संख्या
3	नारखी	59
4	हाथवन्त	36
5	एका	86
6	जसराना	60
7	शिकोहाबाद	90
8	मदनपुर	140
9	अरॉव	105
	योग :	**694**

जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनपुर में स्थापित कुल 140 राजकीय नलकूपों में से 119 राजकीय नलकूप संचालित 19 राजकीय नलकूप फेल एवं 02 राजकीय नलकूप परित्याग की श्रेणी में वर्गीकृत है। विकास खण्ड मदनपुर में 02 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 01 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द हैं। विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड अरॉव में स्थापित कुल 105 राजकीय नलकूपों में से 49 राजकीय नलकूप संचालित 15 राजकीय नलकूप फेल एवं 41 राजकीय नलकूप परित्याग की श्रेणी में वर्गीकृत हैं। विकास खण्ड अरॉव में कोई भी राजकीय नलकूप यांत्रिक अथवा विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द नहीं है।

राजकीय नलकूपों का यांत्रिक एवं विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द होना एवं चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कर सिंचाईरत कर दिया जाता है। विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर उन्हें ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में प्रचलित ''569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना'' के अन्तर्गत विकास खण्ड अरॉव में वर्ष 2023-24 में 09 फेल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया गया है एवं वर्ष 2024-25 में 03 फेल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। परित्याग हेतु प्रस्तावित राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण नहीं कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में मार्ग निर्माण कराने विषयक

75-श्री सर्वेश सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर के ग्राम गड़रोली से राधे की बिजली होते हुए हाई-वे सर्विस रोड तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 690 मी0 है, जो वर्तमान में कच्चा मार्ग है। उक्त मार्ग पर लेपन निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लगभग रु0 48.50 लाख आयेगी। उक्त प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर सदन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद चन्दौली के विकास खण्डों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पीने योग्य पानी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में

76-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के सभी विकास खण्डों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पीने योग्य पानी की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत जनपद चन्दौली के सभी विकास खण्डों के समस्त ग्रामों को दिसम्बर, 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2023 के मध्य ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण कार्य की जानकारी विषयक

77-श्री अतुल प्रधान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2023 के मध्य कितनी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया गया है तथा कितनों में कराया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष पंचायतों में किसी निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत पंचायत भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रदेश में दिनांक 01-04-2017 से 31-12-2023 तक 26664 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है तथा 1142 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। अवशेष अधिकांश ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण

राज्य/केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से कराया जा रहा है, धनराशि की समय से उपलब्धता न होने के कारण समय-सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बाढ़ से नदी तटबन्ध के कटान को रोकने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय विषयक

78-श्री अतुल प्रधान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से नदी तटबन्ध के कटान को रोकने हेतु सरकार ने कोई उपाय किए हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मद हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में बाढ़ से नदी तटबन्ध के कटान को रोकने हेतु 108 कटान निरोधक परियोजनाएं लागत रु0 54430.47 लाख की क्रियान्वित हैं। (परियोजनाओं की सूची संलग्न है)†

उक्त 108 कटान निरोधक परियोजनाओं पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक रु0 33695.97 लाख का वित्तीय आवंटन किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थित बाढ़ सुरक्षा कार्यों के वार्षिक अनुरक्षण हेतु रु0 8000.00 लाख की धनराशि का आवंटन भी किया जा चुका है।

जी हाँ (सूची संलग्न है)†।

प्रश्न ही नहीं उठता।

79-श्री कवीन्द्र चौधरी-

[01बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-202 के अन्तर्गत स्थानातरित।]

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समय-सीमा में करने विषयक

80-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के कितने प्रकरण वर्तमान तक लम्बित हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित समय अवधि तक मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-272-278 पर।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के अद्यतन 96 प्रकरण लम्बित है।

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 21-02-2024 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में समिति का गठन कर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की ग्राम पंचायत भरतिया में फर्जी निर्माण दिखाकर पैसा गबन की जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

81-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की ग्राम पंचायत भरतिया, विकास खण्ड नौहझील में प्रधान द्वारा श्मशान भूमि पर टिनशेड का फर्जी निर्माण दिखाकर सरकारी पैसा गबन करने के प्रकरण में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा करायी गई जांच दिनांक 10-02-2023, 28-02-2023 तथा 25-03-2023 में सम्बन्धित प्रधान को दोषी करार दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में दोषी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं।

1-ग्राम पंचायत भरतिया के प्रधान को दोषी करार नहीं दिया गया है।

2-जिलाधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 19-03-2023 के अनुपालन में प्रकरण की अन्तिम जांच तत्कालीन अपर उप जिलाधिकारी प्रथम/उप जिलाधिकारी महावन एवं जिला विकास अधिकारी, मथुरा के हस्ताक्षर सहित संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। जांच आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत भरतिया में एक टीन शेड का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना पाया गया है।

3-उप निदेशक (पं0) आगरा मण्डल, आगरा की जांच आख्या दिनांक 22-11-2023 के क्रम में तहसीलदार मांट (मथुरा) से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार मांट ने अपनी आख्या दिनांक 25-06-2024 में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मौके पर जांच की गयी। जांचोपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत भरतिया तहसील मांट जिला मथुरा के खसरा संख्या-188, रकबा 0.108 हे0 दर्ज मरघट है, जिसमें ग्राम पंचायत भरतिया द्वारा शवदाह स्थल पर टीन शेड का निर्माण कराया गया था। मौके पर पैमाइश की गयी। टीन शेड ग्राम पंचायत भरतिया की भूमि पर ही स्थित है।

अपर उप जिलाधिकारी (प्रथम)/ उप जिलाधिकारी, महावन एवं जिला विकास अधिकारी, मथुरा की जांच आख्या दिनांक 25-03-2023 एवं तहसीलदार मांट की आख्या दिनांक 25-06-2024 के अनुसार ग्राम पंचायत भरतिया के शवदाह स्थल पर प्रधान ग्राम पंचायत भरतिया द्वारा ही एक टीन शेड का निर्माण कराये जाने एवं टीन शेड ग्राम पंचायत भरतिया की भूमि पर ही स्थित होने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के आदेश दिनांक 22-07-2024 के द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को निस्तारित करते हुए प्रकरण को निक्षेपित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के शकुन्तला गर्ल्स इण्टर कॉलेज चांदपुर में छात्राओं का शोषण विषयक

82-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के अन्तर्गत शकुन्तला गर्ल्स इण्टर कॉलेज चांदपुर में माह दिसम्बर, 2023 में अल्पसंख्यक छात्राओं को पीटे जाने की घटना सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर के धाता क्षेत्र को जनपद कौशाम्बी में मिलाते हुए एक नई तहसील धाता का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में

83-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के धाता क्षेत्र को जनपद कौशाम्बी में मिलाते हुए एक नई तहसील धाता का गठन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फतेहपुर के धाता क्षेत्र को जनपद कौशाम्बी में मिलाते हुये एक नई तहसील धाता का गठन के सम्बन्ध में पूर्व में विचार किया गया। मा0 राजस्व परिषद् द्वारा जनपद फतेहपुर के धाता क्षेत्र को जनपद कौशाम्बी में मिलाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

[†] छापी नहीं गई।

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की अवितरित छात्रवृत्ति का भुगतान निश्चित अवधि में कराये जाने विषयक

84-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 9 से परास्नातक स्तर तक के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवितरित छात्रवृत्ति धनराशि किसी निश्चित अवधि तक छात्रों को भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

राज्य पोषित पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व 10) योजनान्तर्गत विगत 05 वर्षों 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक 5,61,208 पात्र छात्र/छात्राओं को तथा राज्य पोषित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विगत 05 वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक 13,13,440 पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना में कुल प्राविधानित धनराशि रु0 30.00 करोड़ एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कुल प्राविधानित धनराशि रु0 190.00 करोड़ को अवमुक्त करते हुए शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कर लिया गया है।

वितरण हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बैंक्वेट हॉलों के आस-पास ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने विषयक

85-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैंक्वेट हॉलों के आस-पास बारात चढ़ने के दौरान नाच गाने, बेतरतीब वाहन पार्किंग आदि से उत्पन्न परिवहन आदि की समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के प्रमुख बिन्दु सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 के पत्र संख्या-डी0टी0-01-2024, दिनांक 11-07-2024 द्वारा प्रदेश के जनपदों में प्रचलित बैंक्वेट हॉलों के आस-पास शादी-बारात एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान बेतरतीब वाहन पार्किंग आदि से उत्पन्न जाम से निपटने हेतु कार्य

योजना तैयार कर प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :-

- जनपद के समस्त बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के स्वामी अपने-अपने बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस पर यातायात प्रबन्धन हेतु प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रखेंगे।
- समस्त बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के स्वामी द्वारा शादी समारोह में आने वाले व्यक्तियों के वाहनों के पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल का निर्धारण किया जाये तथा सुरक्षा गार्ड के माध्यम से निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा कराया जाय।
- बारात चढ़ने के दौरान निर्धारित किये गये मार्ग पर ही बारात को निकाला जाये।
- बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस में होने वाले आयोजन के सम्बन्ध में मालिक/मैनेजर द्वारा यातायात पुलिस/स्थानीय पुलिस को पूर्व से सूचित करेंगे।
- सभी बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस स्वामियों का मोबाइल नम्बर सम्बन्धित क्षेत्रीय पुलिस कर्मियों के पास हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सकें।
- बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के स्वामी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि शादी एवं समारोह में आने वाले व्यक्तियों के वाहन किसी भी दशा में सड़क पर खड़े न हों। अनाधिकृत खड़े वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय।
- समस्त बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के स्वामी अपने-अपने प्रतिष्ठान पर अन्दर एवं बाहर सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अधिष्ठापन कराये।
- जिन बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के पास पार्किंग स्थल नहीं है, अधिशासी अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् के माध्यम से उनको नोटिस जारी करा कर वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- समस्त बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि बारात के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर मुख्य मार्ग में नाच गाने तथा रोड शो न किया जाये।
- समस्त बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि बारात निकालते समय बारात मुख्य मार्ग से न निकालते हुये सर्विस रोड/वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया जाय।
- समस्त बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस के स्वामी को निर्देशित किया जाय कि बारात निकलने वाले मार्ग के बांये हिस्से का प्रयोग किया जाय तथा अनावश्यक रोड को न घेरा जाय ताकि आने-जाने वाले वाहन सुगमता से निकल सके।

- शादी समारोह के सीजन में जिस स्थान पर बैंक्वेट हॉल/मैरिज लान/गेस्ट हाउस की संख्या अधिक है। वहाँ पर भारी वाहनों का डायवर्जन कर यातायात का सुगम संचालन कराया जाए।
- बारात चढ़ने एवं नाच-गाने के समय जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस भ्रमणशील रहकर यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुदृढ बनाये रखें, किसी भी दशा में यातायात बाधित न होने पायें।
- शादी समारोह सीजन में यातायात पुलिस की ड्यूटी देर रात्रि तक व्यवस्थापित की जाए।
- शादी समारोह सीजन में यातायात की समस्या से निपटने के लिए प्राप्त सूचना पर यातायात।
- पुलिस/स्थानीय पुलिस बल एवं भ्रमणशील क्यूआरटी को तत्काल यातायात दबाव/समस्या वाले स्थान पर भेजकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जाये।
- कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु माह में कम से कम 01 बार क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक व 03 माह में अपर पुलिस अधीक्षक तथा वर्ष में 02 बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बैंक्वेट हॉल/मैरिज लॉन/गेस्ट हाउस स्वामियों के साथ सामूहिक मीटिंग/बैठक की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में ब्लाक भिटौरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिलखिनी स्थित जूनियर हाई स्कूल तक मार्ग निर्माण विषयक

86-श्री अखिलेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिलखिनी स्थित जूनियर हाई स्कूल से मकनपुर चौहट्टा मार्ग जीर्ण-शीर्ण एवं कच्चा होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के चिल्लीमल में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

87-श्री अनिल प्रधान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के चिल्लीमल में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0) के दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 05 किमी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है तथा जहां पर 07-10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

जनपद चित्रकूट के पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिल्लीमल के निकटतम् विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम	दूरी (किमी0)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय अनुदानित/मान्यता प्राप्त)
1	राजकीय हाई स्कूल चांदी	05 किमी0	राजकीय
2	सद्गुरु इण्टर कालेज बरद्वाज	05 किमी0	मान्यता प्राप्त
3	राजकीय हाई स्कूल सूरसेन	08 किमी0	राजकीय
4	अभिनव विद्यालय सरधुवा	10 किमी0	राजकीय

जनपद चित्रकूट का पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिल्लीमल संतृप्त है।

पंचायती राज विभाग में जिला पंचायतों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों की पदोन्नति सम्बन्धी-पत्र पर कृत कार्यवाई के सम्बन्ध में

88-श्री अतुल प्रधान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायती राज विभाग के जिला पंचायतों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 4275, दिनांक 11-09-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 01 मार्च, 2024 तक निर्मित सड़कों के विवरण सम्बन्धी

89-श्री अतुल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रधानमंत्री सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 01 मार्च, 2024 तक कौन-कौन सी सड़कें निर्मित की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 01 मार्च, 2024 तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में पैकेज सं0 यूपी-5282 का सम्पर्क मार्ग नंगली साधारन से सकौती सरधना-मेरठ करनाल रोड किमी0-15 (ओ0डी0आर0), लम्बाई-15.785 किमी0, लागत रु0 819.28 लाख (जी0एस0टी0 सहित) निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य दिनांक 19-02-2024 को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त मार्ग दिनांक 18-02-2029 तक 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के भरतकूप तथा सरधुआ को ब्लॉक का दर्जा प्रदान करने हेतु

90-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के भरतकूप तथा सरधुआ को ब्लॉक का दर्जा प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विकास खण्ड का सृजन नीतिगत, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के पहाड़ी एवं राजापुर में फायर स्टेशन की स्थापना कराने विषयक

91-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के पहाड़ी एवं राजापुर में फायर स्टेशन की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद चित्रकूट की सभी 04 तहसीलों (राजापुर, मानिकपुर, मऊ एवं कर्वी) में अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित हैं। जनपद चित्रकूट का थाना पहाड़ी, अग्निशमन केन्द्र

राजापुर एवं अग्निशमन केन्द्र कर्वी के मध्य स्थित है, जिसकी दूरी अग्निशमन केन्द्र कर्वी से 18 किमी0 एवं अग्निशमन केन्द्र राजापुर से 14 किमी0 है। थाना पहाड़ी के अन्तर्गत होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को अग्निशमन केन्द्र कर्वी एवं अग्निशमन केन्द्र राजापुर द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर में सुजानगंज के अमोघ पक्की से रामपुर तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

92-श्री पंकज पटेल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर में अमोघ पक्की से रामपुर पक्की सड़क मार्ग लम्बाई लगभग 1700 मीटर है जिसका धन आवंटन जिला पंचायत निधि द्वारा किया गया था तथा कार्य भी लगभग 15 प्रतिशत पूरा कर लिया गया था, का टेन्डर निरस्त किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टेन्डर के निरस्तीकरण की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए सड़क निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर, विकास खण्ड मुँगराबादशाहपुर में रामपुर भोड़ी पक्की सड़क से अमोघ ग्राम सभा तक लेपन कार्य 1734 मी0 निर्माण कार्य जिला पंचायत, जौनपुर में पंचम राज्य वित्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफ0डी0आर0 पद्धति से बनाये जाने हेतु स्वीकृत थी, जिसकी तकनीकि स्वीकृति पत्र संख्या-4015/33-सेल/2020 दिनांक 08-03-2021 द्वारा प्रदान की गयी। एफ0डी0आर0 (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक में जो पुरानी बनी हुई पिच सड़क हैं, उसके अन्दर उपलब्ध गिट्टी को रिक्लेम किया जाता है। अतः एफ0डी0आर0 तकनीक से सफलतापूर्वक उन्हीं मार्गों का चौड़ीकरण या उच्चीकरण हो सकता है, जिसमें पूर्व में क्रेस्ट या पेवमेन्ट का कार्य किया गया हो। प्रश्नगत मार्ग मिट्टी के स्तर तक ही निर्मित है, इसलिए इसमें एफ0डी0आर0 तकनीक से कार्य कराना सम्भव नहीं हो सका।

तदोपरान्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर के पत्र दिनांक 29-04-2022 एवं ठेकेदार के पत्र दिनांक 10-05-2022 द्वारा उक्त निर्माण कार्य को तकनीकि समस्या के कारण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त संयुक्त अनुरोध के क्रम में एवं तकनीकि समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ के पत्र संख्या-735/33-सेल/2022, दिनांक 20-05-2022 द्वारा पैकेज 9 की तकनीकि स्वीकृति को निरस्त करते हुए कार्यादेश निरस्त कर दिया गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शेष लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने विषयक

93-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये शेष लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना-2011 (सेक सूची) के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर में 20 पात्र लाभार्थी चयनित थे, जिनको लाभान्वित कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के क्षेत्र पंचायत सिकरारा में मार्ग का निर्माण पूर्ण कराये जाने विषयक

94-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तर के क्रम में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत नाला व मार्ग पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग पर नाला निर्माण कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सिकरारा से अनापत्ति-पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव जिला पंचायत जौनपुर की दिनांक 20-07-2024 को आहूत बैठक में सदन के पटल पर रखा गया। उपरोक्त नाला निर्माण कराये जाने में मु0-10.00 लाख का व्यय होना अनुमानित है। चूंकि वर्ष 2024-25 की कार्य योजना फ्रीज हो चुकी है। सन्दर्भित नाला निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव आगामी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2025-26 में सम्मिलित करते हुए जिला पंचायत जौनपुर की आगामी बैठक में रखा जाएगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड सिकरारा के शेरवां पक्की सड़क से पूराबघेला गेट से मुस्लिम बस्ती, प्रजापति बस्ती व

कन्नौजिया बस्ती की तरफ 400 मीटर लम्बाई में सी0सी0 कार्य हेतु जिला पंचायत, जौनपुर द्वारा निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है व सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को योजना की तीसरी किस्त जारी कराने विषयक

95-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चयनित 20,000 लाभार्थियों को योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

परियोजना निदेशक/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद के पत्र संख्या-217/लेखा/प्र0मं0आ0/यो0ग्रा0/वि0प्र0/2024-25 दिनांक 16-07-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक जनपद फिरोजाबाद को वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक कुल 12763 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृति
2016-17	1979	1979
2017-18	1523	1523
2018-19	1118	1118
2019-20	323	323
2020-21	2888	2888
2021-22	1012	1011
2022-23	3581	3577
2023-24	339	339
कुल	**12763**	**12758**

उपरोक्तानुसार आवंटित लक्ष्य 12763 के सापेक्ष 12758 चयनित लाभार्थियों के आवासों को स्वीकृत करते हुए 12752 को प्रथम किस्त, 12693 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 12641 लाभार्थियों को अब तक तृतीय किस्त जारी की जा चुकी है एवं 12641 आवासों को पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष लाभार्थियों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार छत पड़ने पर ही सम्बन्धित लाभार्थी को तृतीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पुरुष संवर्ग के राजकीय हाई स्कूल/राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापक के पदों पर कार्यरत/पदस्थापित महिलाओं का विवरण

96-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुरुष संवर्ग के राजकीय इण्टर कालेजों एवं राजकीय हाई स्कूल में कितने प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापक के पदों पर महिलायें कार्यरत/पदस्थापित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश में पुरुष संवर्ग के राजकीय इण्टर कालेजों एवं राजकीय हाई स्कूलों में महिला प्रधानाचार्य 00, प्रधानाध्यापक-80, प्रवक्ता -205 तथा सहायक अध्यापक-755 कार्यरत/पदस्थापित हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महिला संवर्ग के राजकीय इण्टर कालेजों एवं राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापक के पदों पर कार्यरत/पदस्थापित पुरुषों का विवरण

97-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला संवर्ग के राजकीय इण्टर कालेजों एवं राजकीय हाई स्कूल में कितने प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापक के पदों पर पुरुष कार्यरत/पदस्थापित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश में महिला संवर्ग के राजकीय इण्टर कालेजों एवं राजकीय हाई स्कूलों में पुरुष प्रधानाचार्य-0, प्रधानाध्यापक-63, प्रवक्ता-09 तथा सहायक अध्यापक-119 कार्यरत/पदस्थापित है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम नुरूल्लानगर में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर भू-स्वामी को कब्जा दिलाये जाने विषयक

98-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम नुरुल्लानगर के गाटा सं0-470 तथा 471 की भूमि का चकबन्दी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, किन्तु भू-स्वामी को उक्त भूमि पर वर्तमान तक कब्जा नहीं दिया गया है ? क्या सरकार गाटा सं0-470 तथा 471 की भूमि को कब्जा भू-स्वामी को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कब्जा नहीं दिया गया है। गाटा सं0-470 व 471 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका सं0-30783/2017 कृष्ण कुमार बनाम उप संचालक चकबन्दी, उन्नाव योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-12-2017 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त रिट याचिका के अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाने/स्थगन आदेश अपास्त होने के उपरान्त ही कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में अग्नि पीड़ितों को दैवी आपदा के तहत आवास मुहैया कराये जाने विषयक

99-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विगत 5 वर्षों में अग्नि से पीड़ित कितने परिवार हैं जिनको दैवी आपदा के तहत् आपदा आवास उपलब्ध कराये गये हैं ? क्या सरकार शेष अग्नि पीड़ितों को दैवी आपदा के तहत् आवास मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया बलिया के अन्तर्गत 5 वर्षों में अग्निकाण्ड/आपदा से प्रभावित कुल 270 पात्र परिवारों को मुख्य मंत्री आवास-ग्रामीण योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया गया है। अग्निकाण्ड/आपदा से प्रभावित कोई भी पात्र परिवार शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन पेयजल योजना एवं मोहम्मदाबाद ग्रामीण पेयजल योजना के मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी कार्यदायी संस्था को भुगतान न कराये जाने विषयक

100-श्री महबूब अली-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन पेयजल योजना के अन्तर्गत मोहम्मदाबाद ग्रामीण पेयजल योजना के मरम्मत कार्य कब पूर्ण हुए थे ? क्या सरकार बतायेगी कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी कार्यदायी संस्था को भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अन्तर्गत मोहम्मदाबाद पेयजल योजना के मरम्मत कार्य अप्रैल, 2022 में पूर्ण कराकर दिनांक 26-04-2022 को ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद को हस्तान्तरित कर दी गयी थी।

कार्यदायी संस्था को अनुबन्धित धनराशि रु0 53.33 लाख के सापेक्ष रु0 45.45 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि रु0 4.07 लाख का भुगतान किये जाने हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद को अन्तिम देयक/अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

101-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 15 मार्च, 2017 से 15 अगस्त, 2023 तक कितनी महिलाओं के साथ दुराचार एवं घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई हैं और उक्त में दोषी कितने आरोपी दिनांक 28-08-2023 तक गिरफ्तार हुए हैं और कितने आरोपियों को सजा हुई है ? क्या सरकार ने महिला उत्पीड़न, दुराचार एवं घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में पाक्षिक सूचना संकलित की जाती है। दिनांक-16-03-2017 से दिनांक-15-08-2023 तक की अवधि में महिलाओं के साथ दुराचार व घरेलू हिंसा की क्रमशः 19536 व 119070 घटनाएँ घटित हुईं। दिनांक 31-08-2023 तक उक्त घटनाओं के सापेक्ष दुराचार के मामले में 19476 गिरफ्तारी तथा 6523 आरोपियों को

सजा हुई। घरेलू हिंसा के मामले में 218533 गिरफ्तारी तथा 3638 आरोपियों को सजा हुई। जी हाँ, प्रदेश में महिला उत्पीड़न, दुराचार एवं घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोके जाने की दिशा में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

1-वीमेन पावर लाइन 1090 पर महिला अपराध सम्बन्धित समस्याओं को 24X7 घण्टे सुनकर शिकायत दर्ज की जाती है तथा उनका समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है।

2-प्रदेश के 1584 पुलिस थानों में महिला हेल्पडेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण किया गया, जिसके माध्यम से थानों पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का समुचित निस्तारण कराया जा रहा है।

3-प्रदेश के समस्त जनपदों में थाना स्तर पर महिला बीट प्रणाली विकसित करते हुए महिला बीट गठित कर उनमें महिला बीट अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा बीट क्षेत्र की किसी महिला की शिकायत पर थानों/चौकी से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

4-विभिन्न जनपदों में महिलाओं की सुरक्षा व नारी सशक्तीकरण हेतु 'एण्टी रोमियो स्क्वॉड' का गठन कर अनवरत् अभियान चलाया जा रहा है।

5-महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

6-प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आपरेशन कायाकल्प योजना में सम्मिलित करने विषयक

102-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में सम्मिलित विद्यालयों एवं उनमें किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शेष विद्यालयों को भी उक्त योजना में सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में संचालित 185 परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष 180 विद्यालय 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत निर्धारित 19 पैरामीटर्स के सापेक्ष 15 पैरामीटर्स पेयजल सुविधा, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालयों में रनिंग वॉटर, शौचालय में

टाइलीकरण, मल्टीपल हैण्डवॉश, ब्लैक बोर्ड, किचेन शेड, रंगाई-पुताई, रैम्प रेलिंग, विद्युत उपकरण, विद्युत कनेक्शन, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय एवं टैपरनिंग वॉटर से संतृप्त किया जा चुका है। शेष 24 विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय, 09 विद्यालयों में कक्षा-कक्ष टाइलीकरण, 71 विद्यालयों में फर्नीचर तथा 08 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पंचायती राज विभाग एवं मनरेगा फतेहपुर द्वारा कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग तथा मनरेगा के माध्यम से कार्यवाही की जानी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में नये डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में

103-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उक्त जनपद में नए डिग्री कालेज सरकार बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में 02 राजकीय महाविद्यालय, 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 33 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणान्तर्गत जनपद शामली में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय थाना भवन का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ है, जिसे संघटक महाविद्यालय के रूप में मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर द्वारा सत्र 2024-25 से संचालित कर दिया गया है। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद शामली में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद हाथरस के ग्राम पंचायत करसौरा के ग्राम जंजरिया से नगला फत्ता तक सड़क का पुनर्निर्माण कराने विषयक

104-श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम पंचायत करसौरा के ग्राम जंजरिया से नगला फत्ता तक सड़क पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1200 मीटर है, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग को जिला पंचायत की वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। शीघ्र ही निविदा आमन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम पंचायत कजरौठी के ग्राम जंगला से अलिया तक सड़क का पुनर्निर्माण कराने विषयक

105-श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम पंचायत कजरौठी के ग्राम जंगला से अलिया तक सड़क पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 575 मीटर है, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग जिला पंचायत की वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। शीघ्र ही निविदा आमन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम पंचायत कुरसण्डा मई रोड में ग्राम नगला कांठ तक सड़क का पुनर्निर्माण कराने विषयक

106-श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम पंचायत कुरसण्डा मई रोड से ग्राम नगला कांठ तक सड़क पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 385 मी0 है, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग जिला पंचायत की वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। शीघ्र ही निविदा आमन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम पंचायत ऊँचा गांव के ग्राम धनोटी से धनोटी के बुर्ज तक सड़क का पुनर्निर्माण कराने विषयक

107-श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के ग्राम पंचायत ऊंचा गाँव के ग्राम धनोटी से धनोटी के बुर्ज तक सड़क पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 675 मी0 है, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु पटल पर रखा जायेगा एवं अनुमोदन के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन कराये जाने तथा जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

108-श्री अभय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आयोध्या के राजस्व ग्राम जलालुद्दीन नगर माझा की भूमि संख्या-54ग/59/55ख पर माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फैजाबाद द्वारा दिनांक 11-01-2024 को स्थगनादेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद उक्त भूमि का बैनामा किस आधार पर किया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फैजाबाद द्वारा दिनांक 11-01-2024 को उभय पक्षों को विवादित भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। उप निबन्धक सदर, अयोध्या की आख्या दिनांक 25-07-24 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिस दिन लेखपत्र निबन्धन के लिए प्रस्तुत हुआ उस दिनांक को निबन्धक के कार्यालय में स्थगन आदेश उपलब्ध नहीं था और न उनको आदेश का संज्ञान था। रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत उप निबन्धक केवल तीन परिस्थितियों में निबन्धन से इन्कार करेगा जब निष्पादक नाबालिग हो, निष्पादक विकृतचित्त हो और निष्पादक निष्पादन अस्वीकार करे।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के समस्त प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूलों में विद्युतीकरण कर लाईट पंखों से सुसज्जित कराने की योजना के सम्बन्ध में

109-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूलों में विद्युतीकरण कर लाइट, पंखों से सुसज्जित कराने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 04-07-2023 तक इस मद में कितना धन का प्रबन्ध किया गया है तथा उक्त में से कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बलिया के किन-किन विकास खण्डों में किन-किन प्राथमिक विद्यालयों में लाइट व पंखा लगाया जा चुका है और कितने विद्यालय शेष हैं ? क्या सरकार शेष विद्यालय में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रु0 86.63 करोड़ को शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 द्वारा जनपदवार हस्तान्तरित कर दिया गया है। जनपद बलिया के 17 विकास खण्डों एवं 01 नगर क्षेत्र में कुल 2245 परिषदीय विद्यालयों में से 2233 विद्यालयों में लाइट एवं पंखा लगाया गया है। 12 विद्यालय अवशेष हैं। (सूची संलग्न है।)† अवशेष 12 विद्यालयों में लाइट व पंखा का कार्य कराया जा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदकों की सूची के सम्बन्ध में

110-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदकों में से कितने आवेदनों को वर्तमान तक आवास प्राप्त हुआ तथा कितने आवेदक शेष हैं ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर के पत्र दिनांक 23-07-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित है, उसमें आवास आवंटन के लिए किसी आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एस0ई0सी0सी0-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर ऑनलाइन स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी थी, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष आवास स्वीकृत किये जाते हैं। यह सूची संतृप्त होने के उपरान्त भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुनः आवास प्लस पर ऑनलाइन सर्वे कराया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थियों की ऑनलाइन स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी। वर्तमान में इसी ऑनलाइन स्थायी प्रतीक्षा सूची से आवास आवंटित किये जाते हैं। जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में एस0ई0सी0सी0 सूची के आधार पर वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक 818 आवास एवं आवास प्लस पर किये गये सर्वे के उपरान्त ऑनलाइन स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कुल 785 आवास आवंटित किये गये हैं। इस प्रकार जनपद-बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में

---

†छापी नहीं गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत कुल 1603 आवास आवंटित हुए हैं। वर्तमान में आवास प्लस की ऑनलाइन स्थायी प्रतीक्षा सूची में 126 नाम शेष हैं।

सूची संलग्न है।[†]

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में नहरों के किनारों पर कच्ची सड़कों का डामरीकरण किये जाने की सरकार की योजना विषयक

111-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में नहरों के किनारों पर कच्ची सड़कों का डामरीकरण किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर के किनारे कच्ची पटरी का डामरीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नहर की पटरी नहरी निरीक्षण के लिए पर्याप्त है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में किसानों की फसलों को गंगा नदी में बाढ़ से बचाव हेतु जहानाबाद से नारनौर तक तटबन्ध निर्माण की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में

112-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में किसानों की फसलें गंगा नदी की बाढ़ के कारण जलमग्न होकर नष्ट हो जाती हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जहानाबाद से नारनौर तक तटबन्ध निर्माण के लिए सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है ? क्या सरकार तटबन्ध का निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में गंगा नदी के बायें किनारे पर ग्राम जहानाबाद से ग्राम नारनौर तक तटबन्ध निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं परियोजना गठन का कार्य प्रगति में है। तटबन्ध निर्माण की परियोजना हेतु कृषकों की निजी भूमि तथा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की भूमि की आवश्यकता होगी। परियोजना तकनीकी

[†]छापी नहीं गई।

रूप से साध्य पाये जाने पर कृषकों द्वारा निजी भूमि देने की सहमति, विधिवत् पर्यावरणीय स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त तटबन्ध निर्माण की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सभी नगर निगम में ग्राम समाज की भूमि का स्वामित्व एवं अधीनस्थ नगर निगम के अधीन का प्राविधान कानपुर नगर महापालिका में निहित ग्राम समाज की भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

113-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी नगर निगम में ग्राम समाज की भूमि का स्वामित्व एवं अधीनस्थ नगर निगम के अधीन का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व अनुभाग संख्या-यू0 ओ0 572 राजस्व 1/1978 लखनऊ, दिनांक 6 सितम्बर, 1978 के आदेश द्वारा कानपुर नगर महापालिका में निहित ग्राम समाज की भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथासंशोधित) की धारा-59 के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियन्त्रण के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है, जो राज्य सरकार में निहित हो।

जी हाँ।

प्रश्नगत भूमि तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी थी।

विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

[†]देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-279-280 पर।

प्रदेश के साथ-साथ जनपद-बस्ती में भू-गर्भ जल के संरक्षण से सम्बन्धित योजना के सम्बन्ध में

114-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के साथ-साथ जनपद बस्ती में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु सरकार की कोई प्रभावी योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु 'उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019' प्रख्यापित है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर तथा समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक के भवनों को आच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने का प्राविधान है।

भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत 'कैच द रेन' की मुहिम चलाई गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध कृषि भूमि में किचन गार्डन बना कर मिड-डे-मील हेतु सब्जियां उगाने की योजना विषयक

115-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने परिषदीय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कृषि भूमि उपलब्ध है ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में किचन गार्डन बना कर मिड-डे-मील हेतु सब्जियां उगाने की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट-2024-25 में प्रदेश के कुल 74,100 विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किये जाने योग्य भूमि उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत फ्लैक्सी फण्ड में उपलब्ध धनराशि से अद्यतन वर्ष 2020-2024 से 44791 विद्यालयों हेतु रुपये 5000/-प्रति विद्यालय की दर से कुल आवंटित धनराशि रुपये 2239.55 लाख चरणबद्ध रूप से जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 18286 विद्यालयों हेतु रुपये 914.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति किचन गार्डन विकसित किये जाने हेतु निर्गत की गयी है।

इसके अतिरिक्त कतिपय विद्यालयों में पी0एम0 पोषण योजना से इतर मद से भी अन्य स्रोतों से किचन गार्डन विकसित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के कानपुर देहात अन्तर्गत तहसील मैथा की ग्राम पंचायत मंडोली के चाल्हा गाँव में फरवरी, 2023 में कब्जा हटाने के दौरान झोपड़ी में जिन्दा जली मां-बेटी के मामले एवं उक्त घटना में कृत कार्यवाही का विवरण

116-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के कानपुर देहात अन्तर्गत तहसील मैथा की ग्राम पंचायत मंडोली के चाल्हा गांव में फरवरी, 2023 में कब्जा हटाने के दौरान झोपड़ी में जिन्दा जली मां-बेटी के मामले से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना के प्रमुख तथ्य तथा अब तक हुई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण में तत्काल पीड़ित परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रु0 की आर्थिक सहायता तथा पीड़ित परिवार को कृषि भूमि व आवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया है।

प्रकरण में थाना रूरा जनपद कानपुर देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-38/2023 धारा-302/307/436/429/323/34 भा0द0वि0 की विवेचना पुलिस अधीक्षक, हरदोई की अध्यक्षता में गठित एस0आई0टी0 द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा-302/307/436/429/323/34 भा0द0वि0 का लोप करते हुये धारा-304ए/427/120बी भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा 1-आरोपी जे0सी0बी0 चालक सुरजीत उर्फ शिवबीर शंखवार का धारा- 304ए/427 भा0द0वि0 में व 2-आरोपी अशोक कुमार चौहान पुत्र स्व0 बृजराज का धारा- 427/120बी भा0द0वि0 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र दिनांक 13-05-2023 को एवं 3-आरोपी विशाल दीक्षित पुत्र गेंदनलाल, 4-निर्मल दीक्षित पुत्र सनेश प्रसाद, 5-गौरव दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित, निवासीगण ग्राम मड़ौली थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात का धारा- 427/120बी भा0द0वि0 में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र दिनांक 08-07-2023 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही के मध्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर नामित आरोपी 1-अशोक दीक्षित, 2-अनिल दीक्षित, 3-ज्ञानेश्वर प्रसाद, 4-नन्द किशोर, 5-दिनेश कुमार गौतम, घटना/अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद अन्य लेखपाल की भूमिका के कोई पुष्टिकारक साक्ष्य न पाये जाने के कारण इनकी नामजदगी गलत पाये जाने पर विवेचना से नाम पृथक किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से आच्छादित करने विषयक

117-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाए जा चुके हैं तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक शेष विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से आच्छादित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट-2022-23 में पी0ए0बी0, भारत सरकार द्वारा 18381 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्कम में यू0पी0एल0सी0 द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से 18376 विद्यालयों में आपूर्ति पूर्ण कर ली गयी है, जिसमें से 16421 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष विद्यालयों में इन्स्टालेशन सम्बन्धी प्रक्रिया गतिमान है।

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 एवं 2024-25 में पी0ए0बी0, भारत सरकार द्वारा क्रमशः 3879 तथा 3530 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त के उपरान्त 20,611 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादन हेतु शेष हैं।

योजना चरणबद्ध रूप में लागू की जा रही है। शेष विद्यालयों को आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप में आच्छादित करने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भाँति कम्पोजिट ग्राण्ट व विद्यालय विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराये जाने विषयक

118-श्री अतुल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भांति कम्पोजिट ग्राण्ट व विद्यालय विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भाँति कम्पोजिट ग्राण्ट व विद्यालय विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराये जाने की सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में मुआवजे की धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में

119-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में मुआवजे की कितनी धनराशि वर्तमान में दी जा रही है ? क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत उक्त मुआवजे की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में पीड़ित परिवार को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11-07-2023 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से अहेतुक सहायता दिये जाने हेतु निम्नानुसार संशोधित दरें निर्धारित की गयी हैं :-

जनहानि- रु0 4.00 लाख

पशुहानि- रु0 37500 (गाय, भैंस, ऊँट, याक, मिथुन आदि के लिए) एवं रु0 4000 (भेंड, बकरी, सुअर)

गैर दुधारू पशुहानि- रु0 32000 (ऊँट, घोड़ा, बैल) एवं रु0 20000 (बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, हेफर) आदि

मुर्गी पालन- रु0 100 प्रति पक्षी अधिकतम रु0 10000

मकान क्षति- मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतया क्षतिग्रस्त रु0 120000 प्रति पक्का एवं कच्चा घर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्णतया क्षतिग्रस्त रु0 130000 प्रति पक्का एवं कच्चा घर, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (कम से कम 15 प्रतिशत हो) रु0 6500 प्रति पक्का घर एवं 4000 प्रति कच्चा घर क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ियों रु0 8000 प्रति झोपड़ी एवं पशुओं का बाड़ा रु0 3000 प्रति शेड।

कृषि निवेश अनुदान-फसलों के लिए न्यूनतम रु0 2000 तथा अधिकतम रु0 22500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 02 हेक्टेयर की सीमा तक)

जी नहीं।

राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाने वाली राहत सहायता की मानक मदें व दरें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 11-07-2023 द्वारा अधिसूचित आपदाओं से पीड़ित परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाने वाली अहेतुक सहायता/अनुदान राशि की दरों में संशोधन/वृद्धि की गयी है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विकास खण्ड गौर में ग्राम बलुआ चौबे भानू प्रताप पाण्डेय के घर से राज कुमार वर्मा के खेत तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

120-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के वि0 ख0 गौर में ग्राम बलुआ चौबे भानू प्रताप पाण्डेय के घर से राज कुमार वर्मा

के खेत तक लगभग 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 560 मी0 व औसत चौडाई 3 मी0 है। उक्त मार्ग पर ग्राम पंचायत द्वारा खड़न्जा कार्य कराया गया है। उपरोक्त मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने में रु0 27.34 लाख व्यय होना अनुमानित है। सन्दर्भित मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत, बस्ती की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा एवं सदन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विगत 05 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विवरण एवं निश्चित अवधि तक अवशेष बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

121-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक अवशेष बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में विगत 05 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लम्बाई 17023.12 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है। जिनका वर्षवार निर्मित सड़कों का वर्षवार विवरण निम्नांकित है :-

स्वीकृत वर्ष	लम्बाई किमी0
2020-21	717.75
2021-22	3368.44
2022-23	5011.09
2023-24	6798.80
2024-25	1127.04
	कुल : 17023.12

जी नहीं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार 05 किलोमीटर या उससे अधिक लम्बाई के पक्के मार्गों के उच्चीकरण/चौड़ीकरण किये जाने का ही प्रावधान है। नये कच्चे मार्गों का निर्माण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के गणवेश, जूता, मोजा तथा बैग की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

122-श्री अनिल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के गणवेश, जूता, मोजा तथा बैग हेतु कितनी धनराशि प्रदान की जाती है ? क्या सरकार उक्त मदों में प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय करने हेतु कुल धनराशि रु0 1200/-प्रदान की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने तथा उन्हें उनके मूल विद्यालय में वापसी के सम्बन्ध में

123-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में कितने शिक्षामित्र तैनात हैं ? क्या सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने तथा उन्हें उनके मूल विद्यालय में वापसी पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश में कुल 1,43,450 शिक्षामित्र कार्यरत हैं। शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है, परन्तु उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में वापसी का प्रकरण विचाराधीन है। शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98, दिनांक 20-09-2017 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 3500/-प्रतिमाह से बढ़ा कर रु0 10,000/-प्रतिमाह किया गया है।

प्रदेश में दंगों और आर्थिक अपराधों के वर्षवार आंकड़े/अपराधों पर अंकुश लगाने की कार्य योजना विषयक

124-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक दंगों एवं आर्थिक अपराधों के वर्ष वार कितने

मामले सामने आए ? क्या सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में होने वाले अपराधों की स्थिति पर अंकुश लगाने की कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से वर्ष 2023 का तक दंगों एवं आर्थिक अपराधों के वर्षवार मामले निम्नवत् हैं :-

वर्ष	दंगा (147-151)	आर्थिक अपराध
2017	8990	20717
2018	8908	22822
2019	5714	19968
2020	6126	16708
2021	5302	20026
2022	4478	22409
2023	(प्रकाशित नहीं)	(प्रकाशित नहीं)

- प्रदेश में डकैती/लूट/चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की गयी है, जिसमें गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट एवं धारा-14 (1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। साक्ष्य संकलन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुये फुट एवं फिंगर प्रिन्ट, घटना के समय अभियुक्तों का लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, घटना के समय अभियुक्त द्वारा छोड़े गये सामान आदि को कब्जे में लेकर इन साक्ष्यों का विवेचना में समावेश करते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

- हत्या के अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु भूमि, भवन, सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों और पूर्व रंजिश सम्बन्धी प्रकरणों में पूरी निष्पक्षता और प्रभावी ढंग से विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। थाने में ग्राम मोहल्ला विवाद रजिस्टर एवं बीट रजिस्टर को अनिवार्य रूप से अद्यावधिक कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

- शासन द्वारा दंगों की रोकथाम हेतु समय-समय पर समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों को दंगा नियन्त्रण रिहर्सल/मॉक ड्रिल कराया जाता है। जनपद/कमिश्नरेट के समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों के वाहनों पर पी0ए0 सिस्टम व दंगा निरोधक उपकरण व्यवस्थापित हैं। जनपदीय स्तर पर क्यूआरटी टीम गठित है। मिश्रित आबादी

वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन कर सतर्क दृष्टि रखी जाती है। सभी धर्मों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों, धर्मगुरुओं/ पीस कमेटी आदि के साथ समय-समय पर गोष्ठी आयोजित की जाती है। त्यौहार, आयोजन, पर्व आदि पर पूर्व से सेक्टर स्कीम लागू कर समुचित पुलिस प्रबन्ध किये जाते हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रूप से गस्त/पिकेट, फुट पेट्रोलिंग आदि कराया जाता है। अभिसूचना विभाग को सतर्क दृष्टि रखने एवं आवश्यक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जाते हैं।

- जनपद लखनऊ में प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर के रूप में एक वृहद् 'यू0पी0-112' कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है, जो प्रदेश के पूरे क्षेत्र में तत्काल पुलिस सहायता पहुँचाने के उद्देश्य को निरन्तर प्राप्त कर रही है।
- बीट प्रणाली/पुलिस गश्त एवं पिकेट व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश दिये गये हैं। बैंको, सर्राफा दुकानों इत्यादि के आस-पास खुलने एवं बन्द होने के समय पर पुलिस गश्त प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही है।
- प्रदेश में सायंकाल प्रतिदिन 60 मिनट, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा का माहौल स्थापित करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
- ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सघन पैरवी करते हुए 40 अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड, 4087 अभियुक्त व्यवस्थापित हैं। जनपदीय स्तर पर क्यूआरटी टीम गठित है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन कर सतर्क दृष्टि रखी जाती है। सभी धर्मों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों, धर्मगुरुओं/पीस कमेटी आदि के साथ समय-समय पर गोष्ठी आयोजित की जाती है। त्यौहार, आयोजन, पर्व आदि पर पूर्व से सेक्टर स्कीम लागू कर समुचित पुलिस प्रबन्ध किये जाते हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रूप से गस्त/पिकेट, फुट पेट्रोलिंग आदि कराया जाता है। अभिसूचना विभाग को सतर्क दृष्टि रखने एवं आवश्यक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जाते हैं।
- जनपद लखनऊ में प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर के रूप में एक वृहद् ''यू0पी0-112'' कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है, जो प्रदेश के पूरे क्षेत्र में तत्काल पुलिस सहायता पहुँचाने के उद्देश्य को निरन्तर प्राप्त कर रही है।
- बीट प्रणाली/पुलिस गश्त एवं पिकेट व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश दिये गये हैं। बैंको, सर्राफा दुकानों इत्यादि के आस-पास खुलने एवं बन्द होने के समय पर पुलिस गश्त प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही है।

- प्रदेश में सायंकाल प्रतिदिन 60 मिनट, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा का माहौल स्थापित करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
- ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सघन पैरवी करते हुए 40 अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड, 4087 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 701 अभियुक्तों को 20 वर्ष अथवा अधिक की सजा से दण्डित कराया गया है।
- प्रदेश में अपराध तथा अपराधियों पर 'जीरो टॉलरेंस' के सिद्धान्त पर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के समस्त भवन विहीन थानों को धन आवंटित कर अपने निजी भवन से आच्छादित करने के सम्बन्ध में

125-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने थाने स्वयं के भवन के स्थान पर अन्य सरकारी भवनों में संचालित हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित समय-सीमा तक समस्त भवन विहीन थानों को धन आवंटित कर अपने निजी भवन से आच्छादित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के 20 थाने अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं। अन्य शासकीय भवनों में संचालित थानों के निर्माण हेतु जनपद स्तर से भूमि उपलब्धता सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त होने पर थानों के निर्माण के सापेक्ष नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में नसीरपुर मक्खनपुर मार्ग (बरी) से हेत सिंह के मकान होते हुए सुजाबलपुर तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

126-श्री सर्वेश सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में नसीरपुर मक्खनपुर मार्ग (बरी) से हेत सिंह के मकान होते हुये सुजाबलपुर तक लम्बाई लगभग 500 मी0 मार्ग कच्चा व गड्ढायुक्त होने से आम-जनमानस को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई लगभग 700 मी0 व चौड़ाई 5 मी0 है, जो कच्चा मार्ग है। उक्त मार्ग पर लेपन निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लगभग रु0 49 लाख आयेगी। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर सदन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 2022 से 31 मार्च, 2024 तक निर्मित सड़कों का विवरण

127-श्री अतुल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रधानमंत्री सड़क योजना पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत 2022 से 03 मार्च, 2024 तक कौन सी सड़कें निर्मित की गयीं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 03 मार्च, 2024 तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में पैकेज सं0-यूपी-5282 का सम्पर्क मार्ग नंगली सरधना से सकौती, सरधना-मेरठ करनाल रोड किमी0-15 (ओ0डी0आर0), लम्बाई-15.785 किमी0, लागत रु0 819.28 लाख (जीएसटी सहित) निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य दिनांक 19-02-2024 को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त मार्ग दिनांक 18-02-2029 तक 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने में सी0पी0एच0पी0ओ0 मैनुअल का पालन कराये जाने का विवरण

128-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन का साइज भारत सरकार के सी0पी0एच0पी0ओ0 मैनुअल के अनुसार कितना है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइप लाइन बिछाई जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बिछाई जा रही पाइप लाइन का साइज भारत सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन

(सी0पी0एच0ई0ओ0) मैनुअल के अनुसार न्यूनतम 63 एमएम डाया एवं अधिकतम जल की माँग के अनुसार डिजाइन में प्रावधानित है।

जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) पानी आयतन को आधार मानकर पाइप लाइन बिछाई जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी सहित प्रदेश में निश्चित अवधि तक शत-प्रतिशत घरौनी प्रमाण-पत्रों के वितरण के सम्बन्ध में

129-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी सहित प्रदेश में कितने प्रतिशत लोगों को आवास के मालिकाना हक सम्बन्धी घरौनी प्रमाण-पत्रों के वितरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक शत-प्रतिशत घरौनी वितरण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में 341 राजस्व ग्रामों में से गैर आबाद आदि को छोड़कर 285 ग्रामों में वास्तविक रूप से घरौनी तैयार की जानी थी, जिसके सापेक्ष सभी 285 ग्रामों में ड्रोन सर्वे एवं घरौनी तैयार किये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। उनमें कुल 64840 भू-खण्ड के सापेक्ष 64809 (99.95 प्रतिशत) घरौनी तैयार की जा चुकी हैं तथा 62259 (96.01 प्रतिशत) घरौनी का वितरण किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 23-07-2024 तक अद्यतन स्थिति के अनुसार गैर आबाद आदि को छोड़कर वास्तविक रूप से घरौनी तैयार किये जाने वाले प्रदेश के कुल 90573 ग्रामों के सापेक्ष 62333 ग्रामों (68.82 प्रतिशत) में कुल 86,79,476 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं।

घरौनी तैयार किया जाना एक तकनीकी कार्य हैं। उक्त कार्य में पहली बार आधुनिक तकनीकी (ड्रोन) का उपयोग कर आबादी क्षेत्र के मानचित्र एवं अभिलेख तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के गैर आबाद आदि ग्रामों को छोड़कर वास्तविक रूप से घरौनी तैयार किये जाने वाले प्रदेश के सभी सम्बन्धित ग्रामों के पुरानी आबादी क्षेत्र में घरौनी का कार्य मार्च, 2025 तक पूर्ण किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत बढ़नी चाफा में विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

130-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत बढ़नी चाफा में बालिकाओं के शिक्षा की कोई

व्यवस्था नहीं है, जिससे बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं ? क्या सरकार नगर पंचायत में विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0) दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 05 किमी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है तथा जहां पर 07-10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

अवगत कराना है कि नगर पंचायत बढ़नी चाफा, जनपद सिद्धार्थनगर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय राजेन्द्र भारती इ0का0 चाफा संचालित है। उक्त के अतिरिक्त संचालित विद्यालयों की सूची निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम	दूरी (किमी0)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/अनुदानित/ मान्यता प्राप्त)
1	राजेन्द्र भारती इ0का0 चाफा (सह शिक्षा)	0	अनुदानित
2	चौधरी चरण सिंह कन्या इ0का0 वामताल	7	मान्यता प्राप्त
3	रफी मेमोरियल इ0का0 चकचई 10 (सह शिक्षा)	10	अनुदानित
4	बेगम काजी जलील अब्बासी कन्या इ0 का0 बयारा	11	मान्यता प्राप्त
5	मौलाना आजाद इ0 का0 कादिराबाद (सह शिक्षा)	12	अनुदानित
6	राजकीय इ0 का0 परसा जमाल (सह शिक्षा)	13	राजकीय

जनपद सिद्धार्थनगर, विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत बढ़नी चाफा संतृप्त है।

जनपद मेरठ स्थित श्री गांधी आश्रम की भूमि को लीज पर दिये जाने का कारण एवं लीज पर दिये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में

131-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ स्थित श्री गांधी आश्रम की भूमि को लीज पर दे दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के क्या कारण हैं तथा उक्त हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

संस्था के कार्यरत कर्मचारियों को प्राविडेंट फण्ड को जमा करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान न होने के कारण योजित किये जा रहे वादों तथा आय का अन्य स्रोत न होने के कारण उक्त भूमि को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। खसरा संख्या-4674 आदि श्री गांधी आश्रम, लखनऊ की खरीदी हुई सम्पत्ति है तथा दान में मिली हुई भूमि नहीं है। श्री गाँधी आश्रम, लखनऊ की नियमावली की धारा-23 के अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी किसी भी सम्पत्ति को, जो आयोग के पक्ष में बन्धक न हो, लीज पर दे सकती है अथवा बिक्री कर सकती है। इसमें किसी अनुमति/सहमति की आवश्यकता नहीं है।

श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री श्री गाँधी आश्रम कैम्प ऑफिस, प्र0का0, 9, शाहनजफ रोड, लखनऊ के पत्र दिनांक 21-04-2021 द्वारा श्री गाँधी आश्रम, मेरठ स्थित रंगाई विभाग के 3271.40 वर्ग मीटर भाग को मेसर्स रेणुका आशियाना प्रा0 लि0 239, असौड़ा हाउस पश्चिमी कचहरी रोड, मेरठ को किराये (लीज रेंट) पर देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 में दिनांक 03-03-2024 तक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों पर सरकार द्वारा किये गये व्यय एवं सरकारी विज्ञापनों के बजट को कम करने के सम्बन्ध में

132-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-2024 में दिनांक 03-03-2024 तक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के दृष्टिगत व्यय धन का समीक्षा कर आगामी बजट में सरकारी विज्ञापनों के बजट को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†]छापी नहीं गई।

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सरकारी विज्ञापनों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 308.98 करोड़, वर्ष 2021-22 में रु0 951.03 करोड़, वर्ष 2022-23 में रु0 1154.91 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में दिनांक 03-03-2024 तक रु0 840.50 करोड़ व्यय किया गया। विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

प्रदेश के पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों को प्रोन्नति से भरने की कार्य योजना विषयक

133-श्री अतुल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की कमी है ? क्या सरकार की उक्त पदों को प्रोन्नति से भरने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में याचिका सं0-523/2024 (हिमांशू राणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) योजित की गयी है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही बाधित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लेखपालों के रिक्त पदों को भरने विषयक

134-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लेखपालों के कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में प्रदेश में लेखपालों के कुल 5224 पद रिक्त हैं। राजस्व परिषद्, उ0प्र0 द्वारा अधियाचित 8085 पदों के क्रम में उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 7897 अभ्यर्थियों के सापेक्ष संस्तुत किये गये। 7720 नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र दिनांक 18-07-2024 द्वारा औपबन्धिक रूप से चयनित 110 अभ्यर्थियों का औपबन्धन समाप्त करते हुए उपलब्ध करायी गयी। संस्तुति के क्रम में उक्त 110 नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही हेतु समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 24-07-2024 द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 19-01-2024 द्वारा लेखपालों के रिक्त कुल 4700 पदों का अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आयोग की अपेक्षा के क्रम में राजस्व परिषद् व शासन स्तर से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चयन वर्ष 2023-24 के सापेक्ष लेखपाल के रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 27-05-2024 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सम्भल के ग्राम गुमसानी से उद्गमित अरिल नदी के लुप्तप्राय भाग का राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन उपरान्त कब्जा मुक्ति कराने विषयक

135-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-सम्भल के ग्राम गुमसानी से उद्गमित अरिल नदी के जिला मुरादाबाद में स्थित ग्राम सतारन तक लुप्तप्राय हो जाने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार अरिल नदी के लुप्तप्राय भाग का राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन उपरान्त कब्जा मुक्ति कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद सम्भल की सीमा में अरिल नदी कब्जा मुक्त है। जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत अरिल नदी की लम्बाई लगभग 41.4 किलोमीटर है, जिसके अधिकांश भाग को तहसील प्रशासन बिलारी द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय ग्रामों के मुख्य प्रवेश मार्गों पर जलभराव की समस्या को दूर करने विषयक

136-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय ग्रामों के मुख्य प्रवेश मार्गों पर जलभराव की समस्या को दूर करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

शासनादेश संख्या-793/पांच-5/2024, दिनांक 10-06-2024 एवं शासनादेश संख्या-971/33-3-2024, दिनांक 12-06-2024 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव न होने तथा जल जमाव के उचित निस्तारण हेतु मिट्टी/रेत की पटाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में तैनात उच्च शिक्षित सफाई कर्मियों को प्रोन्नत करने विषयक

139-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में तैनात उच्च शिक्षित सफाई कर्मियों को ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर प्रोन्नत करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं।

शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली का प्रारूप तैयार कर निदेशालय के पत्र दिनांक 07-10-2022 द्वारा शासन को उपलब्ध कराते हुए नियमावली का प्राख्यापन एवं इनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में शासन द्वारा अपने कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-05-2023 के अन्तर्गत यह आदेश पारित किये गये हैं कि शासनादेश दिनांक 01-03-2008 के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों के 1,08,848 पद सृजित किये गये थे। उक्त पदों पर नियुक्ति/भर्ती तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 06-06-2008 द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) को अंगीकृत किया गया है। शासनादेश दिनांक 08-09-2010 के प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद को छोड़कर) नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा चतुर्थ श्रेणी के पद पर रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाए। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रतिबन्धित है। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति/भर्ती के समय ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं की गयी थी कि भविष्य में इनकी पदोन्नति की जाएगी। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य रूप से गाँव की सफाई कार्य के दृष्टिगत राजस्व ग्राम के अनुसार की गयी है और वर्तमान में शासनादेश दिनांक 08-09-2010 के प्रस्तर-2 द्वारा भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद को छोड़कर) नियुक्ति नहीं किये जाने का प्रावधान है। उक्त से स्पष्ट है कि सफाई कर्मचारी का पद राजस्व ग्राम के अनुसार एकल पद है, यदि इनकी पदोन्नति की जाती है तो उत्पन्न रिक्ति से उस ग्राम में सफाई हेतु बनाई गई व्यवस्था पुनः बनाना सम्भव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त उक्त कार्यालय-ज्ञाप के बिन्दु संख्या-11 के अन्तर्गत निदेशालय के पत्र दिनांक 27-02-2020 व दिनांक 01-07-2020 जिसके द्वारा सफाई कर्मियों को 20 प्रतिशत पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, के सम्बन्ध में यह भी उल्लिखित है कि उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्मिक एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। उक्त परामर्श पर विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि सफाई कर्मियों की शैक्षिक योग्यता साक्षर होने तथा समूह-ग के पदों पर अर्हकारी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट होने के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव विचार योग्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में बारात घर का निर्माण कराये जाने की मांग

138-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में ग्राम पंचायत स्तर पर बारात घर का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

वर्तमान में ग्राम पंचायतों में बारात घर निर्माण सम्बन्धी कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में महुला गढ़वल जर्जर बंधे का सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

139-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में महुला गढ़वल बाँध जर्जर होकर कमजोर होने के कारण टूटने का भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्धे का सुदृढ़ीकरण कार्य करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में महुला गढ़वल बांध घाघरा नदी के दायें तट पर निर्मित है। इसकी कुल लम्बाई 48.400 किमी0 है। महुला गढ़वल तटबन्ध के किमी0 0.00 से किमी0 2.00 तक अम्बेडकरनगर, किमी0 2.00 से 43.400 तक आजमगढ़ एवं किमी0 43.400 से 48.400 तक जनपद मऊ में पड़ता है। महुला गढ़वल बांध के किमी0 0.00 से किमी0 40.200 तक बन्धे पर पक्की सड़क निर्मित है। वर्तमान में बाढ़ अवधि में अब तक तटबन्ध पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। तटबन्ध पूर्णतया सुरक्षित है। बाढ़ अवधि के उपरान्त आवश्यकतानुसार तटबन्ध के सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना तकनीकी रूप से साध्य होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरकपुर सरैया में स्कूल की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

140-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड-बक्शी का तालाब स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरकपुर सरैया में स्कूल की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में छोईया नदी में नहर का पानी छोड़े जाने से किसानों की फसलों में पानी भर जाने की समस्या को दूर करने विषयक

141-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में छोईया नदी में नहर का पानी छोड़े जाने से किसानों की फसलों में पानी भर जाने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है ? क्या सरकार किसानों के खेतों में छोईया नदी से पानी भर जाने की समस्या को दूर करने की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

छोईया नाले के किमी0-12.700 से किमी0-0.000 के मध्य कुछ स्थानों पर छोईया नाले में वर्षा के कारण धीरे-धीरे सिल्ट/मिट्टी बह कर उसकी तली एवं किनारे पर जमा हो जाती है, जिससे उसकी पानी लेने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है। अत्यधिक वर्षा के दौरान कृषकों को पानी की मांग कम होने की दशा में नहर के अतिरिक्त पानी को नहर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये छोईया नाले में खारिज (एस्केप के माध्यम से) किया जाता है, जिससे अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

छोईया नाले का डिस्चार्ज 3885 क्यूसेक (500 क्यूसेक से अधिक) है, जिसकी सफाई का कार्य चार वर्ष के अन्तराल पर आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के बिन्दकी में हर घर जल योजना के अन्तर्गत तोड़ी गयी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

142-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में हर घर जल योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों के नाम की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 07 ग्राम पंचायतों यथा-दरियाबाद, जनता, हसनापुर, टिकरी मनौटी, शिवरी, नरैचा एवं सराय में पाइप पेयजल योजना का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के 12 ग्राम पंचायतों यथा-जनता, उमरगहना, कोटिया, केवई, बनियानी, बीनू, दरियाबाद, हसनापुर, टिकरी मनौटी, शिवरी, नरैचा एवं सराय में सड़कों के मरम्मतीकरण का कार्य करा लिया गया है। शेष ग्राम पंचायतों में तोड़ी गयी सड़कों की मरम्मत/निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के बिन्दकी अन्तर्गत में शामिल विद्यालयों की कायाकल्प योजना की अद्यतन स्थिति व शेष विद्यालयों को भी योजना में जोड़े जाने विषयक

143-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ? क्या सरकार उक्त योजना में सम्मिलित विद्यालयों एवं उनमें की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार शेष विद्यालयों को भी उक्त योजना में सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में संचालित 185 परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष 180 विद्यालय 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत निर्धारित 19 पैरामीटर्स के सापेक्ष 15 पैरामीटर्स पेयजल सुविधा, बालक शौचालय. बालिका शौचालय, शौचालयों में रनिंग वॉटर, शौचालय में टाइलीकरण, मल्टीपल हैण्डवॉश, ब्लैक बोर्ड, किचेन शेड, रंगाई-पुताई, रैम्प रेलिंग, विद्युत

उपकरण, विद्युत कनेक्शन, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय एवं टैपरनिंग वॉटर से संतृप्त किया जा चुका है।

संतृप्तीकरण से शेष 24 विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय, 09 विद्यालयों में कक्षा-कक्ष टाइलीकरण, 71 विद्यालयों में फर्नीचर तथा 08 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पंचायती राज विभाग एवं मनरेगा फतेहपुर द्वारा कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के क्षेत्र बिन्दकी की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने विषयक

144-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या पंचायती राज मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के विकास खण्ड माल की ग्राम सभा ढकवा में ग्राम सभा/सरकारी/ऊसर की जमीन की गाटा संख्या सहित उक्त का विवरण

145-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के विकास खण्ड माल की ग्राम सभा ढकवा में ग्राम सभा/सरकारी/ऊसर की कुल कितनी जमीन है ? क्या सरकार गाटा संख्या सहित उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम सभा ढकवा, तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में ग्राम सभा/सरकारी/ऊसर की कुल गाटा संख्यायें 57 हैं, जिनका रकबा 18.251 हे0 है ।

सूची संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

[†]देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-181-182 पर।

प्रदेश में ग्राम प्रधानों को विकास हेतु दिये जा रहे धन में कटौती किये जाने विषयक

146-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम प्रधानों को 13वें एवं 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु दिए जा रहे धन में 30 प्रतिशत कटौती कर क्षेत्र विकास (ब्लॉक) को जारी की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कटौती के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कटौती को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

13वें वित्त आयोग की संस्तुतियां वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक लागू थीं, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को 70 रु0 10:20 के अनुपात में धनराशि का बंटवारा किए जाने की व्यवस्था थी। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियां वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक लागू थीं। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016, दिनांक 18-02-2016 द्वारा मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-II में केवल ग्राम पंचायतों को धनराशि दिए जाने की व्यवस्था दी गई है।

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1717/33-3-2021-33/2020 दिनांक 07-10-2021 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः 15:15:70 अनुपात में धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को 15 प्रतिशत एवं जिला पंचायतों को 15 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। ग्राम पंचायतों की धनराशि में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बाढ़ खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराये गये कार्यों का विवरण

147-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बाढ़ खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बाढ़ कार्य खण्ड प्रथम, बस्ती द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्य कराये गये हैं :-

1-जनपद बस्ती में हर्रैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित कटरिया-चाँदपुर तटबन्ध के किमी0-1.885 एवं किमी0-2050 पर दो अदद स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना।

2-जनपद बस्ती में हर्रैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित कटरिया-चाँदपुर तटबन्ध के किमी0-5.335 पर क्षतिग्रस्त स्पर के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना।

3-जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध की सुरक्षा हेतु कि0मी0-2.300 एवं कि0मी0 3.600 पर दो अदद डैम्पनर एवं रिवेटमेंट निर्माण कार्य की परियोजना।

4-जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बांयें तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के सुरक्षा हेतु तटबन्ध के कि0मी0-4.200 पर एक अदद स्पर के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना।

5-जनपद बस्ती के तहसील हर्रैया में घाघरा (सरयू) नदी के बांयें तट पर स्थित उमरिया रिंग बांध के कि0मी0-0.600 से 4.700 तक पुनर्स्थापना एवं कि0मी0-0.600 से 1.000 के मध्य रिवेटमेंट तथा लांचिंग एप्रन तथा स्लोप पिचिंग व 02 अदद रेगुलेटर निर्माण की परियोजना।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में पड़ने वाले तटबन्धों क्रमशः कटरिया-चांदपुर, चांदपुर-गौरा, गौरा-सैफाबाद, सैफाबाद कलवारी, हर्रैया-पण्डूलघाट, पण्डूलघाट-नयकापार, बैलाक्षताल एवं अकसरा-नगहरा की बाढ़/कटान से सुरक्षा हेतु बाढ़ पूर्व उन पर निर्मित संरचनाओं के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य जिसमें ई0सी0 बैग में मिट्टी/ब्रिक रोरा भरकर नायलान क्रेट में डालते प्लेटफार्म बनाकर एवं वायर क्रेट में बोल्डर डाल कर क्षतिग्रस्त लांचिंग एप्रन की मरम्मत का कार्य कराया गया तथा कटान की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर पॉर्क्युपाइन में झाड़-झंखाड़ भर कर कटाव निरोधक कार्य कराया गया। साथ ही तटबन्धों के टॉप पर क्षतिग्रस्त ब्रिक सोलिंग, पटरी एवं स्लोप की मरम्मत कराते हुए जंगल झाड़ी इत्यादि को साफ कराया गया तथा तटबन्धों को जीपेबुल बनाया गया, जिससे बाढ़ के दौरान निरीक्षण एवं ग्रामीणों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। इसके साथ-साथ फ्लड फाइटिंग के लिए तैयारी की गई है।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में नियुक्ति में हुई अनियमितता की जांच कराने विषयक

148-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में नियुक्ति में अनियमितता की जांच करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र क-7 सं0-271977, दिनांक 27 फरवरी, 2024 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हाँ।

प्रकरण शासन के पत्र दिनांक 08 अप्रैल, 2024 द्वारा श्री राज्यपाल सचिवालय को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी में बे-मौसम बारिश/ओलावृष्टि व तेज हवाओं से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर फसल बीमा का मुआवजा भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में

149-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बे-मौसम बारिश/ओलावृष्टि व तेज हवाओं से किसानों की फसलों में हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाये जाने व फसल बीमा का भुगतान कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्रक-7 सं0-271980, दिनांक 27 फरवरी, 2024 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के 2 व 3 मार्च, 2024 में हुई तेज बारिश/ओलावृष्टि व तेज हवा से फसलों में हुई क्षति के कारण तहसील मोंठ के अन्तर्गत प्रभावित 4545 कृषकों को रु0 4,94,84,598/-एवं जनपद में कुल 36810 कृषकों को रु0 30.65 करोड़ कृषि निवेश अनुदान के रूप में वितरित किये गये हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमानुसार 25 प्रतिशत तत्काल सहायता राशि के रूप में तहसील मोंठ के अन्तर्गत 3865 प्रभावित कृषकों को रु0 1.98 करोड़ एवं जनपद में कुल 37357 प्रभावित कृषकों को रु0 9.84 करोड़ वितरित किया जा चुका है।

जनपद में कृषि निवेश अनुदान वितरण एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमानुसार कुल 119124 कृषकों को कुल रु0 54.85 करोड़ वितरित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के दुबे छपरा रिंग बांध का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक

150-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के दुबे छपरा रिंग बांध कटकर गंगा नदी में समाहित हो गया है, जिसके कारण वर्षा के दिनों में लगभग 25000 का आबादी क्षेत्र (दुबे छपरा, उदयी छपरा, जगदेवा पाण्डेयपुर, टेगरही,

दया छपरा) जलमग्न हो जाता है ? क्या सरकार उक्त रिंग बांध का पुनः निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के आबादी क्षेत्र (दुबे छपरा, उदयी छपरा, जगदेवा पाण्डेयपुर, टेगरही, दया छपरा) गंगा नदी के बायें किनारे एवं बलिया-बैरिया तटबन्ध के मध्य स्थित है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी का पानी नदी एवं बलिया-बैरिया तटबन्ध के मध्य डूबे क्षेत्र में फैल जाता है तथा जलस्तर कम होने से पानी स्वतः ही नदी में वापस चला जाता है।

डूबे क्षेत्र में पुनः रिंग बांध का निर्माण कार्य कराना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के कटान से बहुआरा व शिवपुर कपूर दियर के मजरों को बचाये जाने के सम्बन्ध में

151-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के कटान से बहुआरा व शिवपुर कपूर दियर के मजरों को गंगा नदी की कटान से बचाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के कटान से बहुआरा व शिवपुर कपूर दियर के मजरों को गंगा नदी की कटान से बचाने के लिए बैरिया संसार टोला तटबन्ध के कि0मी0-6.600 से कि0मी0-7.500 के मध्य स्थित ग्राम गड़ेरिया एवं सेमरिया के सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत हुई है, जिसके समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में ग्राम एवं आबादी पूर्णतया सुरक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत तार हटाये जाने के सम्बन्ध में

152-श्री नफीस अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में 50 से अधिक परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत तार गुजर रहे हैं, जिससे विद्यालयों में

पढ़ने-लिखने वाले विद्यार्थियों का जीवन खतरे में रहता है ? क्या सरकार उक्त हाईटेंशन विद्युत तार को हटाने का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन विद्युत तार को हटाये जाने हेतु बेसिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांकः शि0नि0 (बे0)/नियोजन/18762-932/2024-25, दिनांक 18 जून, 2024 एवं पत्रांक-26895-27139, दिनांक 26 जुलाई, 2024 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के 367 परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

153-श्री नफीस अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के 367 परिषदीय विद्यालय जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों के जर्जर भवनों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर नये विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद आजमगढ़ में 360 परिषदीय विद्यालय जर्जर है।

जी हाँ।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 09-10-2020 के क्रम में अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा परिषदीय विद्यालयों के परिसर में जीर्ण-शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण मुख्य विकास हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आजमगढ़ की अध्यक्षता में मूल्यांकन हेतु तकनीकी समिति एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में नीलामी समिति का गठन किया गया है। परिषदीय विद्यालयों के परिसर में 801 जर्जर भवनों की सूची सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसके सापेक्ष 441 विद्यालयों का तकनीकी समिति के माध्यम से मूल्यांकन करते हुए ध्वस्तीकरण का कार्य कराकर नामांकन/आवश्यकता के अनुसार 173 विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण कार्य कराया गया। अवशेष 360 जर्जर भवन का जनपद स्तरीय गठित मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन आख्या प्राप्त होते ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के 2000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

154-श्री नफीस अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के 2000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय का निर्माण नहीं होने के कारण उक्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर जनपद आजमगढ़ के कुल 2706 विद्यालयों के सापेक्ष 2533 विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। समग्र शिक्षा अन्तर्गत दिव्यांग शौचालयों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अवशेष विद्यालयों में 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत दिव्यांग शौचालयों के निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग से अनुरोध किया गया है।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 60 हजार सिपाहियों की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जाँच के मुख्य बिन्दु की जानकारी

155-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 60 हजार सिपाहियों की भर्ती हेतु परीक्षा का पेपर लीक होने के प्रकरण से सरकार परिचित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच के मुख्य बिन्दु सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। प्रदेश में 60 हजार सिपाहियों की भर्ती परीक्षा में पेपर आउट होने की जाँच एस0टी0एफ0 द्वारा की गयी, जिसमें एस0टी0एफ0 द्वारा मुख्य सरगना रवि अत्री सहित अब तक 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए विवेचना के बाद उनके विरुद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उपर्युक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कंकर खेड़ा, जनपद मेरठ में गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मु0अ0सं0-461/2024 धारा-2 व 3 [उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986] मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना की कार्यवाही जनपद मेरठ पुलिस द्वारा की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के गाँव दादरी में निर्माणाधीन महिला राजकीय डिग्री कॉलेज का नाम माँ पन्नाधाय के नाम पर रखे जाने की मांग

156-श्री अतुल प्रधान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के गाँव दादरी में निर्माणाधीन महिला राजकीय डिग्री कॉलेज का नाम माँ पन्नाधाय के नाम पर रखने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट के ग्राम पाठंगी में राजेन्द्र सिंह यादव के घर से रानी देवी के घर तक लगभग 200 मी0 मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

157-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट के ग्राम पाठंगी में राजेन्द्र सिंह यादव के घर से रानी देवी के घर तक लगभग 200 मी0 मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

ग्राम पंचायत से उक्त मार्ग पर खड़न्जा पूर्व से लगा है। श्री राजेन्द्र सिंह यादव के घर से श्रीमती रानी देवी के घर तक सड़क की लम्बाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 03 मीटर है। उक्त का निर्माण/इण्टरलॉकिंग कार्य पर लगभग धनराशि अंकन 6.25 लाख अनुमानित व्यय होगी। ग्राम पंचायत की केन्द्रीय वित्त के अनटाईड अंश एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से वित्तीय वर्ष में कुल धनराशि अंकन 7.87 लाख प्राप्त होता है, जिसमें ग्राम प्रधान/पंचायत सहायक/सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का मानदेय, सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव एवं ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य व बिजली बिल पर भुगतान पर लगभग धनराशि अंकन 3.00 लाख व्यय किया जाना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त पेयजल, स्वच्छता एवं ऑपरेशन कायाकल्प के प्रस्तावित कार्यों पर उपलब्ध धनराशि से व्यय करने के उपरान्त इतनी धनराशि अवशेष नहीं बचती है, जिससे उक्त कार्य कराया जा सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर के ग्राम नूरपुर प्रा0 विद्यालय से मुसहर बस्ती से जामडिह बार्डर तक मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

158-श्री अखिलेश-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर के ग्राम नूरपुर प्रा0 विद्यालय से मुसहर बस्ती से जामडिह बार्डर तक मार्ग का नवीनीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड शाहगंज के खेतासराय-खुटहन मार्ग से रामबचन सिंह के घर से लेकर अहिरोपरशुरामपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण कर नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

159-श्री अखिलेश-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड शाहगंज के खेतासराय-खुटहन मार्ग से रामबचन सिंह के घर से लेकर अहिरोपरशुरामपुर तक पिच मार्ग का चौड़ीकरण कर नवीनीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड शाहगंज में खेतासराय-खुटहन मार्ग से रामबचन सिंह के घर से लेकर अहिरोपरशुरामपुर तक मार्ग पिच का चौड़ीकरण कर नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सत्यापन सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक विकास अधिकारी (पं0) शाहगंज से कराया गया। यह पिच रोड लगभग 03 कि0मी0 है, जो मण्डी परिषद् या किसी अन्य विभाग द्वारा बनाया गया है। उक्त पिच रोड पर चौड़ीकरण कर नवीनीकरण का कार्य ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सिंचाई विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराये गये कार्य का विवरण

160-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सिंचाई विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सिंचाई विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहरों की सिल्ट सफाई/स्क्रैपिंग, ड्रेनों की सिल्ट सफाई एवं जंगल की सफाई, नहरों की पुल पुलिया व अन्य स्ट्रक्चर की मरम्मत, रंगाई-पुताई, कुलाबों का निर्माण, बैंकों की सुदृढ़ीकरण, बाक्स कलवर्ट का निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षात्मक इत्यादि कार्य कराये गये हैं। कराये कार्यों का विवरण संलग्न है।[†]

जी हाँ। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती में जिला पंचायत द्वारा बनायी गयी व्यवसायिक दुकानों के आवंटन का विवरण

161-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि जनपद बस्ती में जिला पंचायत द्वारा कितनी व्यवसायिक दुकानें बनाई गयी हैं तथा उनमें से कितनों को आवंटित नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जिला पंचायत, बस्ती द्वारा कुल 247 व्यवसायिक दुकानें निर्मित की गयी थीं। उक्त समस्त दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में हर घर जल योजना के अन्तर्गत सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समय-सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

162-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में हर घर जल योजना के अन्तर्गत कितने गाँवों में वर्तमान तक पेयजल उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समय-सीमा निर्धारित कर सरकार कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अद्यतन 102 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

[†]देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-283-284 पर।

'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विभिन्न ग्रामों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को दिसम्बर, 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील आलापुर अन्तर्गत ग्राम कमालपुर पिकार में विधि विरुद्ध कार्यवाही व प्रकरण निस्तारण में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

163-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील आलापुर अन्तर्गत ग्राम कमालपुर पिकार में आंधी में गिरे पेड़ को उठाने सम्बन्धी प्रकरण में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30-03-2022 को धारा 145 (1) द0प्र0सं0 की कार्यवाही योजित की गई थी, जिसे विधिसंगत नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 15-01-2024 द्वारा वापस ले लिया गया है और दो वर्ष के उपरान्त भी प्रकरण का निस्तारण अद्यतन नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधि विरुद्ध कार्यवाही व प्रकरण निस्तारण में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा सक्षम चकबन्दी न्यायालय द्वारा निर्धारित स्वत्व व अंश के आधार पर पेड़ को उसके वास्तविक स्वामी को सौंपने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, आलापुर द्वारा रामसुमेर तिवारी बनाम अरूण कुमार तिवारी अन्तर्गत धारा-145/146 द0प्र0सं0 वाद का निस्तारण दिनांक 15-01-2024 को करते हुये प्रश्नगत विवादित पेड़ को थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर को अभिरक्षा में लेने हेतु निर्देशित किया गया था। उप जिला मजिस्ट्रेट आलापुर के आदेश दिनांक 15-01-2024 के विरुद्ध अरूण कुमार तिवारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में रिट संख्या Application V/S 482 छव0 4179/2024 अरूण कुमार तिवारी बनाम उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07-05-2024 द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट आलापुर के आदेश दिनांक 15-01-2024 को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-05-2024 के विरुद्ध विजय कुमार तिवारी पुत्र रामसुमेर तिवारी द्वारा रिकॉल प्रार्थना-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-05-2024 के समादर में उप जिला मजिस्ट्रेट, आलापुर द्वारा प्रश्नगत भूमि तथा उसमें गिरे पेड़ों को अपने आदेश दिनांक 27-06-2024 के माध्यम से अरूण कुमार तिवारी को सुपुर्द किये जाने हेतु थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर को निर्देशित किया गया है। चूंकि मा0 उच्च न्यायालय में रिकॉल प्रार्थना-पत्र लम्बित है, इसलिए सुपुर्दगी में दी गयी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं करने हेतु

अरूण कुमार तिवारी को निर्देशित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉल प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उपरान्त पारित किये जाने वाले आदेश का अनुपालन कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील आलापुर अन्तर्गत ग्राम कमालपुर पिकार में आंधी में गिरे पेड़ को उठाने की अनुमति के सम्बन्ध में

164-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील आलापुर अन्तर्गत ग्राम कमालपुर पिकार में आंधी में गिरे पेड़ को उठाने की अनुमति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 नं0-184847, दिनांक 21 फरवरी, 2024 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण में न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, आलापुर द्वारा द0प्र0सं0 की धारा-145/146 के वाद का निस्तारण दिनांक 15-01-2024 को करते हुए विवादित पेड़ को थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर की अभिरक्षा में लेने के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध अरूण कुमार तिवारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष धारा-482 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या 4179/2024 अरूण कुमार तिवारी बनाम उ0प्र0 सरकार प्रस्तुत किया गया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07-05-2024 पारित करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट आलापुर के आदेश दिनांक 15-01-2024 को निरस्त कर दिया गया। जिसके क्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट, आलापुर द्वारा प्रश्नगत भूमि तथा उसमें गिरे पेड़ों को अपने आदेश दिनांक 27-06-2024 के माध्यम से अरूण कुमार तिवारी को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन सुपुर्द किये जाने के निर्देश थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, अनियमित नियुक्तियां एवं शिक्षकों के नियम विरुद्ध स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

165-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, अनियमित नियुक्तियां एवं शिक्षकों के नियम विरुद्ध स्थानान्तरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 नं0-184874, दिनांक 20 फरवरी, 2024 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-276/15-8-13-3009 (2)/13, दिनांक 03-03-2015 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में

166-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-276/15-8-13-3009 (2)/13, दिनांक 03-03-2015 का अनुपालन सुनिश्चित कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 नं0-184872, दिनांक 20 फरवरी, 2024 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन की अनुमति सम्बन्धी नियमावली की जानकारी

167-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन की अनुमति के लिए कोई दिशा-निर्देश या नियमावली सरकार ने जारी की है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1057/छः-पु0-3-2011-03पी/10, दिनांक 24-10-2015 एवं 27-04-2011, शासनादेश संख्या-3335पी/छः-पु0-3-2012 टीसी, दिनांक 24-10-2015, शासनादेश संख्या-यू0ओ0-80/छः-पु0-3-22-300 (21)/2022, दिनांक 23-12-2022 द्वारा धरना-प्रदर्शनों, जुलूसों, आन्दोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। भारतीय न्याय संहिता-2023 के अध्याय-11 प्रस्तर-189 में लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों को वर्णित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों के लम्बित विभिन्न बकाया के प्रकरण निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में

168-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों के विभिन्न बकाया और एरियर आदि के प्रकरण लम्बित होने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों को किसी निश्चित अवधि में निस्तारित करना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात परिषदीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विभिन्न बकाया एवं एरियर आदि के समयान्तर्गत भुगतान हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर एरियर माड्यूल के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मानव सम्पदा पोर्टल पर एरियर माड्यूल पर प्राप्त अवशेष देयकों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रकिया (एस0ओ0पी0) भी कार्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के पत्र सं0-वे0शि0प0/ले0सं0/12377-12526/SOP/2023-24, दिनांक 10-02-2024 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रभावी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं मुख्यालय द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रदर्शित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभिन्न बैठकों में प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2023-24 में नए लिंक कैनाल का निर्माण कार्य एवं जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुआ बांध में पानी पहुंचाने के लिए परियोजना प्रोजेक्ट फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बाणगंगा बरुआ डैम लिंक कैनाल का गठन एवं स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

169-श्री अनिल प्रधान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कितने नये लिंक कैनाल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुआ बांध में पानी पहुंचाने के लिए परियोजना प्रोजेक्ट फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बाणगंगा बरुआ डैम लिंक कैनाल का गठन किया गया था ? क्या सरकार उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

वर्ष 2023-2024 में दो लिंक कैनाल की परियोजना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है :-

(क) जनपद मिर्जापुर में जिरगो हुसैनपुर लिंक कैनाल की परियोजना।

(ख) चित्रकूट में बाणगंगा नदी से बरुआ बांध में पानी पहुंचाने हेतु लिंक चैनल का निर्माण कार्य की परियोजना।

जी हाँ।

परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के 1864 परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वेटर, जूते, मोजे आदि उपलब्ध कराने की समय-सीमा निर्धारित किये जाने विषयक

170-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के 1864 परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 64600 बच्चों को शैक्षणिक सत्र में स्वेटर, जूते, मोजे आदि हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। जनपद फिरोजाबाद में कुल 1827 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें शैक्षिक सत्र 2024-25 में कुल 1,26,326 बच्चे अध्ययनरत् हैं। अद्यतन 77,800 छात्र-छात्राओं हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में चाँदपुर-नूरपूर मार्ग सें चाँदपुर-फीना मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

171-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चॉदपुर में चाँदपुर-नूरपूर मार्ग से चॉदपुर-फीना मार्ग पर नहर की पटरी कच्ची होने के कारण आम-जनमानस को आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण कराने की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में औरंगाबाद सिकन्दरपुर मार्ग चाँदपुर-नूरपुर मार्ग को कि0मी0-0.300 एवं चाँदपुर-फीना मार्ग को 5.135 पर काटती है, जिसकी पटरी कच्ची है। नहर की पटरी नहरी निरीक्षण के लिये पर्याप्त है।

जी नहीं।

नहर की पटरी नहरी निरीक्षण के लिये पर्याप्त है।

जनपद बलिया के ब्लाक रेवती के गोपालनगर व झरकटहा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराने विषयक

172-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के रेवती ब्लाक अन्तर्गत गोपालनगर व झरकटहा में इण्टर कालेज न होने के कारण छात्र/छात्रायें शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

जी नहीं। केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0) के दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 05 कि0मी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है तथा जहां पर 07-10 कि0मी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के रेवती ब्लाक अन्तर्गत गोपालनगर व झरकटहा के निकटतम विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

1-गोपालनगर के निकटतम विद्यालयों का विवरण :-

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम	दूरी (कि0मी0)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/अनुदानित/मान्यता प्राप्त)
1	अमर शहीद कौशल कुमार इ0का0 नारानागढ़ गोपालनगर।	05 कि0मी0	अशासकीय सहायता प्राप्त
2	सुदिष्ट बाबा इ0 का0 सुदिष्टपुरी बलिया।	08 कि0मी0	अशासकीय सहायता प्राप्त
3	बाबा लक्ष्मण दास द्वारा राष्ट्रीय इ0का0 बैरिया, बलिया।	09 कि0मी0	अशासकीय सहायता प्राप्त

2-झरकटहा के निकटतम विद्यालयों का विवरण :-

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम	दूरी (कि0मी0)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/अनुदानित/मान्यता प्राप्त)
1	रेवती इण्टर कालेज रेवती।	06 कि0मी0	अशासकीय सहायता प्राप्त
2	लगटू बाबा इण्टर कालेज हडिहाकाल, बलिया।	10 कि0मी0	अशासकीय सहायता प्राप्त
3	आदर्श उ0मा0वि0 दतहा, बलिया।	05 कि0मी0	वित्त विहीन
4	शारदा देवी शिक्षण संस्थान, बलिया।	03 कि0मी0	वित्त विहीन
5	राजकीय उ0मा0वि0 चौबेछपरा, बलिया।	03 कि0मी0	राजकीय

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के रेवती ब्लाक अन्तर्गत गोपालनगर व झरकटहा क्षेत्र संतृप्त है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदी की बाढ़ से विस्थापित लोगों को जमीन खरीद कर कालोनी बनाकर बसाये जाने की मांग

173-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदी की बाढ़ से विस्थापित लोगों को जमीन खरीद कर कालोनी बनाकर बसाने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा एवं घाघरा नदी की बाढ़ से विस्थापित लोगों को राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2010/1-10-12-33 (37)/12 टी0सी-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 के प्राविधानानुसार विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क भूमि आवंटित की जाती है।

भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार पूरी तरह क्षतिग्रस्त/नष्ट हुये घर के लिए मैदानी इलाको में रु0 1,20,000/-की राहत सहायता दी जाती है।

मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त लाभार्थियों को छोड़कर प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हो जाने वाले परिवार को मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निःशुल्क आवास ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्राविधानानुसार उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के परिषदीय विद्यालयों में फिट इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत खेल किट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

174-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के परिषदीय विद्यालयों में फिट इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत खेल किट की आपूर्ति हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त परिषदीय विद्यालयों में खेल किट उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

खेल किट की आपूर्ति की योजना नहीं है, अपितु समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में रु0 5000/-की दर से तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रु0 10,000/-की दर से खेलकूद सामग्री हेतु अनुदान दिये जाने की योजना भारत सरकार से अनुमोदित है।

खेलकूद सामग्री हेतु अनुदान विद्यालय को हस्तान्तरित किया जाता है। सामग्री का क्रय विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2023-24 में जनपद फिरोजाबाद के विद्यालयों को उक्तानुसार अनुदान की धनराशि प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तालाबों की संख्या तथा तालाबों पर अतिक्रमण की जानकारी

175-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तालाबों की कितनी संख्या है तथा कितने तालाबों पर वर्तमान में अतिक्रमण है ? क्या सरकार उक्त की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राजस्व परिषद्, उ0प्र0 द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा कुल 88,888 राजस्व ग्रामों की 9,42,541 तालाबों/झीलों/अन्य वाटरबाडीज की सूचना दर्ज की गयी है। वाटरबाडीज के 1,347.57 हे0 क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है। जनपदवार सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत जोनिहा चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने की मांग

176-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर अन्तर्गत जोनिहा चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†]देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-285-286 पर।

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश संख्या-2449पी/छः-पु-6-08-300(78)/2008, दिनांक 03-09-2008 एवं पुलिस आयोग की रिपोर्ट 1960-61 में निहित प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नवीन पुलिस थाना की स्थापना हेतु जनसंख्या का मानक-75,000 से 90,000 एवं क्षेत्रफल का मानक 113 वर्ग मील (293.67 वर्ग कि0मी0) निर्धारित है। पुलिस चौकी जोनिहा को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने के बिन्दु पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पुलिस चौकी जोनिहा को थाना बनाये जाने पर इस थाने का क्षेत्रफल 36.265 वर्ग कि0मी0 व जनसंख्या-32047 है। इस प्रकार नवीन थाने की स्थापना हेतु क्षेत्रफल व जनसंख्या निर्धारित मानक से अत्यधिक कम है। उक्त के दृष्टिगत पुलिस चौकी जोनिहा को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत रजबहों/माइनरों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

177-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के अन्तर्गत रजबहों/माइनरों की विशेष मरम्मत सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 नं0-133553, दिनाँक 06-09-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

मा0 विधायक जी के पत्र के साथ संलग्न सूची में 34 नहरों का उल्लेख है। इनमें से 6 रजवहे एवं 28 माइनरें है। इस वित्तीय वर्ष में 3 रजवहे (आलमगंज, रावतपुर एवं काँधी) एवं 3 माइनरों (जोनिहाँ, सहवाजपुर एवं रैना) के सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त पुनरोद्धार की परियोजनाएं बनायी जा रही हैं। परियोजनाओं के तकनीकी अनुमोदन, प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। शेष रजवहे/माइनरों की स्थलीय/तकनीकी आवश्यकतानुसार परियोजनाएं आगामी वर्षो में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी में समन पंक्षी विहार हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का बकाया मुआवजा दिलाये जाने विषयक

178-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी में समान पक्षी विहार हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा धनराशि का बकाया वर्तमान

तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों की वाजिब और सही जमीन को तालाब की भूमि बता कर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करके जबर्दस्ती कब्जा लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर किसानों को उनकी जमीन का वाजिब मूल्य दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी के ग्राम समन में समन पक्षी विहार के निर्माण हेतु 3140 किसानों की 297.8760 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें नियमानुसार अर्जन की कार्यवाही करते हुए भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 23-05-2018 को घोषित कर सम्बन्धित किसानों को प्रतिकर भुगतान हेतु नोटिस जारी किये गये, किन्तु किसानों द्वारा निर्धारित धनराशि को कम बताते हुए बावजूद सूचना के प्रतिकर धनराशि प्राप्त नहीं की गयी। तदोपरान्त भुगतान हेतु दिनांक 23-06-2022, 16-12-2022 व दिनांक 27-04-2023 नियत की गयी, किन्तु किसानों द्वारा प्रतिकर धनराशि प्राप्त नहीं की गयी। अवार्ड की गयी 294.8760 हे0 भूमि की धनराशि मु0 22 करोड़ ट्रेजरी के पीएलए डिपॉजिट खाते (844300117) में जमा है। अवार्ड से पूर्व वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक वर्ष 2014 के सर्किल रेट से मु0 212.58 करोड़ रुपये सम्बन्धित विभाग द्वारा पीएलए डिपॉजिट खाते (844300117) में अलग से जमा है। उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 15-06-2022 को विभाग को हस्तगत कराया जा चुका है।

उक्त अधिग्रहीत 297.8760 हे0 भूमि में से 1234 किसानों की 149.3590 हे0 भूमि सुरक्षित श्रेणी/ग्राम सभा की होने के कारण भूमि फर्जी रूप से अंकित प्रविष्टियों को निरस्त कराये जाने हेतु 242 मुकदमे उप जिलाधिकारी किशनी के न्यायालय में दर्ज कर 115 मुकदमों का निस्तारण करके 64.750 हे0 भूमि पूर्ववत् श्रेणी में दर्ज कर दी गयी है। शेष वादों में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित कृषकों को व्यक्तिगत आधार पर सहायता दिये जाने के प्राविधान के सम्बन्ध में

179-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत किन श्रेणियों के कृषकों को व्यक्तिगत आधार पर सहायता दिये जाने का प्रावधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि मार्च, 2022 से 07 मार्च, 2024 तक किस श्रेणी के कितने लोगों को मनरेगा योजना में उक्त सहायता प्रदान की गई ? क्या सरकार लघु और सीमान्त श्रेणी के

समस्त कृषकों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत उक्त सहायता की पात्रता श्रेणी में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ। मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर 2024-25 के प्रस्तर-7.4.12 में व्यक्तिगत लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निम्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें व्यक्तिगत परिसम्पत्ति सृजन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

1-वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024-25 अधिनियम की अनुसूची-I, पैरा-5: ''व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का सृजन करने वाले कार्यों को नीचे दी गयी श्रेणियों के लाभार्थियों की जमीन या वासभूमि पर प्राथमिकता दी जाएगी :

क-अनुसूचित जाति

ख-अनुसूचित जनजाति

ग-खानाबदोश जनजाति

घ-विमुक्त जनजातियां

ङ-गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य परिवार

च-महिला मुखिया वाले परिवार

छ-शारीरिक रूप से दिव्यांग मुखिया वाले परिवार

ज-भूमि सुधार के लाभार्थी

झ-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थी और उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के बाद कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना-2008 के अन्तर्गत यथा परिभाषित छोटे या सीमान्त किसानों की भूमि पर, बशर्ते ऐसे परिवारों के पास जॉब कार्ड हो और उसका कम से कम एक सदस्य अपनी जमीन या वासभूमि पर शुरू की गई परियोजना पर कार्य करने के लिए इच्छुक हो।''

मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति की श्रेणी के 513327 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 34216 एवं अन्य श्रेणी के 1002704 परिवारों को इस प्रकार कुल 1550247 परिवारों को योजनान्तर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में रोजगार प्रदान किया गया है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति की श्रेणी के 566982, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 33526 एवं अन्य श्रेणी के 1571892 परिवारों को इस प्रकार कुल 2172400 परिवारों को योजनान्तर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में रोजगार प्रदान किया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर 2024-25 के

प्रस्तर-7.4.12 के बिन्दु संख्या-(झ) में कृषकों की लघु और सीमान्त श्रेणी मनरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी की अनुमन्यता श्रेणी में कतिपय शर्तों के अधीन पूर्व से ही सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र में नवीन अत्याधुनिक अग्निशमन केन्द्र का निर्माण एवं संचालन किये जाने की मांग

180-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र में कोई नवीन अत्याधुनिक अग्निशमन केन्द्र का निर्माण एवं संचालन निर्धारित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गाजीपुर में कुल 07 तहसीलें है, जिनमें से 03 तहसीलों (सदर, मोहम्मदाबाद व जमनियां) में अग्निशमन केन्द्र स्थापित व संचालित है, 02 तहसीलों (जखनियां एवं सैदपुर) में अग्निशमन केन्द्र निर्माणाधीन है तथा शेष 02 तहसील कासिमाबाद एवं सेवराई में अग्निशमन केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

जंगीपुर, जनपद गाजीपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत स्थित है, जिसकी दूरी अग्निशमन केन्द्र पुलिस लाइन, गाजीपुर, तहसील सदर से लगभग 13 कि0मी0 है। जंगीपुर क्षेत्र में किसी भी अग्नि दुर्घटना/आपात स्थिति में अग्निशमन केन्द्र पुलिस लाइन, गाजीपुर, तहसील सदर से त्वरित गति से कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में प्रदेश की प्रत्येक तहसील पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में जीर्ण-शीर्ण इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

181-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापित एवं संचालित हैं तथा उनमें से कितने हैण्डपम्प वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण हैं ? क्या सरकर यह भी बतायेगी कि एक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित किये जाने की वर्तमान लागत कितनी है तथा हैण्डपम्प की औसत आयु कितनी है ? क्या सरकार जीर्ण-शीर्ण इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मार्च माह में हुयी बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण किसानों के रबी की फसलों की क्षतिपूर्ति विषयक

182-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में वर्तमान वर्ष के मार्च माह में हुयी बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण किसानों के रबी की फसलों को नुकसान हुआ है ? क्या सरकार किसानों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बस्ती में माह मार्च, 2024 में हुई बरसात एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों के रबी की फसलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

फसलों का नुकसान न होने के कारण मुआवजा देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में साहूकारी प्रथा तथा ग़ैरकानूनी साहूकारों के खिलाफ की गई दण्डात्मक कार्रवाई की जानकारी

183-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से बैंकिंग प्रणाली के समानान्तर साहूकारी प्रथा जारी रहने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत पांच वर्षों में ग़ैरकानूनी साहूकारों के खिलाफ की गई दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-29 सन् 1976) विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-683/79-वि-1-2022-क-14-2022, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के द्वारा निरसित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में विगत पांच वर्षों में गैरकानूनी साहूकारों के विरुद्ध कुल 70 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

- जनपद अलीगढ़ में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।
- जनपद शाहजहाँपुर में 15 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें से 08 अभियोगों में आरोप-पत्र एवं 07 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।

- जनपद गोरखपुर में 10 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें 06 अभियोगों में आरोप-पत्र व 04 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।
- जनपद बलरामपुर में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।
- जनपद बांदा में 02 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, 02 अभियोगो में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।
- जनपद महोबा में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।
- जनपद मऊ में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना वर्तमान में प्रचलित है। जनपद बलिया में कुल 11 अभियोग पंजीकृत हुये हैं, जिसमें 08 अभियोग में आरोप-पत्र तथा 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी है।
- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।
- कमिश्नरेट गाजियाबाद में 04 अभियोग पंजीकृत हुये हैं, जिसमें 03 अभियोग में आरोप-पत्र तथा 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी है।
- कमिश्नरेट कानपुर में 02 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 01 अभियोग में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा 01 अभियोग विवेचनाधीन है।
- कमिश्नरेट वाराणसी में 21 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 15 अभियोगो में आरोप-पत्र तथा 04 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी है, शेष 02 अभियोग विवेचनाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 5 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन पात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने विषयक

184-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने हेतु चिन्हीकरण का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त हेतु कितने व्यक्ति पात्र पाये गये हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन पात्रों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अन्तिम बार वर्ष 2018-19 में आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से आवासहीन परिवारों के चिन्हीकरण की कार्यवाही की गयी है।

आवास प्लस सर्वेक्षण में कुल 22.33 लाख लाभार्थी पात्र पाये गये हैं।

पात्र लाभार्थियों में से वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 21.69 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। आवास प्लस की स्थायी पात्रता सूची में 64,224 लाभार्थी आवास आवंटन के लिए अवशेष हैं, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी सहित प्रदेश में राजस्व विभाग के द्वारा खतौनियों के अंश पर पुनः आपत्ति लेकर उसे गैर विवादित बनाने की योजना विषयक

185-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी सहित प्रदेश में राजस्व विभाग के द्वारा खतौनियों में खाता धारकों के अंश पर चरणबद्ध तरीके से बिना आपत्ति लिए ही अंशों का विवादित प्रकाशन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना आपत्ति लिए प्रकाशित हो चुके खतौनियों के अंश पर पुनः आपत्ति लेकर उसे गैर विवादित बनाने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश की समस्त राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्य किये जाने की निम्नवत् व्यवस्था है :- (1) लेखपाल द्वारा खातेदार/सहखातेदार एवं ग्राम राजस्व समिति से समन्वय आकार-पत्र-ख0पु0-2 तैयार करने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत रूप से राजस्व निरीक्षक कार्यालय के सहयोग से आकार-पत्र ख0पु0-3 तैयार करायेगा। लेखपाल उक्त ख0पु0-3 को सम्बन्धित खातेदारों को उपलब्ध कराकर उनकी सहमति प्राप्त करेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र-8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील करायेगा एवं खातेदारों/सहखातेदारों द्वारा प्रस्तावित अंश के बारे में आपत्ति देने हेतु 15 दिन का समय प्रदान करेगा। यदि किसी खातेदार/सहखातेदार को कोई आपत्ति नहीं है, तो तद्नुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा अंश निर्धारण का आदेश पारित किया जायेगा।

(2) प्रस्तावित अंश के बारे में यदि किसी खातेदार/सहखातेदार को कोई आपत्ति/असहमति है अथवा अंश निर्धारण के किसी मामले में राजस्व निरीक्षक कोई निर्णय नहीं कर पाता है, तो उसकी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को सन्दर्भित की जायेगी और उप जिलाधिकारी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये अंश निर्धारण हेतु निर्णय पारित करेंगे।

(3) खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण के अन्तर्गत अंश के निर्धारण की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को शुद्ध करने के लिये उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-32/38 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार खतौनी और खसरे की त्रुटि पूर्ण प्रविष्टियों को उप जिलाधिकारी द्वारा शुद्ध किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट स्थित नवीन थाना मदेयगंज का नाम बदलकर थाना दीनदयाल नगर किये जाने के सम्बन्ध में

186-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट स्थित नवीन थाना मदेयगंज का नाम बदल कर थाना दीनदयाल नगर करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 24-07-2024 को थाना मदेयगंज का नाम बदलकर थाना दीनदयाल नगर किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ के थाना मड़ियांव अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड, हरदोई बाईपास स्थित घैला पुलिस चौकी के स्थान पर प्रबन्ध नगर नाम से नवीन थाना बनाये जाने की मांग

187-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ के थाना-मड़ियांव अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड, हरदोई बाईपास स्थित घैला पुलिस चौकी के स्थान पर प्रबन्ध नगर नाम से नवीन थाना बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार नवीन थाना की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है तथा कानून एवं व्यवस्था का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में घैला पुलिस चौकी के स्थान पर प्रबन्ध नगर नाम से नवीन थाना बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में मार्च, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक थानों में एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के तहत कुल पंजीकृत अभियोग विषयक

188-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में मार्च, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक थानों में एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के तहत कुल कितने अभियोग पंजीकृत किये गये और कितनों में चार्जशीट लगाई गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मैनपुरी में मार्च, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक थानों में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत कुल 345 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनमें से 277 अभियोगों में चार्ज शीट लगायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में मार्च, 2017 से दिसम्बर, 2023 तक भू-माफिया पर कार्रवाई करते हुए मुक्त कराई गई जमीन का विवरण

189-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में मार्च, 2017 से दिसम्बर, 2023 तक कुल कितने भू-माफिया पर मुकदमे दर्ज हुए और कितनों पर चार्जशीट दाखिल की गई तथा कितने भू-माफियाओं पर कार्यवाही करके कुल कितनी जमीन मुक्त करायी गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

आलोच्य अवधि मार्च, 2017 से दिसम्बर, 2023 के मध्य जनपद-मैनपुरी में कुल 03 भू-माफियाओं पर मुकदमे दर्ज कराकर चार्जशीट दाखिल की गयी तथा उक्त 03 भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 2.945 हे0 भूमि मुक्त करायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामों में नियुक्त ग्राम सभा प्रहरी/चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने विषयक

190-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामों में नियुक्त ग्राम सभा प्रहरी अथवा चौकीदार का मानदेय बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। ग्राम प्रहरी नियमित सरकारी कर्मी नहीं होते हैं, अपितु ग्राम प्रहरी एक मानदेय कर्मी होते हैं। पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-9 के प्रस्तर-91 में ग्राम प्रहरी को माह में 02 बार थाने में उपस्थित होने की व्यवस्था की गयी है।

उनके इस कार्य के एवज में शासनादेश संख्या-45/2019/490पी/छः पु-6-2019-01 सीएम/2012, दिनाँक 08-03-2019 द्वारा ग्राम प्रहरी का मानदेय रुपये 1500/-प्रति माह से बढ़ाकर रुपये 2500/-किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सहित जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के प्राइमरी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व टैबलेट सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक

191-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और टैबलेट सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के अन्तर्गत कितने प्राथमिक विद्यालयों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया है तथा कितने को किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष विद्यालयों को भी उक्त योजना से लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्राथमिक विद्यालयों के लिये स्मार्ट क्लास की वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों के लिये टैबलेट की योजना संचालित है। सिराथू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी 292 प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट वितरित कर दिया गया है। टैबलेट वितरण हेतु कोई भी प्राथमिक विद्यालय शेष नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रवाहित गोमती नदी को प्रदूषण से मुक्त करने विषयक

192-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रवाहित गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त की लागत कार्यदायी एजेन्सी को कार्य हेतु निर्धारित अवधि सहित योजना का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु निम्न योजनाएं स्वीकृत/संचालित हैं :-

1-लखनऊ-गोमती नदी प्रदूषण उपशमन योजना फेज-1 पार्ट-1 लागत 213.91 करोड़, कार्य प्रारम्भ तिथि 01-06-2022, कार्य समाप्ति की तिथि 31-07-2024 है। गोमती नदी प्रदूषण उपशमन योजना फेज-2 पार्ट-1 लागत 264.67 करोड़, कार्य प्रारम्भ तिथि 14-06-2024, कार्य समाप्ति की तिथि 13-12-2025 है। गोमती नदी प्रदूषण उपशमन योजना फेज-2 पार्ट-2 लागत 351.03 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 19-09-2023 वर्तमान में निविदा प्रक्रिया में है।

2-सुल्तानपुर में 70.18 करोड़ की स्वीकृत योजना कार्य पूर्ण होकर संचालित है।

3-जौनपुर में 206.15 करोड़ की स्वीकृत योजना कार्य पूर्ण होकर संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रधानाचार्य तथा अनुसेवकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

193-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रधानाचार्य तथा अनुसेवक के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रधानाचार्य, अनुसेवक के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

शिक्षक-12050 (प्रवक्ता पुरुष-2562, महिला-1570, सहायक अध्यापक-4894, सहायक अध्यापिका-3024) लाइब्रेरियन-11, प्रधानाचार्य-564, अनुसेवक-3205।

जी हाँ।

शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। राजकीय इण्टर कालेजों में लाइब्रेरियन पदों हेतु नई नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 समूह 'ख' के अन्तर्गत प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। सीधी भर्ती में शैक्षिक अर्हता हेतु निर्धारित अर्हता में समकक्षता को विलोपित करने हेतु नियमावली संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं पदोन्नति के पदों पर मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-31192/एस0बी0/2017 में पारित आदेश दिनांक 23-01-2024 के अनुपालन में पदोन्नति कोटा प्रतिशत संशोधन हेतु नियमवाली संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त संशोधन के उपरान्त ही सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ता पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में समकक्ष अर्हता की नियमावली में संशोधन का प्रकरण भी प्रक्रियाधीन है, उक्त संशोधन के उपरान्त ही पदों को भरे जाने की कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

अनुसेवक के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने की व्यवस्था प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाने की योजना के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में कब्रिस्तान पर बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की मांग

194-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाने की योजना के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक चयनित कितने कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

प्रदेश में स्थित कब्रिस्तान में बाउण्ड्रीवाल बनाने की योजना के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष तत्समय जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित विवाद रहित 292 कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनाने का कार्य पूरा किया गया है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर तहसील सदर स्थित ग्राम अर्रा में कतिपय गाटा संख्या पर अवैध कब्जा हटाने विषयक

195-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2023, जो तहसील सदर स्थित ग्राम अर्रा में गाटा सं0-768

सरकारी अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज, पर हुए अवैध कब्जे को हटाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर में प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित भूमि का टोटल स्टेशन सर्वे कराया गया, जिसके अनुसार विवादित स्थल ग्राम अर्रा की आराजी संख्या-768 के जुज भाग पर स्थित है। प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों में उक्त आराजी संख्या-768, रकबा 0.0610 हे0 राजेश सिंह आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर तथा 0.020 हे0 ऊसर खाते में दर्ज है, जो प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है। प्रश्नगत भूमि पर हुए अवैध कब्जे के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26क के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी, प्रवर्तन को प्रेषित की गयी तथा नियमानुसार सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। निर्माणकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि को विधिक बंटवारा कराते हुए निर्माण कार्य किया गया है, किन्तु ग्राम अर्रा की आराजी संख्या-768 का सम्पूर्ण रकबा 1348 फ0 के अनुसार ऊसर दर्ज है। निजी काश्तकारों के नाम रकबा 0.0610 हे0 भूमि किस प्रकार से दर्ज हुई, इस सम्बन्ध में न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, कानपुर नगर के समक्ष वाद योजित है, जो विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की साफ-सफाई व परिसर के रख-रखाव हेतु सफाई कर्मी/चपरासी की नियुक्ति विषयक

196-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की साफ-सफाई व परिसर के रख-रखाव हेतु सफाई कर्मी/चपरासी की नियुक्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मी/कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं हैं।

उक्तवत्।

परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं हैं, अपितु निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या-2/2080/2017-2-143/विविध/2010, लखनऊ, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 में भी

ग्राम पंचायतो में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3173/33-1-2010 दिनांक 25-06-2009 में राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालय परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भीतरी परिसर की सफाई किये जाने के निर्देश अद्यतन प्रभावी हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2856/33-1-2014/2014, दिनांक 17-11-2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का है।

प्रदेश में वर्ष 2023-24 में डायल 112 को बेहतर बनाने के लिए उठाये गये कदम तथा नई गाड़ियों के क्रय के सम्बन्ध में

197-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डायल 112 को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तथा वर्ष 2023-24 में कितनी नई गाड़ियां क्रय की गई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

1-प्रदेश में यूपी-112 परियोजना को बेहतर बनाने हेतु द्वितीय फेज में एस0आई0पी0 प्रौद्योगिकी-नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने एवं अधिक संख्या में कॉल लेने हेतु पी0आर0आई0 के साथ एस0आई0पी0 प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा हेतु नम्बर मास्किंग की सुविधा प्रदान की गयी है। पुलिस वाहन की स्थिति एवं अनुमानित आगमन की जानकारी हेतु पी0आर0वी0 ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। कॉलर के सटीक स्थान की जानकारी हेतु एल0बी0एस0 तकनीक के साथ ई0एल0एस0 की तकनीक का उपयोग किये जाने की व्यवस्था की गयी है। बेहतर साइबर सुरक्षा हेतु नई तकनीकी उपकरणों का समावेश किया गया है। पी0आर0वी0 कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा प्रदान किये गये हैं। कतिपय पी0आर0वी0 वाहनों पर विभिन्न एंगलो में घूमने वाले पी0टी0जेड कैमरा स्थापित किये गये हैं।

पी0आर0वी0 वाहनों की सटीक लोकेशन हेतु वाहनों पर एम0डी0टी0 मोबाइल फोन के अतिरिक्त जी0पी0एस0 डिवाइस अलग से प्रदान की गयी है। आकस्मिक परिस्थितियों में यूपी-112 के संचालन एवं संग्रहित डाटा की सुरक्षा हेतु क्लाउड पर बैकअप की व्यवस्था की गयी है। पी0आर0वी0 को ट्रैफिक आदि की बेहतर जानकारी हेतु ऑनलाइन मैप का प्रयोग किया गया है।

2-परियोजना के प्रथम चरण में 3200 चार पहिया वाहन एवं 1600 दो पहिया वाहनों का प्राविधान था। द्वितीय चरण में वाहनों की संख्या में वृद्धि करते हुए 4278 चार पहिया एवं 2000 दो पहिया, इस प्रकार कुल 6278 वाहनों का प्राविधान किया गया है।

3-यूपी-112 परियोजना हेतु द्वितीय फेज वर्ष 2023-24 में कुल नये 1178 स्कॉर्पियो, 39 इनोवा व 585 बजाज पल्सर क्रय की गई हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में बुढ़ऊ बाबा के दर्शन हेतु जाने वाले मार्ग पर बन्धे पर रपटा पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

198-श्री नफीस अहमद-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर की देवरांचल में चिकनहवा और बुढ़ऊ बाबा के दर्शन हेतु जाने वाले मार्ग पर निवासित लोगों हेतु बन्धे पर रपटा पुल का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल सरयू नदी एवं महुला गढ़वल तटबन्ध के बीच डूब क्षेत्र में स्थित है। डूब क्षेत्र में रपटा पुल का निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में हर घर नल योजना का कार्य पूर्ण किये जाने विषयक

199-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में हर घर नल योजना के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने की सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त योजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण न करने वाले जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह

जी हाँ।

जल जीवन मिशन के कार्यों को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील-बांसी के उप जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा विवादित वाद संख्या पर कतिपय ग्रामों में अवैध कब्जा हटाने विषयक

200-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील-बांसी के उप जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा वाद सं0-6368/2023 (कम्प्यूटरीकृत वाद सं0-टी-202317630206368) के दिनांक 20-10-2023 को दिये गये अन्तिम आदेश के अनुपालन में तहसील-बांसी, ग्राम-तिगोडवा, तप्पा मसिना, परगना-बांसी पूरब गाटा सं0-306 से अवैध कब्जा हटाकर वादी पक्ष को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उप जिलाधिकारी न्यायालय तहसील-बांसी को गुमराह कर पत्थर नसब करने की जानकारी देने वाले दोषियों को दण्डित करेगी ? क्या सरकार उक्त गाटा संख्या-306 से अवैध कब्जा हटा कर मौके स्थल का चित्र साक्ष्य सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

उप जिलाधिकारी बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के न्यायालय में योजित वाद सं0-6368/2023 (कम्प्यूटरीकृत वाद सं0-टी 202317630206368) में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 20-10-2023 के अनुपालन में मौजा तिगोडवा, तप्पा मसिना, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के गाटा सं0-306/0.077 हे0 का पत्थरनसब ग्रामवासियों एवं उभय पक्ष की उपस्थिति में दिनांक 09-11-2023 को कराकर वादी को कब्जा दिला दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

साक्ष्य संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना विषयक

201-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की कृषि समृद्धता के दृष्टिगत कौशाम्बी की सिराथू विधान सभा क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

[†]देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-287-290 पर।

प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्योग उन्नयन (पी0एम0एफ0एम0ई0) योजनान्तर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से जनपद कौशाम्बी में फूड प्रोसेसिंग से सम्बन्धित इन्क्यूवेशन सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

202-डॉ0 पल्लवी पटेल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

203-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की कृषि समृद्धता के दृष्टिगत फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

राज्य में उद्यमियों के माध्यम से कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाने और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का प्रख्यापन अधिसूचना संख्या-5/2023/82/58-2-2023-4/2022, दिनांक 02-02-2023 द्वारा किया गया है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के क्रियान्वयन एवं आवेदन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-32/2023/293/58-2-2023-4/2022, दिनांक 11-04-2023 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के लिए समस्त विभागीय इन्सेन्टिव व कन्सेशन आदि प्राप्त करने हेतु आनलाइन प्रोत्साहन प्रबन्धन सिस्टम पर आवेदन करने का प्राविधान किया गया है। उपर्युक्त नीति के प्राविधानों एवं शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु उद्यमियों से प्राप्त प्रस्ताव विचारणीय होगा। राजकीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वित मंत्री जी।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण

***वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज जो अनुपूरक बजट मैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें 12 हजार 909 करोड़ 93 लाख रुपये हैं। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपये है तथा पूँजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपये है। विस्तारित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष का जो मूल बजट है उसका 1.66 प्रतिशत है। इसमें खासतौर से 7500.18 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए, 2 हजार करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बसें खरीदने के लिए नगर विकास विभाग के अन्तर्गत, अमृत योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपेन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 284 राजकीय इण्टर कालेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपये 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के लिए 66.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपये तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही विधान सभा सचिवालय के लिए स्थापित डाटा सेन्टर का नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपये, विधान सभा मण्डप में स्थापित डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एवं सहवर्ती उपकरणों के विस्तार के लिए 198 लाख 86 हजार रुपये, विधान सभा लाईब्रेरी परिसर में डिजिटल सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस एवं कैमरा प्रणाली की स्थापना उपकरणों के विस्तार के लिए 245 लाख रुपये प्रस्तावित है। विधान सभा सचिवालय के लिये वह कुल 768 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, खासतौर से यह कुछ हाईलाईट्स थीं और इसमें अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपये नई मांगों के हैं और शेष कॉन्टीन्यू स्कीम्स हैं उसके लिये है। बाकी चर्चा के समय जो बात आएगी उसका जवाब दे देंगे। परसों चर्चा है।

[12:24] श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की ओर से माननीय सदस्यों को आज उनके जन्मदिवस की बधाई

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 जुलाई, 2024 को मा0 सदस्य श्री हर्षवर्धन बाजपेयी जी का जन्म दिन है क्या वह सदन में उपस्थित हैं ? उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्य श्री हर्षवर्धन बाजपेयी निर्वाचन क्षेत्र प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। इनके पिता का नाम श्री अशोक कुमार बाजपेई है आपका जन्म 30 जुलाई, 1981 को प्रयागराज में हुआ था। आपने पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा ग्रहण की है।

आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह, निर्वाचन क्षेत्र गौरीगंज, जिला अमेठी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री तेज प्रताप सिंह है। आपका जन्म 30 जुलाई, 1976 को ग्राम व पोस्ट मऊ, गौरीगंज में हुआ था। आपने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं एवं इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 जुलाई, 2024 को नियम-301 के अन्तर्गत 92 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री कविन्द्र चौधरी	प्रदेश में 108 व 102 एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारियों के लम्बित ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती सैय्यदा खातून	जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बढ़नी में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्री हरि प्रकाश वर्मा	जन-सुनवाई पोर्टल पर आई0 जी0 आर0 एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद सहारनपुर के ग्राम कल्लरपुर पर बने पुल की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री रवि शर्मा	जनपद झांसी महानगर में कतिपय विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।
6	श्री रमा शंकर सिंह	जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती राजबाला सिंह	जनपद रामपुर में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाधिकारी द्वारा पौधारोपण के स्थान की सूचना न दिए जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
8	डॉ0 आर0 के0 पटेल	जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर में 132 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री कमाल अख्तर	ग्राम कुमारिया जुगला में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
10	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या के स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट के कतिपय अध्यापक व प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में।
11	श्री रफीक अंसारी	जनपद मेरठ में हापुड़ रोड पर कूड़ा डिपो तथा नसबन्दी केन्द्र नियम विरुद्ध बनाए जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री नफीस अहमद	जनपद आजमगढ़ के धुरिया जाति के लोगों का राजस्व अभिलेखों में नाम सही कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में सड़क चौड़ीकरण, नव निर्माण एवं मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में।
14	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	प्रदेश के कैंसर मरीजों को सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया	जनपद बदायूं के दातागंज के ग्राम सेजनी में कतिपय उपकेन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर तारों को सही कराये जाने के सम्बन्ध में।
17	डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
18	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ग्राम सभा जीरिकपुर में सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री मो0 ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के भड़रा में उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया में पुलिस के खराब कार्य व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
22	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह	जनपद प्रयागराज के पश्चिमी शहर में राजकीय डिग्री कालेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री मनोज कुमार प्रजापति (कोरी), श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री विजयपाल (आढ़ती), श्री अमिताभ बाजपेई, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री बम्बा लाल, श्री अखिलेश, श्री राम अचल राजभर, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अरविन्द कुमार सिंह, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, श्री पूरन प्रकाश सिंह, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हरिओम, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री बावन सिंह, श्री प्रेम सागर पटेल, श्री मुकेश चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री सीताराम वर्मा, श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्री बाबू लाल, श्री राजीव गुम्बर, श्री विकास गुप्ता, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री जीत लाल पटेल, श्री रामसिंह पटेल, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, श्री जाहीद, श्री आशु मलिक, श्री गौरव कुमार, श्री अनिल प्रधान, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आशुतोष शुक्ला, श्रीमती विजमा यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री अमरेश कुमार, श्रीमती पूनम संखवार, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री वीर विक्रम सिंह, श्रीमती सरोज कुरील, डॉ0 रागिनी, मौ0 फहीम इरफान, श्री मनोज कुमार पारस, श्रीमती सलोना कुशवाहा, श्री रमेश जायसवाल, श्री मौ0 नाहिद हसन, श्रीमती केतकी सिंह, श्री बेदी, श्री अताउर रहमान, श्री राम अवतार, श्री लकी यादव, श्री मूल चन्द्र सिंह, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री राजीव तरारा, श्री पंकज कुमार मलिक, इंजी0 सरवन कुमार निषाद व श्री राजेश्वर सिंह।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रदेश में 108 व 102 एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारियों के लम्बित ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कविन्द्र चौधरी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 108 तथा 102 एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कम्पनी जी0वी0के0एम0आर0आई0 एम्बुलेंस के कर्मचारियों का समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर रही है तथा कर्मचारियों से 24-24 घंटे सेवाएं ले रही तथा एम्बुलेंस में जीवन उपयोगी दवाओं और उपकरणों की भी ठीक से आपूर्ति नहीं हो रही है। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को फर्जी केस में फसाने का भी दबाव बनाया जा रहा है तथा वाहनों का सही समय पर मरम्मत भी नहीं हो रहा जिसके कारण एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उक्त समस्याओं के सम्बन्ध में 23 जुलाई, 2021 में एम्बुलेंस कर्मचारी द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया गया था जिसका समापन 6 अगस्त 2021 को अपर मुख्य सचिव श्रम के आदेशानुसार श्रमायुक्त, लखनऊ श्री बी0के0 राय जी के द्वारा वार्ता कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया था। सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा श्रम विभाग के नियमों की अवहेलना करते हुए कई हजार कर्मचारियों को अकारण ही निष्कासित कर दिया गया था। एम्बुलेंस कर्मचारियों की प्रमुख मांगें-धरने के दौरान निकाले गए सभी कर्मचारियों को वेतन सहित ड्यूटी पर वापस रखा जाए, धरने के दौरान कर्मचारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, जी0वी0के0 कम्पनी के द्वारा सभी कर्मचारियों पर फर्जी केस बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, इसकी जांच की जाए, न्यूनतम वेतन दर सहित ओवरटाइम का भुगतान दिया जाए, जिससे कर्मचारी अपना तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, श्रम विभाग के आदेश के अनुसार 500 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिस्ट कम्पनी द्वारा 2019 में जारी की गई, परन्तु भुगतान अभी तक नहीं किया गया। लम्बित ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान कराया जाए तथा पी0एफ0 सम्बन्धित विसंगतियां दूर की जाएं। आदि हैं।

अतः इस गम्भीर विषय पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों के मांगो पर गम्भीरता से विचार कर समस्याओं का समाधान किया जाए।]

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बढ़नी में कतिपय मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सैय्यदा खातून-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि जनपद सिद्धार्थनगर के मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत बढ़नी-चाफा मार्ग एवं डुमरियागंज-बस्ती मार्ग जबजौवां से मनोहरापुर ग्राम तक सड़क पूर्ण रूप से जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो गयी है। उक्त सड़क पर कई विद्यालय एवं महाविद्यालय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संचालित हैं। जिससे आवागमन करने में जनता को काफी परेशानी होती है। उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। यह प्रकरण लोक महत्व का है और जनहित से जुडा हुआ है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए जनता की समस्याओं को देखते हुए सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।]

जन-सुनवाई पोर्टल पर आई0 जी0 आर0 एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरि प्रकाश वर्मा-

[महोदय, क्या सामान्य प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र प्रेषित किये गये गये थे, जिसके आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0-18152240107980, 20015224012534, 18152240101540, 18152240096533, 18152240096544, 18152240096552, 60000240061460, 60000240060749 हैं। उपरोक्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं किया गया और स्पेशल क्लॉज में जाँच बन्द कर दी गयी। उपरोक्त सभी आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों की पुनः विवेचना कराकर पुनः जाँच करवायी जाये।]

जनपद सहारनपुर के ग्राम कल्लरपुर पर बने पुल की टी0 ए0 सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-रामपुर मनिहारन, जिला-सहारनपुर में सिंचाई विभाग के द्वारा ग्राम कल्लरपुर गुर्जर पर पूर्वी यमुना नहर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में निर्धारित मानक से काफी कम एम0एम0 का सरिया, लोकल सीमेंट, मानक से काफी कम गहराई व अन्य सभी मानक की अनदेखी करते हुए निर्माण किया जा रहा है। मेरे द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया तथा मौके पर फोटोग्राफ्स व साक्ष्यों के आधार पर माननीय मंत्री जी से भी निर्माण गुणवत्तायुक्त कराये जाने हेतु पत्राचार किया गया, परन्तु बावजूद उसके मौके पर घटिया निर्माण सामग्री के साथ ही कार्य किया जा रहा है। जनहित में उक्त निर्माण की टी0ए0सी0 जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने तथा गुणवत्तायुक्त निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी महानगर के कतिपय विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि झाँसी महानगर में ट्रान्सफार्मर (परिवर्तक) और विद्युत लाइनों के फुंकने के कारण विद्युत कटौती के चलते लोगों को 12 से 15 घण्टे ही विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। इस वर्ष विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष 40 प्रतिशत विद्युत भार बढ़ जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा भार बढ़ने के कारण वोल्टेज आदि के समस्या से आएदिन आम-जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आगामी वर्षों में विद्युत भार और अधिक बढ़ने की सम्भावना है। इसलिए झाँसी महानगर में विद्युत आपूर्ति की सुगमता हेतु निम्नलिखित कार्य कराये जाने अति आवश्यकता है :-

1-132/33 के0वी0 के 1 नव सृजित विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना।

2-33/11 के0वी0 के 4 नए विद्युत उपकेन्द्र की बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत स्थापना।

3-132 के0वी0 हंसारी, झाँसी से 3 नग ग्रामीण फीडरों को नवनिर्मित 220 के0वी0 उपकेन्द्र बबीना से जोड़ना।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमा शंकर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद मिर्जापुर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर स्थित धार्मिक स्थलों को पर्यटन हेतु बढ़ावा देने के लिए सौन्दर्यीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में लगभग 7 पर्यटक स्थल हैं जैसे-1-सिद्धनाथ की दरी जौगढ़/सक्तेशगढ़, 2-दुर्गा जी मन्दिर बड़ागाँव, 3-सिरसी जल प्रपात पटेहरा, 4-गणेश मन्दिर रामपुर पटेहरा का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाधिकारी द्वारा पौधारोपण के स्थान की सूचना न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानीय सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत विगत 2 वर्षों से वर्तमान वर्ष तक कितना पौधारोपण किया गया है तथा किन-किन स्थानों पर किया गया है, इसकी सूचना मेरे द्वारा जिलाधिकारी, रामपुर से निरन्तर उपलब्ध कराये जाने की मांग की गई है, परन्तु अद्यतन दिनांक तक जिलाधिकारी रामपुर द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के बिन्दु पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर में 132 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0 के0 पटेल-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है की हमारे विधान सभा क्षेत्र-370, मड़ियाहूँ के आकांक्षी ब्लॉक रामपुर में कोई भी 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र नही है, इसी ब्लॉक में सिधवन औद्योगिक का स्थान है, जहां पर दर्जनों फैक्ट्रियां स्थापित हैं, इन सबको भदोही के 132 के0वी0 के उपकेन्द्र से पावर आपूर्ति होती है, जो भदोही से 30 किलोमीटर से अत्यधिक दूरी होने के कारण लो वोल्टेज मिलता है, इस व्यवस्था में लाइन लास भी काफी होता है, जिससे सरकार के राजस्व का भी नुकसान होता है, पूरे क्षेत्रवासियों को लो वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति होती है, रामपुर के पास भूमि उपलब्ध हो जाएगी जहां पर 132 के0वी0 की विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हो जाने से पुरे मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र तथा आधा भाग मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र की भी फीडिंग होगी, इससे जनता की परेशानियां दूर होंगी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी भी होगी यह कार्य जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर पुरे प्रदेश की जनता की माँगों को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ, जनपद जौनपुर के रामपुर में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए स्थापना हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम कुमरिया जुगला में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल अख्तर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय पर दिलाना चाहता हूं कि आजादी के 77 साल होने के बावजूद आजतक यह गांव जिसकी आबादी 2000 है मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है बरसात के समय इस गांव के लोक 04 महीने तक अपने बच्चे को स्कूल और अस्पताल तक नहीं भेज पाते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी यह घोषणा कर चुके हैं कि जो मजरे मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हैं उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा। ग्राम कुमरिया जुगला के मजरा बड़ी हसनगढ़ी से छोटी हसनगढ़ी से जोड़ने का नव निर्माण कराकर तथा ग्राम चटकाली से मासूमिया के मजार तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट के कतिपय अध्यापक व प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद-अयोध्या की अति लोक महत्व की सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि श्री भूपेश कुमार तिवारी, तदर्थ प्रवक्ता गणित, पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, खजुरहट, जनपद-अयोध्या की अनियमित व अधिकारिता नियुक्ति एवं राजकोष से अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियम-51 के तहत सदन के माध्यम से सूचना मांगी गयी थी जिसके पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थाधिकारियों द्वारा श्री भूपेश कुमार तिवारी के उक्त अनियमित वेतन भुगतान कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या के कार्यालय के संज्ञान में आते ही कार्यालय के पत्रांक-मा0 बीकापुर/9051-55/2023-24, दिनांक 23-12-2023 द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रबन्धक व प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि श्री भूपेश कुमार तिवारी को अनियमित रूप से वेतन भुगतान कराई गयी धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें परन्तु प्रबन्धक व प्रधानाचार्य द्वारा उक्त अनियमित प्राप्त भुगतान को राजकोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उक्त गम्भीर प्रकरण में अनियमित किए गए वेतन भुगतान को तत्काल राजकोष में जमा कराने एवं इस भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ में हापुड़ रोड पर कूड़ा डिपो तथा नसबन्दी केन्द्र नियम विरुद्ध बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 नगर विकास मंत्री व प्रदेश सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से इस अति महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूँ कि नगर निगम मेरठ जी0जी0आई0सी0, हापुड़ रोड मरेठ जिसमें 1500 छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं से 10 मीटर की दूरी पर तीनों दिशाओं में तीन केन्द्र निर्माण कर रही है। 1-कूड़ा घर (ढलाऊ घर), 2-कूड़ा डिपो, 3-कुत्ता नसबन्दी केन्द्र का निर्माण नगर निगम मेरठ द्वारा कराया जा रहा है। जोकि पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। नगर निगम मेरठ अपनी मनमानी कर यह निर्माण कर रहा है। छात्राओं द्वारा विरोध किया गया अभिभावकों व स्थानीय जनता के द्वारा भी विरोध किया गया क्षेत्रीय पार्षद द्वारा भी विरोध किया गया। इसको लेकर जनता में बहुत रोष है। उक्त कार्य नियम विरुद्ध है क्या शिक्षा के मन्दिर में कूड़ा घर, कूड़ा डिपो, कुत्ता नसबन्दी केन्द्र बनाया जाना जनहित में है ? यह निर्माण नियम विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, इससे प्रतीत होता है कि नगर निगम मेरठ 1500 छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है।

आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सरकार इस निर्माण कार्य को तत्काल रोकने हेतु नगर निगम मेरठ को निर्देश करें या अवगत करायें किस नियम के तहत यह निर्माण कराया जा रहा है। क्या शिक्षा निजी प्राधिकरण नियम के तहत यह तीनों केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, की सूचना की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के धुरिया जाति के लोगों का राजस्व अभिलेखों में नाम सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि भारत के राजपत्र द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 से आजमगढ़ जनपद की धुरिया जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। किन्तु धुरिया जाति के लोगों को स्थानीय बोलचाल, पेशा आदि के कारण इनको कहार कहा जाता है। जिससे उनके जमीदारी के समय राजस्व अभिलेखों में जाति कहार मिलता है। जिससे इन धुरिया जाति के लोगों को स्थानीय प्रशासन/राजस्व अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न होने के कारण शासन द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आर्थिक, राजनीतिक सुविधाओं से वंचित हो रही है। जिसके सम्बन्ध में सुलभ सन्दर्भित निम्नवत् अनुरोध है :-

1-यह कि भारत सरकार का राजपत्र सं0-10 सन् 2003, दिनांक 7 जनवरी 2003 द्वारा जनपद आजमगढ़ की धुरिया जाति अनुसूचित जनजाति घोषित की गयी।

2-उ0प्र0 शासन समाज कल्याण उ0प्र0 शासन का शासनादेश सं0-176 मंत्री/26-03-2020 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए है।

3-सेन्सस 1891 कहार के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद में पायी जाने वाली धुरिया जाति की संख्या-27019 दर्शायी गयी।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में सड़क चौड़ीकरण, नव निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतुल प्रधान-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र सरधना में सरधना से दौराला, दौराला से मसूरी तक बने मार्ग अति व्यस्त मार्ग हैं, जिस पर बड़ी संख्या पर वाहनों का आवागमन बना रहता है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं के समाचार आ रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उक्त सड़क का चौड़ीकरण किया जाना आम-जन के हित में अति आवश्यक है। यह भी मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सड़क निर्माण की माँग करता हूँ।]

प्रदेश के कैंसर मरीजों को सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उ0प्र0 में कैंसर पीड़ितो की संख्या 9 लाख है एवं प्रति वर्ष 2 लाख 10 हजार नये कैंसर मरीजों की बढोत्तरी होती है, एवं आगामी समय में 9 व्यक्तियों में एक सम्भावित कैंसर का मरीज होगा इन बातों की पुष्टी Global Burden of Disease Data के शोध प्रकाशन में की गयी है। कैंसर पीड़ितों को दी जा रही धनराशि अपर्याप्त है, चूंकि कैंसर उपचार हेतु दी जा रही धनराशि सीधे अस्पताल को जाती है, अतः इसके दुरुपयोग की सम्भावना नगण्य है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि कैंसर के उपचार की पूर्ण धनराशि मरीजों के लिए अस्पताल को उपलब्ध करायी जाय ताकि उस परिवार को जमीन और जेवर न बेचना पड़े जिससे उसका जीविकोर्पाजन सुचारू रूप से चलता रहे।]

जनपद बदायूं के दातागंज के ग्राम सेजनी में नवनिर्मित उपकेन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूँ के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति की समस्या के निराकरण हेतु ग्राम सेजनी में 132 के0वी0 विद्युत केन्द्र का निर्माण कराया गया है। परन्तु अभी तक उक्त नवनिर्मित विद्युत केन्द्र से विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ न किये जाने के कारण समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। विद्युत आपूर्ति समयबद्ध तरीके से चालू न किये जाने के कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र दातागंज के ग्राम सेजनी में नवनिर्मित विद्युत केन्द्र से समयबद्ध सीमा में विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर तारों को सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ मेरा विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया गंगा और घाघरा नदी के बीच स्थित है। जहां पर विद्युत तार जर्जर होने के कारण आये दिन कोई न कोई घटना हुआ करती है। वहीं लगभग हफ्ते भर नहीं व्यतीत होता है अधिकांश ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। इस कारण विद्युत आपूर्ति बैरिया विधान सभा क्षेत्र में लगभग नहीं के बराबर हो पा रही है। मैंने पिछले विधान सभा में जर्जर तारों को ठीक कराने व ट्रांसफार्मरों का लोड के अनुरूप ठीक कराने के लिए अनुरोध किया लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण जहां जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। विद्युत तार जर्जर होने एवं ट्रांसफर्मरों पर लोड अधिक होने के कारण आये दिन जल जाते हैं जिससे सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, स्थानीय जन मानस में असन्तोष की भावना व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया के अन्तर्गत जर्जर विद्युत तारों एवं टूटे फूटे खम्भों व ट्रांसफार्मरों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ठीक कराने व क्षमता वृद्धि किये जाने का निर्देश तत्काल दिये जाने की मांग करता हूँ जिससे आम जन जीवन सहित किसानों को राहत मिल सके।]

जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टरों की काफी कमी है ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ग्रामीणों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अल्ट्रासाउण्ड की मशीन खराब है अल्ट्रासाउण्ड हेतु टेक्नीशियन एवं डाक्टर नहीं है।

अतः जनहित के इस लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ग्राम सभा जीरिकपुर में सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा जीरिकपुर में सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि कराये जाने हेतु यहां की जनता वर्षों से मांग कर रही है। यहां पर लोड अधिक होने के कारण आये दिन किसानों की सिचाईं सुविधा में बाधा आ रही है तथा बार-बार बिजली कटौती के कारण भी जनता को असुविधा हो रही है। जीरिकपुर में सब-स्टेशन की क्षमता कम होने के कारण यहां की जनता को काफी असुविधा हो रही है। शासन/प्रशासन की घोर उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिस कारण आम-जनमानस में सरकार के प्रति काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के भड़रा में उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 ताहिर खान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-187, इसौली, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत बल्दीराय ब्लाक अत्याधिक लोड होने के कारण एक बल्लीपुर ग्राम व बाजार के आस-पास व कुडवार ब्लाक के भडरा तराई इलाके में भडरा ग्राम सभा के आस-पास नया उपकेन्द्र बनाया जाना आम जनमानस के हित में अत्यधिक आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि जनहित में विधान सभा क्षेत्र इसौली-187, आप अपनी कृपा दृष्टि करते हुए बच्चों एवं किसानों, महिलाओं के साथ न्याय करवाने का कष्ट करें।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से जनपद अमरोहा की विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात के अन्तर्गत ग्राम गजस्थल से आलमपुर कैंच मार्ग लम्बाई लगभग 01.00 किमी0 जो काफी जर्जर अवस्था में है जिससे स्थानीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर काफी लोगों का आना जाना रहता है। उक्त मार्ग का नव निर्माण न होने से बारिश के दिनों में जलभराव बना रहता है जिससे आये दिन सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं। शासन-प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक जनता के हित में उक्त मार्ग का कार्य अभी तक नहीं कराया जा रहा है, जिससे शासन/प्रशासन के खिलाफ जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए यथाशीघ्र उक्त नहर की पटरी की मरम्मत कराये जाने की माँग करता हूं।]

जनपद बलिया में पुलिस के खराब कार्य व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बलिया जनपद में पुलिस मनमाने ढंग से कार्य कर रही है थानों पर दलाल एवं अपराधी हावी हैं, प्रतिबन्धित मवेशियों की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। मेरे क्षेत्र के थाना सिकन्दरपुर में तहसील मुख्यालय पर भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय में कुछ नहीं हुआ था परन्तु लालचन्द्र शर्मा नाम के व्यक्ति के नाम से फर्जी प्राथमिकी सपा विधान सभा अध्यक्ष जी रामजी यादव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री अनन्त मिश्रा के नाम से दफा 308 में कर दिया गया है। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई चोट नहीं दिखाई गई है। यह प्राथमिकी पूरी तरह फर्जी एवं मनगढ़न्त है। स्थानीय थाने सिकन्दरपुर की पुलिस जबरन दबाव डालकर एफ0आई0आर0 दर्ज कर परेशान कर रही है। पुलिस के अधिकारी लीपा-पोती कर रहे हैं। वहीं अजीत पासवान का मेडिकल एवं पासवान को मारा गया इस की भी प्राथमिकी नहीं दर्ज की जा रही है। पुलिस मामले को दबा रही है। इसी तरह ग्राम प्रसादपुर के अवधेश चौहान प्रधान के ऊपर एवं उनके परिवार एवं 17 व्यक्तियों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विरुद्ध दफा 308 अपराध सं0-770/2024 में पकड़ी थाने के एस0ओ0 ने फर्जी प्राथमिकी दर्ज करके परेशान कर रहे हैं एवं जेल में भेज दिए केवल प्रधान अवधेश चौहान पुलिस की दलाली नहीं कर रहे थे। जनता में काफी आक्रोश है। एवं पुलिस थाना सिकन्दरपुर एवं थाना पकड़ी की पुलिस फर्जी प्राथमिकी दफा 308 में दर्ज कर परेशान कर रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण की जांच कराकर फर्जी दर्ज मुकदमा अनन्त मिश्रा एवं रामजी यादव का वापस लिया जाय एवं अजीत पासवान की सही प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के पश्चिमी शहर में राजकीय डिग्री कालेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र शहर पश्चिमी प्रयागराज के अन्तर्गत एक भी राजकीय डिग्री कालेज स्थापित नहीं हुआ है, जिसकी क्षेत्रवासियों द्वारा समय-समय पर मांग की जाती रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र कौशाम्बी जनपद की सीमा तक है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को स्नातक की शिक्षा के लिए प्रतिदिन कौशाम्बी या प्रयागराज शहर की लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। कई छात्राएं लम्बी दूरी तथा साधन-सुविधा न होने के कारण स्नातक की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये विधान सभा क्षेत्र शहर पश्चिमी प्रयागराज के अन्तर्गत एक राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने हेतु कार्रवाई ही मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि नियम और नियमावली पढ़ लें। जो नियमावली वर्ष 1958 की थी उसमें कुछ शब्द क्लिष्ट थे। वर्ष 2023 में क्लिष्ट को मैनें कठिन कर दिया है। हो सकता है कि किसी को क्लिष्ट समझ में न आये तो कठिन समझ में आ जायेगा। इसीलिए मैंने नियमावली बदली। उसमें यह देख लें कि नियम-300 के अन्तर्गत क्या आता है। क्या नियम-300 के अन्तर्गत यह आयेगा कि मीरापुर तक मार्ग का विशेष मरम्मत कराया जाये ? जो माननीय सदस्य ऐसा कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि यह इसमें नहीं आता है। मेरा सहयोग करें। मेरा आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से सभी सूचनाएं हैं जो ग्राह्य नहीं हैं। इनको मैं अग्राह्य करता हूँ। मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो सिंचाई एवं जन संसाधन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का उन्नीसवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का बीसवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का वीसवां प्रतिवेदन, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का इक्कीसवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

---

† छापा नहीं गया।

[12:30] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

जो याचिकाएं आज की कार्य-सूची में है।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम जेडा नहर पुल से गांव की साइड पटरी होकर जेडा झाल पुल तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर के अन्तर्गत कानपुर नगर रजिस्ट्री आफिस में बुजुर्गों के लिए लिफ्ट को लगाये जाने के सम्बन्ध में हाजी जियाउलहक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम कचोरा सड़क से नाले की पटरी पर अछनेरा-झुण्डावई मार्ग को पक्का बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुमरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल की तहसील चंदौसी के ग्राम फिरोजपुर बौड़ा में विश्वास कुमार के मकान से कब्रिस्तान तक लगभग 200 मीटर सड़क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 तालिब व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत महमदपुर, मदारपुर, मानपुर, काहोतरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री संग्राम यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

छापी नहीं गई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा, जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत पानी की टंकी से गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नालाल जैन व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत ग्राम बोझी में रामगंगा नदी में पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा, जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर की ग्राम पंचायत-मरौंचा में हाई-वे से पूरे लाला प्राथमिक पाठशाला तक इण्टरलॉकिंग 500 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नकछेद दुबे व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा, जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज महराजगंज ग्रन्ट छपिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतीरथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा, जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के बामौर ब्लाक में गड़वई से ककरवई होते हुए गरौठा की ओर सड़क मार्ग एवं देवरी से धनौरा होते हुए ककरवई तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

छापी नहीं गई।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत नदीगाँव के आस-पास 220 के0वी0 के बिजलीघर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ रत्नाकर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत अछल्दा-महेवा मार्ग से गऊ तला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा रियल टाइम खतौनी में आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में श्री निरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका व्यपगत हुईं।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निबैया के भारतीया बस्ती में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज भारतीया व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा, जनपद आजमगढ़ के नवनिर्मित भवन जिला अस्पताल में जाँच सम्बन्धी यंत्र एम0आर0आई0 मशीन, सीटी स्कैन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लिली मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा, जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी व चित्रकूट को जोड़ने हेतु नदी पर पीपा पुल के स्थान पर स्थायी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकरन व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

छापी नहीं गई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा, जनपद लखनऊ के विधान सभा मार्ग पर लोक भवन, बापू भवन आदि भवनों के सामने सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र-144, मोहम्मदी के तहसील-मोहम्मदी के ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा, जनपद बस्ती के ब्लॉक सदर के ग्राम धुसवा में गेलापार चौराहे से धुसवा गांव तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहिद रजा, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा, जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के नेशनल हाई-वे बाँदा रोड भरतकूप के दोनों तरफ नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा, जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के विकास खण्ड मसोधा के अन्तर्गत ग्राम पलिया रिसाली से हनुमंत नगर भरतकुण्ड तक मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तारों को बदवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहतास सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

छापी नहीं गई।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा, जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कड़ा में टेंगाई मुख्य मार्ग से गिरधरपुर गाँव के समीप तक सड़क निर्माण लगभग 2.5 किमी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लवलेश विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत चांगौली मोड़ से वाया आजमपुर, हुसैनपुर, ठसराना की सीमा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा, जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत दोलतपुर से बुगरासी तक वाया गेसुपुर लम्बाई 10 किमी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा, जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के कतिपय ग्रामों में जलमग्न भूमि को फसल की पैदावार योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनाथ धीमान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में पड़ियापुर-सम्हों मार्ग से मुसीकापुर तक बम्बा की पटरी का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में ग्राम दरियापुर पिच रोड से पल्थी नहर पिच रोड तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारिक व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर के सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र मेन हाई-वे से अमोध-सतहरिया सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम मूरत यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा, जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज के अन्तर्गत वाराणसी-आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग से ग्राम उसरौली में श्री राजेन्द्र कुमार के घर के बगल से होते हुए ग्राम बरवां विसम्भरपुर में श्री शिवकुमार यादव के घर तक के जर्जर मार्ग पर पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा करण्डा में रामलीला मंच से लाल जी गुप्ता के मकान के सामने से होते हुए पोखरी तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदित्य यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा, जनपद महोबा की तहसील चरखारी एवं तहसील कुलपहाड़ के चकबन्दी विहीन ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

छापी नहीं गई।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा, जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा डीहा, लवायन व कतिपय ग्राम सभाओं में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धननीश प्रताप सिंह, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा, जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम धनौरा के मुख्य मार्ग दीवान साहब के बगीचा से बब्बू मास्टर के स्कूल तक गौशाला होते हुए मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमजी परिहार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा, जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरसेली के मजरा के ग्राम हरपरा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा, जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा भगवानपुर खुर्द से नहर की पुलिया होते हुए पिपरही मोड़ तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के अन्तर्गत रिलायन्स पेट्रोल पम्प से बिजनंगला पर शहीद स्मारक के पास से शिव मन्दिर तक खड़न्जे पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा, जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में हर घर जल योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के मार्गों पर पाइप लाइन डालने के नाम पर क्षतिग्रस्त सड़कों को सी0सी0/पी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधे श्याम व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

छापी नहीं गई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा, जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर की सेमरी बाजार पुलिस चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा, जनपद झांसी के महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-39 के अन्तर्गत सुलभ शौचालय से माँ आटा चक्की की ओर होते हुए नाले की पुलिया तक सड़क मार्ग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोंटी साहू व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद अयोध्या में माझा तिहुरा परगना हवेली अवध, तहसील सदर की गाटा संख्या-1099, 3/2अ एवं 4ई/5 पर अभिनन्दन लोढ़ा कम्पनी के द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री रामरूप व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा, जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र-216, छावनी के अन्तर्गत कानपुर महानगर के वार्ड सं0-36 मुर्गा मार्केट से लेकर बेदू शर्मा के घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अयान खान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा, जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279 आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम हथिनाला में संजय गौतम के मकान से पूरब रामप्रीत के मकान होते हुए महिमापुर सम्पर्क मार्ग तक (1.5 किमी0) नव निर्माण/पिच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के ब्लाक व तहसील हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम घुंघराला में प्रमोद के मकान से रहीस के मकान तक

छापी नहीं गई।

600 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा, जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम सभा चन्दाईत में चकिया बबुरी लिंक मार्ग से मुरार पटेल के मकान से होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बृश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा, जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के ग्राम पंचायत पिपराकलां में चौरी माइनर पर शिव यादव के खेत के सामने पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा निजामुद्दीनपुर से कुढ़ा रामपुर होते हुए विश्व बैंक सड़क कुढ़ा तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम जी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा, जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम मल्थुवा में कैलाश नारायण की जगह पर नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश नारायण व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा, जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया में ग्राम खालसा पक्की सड़क पर भोला के घर से होते हुए पूरेदर्गी में विक्रम प्रजापति के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर क्षेत्रान्तर्गत गौरीबाजार-हाटा मार्ग से पाण्डेय भिस्वां होते हुए रैश्री चौराहे तक

छापी नहीं गई।

सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा, जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम माहू से ग्राम जलीलपुर सलेमपुर रोड तक डामर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा, जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के ग्राम राघौपुर में राजकीय इण्टर कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीना राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा, जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में अर्मापुर नहर पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुशील कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुशील कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा, जनपद फर्रुखाबाद में नलकूप खण्ड के वरिष्ठ सहायक व अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नलकूप खण्ड में व्यापक रूप से की गई वित्तीय अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में बन्द पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में श्री सुहैल इकबाल व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

[12:34] याचिकाओं के उपस्थापन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, याचिकाओं के बारे में मुझे कुछ कहना है।

छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कहिए।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, पहले सभी याचिकाएं ले ली जाती थी फिर आपने पांच की व्यवस्था कर दी। अब केवल एक ही याचिका ली जाती है तो कम से कम अपने क्षेत्र की बात आ जाए तो उसको पढ़ने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

उसमें विषय यह है कि पांच याचिकाएं अगर फॉरमेनिटी के लिए है। एक व्यक्ति दस-दस याचिकाएं देता है। बहुत सारे हमारे मा0 सदस्य विभिन्न समितियों के सदस्य हैं, याचिका समिति में।

अगर आपको यह सन्तुष्टि होती है कि आपने यहां विधान सभा में याचिका दे दी और केवल इससे आपका काम हो गया, तो आप 100 याचिकायें भी दे दें, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। समितियों की अपनी सीमा होती है और समितियों का अपना समय निर्धारित होता है। समितियाँ याचिकाओं की मॉनीटरिंग करती हैं और उनको पूरा करने के लिए आदेश देती हैं। अगर पेण्डेन्सी को हजारों की संख्या में बढ़ाकर किसी को सन्तुष्टि होती है, तो मुझे लगता है कि उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि यदि आप सदस्य की केवल एक याचिका ले रहे हैं, तो कम से कम उसे पढ़ने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अगर कोई माननीय सदस्य अपनी याचिका को पढ़ना चाहता है, तो उसे याचिका पढ़ने का मौका दे देंगे। कल से कार्य-सूची में याचिकायें आखिरी में ले ली जायें।

(सदन में हँसी)

[12:36] याचिकाओं का उपस्थापन (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

श्री कविन्द्र चौधरी, उपस्थित, श्री गौरव कुमार रावत, अनुपस्थित, श्री अजय सिंह, उपस्थित, श्री अतुल प्रधान, उपस्थित, श्री विनोद शंकर अवस्थी, उपस्थित, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, उपस्थित, श्री हरिओम, अनुपस्थित, डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, उपस्थित हैं। उपस्थित मा0 सदस्यों की याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज, तहसील हर्रैया के अन्तर्गत दुबौलिया ब्लाक में महराजगंज-दुबौलिया मार्ग पेंदा घाट से नागवीर गांव तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर के अन्तर्गत ग्राम असन्दरा कोठी मार्ग से टिकारिया चांद सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अर्चना यादव प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा में घाघरा नदी पर बनी एल्गिन ब्रिज चरसडी तटबन्ध को पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण लाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के मेरठ सेंट्रल बैंक कालोनी के रास्ते पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबर रिजवी, निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लॉक रमिया बेहड़ में अभयपुर प्राथमिक विद्यालय से बीरबाबा पुलिया तक खड़न्जे का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के बिरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

छापी नहीं गई।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कासगंज के अन्तर्गत अमांपुर में देवीनगर मार्ग से ग्राम अल्लीपुर तक आबादी भाग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा, ग्राम परेहटा में चन्द्रावल नदी पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरबहादुर व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

[12:37] श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-300 के अन्तर्गत अपनी बात रखने का प्रयास

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के माननीय सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं, यदि वह कार्यवाही के दौरान किसी कारण से अस्वस्थ हो जायें या कोई ऐसी चीज हो जाये तो उससे सदन का कार्य बाधित होगा। इसलिए मैं नियम 300 में आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत करना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-300 आया था तो उस समय आप कहाँ थी ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपकी बनाई हुई नियमावली है इसमें है कि एक मद से दूसरी मद के बीच में यदि यह प्रश्न उठाया जाये, तो आप अनुमति दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाहती हैं बताईये ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप यह बताईये कि आप किस नियम में बोल रही है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैं नियम 300 में बोल रही हूँ।

छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम-300 में कोई सूचना नहीं दी है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैंने सूचना नहीं दी है, लेकिन आप उसे ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। कल आपकी सूचना ले लेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, ठीक है।

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है। कृपया मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैने पहले ही कह दिया है कि इसमें नहीं है। अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें लेता हूँ।

[12:30] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 जुलाई, 2024 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 30 जुलाई, 2024 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

(2) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

(3) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024

(4) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024

(5) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024

2-दिनांक 31 जुलाई, 2024 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024,

(2) उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024,

(3) उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

[12:39] उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024†

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024†

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 21 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024†

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना जनपद लखनऊ के अकबर नगर में मकानों और दुकानों को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री कमाल अख्तर, श्री आर0 के0 वर्मा, श्री रविदास मेहरोत्रा जी की है। दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा अन्य सदस्यों के इसमें नाम हैं। दो सूचनाएं सुनने के लिए स्वीकार की गयी हैं। इन दोनों को एक साथ सुन लें कि अलग-अलग सुन लें।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, अलग-अलग सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अलग-अलग सुनना है। इसमें पहली सूचना जनपद लखनऊ के अकबर नगर की है। छः नाम क्यों आए हैं ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, छः नाम दिये गये हैं जिसको आप चाहें बोलने के लिए कह दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, पूरे लखनऊ शहर में इस समय सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको बेदखल करने का अभियान चल रहा है। उनके वैध मकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है और जो वैध मालिक हैं उनके मकान और दुकानों को भी बुल्डोज करके बलपूर्वक ध्वस्त किया जा रहा है। लोक सभा चुनाव के बाद अकबर नगर बस्ती में एक हजार आठ सौ दस मकान थे और एक सौ दस दुकानें थीं उनको ध्वस्त कर दिया गया। वहां पर बच्चे और महिलाएं चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, रोती रही, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गयी और उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया।

मा0 अध्यक्ष जी, मकानों के साथ-साथ वहाँ पर तीन मस्जिदें और दो मदरसों को भी ध्वस्त कर दिया गया यही नहीं मान्यवर, वहाँ पर 06 बहुत प्राचीन मंदिर थे। जो सरकार मंदिर के नाम पर जनता से वोट मांगती है उसी सरकार ने अकबर नगर में 06 प्राचीन मंदिरों को भी ध्वस्त करने का काम किया और उन लोगों को अकबर नगर से उजाड़कर बसन्तकुंज कालोनी में मकान दिये गये और अब उन लोगों से 04 लाख 80 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। वहाँ उनको न पीने के पानी की व्यवस्था है, न वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और दूर-दूर तक न कोई दुकान है, न कोई स्कूल है। अकबर नगर के अन्दर एक इरम माडल हाई स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल को भी तोड़ दिया गया और वह बच्चे अब वहाँ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से गरीबों को अकबर नगर के अन्दर उजाड़ने का काम किया है, इसकी कहीं और कोई मिसाल नहीं मिलती है। 12000 लोग वहाँ पर रहते थे, 1810 मकान थे। सारे मकानों को तोड़ने के बाद भी उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी और कहा गया कि एक गुजरात की कम्पनी है जो साबरमती रिवर फ्रन्ट बना रही है। कुकरैल नाले को कहा गया कि यह नदी है और यहाँ पर जो साबरमती रिवर फ्रन्ट की कम्पनी है वह यहाँ पर प्लान्ट लगायेगी और प्लान्ट लगाने के नाम पर गुजरात की एक कम्पनी को ठेका देने के लिए 12000 से अधिक लोगों के मकानों को तोड़ने का काम किया गया। अकबर नगर में मकान टूटने के बाद लखनऊ शहर अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर, इन्द्रप्रस्थ, खुर्रमनगर जो कि वैध कालोनियाँ हैं इनके पास मकानों की रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी उन मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की नोटिस लगा दी गयी, लाल निशान लगा दिया गया और फिर उन लोगों ने आन्दोलन शुरू किया। लखनऊ शहर में जो 713 मलिन बस्तियाँ हैं उन सब मलिन बस्तियों को तोड़ने के लिए सरकार ने आदेश कर दिये। उसके बाद बड़े पैमाने पर जन आन्दोलन हुआ। उसके बाद बहुत से लोग मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिये गये। तब मा0 मुख्य मंत्री जी ने उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन उस मकान तोड़ने के आदेश को निरस्त नहीं किया गया। केवल कार्रवाई स्थगित की गयी है। हमारी मांग है

कि जिस आदेश को मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्थगित किया है उस आदेश को निरस्त करने का काम हो क्योंकि वहाँ पर लोगों में बहुत अधिक भय और आक्रोश व्याप्त है।

(इसी मध्य 12 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं)

मान्यवर, इसके बाद लखनऊ शहर में हैदर कैनाल नाला है, हैदर कैनाल नाले के दोनों ओर 06 लाख से अधिक लोग वहाँ पर रहते हैं। उनके पास भी तमाम वैध मकानों की रजिस्ट्री हैं। उसके बाद भी उनको तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है। इस तरीके से पूरे लखनऊ शहर के अन्दर जो गरीब बस्ती है, यह सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग रहते हैं, मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं, जो वैध कालोनियाँ हैं उनको उजाड़ दिया जाये और वहाँ पर किसी बड़े पूंजीपति, किसी बड़े बिल्डर का होटल बन जाये, उसका प्लान्ट लग जाये। इस तरीके से गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है। जिससे पूरे लखनऊ शहर में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे लखनऊ शहर के अन्दर जो मकान तोड़ने की बात हो रही है उसके सम्बन्ध में आपसे दो लाइनें कहनी हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, इन्हें तरस नहीं आती पूरी बस्ती गिराने में। मा0 मुख्य मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश किया कि रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंत नगर, इन्द्रप्रस्थ नगर, खुर्रमनगर में मकानों को जो नोटिस दी गयी थी, लाल निशान लगाये गये थे, उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोकी जाये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन मान्यवर, जहाँ अकबर नगर को तोड़ दिया गया। अकबर नगर के अन्दर जो 12000 लोग उजाड़ दिये गये, जिन लोगों के मकान तोड़ दिये गये।

मान्यवर, जहां पर मन्दिर-मस्जिद को तोड़ दिया गया है और कहा गया था कि वहां पर रिवरफ्रंट बनाया जायेगा लेकिन वह कुकरैल नाला है। कहा गया था कि सड़क से 25 मीटर की दूरी तक बनाया जायेगा लेकिन सड़क से 500 मीटर की दूरी तक लोगों के मकान एवं दुकान तोड़ दिये गये हैं। किसी को मुआवजा भी नहीं दिया गया है और जिनको मकान दिया है उनसे पैसे लिये जा रहे थे।

आज माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और आपने आदेश दिया, उसके बाद हैदर कैनाल नाले की नोटिस जारी हो गयी और उसके बाद लोगों के मकानों पर लाल निशान लगा दिये गये। माननीय मुख्य मंत्री जी को सारी बातों की जानकारी है। आपने स्वयं लखनऊ के अन्दर हो रही कार्रवाहियों को स्थगित किया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस आदेश को निरस्त करने का काम करवा दें क्योंकि लोग भयभीत है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और इस बात के लिए बहुत सारे लोगों में असंतोष है कि किसी भी जिम्मेदारी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर दो घण्टे चर्चा कराई जाए क्योंकि यह लोकमहत्व का अधिक महत्वपूर्ण विषय है। पूरे लखनऊ के अन्दर

हाहाकार मचा हुआ है, जनता में आक्रोश व्याप्त है। जब अकबरनगर के मकान तोड़े गये तब लोग चिल्लाते एवं चीखते रहे। उनको बसन्तकुंज कालोनी में मकान दिये गये हैं लेकिन वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहां पर 16 जुलाई से लेकर अब तक 13 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहां पर लगातार मौतें हो रही है। बसन्तकुंज कालोनी में कोई भी बाउण्ड्रीवॉल नहीं है, वहां पर पानी पीने के लिए जो टंकियां लगी हुई है उन टंकियों में कचड़ा भरा हुआ है लेकिन उन्हीं टंकियों से पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। वहां पर लाईट नहीं आ रही है, वहां पर कोई भी स्कूल नहीं है। इस तरह से लखनऊ शहर के अन्दर मलिन बस्तियों एवं गरीब लोगों को उजाड़ने की कार्रवाहियां हो रही हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि तत्काल सदन रोककर इस मुद्दे पर दो घण्टे की चर्चा कराई जाये और इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय के ऊपर दो घण्टे की चर्चा कराई जाए गरीब, परेशान, बेबस, लाचार, असहाय एवं पीड़ित लोग हैं हम उनको राहत देने का काम कर सकें। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि अकबरनगर के अन्दर लोगों को उजाड़ा गया है उनकी कोई व्यवस्था करने का काम कर दें। वहां पर साढ़े चौबीस एकड़ जमीन थी अगर आपको किसी काम के लिए जमीन लेनी थी तो आप आधी जमीन ले लेते लेकिन पूरी साढ़े चौबीस एकड़ जमीन को जमींदोज कर दिया गया, मन्दिर गिरा दिये गये। हम लोगों की जरूरत थी कि कम-से-कम मन्दिर बच जायेंगे लेकिन मन्दिर भी गिरा दिये गये है। मेरे पास मन्दिर को गिराने की फोटोग्राफ्स है और मैं आपके माध्यम मुख्य मंत्री जी फोटो को देख लें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व का विषय है और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर दो घण्टे की चर्चा कराने की मांग करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कमाल अख्तर-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, माननीय सदस्य रविदास जी ने लखनऊ के प्रकरण को उठाया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अन्दर इसी तरह की कार्रवाहियां चल रही है। सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जनपद मुरादाबाद सबसे ज्यादा फॉरेन रेवन्यू जनरेट करने वाला जनपद है और पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। वहां पर अधिक संख्या में मजदूर रहते हैं। मुरादाबाद में वारसीनगर, नवाबपुरा, लालबाग, चक्कर की मिलख, जामा मस्जिद आदि बस्तियां हैं। उनकी आबादी लगभग 2-3 लाख है। अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया गया है कि आपने जो मकान बना रखे हैं वह सभी अवैध हैं जबकि वहां पर 50-60 साल से लोग रह रहे हैं और उनसे कहा गया कि आपने मकान का नक्शा पास नहीं कराया है। जहां तक सवाल कि कोई भी आदमी वहां पर अपनी प्रॉपर्टी को साबित करता है और कहता है कि यह जमीन या घर मेरा है तो सभी लोग जानते हैं कि उसके पास सबसे पहला सबूत रजिस्ट्री होता है और वहां पर बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं।

दूसरे नम्बर पर, वहां के लोगों के पास हाउस टैक्स की रसीदें हैं जो कि नगर निगम द्वारा काटी गयी हैं। लोगों के पास वहां बिजली के कनेक्शन हैं और विद्युत द्वारा वहां पर विद्युत की व्यवस्था भी की गयी है। कामर्शियल बिजली कनेक्शन है, वहां पर कई आंगनबाड़ी केन्द्र बने हुए हैं, कई स्कूल बने हुए हैं, कई अच्छे मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद वहां पर बनी हुई हैं लेकिन विभाग द्वारा उन्हें नोटिस दे दिया गया है कि इतने दिनों के भीतर इन्हें हटाइए अन्यथा विभाग द्वारा डिमालिश कर दिया जायेगा। मेरा इतना कहना है कि वे सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो वहां पर काफी समय से रह रहे हैं। नगर निगम द्वार सड़कें बनाई गयी, डूडा द्वारा मलिन बस्ती की योजना वहां पर घोषित की गयी और दूसरा वहां पर एक चर्च लैंड है जो ईसाई समाज को सैकड़ों साल पहले दी गयी थी उसको भी नगर निगम द्वारा चिन्हित कर दिया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए। मेरे मा0 मंत्री जी एवं मा0 मुख्य मंत्री जी जो कि स्वयं यहां पर मौजूद हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि आपका और मा0 प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम गरीबों को आवास देंगे और एक तरफ सरकार द्वारा उन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही को रोककर कम-से-कम दो घंटे की चर्चा की जाये और उन गरीब लोगों को बसाने के लिए काम किया जाये और उन बस्तियों को न उजाड़ा जाये, ये मेरा आपसे और सरकार से अनुरोध है।

हाजी नासिर कुरैशी-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदया, मैं मुरादाबाद ग्रामीण-27 से आता हूँ। मेरी विधान सभा की भी यही समस्या है। मुरादाबाद रामगंगा के किनारे एक पुराना शहर बसा हुआ है और रामगंगा के किनारे करीब 50 साल से देहात विधान सभा 27 का 70 प्रतिशत हिस्सा बसा हुआ है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, जो नोटिस दिया गया है वह अकबर नगर का है, एक लाइन नीचे लिख दी गयी कि इसी तरह की कार्यवाही बनारस और मुरादाबाद में भी हो रही है और जो कुरैशी साहब बोल रहे हैं उसकी जो सूचना है उसमें इनके दस्तख्त भी नहीं हैं तो सवाल यह है कि चर्चा तो नहीं रही है। मा0 रविदास मेहरोत्रा और कमाल अख्तर जी की बात तो आ गयी लेकिन मुरादाबाद की सूचना तो मेरे पास है नहीं, एक तरफ की कार्यवाही आएगी और उसका जवाब हम दे नहीं पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 कुरैशी जी, इसे आप पुनः लगा दीजिएगा, आज अकबरनगर की सूचना है। आप कल या फिर किसी और दिन सूचना में दे दीजिएगा।

हाजी नासिर कुरैशी-

महोदया, मुझे एक मिनट बोल लेने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप सिर्फ एक मिनट में अपनी लोकल बात बोल दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि उसका जवाब आ जाये क्योंकि उसकी सूचना नहीं है और आज अकबर नगर का विषय चल रहा है।

हाजी नासिर कुरैशी-

महोदया, वहां पर 50 साल से लोग रह रहे हैं जो नगर निगम, लोक सभा और विधान सभा के वोटर हैं और अभी सिंचाई विभाग से वहां उन्हें नोटिस मिले हैं, वहां प्राचीन काली मंदिर हैं, वहां प्राचीन जामा मस्जिद है जो कि एक मलिन बस्ती वारसी नगर घोषित है। नवाबकुरा, कानीगोयाल, लालबाग और चक्कर की मील आदि में पुराने मकानात हैं जिन्हें नोटिस मिले हैं। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार उनको देख लिया जाये और जांच करा ली जाये कि वे अवैध हैं भी या नहीं अगर वे अवैध नहीं है तो उस कार्यवाही को रोक दिया जाये उसे न उजाड़ा जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो नोटिस नियम-56 का दिया गया है, सामान्यतया आप सहमत होंगी, आप भी पुरानी सदस्या हैं कि नियम-56 में केवल एक घटना का ही जिक्र किया जाए, घटना सुनिश्चित हो और तात्कालिक हो। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने भी पीठ से समय-समय पर इसे इंगित किया है। लेकिन आज जो नोटिसेज आये हैं, उसमें एक ही नोटिस में दसियों घटनाओं का जिक्र है। मान्यवर, मेरे पास लखनऊ के अकबरनगर की जो सूचना है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बाकायदा 359 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए और इसकी स्क्रूटनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है, कहीं कोई जगह बची नहीं है, जहाँ पर वे लोग गए न हों। अतिक्रमण जो लोग करते हैं, वह पहले कोई न कोई वहाँ धार्मिक स्थान बना देते हैं, फिर उसके बहाने से काम चलता रहता है। नतीजा यह हुआ कि जो कुकरैल कभी नदी हुआ करती थी, वह कुकरैल अब नाले में बदल गयी है। मान्यवर, यह अतिक्रमण की वजह से ही हुआ है। आखिरकार ऐसे लोगों को कब तक इस प्रकार से यह करने दिया जायेगा ? योगी जी की सरकार में हर स्तर पर यह कोशिश की गयी कि कानून का शासन रहे और जो किसी प्रकार से नाजायज तरीके से कोई कब्जा करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। मान्यवर, जो लोग वहाँ अवैध निर्माण किए हुए थे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। इसकी स्क्रूटनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश थे, उसका पूरी तरीके से पालन किया गया। जिन लोगों को विस्थापित किया गया, उन लोगों को पूरी तरीके से आबाद कर दिया गया है। ऐसे 2075 लोग हैं, जिन्हें बसन्तकुँज आवास योजना में बाकायदा कब्जा भी दे दिया गया है। जहाँ तक रही बात मन्दिर की, जैसा आपने कहा, तो मन्दिर की मूर्तियाँ पूरे सम्मान के साथ दूसरे मन्दिर में शिफ्ट कर दी गयीं हैं। वहाँ पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, यह बात अभी-अभी हमारे पास नोटिस में आयी है और हर तरह से, जितनी भी बातें आपने कहीं, स्कूल की बात कही तो जो बातें

आपने उठायी हैं, उसका सम्पूर्ण जवाब मान्यवर यह है और इसकी स्क्रूटनी हर जगह हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को वहाँ मकान दिए गए, वह भी इस बात से संतुष्ट हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, जहाँ पर निःशुल्क भी मकान दिए गए। मान्यवर, भीखमपुर से 58 हटाये गए, जिसमें से 32 परिवारों को निःशुल्क मकान भी दिए गए है। सरकार इस मामले में पूरी तरीके से संवेदनशील है और आगे भी कहीं पर भी कोई बात होती है, निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराने चाहते हैं कि किसी के साथ कोई ज्यादती या किसी प्रकार से अवैधानिक कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन मान्यवर, लगातार कहीं किसी ने कब्जा कर लिया, कहीं रोहिंगिया ने कब्जा कर लिया, कहीं बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया, कहीं दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, यह आखिरकार कब तक बर्दाश्त किया जायेगा ? इसलिए मान्यवर, यह पूरी तरीके से कार्यवाही वैधानिक है। जो भी वहाँ किया गया है, पूरे वैध तरीके से किया गया है और पूरे होश हवास में, सोच-समझ कर किया गया है। इसलिए मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसको निरस्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

(श्री रविदास मेहरोत्रा के कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने काफी डिटेल में जवाब दे दिया है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अधिष्ठाता जी, उस कालोनी को बसे हुए 100 वर्ष हो गए थे, 1925 से अकबरनगर बसा हुआ था। दूसरी बात मान्यवर, कुकरैल कभी नदी नहीं रही।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया है, लीगल चीजें भी बता दीं। उस सूचना को अग्राहय कर दिया गया है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

अधिष्ठाता जी, मेरा माननीय मंत्री जी से पूछना है कि बसंतकुँज योजना में जिन 2075 लोगों को मकान दिया गया है क्या उनको निःशुल्क मकान मिलेगा ? उन लोगों से कहा जा रहा है कि 04 लाख 80 हजार रुपये दीजिए, यह बात अधिकारी कह रहे हैं। मंत्री जी, आप घोषणा कर दीजिए कि जिन लोगों को मकान दिया गया है, उन लोगों को निःशुल्क मकान मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

जो आपने पूछा था, माननीय मंत्री जी ने उसका पूरा जवाब दे दिया है और इस सूचना को अग्राहय कर दिया गया है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

जब आपने भीखमपुर के लोगों का मकान उजाड़ दिया था फिर उसके बाद आपने भीखमपुर के लोगों को मकान दिया इसीलिए मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन अकबरनगर के लोगों से वसूली हो रही है और जो पानी कि टंकियां लगी हुई हैं, उन टंकियों पर ढक्कन नहीं है, सारी गंदगी उस टंकी के पानी में भर रही हैं और वही पानी आ रहा है और तेरह लोगों की वहां पर मृत्यु भी हो चुकी है।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अधिष्ठाता महोदया, मा0 सदस्य काफी उम्र दराज हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं और लखनऊ में आपातकाल में जिन लोगों ने आपको जेल भेजा था, आज आप उन्हीं के साथ बैठकर के दावतें उड़ा रहे हैं, अरे कुछ तो सोचिए कि आपने यह क्या नौटंकी मचा रखी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे, लखनऊ में गोमती और कुकरैल नदी का संगम भी था। हमें लगता है कि छात्र नेता के रूप में आपने काम कम और दूसरे ही किसी अन्य कार्य में आप ज्यादा लिप्त रहे होंगे इसीलिए आपने कभी इधर-उधर यह चीजें नहीं देखी। आप अकबरनगर की जो बात कह रहे हैं, अकबर नगर 1984 के बाद से ही बसा है, इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था और यही कारण था कि हाई कोर्ट ने भी और मा0 सुप्रीम कोर्ट में भी यह कहीं टिक नहीं पाया। जिन लोगों ने फर्जी कागजात दिखाकर के रजिस्ट्री की थी उन लोगों को हमने भी रिहैबिटेट किया है, अब अकबरनगर कोई नगर नहीं है अब वह सौमित्र वन हो गया है, लखनऊ को उसकी पहचान बनाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है और लखनऊ को हम एक नाईट सफारी दे रहे हैं, इसी रूट पर आगे कुकरैल में जाकर के, आप लाभ कमाएंगे और पैसा सरकार दे रही है और इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद सरकार को एक बार धन्यवाद तो बोल देते। पंत नगर और इन्द्रप्रस्थ नगर की कार्यवाही को हम लोगों ने स्थगित कराया है और हम ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री कराई है और उसके पास जायज कागजात हैं तो उसको हम वहां पर कंपनसेशन देंगे और नदी को पुर्नजीवित करके, मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको लखनऊ के लोगों ने वोट दिया है, आप अब जाकर के देखिए कि कुकरैल पर नदी थी या नाला था तो आपको आज के दिन पर नदी नजर आएगी, नाला नजर नहीं आएगा और यह चीजें नदी पुनर्जीवित का अभियान जो पूरे देश के अन्दर चल रहा है, हम बोलते तो हैं कि जल ही जीवन है। क्या इनको तबाह करके हम जीवन की कल्पना कर पाएंगे। आप लोगों ने लखनऊ की गोमती नदी को क्या बना दिया, एक तरफ गंगा मां कहते हैं और दूसरी तरफ गोमती नदी को गंदे नाले में बदल दिया है। उस नदी की पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही के लिए किए जा रहे प्रयासों की आपको तो लखनऊ के एक मा0 विधायक के रूप में सरकार की सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन सरकार के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि इन्द्रप्रस्थ नगर और पंतनगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह

लगाएं हैं वह किस नीयत से लगाएं है वह पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है और अगर गलत नीयत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी, लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कुकरैल नदी के पुनर्स्थापन के लिए।

मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है लेकिन एक बात और है कि आप लोग थोड़ा अपने इधर-उधर, अपने अगल-बगल चलने वाले लोगों की भी ताँक-झाँक कर लिया करें तो आप देखेंगे कि ये जितने भी भूमाफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, उसमें से ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद, मा0 मुख्य मंत्री जी।

(तत्पश्चात् सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मेहरोत्रा जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब नियम-56 के अन्तर्गत कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में दूसरी सूचना डॉ0 संग्राम यादव जी की है।

***डॉ0 संग्राम यादव-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें नियम-56 के अन्तर्गत कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज पूरा उत्तर प्रदेश और देश इस बात को जानता है कि जब से उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार कानून का राज, जंगल राज के तौर पर तब्दील हो रहा है। अभी हाल ही की कुछ घटनाओं ने जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। आज जो पूर्वांचल का हाल है, खासतौर से आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत बलिया जनपद के नरही थाने के एस0एच0ओ0, पुलिस अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मिल करके लाइन लगा करके अवैध वसूली कर रहे हैं, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने स्पष्ट है। हमारे नेता मा0 अखिलेश जी ने कहा कि पहले पुलिस और चोर खेल खेलते थे लेकिन आज पुलिस और पुलिस आपस में खेल खेल रही है। जब वहाँ डी0आई0जी0, आजमगढ़ और ए0डी0जी0 जोन ने छापा मारा तो एस0एच0ओ0 दीवार कूद कर भाग गया, अन्य पुलिसकर्मी कई किलोमीटर तक इधर-उधर तितर-बितर हो गए, वे कई किलो मीटर दूर भाग गए और जो बातें संज्ञान में आईं कि इतना रुपया तो कोई कल-कारखाना भी नहीं कमाता होगा, जितना एक थाना कमा रहा है। मान्यवर, यह बात हम नहीं कह रहे, यह आपके अधिकारियों ने खुद कहा कि 15 लाख रुपये से भी ज्यादा की अवैध वसूली अकेले बलिया जनपद के अन्तर्गत नरही थाने से हो रही है। महोदया, खैर उस छापे के बाद इनके इन्स्पेक्टर गिरफ्तार हुए और ऐसी खबर आ रही है कि वे मा0 मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद से गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ जो हेड कान्सटेबिल थे, मैं उनका नाम तो नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लूंगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी गोरखपुर से ही दिखाई गई तो इसमें एक प्रश्न चिन्ह यह भी खड़ा होता है कि जहाँ मा0 मुख्य मंत्री जी हर हफ्ते खुद जाते हों, वहाँ पर इस तरह के लोग आखिर किसके इशारे पर गोरखपुर में शरण लिए हुए हैं ? महोदया, यह सब किसके इशारे पर हो रहा है और ये लोग कानून के राज को इतनी बड़ी चुनौती देने का कैसे काम कर पा रहे हैं ?

महोदया, हम उन बातों का जिक्र आपके सामने नहीं करेंगे कि खुद मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद के दो मा0 विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया है। यहाँ पर सभी मा0 विधायकगण बैठे हैं और सबको पता है कि उनमें से एक मा0 सदस्य, डॉ0 साहब तो आपकी ही पार्टी के सहयोगी हैं, उनके बेटे ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मुझे जान का खतरा है और दूसरे मा0 सदस्य को देश और प्रदेश के सब लोग जानते हैं कि वे इसी सदन में बहुत बड़े नेता रहे हैं। हमें खुशी होती है कि हमारे पूर्वांचल से बड़े-बड़े लोग यहाँ के आसनों पर बैठे हैं और उन्होंने भी कहा कि हमको जान का खतरा है। जनपद प्रतापगढ़ के एक बहुत पुराने नेता ने कहा कि हमने अपने जीवनकाल में इस तरह से थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार नहीं देखा, जिस तरह से आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। मा0 मुख्य मंत्री जी आप हमारे जनपद भी गए थे और हम सबको उम्मीद थी कि हम आपसे मिलेंगे, हमें भी खुशी होती है और हम लोग तो आपके मण्डल के अंग रहे हैं, जब मण्डल का पुराना स्वरूप था।

श्रद्धेय नेता जी अब नहीं हैं मा0 मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने ही आजमगढ़ को मण्डल बनाने का काम किया था, लेकिन महोदय जब आप आजमगढ़ गये। अखबारों में निकला कि मा0 मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र के प्रति आपका अटूट विश्वास है। आप बात सुनना चाहते हैं, लेकिन यह बीच में कौन लोग हैं खबरें तो अखबारों में आईं, लेकिन हम सब इन्तजार में बैठे थे कि हमें सूचना मिलेगी और हम चलकर माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष इस बात का जिक्र करेंगे कि आपके लाख प्रयास के बाद आज थानों पर कंट्रोल नहीं है, तहसीलों पर कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कंट्रोल नहीं है। आप बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज यह बीच में कौन लोग हैं जो आपकी जीरो टॉलरेन्स की नीति की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदया, आजमगढ़ में हम 10 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, 3 हमारे विधान परिषद् सदस्य हैं और दो हाल ही में लोक सभा के निर्वाचित सांसद हैं। अगर देखा जाए तो विधान परिषद् और लोक सभा मिलाकर 15 लोग हैं लेकिन महोदया, हमें मा0 मुख्य मंत्री जी के समक्ष बात रखने का अवसर नहीं मिला। कहीं-न-कहीं मन में एक पीड़ा थी कि किसी न किसी मंच पर हम इस बात को कहेंगे। आज हमें खुशी है कि हमारी बात को सुनने के लिए मुख्य मंत्री जी अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर चर्चा में बैठे हैं।

महोदया, हम यह नहीं कहते कि मुख्य मंत्री जी ने अपने दौरे में अपने लोगों से भी बात की तो सबने एक ही बात कही खासकर लोक सभा चुनाव के बाद जो फीडबैक आपने लिया उसमें यही बात निकल कर आई लगातार तहसीलों के चक्कर पर चक्कर जो दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, जिसके लिए आपने कानून बनाया है कि इतने समय के अन्तर्गत हो

जाना चाहिए लेकिन उस पर भी तहसीलें सुबह कुछ निर्णय, दोपहर में कुछ और निर्णय और दिन डूबने के बाद कुछ और निर्णय दे देती हैं। यही हालत आपके थानादिवस की भी हो गई है और अस्पताल तो पता नहीं किसकी भेंट चढ़ गये हैं, बहुत छापेमारी होती थी। अच्छा किया आपने छापेमारी को रोक दिया, बहुत अच्छा काम किया। छापेमारी के बाद न जाने क्या होता तो विशेषकर आज उत्तर प्रदेश के एक नरही थाने का उदाहरण है जो कहीं न कहीं इसी तरह की कमोवेश स्थिति आपके चन्दौली के अन्दर गौ-तस्करों की है। आज लखनऊ के प्रतिष्ठित अखबार चूँकि लोग कहते हैं कि सदन में अखबारों का संज्ञान में नहीं लिया जाता, संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आज अखबारों को पलटा जाए तो उसका हर पेज कानून व्यवस्था के राज को चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मान्यवर, हाथरस में क्या हुआ केवल एस0डी0एम0 पर कार्रवाई कर देने से, कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर देने से 127 लोगों की जो जान चली गई क्या इतने से ही उसकी भरपाई हो पायेगी। आखिर यह कौन लोग हैं। सूचना देने के बावजूद कैसे इतने लोग इकट्ठा हो गये और यदि इकट्ठा हो भी गये तो क्या वहां एम्बुलेंस का इन्तजाम था, क्या वहां पीने के पानी का इन्तजाम था, क्या वहाँ रोशनी का इन्तजाम था ? लेकिन कोई इन्तजाम नहीं कोई भी बात संज्ञान में नहीं लिया गया और आपने जनता को जनता के हवाले ही छोड़ दिया, जिसके कारण 127 लोगों की जान गई, उसका हमें दुःख है। हम अपने नेता मा0 अखिलेश जी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने 127 लोगों को पार्टी फण्ड से 1-1 लाख रुपये की मदद करने की व्यवस्था की। मान्यवर, लोक सभा चुनाव की घोषणा के पूर्व 10 फरवरी की आप कार्यवाही निकलवा लें। मैंने इसी सदन के अन्दर कहा था आप लाख प्रयास कर लें, आप लाख दल भी तोड़ लें, लेकिन जनता का दिल आपसे टूट चुका है और उत्तर प्रदेश एक परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है।

मान्यवर, अगर मैं गलत कहूँगा तो सदन अभी दो-तीन दिन और बैठेगा, लेकिन यहाँ इतने लोग हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी आप तो स्नेह दे देते हैं, बात सुन लेते हैं, वह उठेंगे, ऐसी-ऐसी बातें रखेंगे और प्रभु राम की मर्यादा की हमें दुहाई देंगे। मैं तो उनकी मर्यादा को मानने वाला हूँ। डा0 लोहिया ने सबसे पहले रामायण मेले की शुरुआत ही चित्रकूट से की और मान्यवर, मैं भी जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा, बार-बार इस बात का जिक्र इस हाउस के अन्दर कई बार किया है। संगम का तट है, पढ़ा मैंने गंगा-जमुना है, आप बहुत बड़े कुम्भ के मेले का आयोजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश...

(सदन में टोका-टाकी करने पर)

डा0 संग्राम यादव-

अब देखिए वहीं, उनको पीड़ा है, आपको कुछ नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप आधे मिनट में फिनिश कर लीजिए, 4 लोग और बोल लें।

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी ग्राह्यता पर ही बल दे रहा हूँ। आज जिस तरह से पुलिस की भर्ती पर प्रशासन ने अगर सचेत होकर कार्रवाई की होती, क्योंकि साधारण केसों पर तो बुल्डोजर चल जाता है, लेकिन यह नकल माफिया, अपराधी कितने हैं कि आपको अध्यादेश लाना पड़ रहा है। आपके पेपर को आउट करा दे रहे हैं, आपके रहते 50 लाख लोग पुलिस की परीक्षा में गये और मायूस होकर वापस आ गये। बहन-बेटियों के साथ बर्ताव कैसा हो रहा है ? जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून के राज को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, आप कह देते हैं कि आपकी पार्टी के लोग हैं, अरे! आपके एक एम0पी0 को तो पूरे देश और दुनिया ने देखा। जंतर-मंतर पर धरना चला, एक जन पर कार्रवाई हुई और एक जन जिनका नाम लेकर आप हमसे जोड़ते थे, आज-कल वह आपकी सहयोगी बन बैठी हैं, सहयोगी बन बैठी है, अमेठी की हैं और हमने न जाने कितनी बार उनका नाम आपके मुँह से जिक्र करते हुए सुना है। इसलिए अधिष्ठाता महोदया, आज कानून व्यवस्था पर हम ही नहीं प्रश्न उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था तार-तार हो गयी है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद, प्लीज आप रिपीट कर रहे हैं, मा0 प्रभु नारायण सिंह जी।

डा0 संग्राम यादव-

पुलिस के संरक्षण में अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश के अन्दर अपना पाँव पसार रहा है। महोदया, ऐसे गम्भीर विषय पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर दो घण्टे की चर्चा मंजूर कर लें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 प्रभु नारायण सिंह जी, पांच मिनट ही में आप बोलियेगा प्लीज, रिपीट मत करियेगा।

***श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे कानून व्यवस्था जैसे गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबसे आयी है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जंगल राज कायम है। महिलाएं, बच्चियों, छात्राओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। अराजक तत्व इतने निरंकुश हो गये हैं कि पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पूरी तरह से निष्क्रिय हो गयी है या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अभी हमारे साथी पूर्व वक्ता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 संग्राम जी ने आपको बलिया जैसी घटना बतायी कि संगठित रूप से किस तरह भ्रष्टाचार में पूरा थाना, पूरा पुलिस प्रशासन, प्रशासन लिप्त था। पुलिस विभाग के ही सम्बन्धित अधिकारियों ने, जब आई0जी0 जोन ने उसकी जांच की तो यह खुद उनका बयान है कि कम से कम 15 लाख रुपये रोज का भ्रष्टाचार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ट्रकों के द्वारा वसूली की जा रही है। मैं जनपद चन्दौली से आता हूँ। यह जनपद चन्दौली 3 प्रदेशों का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। जहां बड़े पैमाने पर पशु तस्करी, गांजा तस्करी, शराब तस्करी का कारोबार फल-फूल रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में जहां पशु तस्करी पर रोक है, वहीं बिहार में शराब पर बन्दी लगायी गयी है। चन्दौली से बड़ी मात्रा में शराब पुलिस की मिली-भगत, अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली-भगत से पेशेवर लोग रोजाना ले जाकर बॉर्डर पार शराब की बिकी बड़े पैमाने पर करते हैं। पुलिस दिखावे के लिए महीने में एक बार, दो बार, कभी छोटी गाड़ियों को, कभी बड़ी गाड़ियों को पकड़ कर मुकदमा तो लिख देती है। अभी 03 दिन पहले चकिया थाने में बिहार के लोग पकड़े गये, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल थे। 40 से 50 किलो अवैध रूप से गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 15 से 30 लाख रुपया बताई जा रही है। जनपद चन्दौली में चाहे मुगलसराय थाना हो, अलीनगर थाना हो या सैयदराजा थाना हो, हम लोगों ने कई बार वहां के अधिकारियों से कहा कि आप दिखावे के लिए कभी-कभी चालान कर देते हैं, माल बरामद कर लेते हैं, क्या कारण है ? ऐसे कौन-से लोग इसमें लिप्त पाये गये हैं कि आप शराब बन्दी, शराब तस्करी, गांजा तस्करी और पशुओं की तस्करी को रोकने का काम नहीं कर पा रहे हैं। जहां घटनाएं हो रही हैं वहां का पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से इसमें कहीं-न-कहीं संलिप्त है। अभी 26 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गयी, जिसके लिए हम लोगों को धरना देना पड़ा। अभी दलीय नगर थाने में भगोली चौकी है जहां एक चौहान परिवार की बेटी के साथ बलात्कार, छेड़खानी की घटना होती है। कविता चौहान को 02 दिन तक पुलिस घुमाती रही, बुलाकर पंचायत करती रही। जब परिवार के लोगों ने पुलिस कप्तान के पास जाकर एप्लीकेशन दिया तो किसी तरह से उनका एफ0आई0आर0 दर्ज करने का काम किया गया। राजा राम सोनकर जो नगर पालिका परिषद् का प्रत्याशी भी रहा है उसकी बहन के साथ ससुराल के लोगों ने अत्याचार किया था। जब वह महिला थाने जाती है तो उसको डांटकर भगा देने का काम होता है।

एक दिन की घटना है एक विकास कार्य हमारे विधायक निधि से हो रहा था जिसकी पैमाइश भी हो गयी थी, पुलिस प्रशासन ने जान-बूझकर उसको 05 बार रुकवाया। जब हमने 12 बजे दिन से लेकर 11 बजे रात तक दरोगा से बात करना चाहा तो दरोगा ने फोन उठाने का काम नहीं किया। पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मजाक बना करके रख दिया गया है। चाहे पशु तस्कर हो, शराब तस्कर हो या गांजा के तस्कर हो, हम आपके माध्यम से तस्करी में लिप्त ऐसे लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई करने की मांग करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, हम यह चाहते हैं कि चन्दौली जनपद में विशेष रूप से एक टीम बना करके जांच करा करके आप कहीं न कहीं से इन तस्करों का भण्डा-फोड़ करने का काम करें, बहुत बड़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी है। लाखों रुपये रोज वहां भ्रष्टाचार के नाम पर, तस्करी के नाम

पर वसूला जाता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ। साथ ही साथ फरन्दा थाना में ढाई साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ। यह 28-07-2024 को घटना हुई, आज तक पीड़ित परिवार परेशान है। पुलिस विभाग कोई सुनवाई करने का काम नहीं कर रहा है। तमाम घटनाओं का यहां जिक्र करते हुए, चाहे जन-प्रतिनिधि हो, एम0पी0 हो या एम0एल0ए0 हो अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सदन से भी मांग करता हूं कि अधिकारी फोन उठाकर सुनने का काम करे। इसके लिए सदन के माध्यम से कई बार प्रोटोकाल भी जारी हुआ। वहां जा करके हमको इस बात के लिए धरना देना पड़ता है, जा करके घुड़की लगाने का काम करना पड़ता है। अधिकारी फोन उठाने का काम नहीं करते हैं। अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम करें। चन्दौली जनपद में शराब तस्करी, पशु तस्करी, गांजा तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करें, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त कर दीजिये। आप रिपीट न करिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

गाजीपुर, बिहार से सटा जिला है जहां पर बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। उसको रोकने का उपाय करें। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

***श्री प्रदीप कुमार यादव-**

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है और सबको पता है कि पूरे प्रदेश में पुलिस लूटने का काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्ति रखिये। प्लीज, आपस में न बाते करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव-

औरेया जनपद में थाना-अछल्दा में परसों की घटना है कि गौतला गांव में दो बच्चों में विवाद हो गया। उनमें ईंट, पत्थर चल गये और ईंट पत्थर चलने के बाद जब लोग घायल हो गये तब एस0ओ0 ने मुझे टेलीफोन किया कि आप दो लोगों को भिजवा दो तो कम-से-कम ये मामला शान्त हो जायेगा। मैंने वहां के पूर्व प्रधान को टेलीफोन किया। हम लखनऊ में मौजूद थे, माननीय मुख्य मंत्री जी, जब पूर्व प्रधान उन दोनों लोगों को लेकर आ रहा था तो रास्ते में एस0ओ0 ने प्रधान से उन दोनों को लेकर बम्बा पर ले जाकर उनकी टांग में गोली मारने का काम किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पुलिस निरंकुश हो गई है, जनप्रतिनिधि को भी साथ में घसीट लिया जाता है। हम यह चाहते हैं कि कम से कम इतनी कानून-व्यवस्था रहे, जनप्रतिनिधि एक हद तक कोशिश करता है। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम अकेले नहीं हैं। सत्तापक्ष के लोग भी अगर टेलीफोन करते हैं तो ये पुलिस के अधिकारी बिना रुपया लिये उसे नहीं छोड़ते हैं। मौजूदा एस0ओ0 को आये हुए अभी चन्द दिन ही हुए हैं। जब वह लम्बी रिश्वत माँगता है, गरीब आदमी से 50 हजार रुपये माँगता है। जब लोग उससे कहते हैं कि साहब, 50 हजार कहाँ से देंगे तो उसका जवाब रहता है कि यह अकेले मेरे पास नहीं रहता है, ये रुपया ऊपर तक जाता है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे जो निरंकुश पुलिस कर्मी हैं, उन पुलिस कर्मियों पर कंट्रोल किया जाये। माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहते हैं। कल पूरा सदन मौजूद था। आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपके उप मुख्य मंत्री जी ने डॉ0 रागिनी जी के लिए अपशब्द कहा। जब आप इतना सम्मान करते हैं तो अपने उप मुख्य मंत्रियों पर इतना कंट्रोल करें कि सदन में माफी माँगें और डॉ0 रागिनी जी से अगर वह माफी न माँगें, आप मुझे आदेशित करें, हम डॉ0 रागिनी जी से माफी माँगने का काम करेंगे। हम आपसे यह भी कहते हैं कि 1998 में हम और आप सांसद हुए थे। आपकी बहुत पुरानी राजनीति है, लेकिन इन लोगों की तो क्षणिक राजनीति है, परिस्थितिवश उप मुख्य मंत्री हो गये। ये कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन आपको गच्चा नहीं दे पायेंगे। हम लोग यह भली-भाँति जानते हैं। इसलिए आप इन पर नकेल कसें। ये इतने घमण्ड में बात करते हैं, एक महिला सदस्य के साथ अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम इन पर कंट्रोल किया जाये। माननीय अधिष्ठाता जी के माध्यम से हम आपसे इतना ही अनुरोध करते हैं कि महिलाओं का सम्मान जरूर किया जाये। हम ज्यादा नहीं कहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रदीप जी, धन्यवाद। अब माननीय संग्राम सिंह जी बोलें।

श्री प्रदीप कुमार यादव-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर कंट्रोल किया जाये। मान्यवर, सबसे कम तो हम ही बोलते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी कितने लोग बोलेंगे ? सामान्यतः नियम-56 में केवल एक घटना होती है। जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं, इनको यह सोचना चाहिए कि जब नियम की अपने लिए बात करते हैं तो कम से कम नियम के आधार पर बोलिए। नोटिस एक है। मान्यवर, हमेशा दो सूचना सुनी जाती है।

श्री संग्राम सिंह-

मान्यवर, मेरे विधान सभा की घटना है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप एक मिनट में बोल लीजिए।

श्री संग्राम सिंह-

मान्यवर, धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। बलिया जनपद का 50 परसेण्ट से ज्यादा हिस्सा बिहार से सटा हुआ है। मेरी विधान सभा क्षेत्र का एक नरही थाना है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने 6 फरवरी, 2024 को इसी सदन में कहा था। मैंने इसके पहले अधिकारियों से भी मिलकर कहा था, एस0पी0 और सबसे कहता था कि हमारे नरही थाने से बहुत बड़ी तस्करी हो रही है। शराब की तस्करी हो रही है, गौ-तस्करी हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी, वहाँ पर यह रेट लगा हुआ था कि मवेशी 35 हजार रुपये प्रति ट्रक, अनाज की तस्करी के लिए 1 हजार रुपये प्रति ट्रक, लाल बालू जो बिहार से आता था, उससे 500 रुपये प्रति ट्रक, कोयला जो आता था, वह 800 रुपये प्रति ट्रक, लोहे पर 500 रुपये प्रति ट्रक, यहाँ तक की भूसा पर भी 50 रुपये ये पुलिस वाले ले लेते थे। शराब पर तो सप्लाई के हिसाब से रेट है। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह केवल मेरे एक थाने का मामला है, आप बहुत तरीके से यह जानते हैं। माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, मैंने इसको सदन में उठाया था, कार्यवाही निकाल करके देख लीजिएगा। लेकिन 6 फरवरी के बाद 5 महीने बीत जाने के बाद यह कार्यवाही हुई, जब डी0आई0जी0 साहब आये, ए0डी0जी0 साहब थाने पर गये तो उन्होंने 24/25 की रात में छापा मारा था तो डी0आई0जी0 साहब का बयान था और उन्होंने थाने के अन्दर पत्रकारों के सामने कहा कि हमारे सिपाही जो पकड़े गये उन्होंने बयान दिया है कि मैं 500 रुपया प्रति ट्रक लेता था। वहां रात भर में 1000 ट्रकें पार होती थीं। मैंने कहा था कि जब 1000 ट्रक एक साथ पुल में रुकती थी तो लगता था यह पुल मेरा टूट जायेगा। हमारा पूरा इलाका जाम में फंस जाता था। कितने लोगों की जान चली जाती थी, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे, कितने लोगों की ट्रेन छूट जाती थी। एक तो दूल्हा शाम को चला था वह सुबह 5 बजे पहुंचा, उसकी शादी नहीं हो पाई।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप अपनी बात शार्ट में बता दें।

श्री संग्राम सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं शार्ट में ही आ रहा हूं। बलिया जनपद का गौरवशाली इतिहास रहा है। बलिया जनपद में सन् 1857 की क्रान्ति में मंगल पाण्डेय जी ने योगदान दिया था। सन् 1942 में चित्तू पाण्डेय जी के नेतृत्व में बलिया जनपद को आजाद कर लिया गया था लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें 15 छात्र घायल हो गये, उसमें एक छात्र यश प्रताप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। विशाल प्रताप सिंह बी0एच0यू0 रेफर हुआ लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई। एक की मृत्यु बलिया अस्पताल में दवा कराते समय हो गई। हम बार-बार सुनते हैं कि मेडिकल कालेज बनने वाला है। हम लोग बनारस जाते हैं, बनारत जाते समय 90 प्रतिशत हमारे मरीज मर जाते हैं। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि हमारे बलिया जनपद में एक मेडिकल कालेज बनना चाहिये। जब बलिया जनपद ने इतनी

कुर्बानियां दी हैं तो वहां पर एक मेडिकल कालेज बनाया जाना चाहिये। हमारे अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त करें। आप अस्पताल का मामला अलग से बोल रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान के मध्य)

यह विषय अलग है। आप इसे अलग से दे दीजिये। 2 की जगह 4 लोग बोल चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमने एक जगह पढ़ा था, जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

बाकी सब लोग बैठ जायें। मा0 सदस्य आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यक्तिगत प्रकरण उठाने का प्रयास

***श्रीमती विजमा यादव-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती हूँ। हमारे पति की सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुयी। पहली बार प्रयागराज में ए0के0 47 हमारे पति के ऊपर चली। हमारे पति विधायक थे उनके साथ और तीन लोगों की हत्या हुयी और दो लोग घायल हुए। मैं इधर-उधर घूमती रही मुझे 18 साल बाद न्याय मिला। मैंने उन मुल्जिमों को जेल के अन्दर कराया। जेल के अन्दर करते ही इस सरकार ने, इसी बीच मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गयी फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, यह मुकदमा वापस नहीं हुआ। फिर 8-10 साल जेल काटते हुये उन्हें आजीवन सजा हुई। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिहाड़े ए0के0 47 चलाने वाले उदयभान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरज भान करवरिया, इनकी बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नामजद मुकदमा होने के बाद उनको बरी किया जा रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मेरे पति के ऊपर दिन दहाड़े ए0के0 47 चलाया गया और सरकार द्वारा उनको बरी किया जा रहा है, कल हमारी भी हत्या हो सकती है, हमारे परिवार की भी हत्या हो सकती है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं एक बात और कहूंगी कि इतने बड़े माफिया को, प्रयागराज में ए0के0 47 चलाने वालों को बरी किया जा रहा है तो तमाम ऐसे लोग जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोटे-छोटे मुकदमों में जेल काट रहे हैं उनको भी बरी किया जाय। यह किसी से छिपा नहीं है, सारे सदन के लोग बैठे हैं, उदयभान करवरिया, कपिल करवरिया और सूरजभान करवरिया बरी किये गये हैं तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूं, हमारी सुरक्षा आपके हाथ में है। हमें मुख्य मंत्री जी आपसे उम्मीद है, हमें न्याय मिलना चाहिए, जब आप महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं तो हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें भी न्याय मिलना चाहिए, यह मैं आपसे कह रही हूँ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कह रहा था कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। समाजवादी पार्टी के बारे में मैं नहीं, केवल प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि इन्होंने सत्ता इसलिए खोई कि इन्होंने अपराधियों का संरक्षण किया। पिछली सरकार में और हमारी सरकार में केवल एक ही फर्क है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी के साथ खड़े होते थे और माननीय योगी जी कभी अपराधी के साथ खड़े नहीं हुए। पब्लिक परसेप्शन किसी एक घटना के आधार पर नहीं बनता, पब्लिक परसेप्शन लगातार कार्यों के आधार पर बनता है।

(सदस्या श्रीमती विजमा यादव के खड़े होने पर और अन्य सदस्यों के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने सुना है, हम जवाब देंगे। जब आप लोग बोल रहे थे तो हमने सभी को सुना है, अब आप लोग सुनिये। आप लोग राजू पाल की हत्या भूल गये, उधर के बोलने वाले जरा एक जवाब दीजिये, तीन किलोमीटर तक लाश को गोलियां मारी गई थीं। उनको बचाया किसने था, राजू पाल के हत्यारों को किसने बचाया, कृष्णानन्द राय को 27 गोलियां लगीं, दूसरी सांस नहीं आयी, अपराधियों को किसने बचाया, उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब भेज दो, किसने बचाया। मैंने इसीलिए कहा कि आइना जब भी उठाया करो तो पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। मान्यवर, समाजवादी पार्टी का पूरा रिकार्ड अपराधियों के शरण देने से भरा पड़ा है। एक घटना नहीं है हम पूरी घटनाएं लाये हैं, 2012 से 2017 तक जितने भी अपराध हुए सारी सूचनाएं हैं, लेकिन हम सदन का ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। इस सरकार में अगर मा0 योगी जी ने जीरो टॉलरेंस कहा है तो शुरू से आखिरी तक देख लें, पब्लिक परसेप्शन भी यही बना है और आज दूसरे प्रान्तों के लोग यह उम्मीद करते हैं कि योगी जैसा मुख्य मंत्री हमारा हो। आस्ट्रेलिया तक के सांसद ने यहां मांग की कि योगी जी अगर हमारे यहां होते तो हमारी भी स्थिति बेहतर हो जाती। यह पब्लिक परसेप्शन एक दिन में या एक घटना से नहीं बनता, बल्कि पब्लिक परसेप्शन तब बनता है जब हम लगातार अपने आपको प्रदर्शित करते हैं। जितनी-जितनी घटनाएं हुईं, उसका जवाब भी दिया गया और उसका उनको खामियाजा भी

भुगतना पड़ा। अगर आपके प्रश्न पर यहां कह दिया गया था कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया और फिर से सुन लीजिये जो भी अपराध करेगा वह सजा जरूर पायेगा। जो भी अपराध करेगा उसको उसी के अनुपात में सजा मिलेगी। आपने बलिया की घटना उठायी, कार्रवाई भी पढ़ लेते, यह कार्रवाई करायी किसने, हमारे आईपीएस ऑफीसर ने पकड़ा, कोई बाहर के लोग नहीं पकड़ने गये, हमारे आईपीएस ऑफीसर ने पकड़ा, यह जाल किसने बुना, अगर शिकायत हुई तो पकड़वाया भी हम लोगों ने ही। हाथरस की घटना में लोग जेल नहीं गये, 11 लोग जेल जा चुके हैं, 32 लोग आइडेन्टीफाई हुए, 6 लोगों को सस्पेंड किया गया और बाकी क्या समझते हैं कि वह बचेंगे और वह कोई ऑर्गनाइज क्राइम नहीं था, वह एक हादसा था। एक ऐसा हादसा कि भगवान करे कि ऐसी स्थिति न आए, लेकिन जो भी उसके लिए दोषी होगा उसको भी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी।

यह मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे सदन व पूरे प्रदेश से कहना चाहता हूँ। आपने बलिया की घटना बताई, आपने चन्दौली की घटना बताई, आप एक बार कार्यवाही भी देख लेते, कम से कम यह तो बताइए कि हम किसके साथ खड़े हैं। हम अपराधियों के साथ खड़े या उनको बचाने के लिए खड़े हैं या फिर उनको सजा दिलाने के लिए खड़े हैं। यह मंशा जरूर साफ होनी चाहिए और आज प्रदेश के गांव के किसी छोटे से छोटे व्यक्ति मंगरे और बुद्धा, नोखे, नन्कू से पूछो कि आज योगी जी सरकार में कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक आम आदमी कैसा महसूस करता है, एक कॉमन मैन कैसा महसूस करता है, कॉमन मैन यह महसूस करता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित स्तर इस सरकार में है। वर्षों से परम्पराएं जो चली आ रही हैं वह कुछ ऐसी परम्पराएं हैं जिन्होंने समाज को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा मदद की। वह कहीं न कहीं अभी भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं, वह मानसिकता कहीं न कहीं छोड़ती हैं और उसकी वजह से हमें भी सुनना पड़ता है। लेकिन यह सुन लीजिए कि अगर हमने जीरो टॉलरेंस की बात कही है तो अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस ही है और हर तरह से उनको सजा दिलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब सजा की बात सुन लीजिए, अभी जो लॉ एण्ड आर्डर की बात कही, लॉ एण्ड ऑर्डर आप किसी तरह से तो नापेंगे, आप इण्डिया का ग्राफ देख लो और उत्तर प्रदेश का ग्राफ देख लो। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और पहले के आँकड़े हम बता चुके हैं, वर्ष 2016 में आपकी क्या स्थिति थी ? डकैती की 133 घटनाएं, वर्ष 2023 में 27 घटनाएं और वर्ष 2024 में डकैती की 18 घटनाएं। यह वर्ष 2024 में 86.47 प्रतिशत की कमी है डकैती में वर्ष 2016 के मुकाबले में। लूट की घटनाओं में 78.17 प्रतिशत की कमी है, हत्या की घटनाओं में 43.21 प्रतिशत की कमी है वर्ष 2016 के मुकाबले में, बलवे में 67.42 प्रतिशत की कमी है वर्ष 2016 के मुकाबले में, गृह भेदन में 4.31 की कमी है। इसी तरह से फिरौती में 70 प्रतिशत की कमी है, दहेज हत्या में 17.43 प्रतिशत की कमी है और बलात्कार में 1838 घटनाएं वर्ष 2016 में घटीं और 1373 घटनाएं हमारी सरकार में घटीं। इसमें 25.30 प्रतिशत की कमी है। जहां तक आप इण्डिया का ग्राफ भी देख लो, इण्डिया का ग्राफ भी हम लेकर आए हैं कि इण्डिया में हमारा क्या नम्बर है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें हमारा वर्ष 2022 में 171.6 प्रतिशत था, जो आई0पी0सी0 के अपराध हैं और

इण्डिया का 258.1 प्रतिशत है और हमसे चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो हम 20वें स्थान पर हैं, हमसे 19 स्टेट अपराध में ज्यादा हैं। क्या केरल छोटा राज्य है अपराध के मामले में 661 प्रतिशत है और हमारा उत्तर प्रदेश का 171.6 प्रतिशत है। तेलंगाना का प्रतिशत है 400, तमिलनाडु का प्रतिशत है 297.5 है, आज की तारीख में यह स्थिति है। इण्डिया का भी जैसा मैं बता चुका हूं कि 258.1 और 171.6 प्रतिशत यह इण्डिया के रिकॉर्ड के हिसाब से है। उत्तर प्रदेश में जबसे योगी जी की सरकार आई है, तबसे आंकड़ों में भी कमी आयी है और सजा में तो रिकॉर्ड कायम हुआ है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कनविक्शन के बारे में बताया था कि कितने लोगों को किस-किस मामले में कितनी सजा हुई। इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जितनी भी बातें आपने यहां पर कही हैं, अगर आप स्वयं उस बात का आंकलन कर लेते कि अपराध तो हुआ, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने कार्रवाई की या अपराधियों के साथ खड़े हो गए।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसी मामले में आपको नहीं मिलेगा कि हम अपराधियों के साथ खड़े हो गये। सरकार ने हर स्तर पर कार्यवाही की है और आगे कहीं भी कोई चूक नहीं होगी। अभी मा0 सदस्य प्रभु नारायण जी जनपद चन्दौली की बात कर रहे थे। आप चन्दौली की बात सुन लीजिये। गौ तस्करी के अन्तर्गत वर्ष 2023 में कुल 187 अभियोग पंजीकृत हुए, 379 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 2600 पशु व 153 वाहन बरामद किये गये तथा 242 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर, धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 08 अभियुक्तों की 2921500 रु0 की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया, 12 को गुण्डा एक्ट, 17 को हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही की गई। शराब तस्करी के अन्तर्गत वर्ष 2023 में 284 अभियोग पंजीकृत हुए, 333 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 41660 ली0 शराब व 64 वाहन बरामद किये गये, 34 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 06 अभियुक्तों की 482559 रुपये की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया। 07 को गुण्डा एक्ट व 2 की हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही की गई। मादक पदार्थ के अन्तर्गत वर्ष 2023 में कुल 76 अभियोग पंजीकृत हुए, 123 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा गांजा 675 किग्रा0, हिरोइन 1.296 किग्रा0 बरामद की गई, जिसमें 02 गुण्डा एक्ट, 29 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गई। गो तस्करी के अन्तर्गत वर्ष 2024 में कुल 63 अभियोग पंजीकृत हुए, 107 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 859 पशु व 55 वाहन बरामद किये गये तथा 141 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर तथा धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों की 845000 रुपये की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया, 14 को गुण्डा एक्ट, 01 की हिस्ट्रीशीट खोली गई। शराब तस्करी के अन्तर्गत वर्ष 2024 में 163 अभियोग पंजीकृत हुए, 194 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 17532 ली0 शराब बरामद हुई, 12 वाहन बरामद किये गये, 18 अभियुक्तों के विरुद्ध 12071101 रुपये की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया है।

मादाक पदार्थ के अन्तर्गत वर्ष 2024 में कुल 46 अभियोग पंजीकृत हुए, 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार गिया गया तथा गांजा 1549 किग्रा0, हिरोइन 303 ग्राम बरामद की गई, जिसमें 03 गुण्डा एक्ट, 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

अभी औरैया की बात आयी है। मैं वह रिपोर्ट पढ़ दे रहा हूं जो अभी-अभी आयी है। अभियुक्तगण बल्ले उर्फ विवेक पुत्र दिनेश कुमार, रितिक उर्फ ऋतिका पुत्र डेनी उर्फ लला उर्फ सत्येन्द्र यादव एक काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल पर आये, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गये और उक्त अभियुक्तों को आत्समर्पण हेतु कहा गया परन्तु नहीं माने व मजबूरी में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायरिंग की जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी तथा दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जिनके कब्जे में एक-एक अवैध तमंचा, एक-एक खोखा कारतूस व एक-एक जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0 173 सं0अ0/109धारा 24/एस0एन0बी0 352 (पुलिस मुठभेड़) बनाम विवेक उर्फ बल्ले यादव पुत्र दिनेश डैनी, निवासी गौतला थाना अछल्दा जिला औरैया, रितिक उर्फ ऋतिका पुत्र सत्येन्द्र उर्फ डैनी यादव, निवासी गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया .....

(विपक्ष के सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री ओम प्रकाश, श्री अतुल प्रधान द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यगण कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब आप लोग सुनिये तो, वह कौन सुनेगा ? अब आप लोग बलिया के बारे में सुन लीजिये। मान्यवर, मैं बलिया के बारे में बताना चाहता हूं कि सम्पूर्ण कार्यवाही की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निम्न कार्यवाही की गई। थानाध्यक्ष नरही, उ0नि0 पन्नेलाल, चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह उ0नि0 राजेश कुमार प्रभाकर सहित कुल सात पुलिस कर्मी एवं सोलह दलालों व एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध थाना नरही बलिया पर मु0अ0सं0-211/2024, धारा-111, 309(4), 310(2), 61(2), 318 बी0एन0एस0 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ....

(सदस्य श्री ओम प्रकाश द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री ओम प्रकाश जी आप पहले सुन लीजिये, मा0 मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अभी इसके बाद आपकी सुन लेंगे। पहले इसकी सजा बता दें फिर आपकी सुन लेंगे। 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना श्री शुभम अग्रवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, आजमगढ़ द्वारा प्रचालित है। उपरोक्त मुकदमें में तीन पुलिस कर्मी थानाध्यक्ष पन्नेलाल, आरक्षी हरदयाल सिंह, थाना नरही आरक्षी सतीश गुप्ता चौकी कोरण्टाडीह एवं सोलह दलाल गिरफ्तार किये गये। प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर थानाध्यक्ष नरही चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह सम्पूर्ण कोरण्टाडीह चौकी के पुलिसकर्मी

एस0आई0-1, हेड कान्सटेबल-2, कान्सटेबल-5 एवं थाना नरही के सब इंस्पेक्टर-1, रात्रिधिकारी हेड कान्सटेबल-1, कान्सटेबल-5 कान्सटेबल चालक-01 निलम्बित किये गये। थाना प्रभारी नरही चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह एवं संलिप्त आरक्षियों के आवासों को सील कर दिया गया। ताकि विवेचना के क्रम में अहम सर्च एवं सीजर में वसूली के धन से सम्बन्धित कैश की भी जांच की जा सके। श्री शुभ, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर, जनपद बलिया को प्रकरण से निलम्बित किया गया है। इस प्रकरण में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। दिनांक 28-07-2024 को अभियुक्त तत्कालीन थानाध्यक्ष पन्नेलाल को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 29-07-2024 को अभियुक्त मुख्य आरक्षी विष्णु यादव गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण क्रमशः उ0नि0 राजेश कुमार प्रभाकर तत्कालीन चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह, कॉन्स्टेबल दीपक मिश्रा, व कॉन्स्टेबल बलराम सिंह, व अशोक प्राइवेट फालवर की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अभियोग की विवेचना प्रचिलित है। कोई भी जितने भी अपराध यहां पर बताए गये, उन सब में प्रभावी कार्यवाही हुई, एग्जेम्प्लरी कार्यवाही हुई, और एग्जेम्प्लरी कार्यवाही और सजा के बारे में यह पहले ही आ चुका है इसलिए जो कुछ भी इन्होंने कहा है वह नियम-56 में नहीं आता है। इसलिए इसको अग्राहय किया जाए। यह सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति जो 2017 में शुरू की गई थी आज भी उसी शिद्दत के साथ वह कायम है। किसी भी हालत में योगी सरकार किसी भी अपराधी को छोड़ने के पक्ष में नहीं है और किसी हालत में छोड़ेगी भी नहीं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी ने पूर्ण रूप से जवाब दिया। नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, सत्ता दल की एक परिपाटी बन गई है कि जब कोई बात कहना होता है तो सारा दोष समाजवादी पार्टी पर मढ़ देते हैं। वह चाहे हत्या का मामला हो, या किसी प्रकार का मामला हो, मैं इसका विरोध करता हूँ। यह उचित भी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विजमा जी ने कहा है, जिनको छोड़ा गया है तो क्या उनको पूरी सजा के बाद छोड़ा गया है या सरकार ने छोड़ा है। पहली बात तो आप यह स्पष्ट कर दें। अगर आपने छोड़ा है तो आप कहां अपराधियों को दंडित करा रहे हैं। दूसरी बात यह है मा0 मुख्य मंत्री जी दो प्रकार से होता है एक प्रिवेंटिव मेजर होता है तो यह घटनाएं होती ही क्यों हैं। सरकार किस लिये है कि घटना हो जाए फिर अभियुक्तों को पकड़े। क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि घटना हो ही नहीं। क्या इस पर भी कभी आपने ध्यान दिया। इतना सब आपने बता दिया तस्करी, कितनी शराब की तस्करी, लेकिन यह हुई ही क्यों। आपकी पुलिस कहां पर थी और क्या कर रही थी। यह घटनाएं क्यों हो रही हैं। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल दूसरे पर आरोप मढ़ कर के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं।

जो विषय विजमा जी ने उठाया है तो आप यह बतायें कि यह कौन लोग हैं, क्या सजा पाये थे और इनको किसने छोड़ा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्होंने पहले से नोटिस नहीं दिया था और यह जानकारी भी नहीं थी, लेकिन हम बतायेंगे। आपने जो कहा है उसका जवाब सुन लीजिये। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने अभी जो बात उठायी है हम उसका जवाब दे रहे हैं। शस्त्र अधिनियम में हमने 15701 लोगों को गिरफ्तार किया है। एन0डी0पी0एस0 में 4276 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह प्रिवेन्टिव है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिये, आज तक किसी भी सरकार में इतने गैंगेस्टर नहीं लगे होंगे।

(इस मध्य विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मान्यवर, गुण्डा अधिनियम में 20170, यह केवल 2024 में है। जिसने कोई अपराध किया या उसके द्वारा अपराध करने की आशंका है, हम यह प्रिवेन्टिव मेजर्स बता रहे हैं। खाली 107/16, 151 नहीं, बल्कि हम प्रिवेन्टिव मेजर्स की बात कर रहे हैं। क्राईम का ग्राफ इसीलिये गिरा है कि यह सरकार सख्त है और सरकार अपराधियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, धन्यवाद। मद संख्या-20 मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने इतना बताया कि एक पकड़ा, दो पकड़ा, लेकिन आपने क्या कदम उठाया कि घटनाएं फिर न हों ? यह आपकी जिम्मेदारी थी और आप अपनी जिम्मेदारी निभाते तो इतनी घटनाएं घटती ही नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 नेता विरोधी दल इस बात को तो जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा प्रॉसिक्यूशन को आगे बढ़ाने की जो कार्यवाही बढ़ी हुयी है वह इसी का हिस्सा है और क्या यह सच नहीं है कि आपके एक विधायक की आजमगढ़ में अवैध शराब की तस्करी में संलिप्तता थी जिसके कारण लगभग 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे और आज भी वह जेल के अन्दर सड़ रहा है। वह आपका सिटिंग विधायक है। क्या यह सच नहीं है कि आप ही की पार्टी का विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था ? क्या यह सच नहीं है ? यह दोनों सच्चाई है और यह चीजें दिखाती हैं कि इन अपराधों में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता रही है, संलिप्तता है और हमने इसीलिये जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही हैं कि सरकार जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमने पहले भी कहा था। आप लोग तो हमारी कार्रवाई पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिये हम दूसरे तरीके भी अपनायेंगे और सरकार उनको अपना रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मुख्य मंत्री जी, धन्यवाद। मद संख्या-20 मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाये।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मानव जीवन में शिक्षा और चिकित्सा इन दो चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। जैसाकि अभी मा0 पाण्डेय जी ने कहा कि आप हर बात हमारे ऊपर डालते हैं तो मैं उनके ऊपर न डालते हुये वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूँ कि मा0 योगी जी की सरकार जब से आयी है तब से पढ़ाई और दवाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। इससे पहले सरकारें क्या करती थीं ? योगी सरकार ने निर्णय किया कि हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज हो, यह योजना बनी और उसको साकार रूप दिया गया। हमारे लिए सिर्फ सैफई विकास का मुद्दा नहीं था बल्कि पूरा प्रदेश विकास का मुद्दा रहा है। ऐसे ही शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा कि आश्चर्य की बात है कि आजादी को 70 साल से अधिक हो गये, लेकिन उत्तर प्रदेश के 18 मण्डलों में से 06 मण्डल ऐसे थे जहाँ पर सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। मा0 योगी जी के संकल्प पत्र में जब यह घोषणा हुई कि हर मण्डल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खोलेंगे तो दो साल के अन्दर हर मण्डल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खुल गया है, यह हमारी उपलब्धि है। इसी तरह हम शिक्षा को व्यक्ति के अन्तिम छोर तक पहुंचायेंगे। आज उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के तौर पर लगभग 22 ऐसी संस्थायें हैं जो उत्तर प्रदेश में आये हैं और जो यहां पर इनवेस्ट कर रही हैं। जहां एक तरफ वह वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रही हैं वहीं अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक उच्च शिक्षा कैसे पहुंचे इस पर भी मदद कर रही है। आज सिर्फ शिक्षा का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है इसमें जो घटनायें आ रही है वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थायें हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था जो ग्रेडिंग प्राप्त हो मा0 योगी जी की सरकार से यू0जी0सी0 की ग्रेडिंग में दो विश्वविद्यालय ग्रेड वन के हो गये हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसे ही नैक रैंकिंग में लगभग 7 सरकारी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो ए-प्लस ग्रेडिंग में आये हैं और 4 सरकारी विश्वविद्यालय ए-प्लस ग्रेडिंग के हैं। निजी विश्वविद्यालयों में 6 विश्वविद्यालय ए-प्लस ग्रेडिंग को प्राप्त किये हैं और 4 विश्वविद्यालय ए ग्रेडिंग को प्राप्त किये हैं। अब इण्टरनेशनल ग्रेडिंग को प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहे हैं। इतनी बेहतर स्थिति मा0 योगी जी के द्वारा शिक्षा को दिये गये विशेष ध्यान के कारण हुई है।

आप सोचेंगे कि ग्रेडिंग से क्या लाभ होता है ? आपको एक उदाहरण से पता चल जायेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस ग्रेडिंग से पहले 80 विदेशी छात्र थे आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं क्योंकि वह देखते हैं कि किस विश्वविद्यालय में कौन सा ग्रेडिंग है और वहां पर जाकर एडमिशन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जब प्रतिस्पर्धा हो रही है तो गुणवत्ता बढ़ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उत्तर प्रदेश दे रहा है। इसी के अन्तर्गत ये तीन विश्वविद्यालय इस विधेयक में आये हैं। एक शारदा विश्वविद्यालय आगरा, दूसरा सरोज इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, लखनऊ और तीसरा जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय, नोएडा है। यह तीनों अध्यादेश 6 मार्च, 2024 को प्रख्यापित किये गये थे। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 आराधना मिश्रा जी, क्या आप बोलना चाहेंगी ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय अतुल प्रधान जी बोलेंगे।

***श्री अतुल प्रधान-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। कई जगह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है जिसमें हमारा सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ मुख्य हैं। राज्य स्तर पर 5 विश्वविद्यालय नए बने हैं लेकिन जब निजी विश्वविद्यालयों की बात आती है तो हम देखते हैं कि इससे पहले जो निजी विश्वविद्यालय बने हैं, ग्रेडिंग की मा0 मंत्री जी ने बात की है तो आप अपने किसी भी एक निजी विश्वविद्यालय के ग्रेड के बारे में क्यों नहीं बताते हैं और उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं देते हैं कि वह कैसी शिक्षा दे रहे हैं ? शिक्षा का माध्यम किस तरह से बेहतर बन रहा है ? जब आप सरकारी विश्वविद्यालय की बात करते हैं और फिर निजी की बात करते हैं तो हर चीज में धरती और आसमान का अन्तर है। हमारा प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का है और इसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ लोग सदन में भी बैठे होंगे जो अब से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले शिक्षा ग्रहण किए होंगे। फिर चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन में रहे हों, चाहे वह माध्यमिक में रहे हों और चाहे महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो या कुछ लोग इनमें से सरकारी विश्वविद्यालयों में पहुँचें हों, इनमें पढ़ने वाले जो लोग थे उनकी बहुत कम पैसे में शिक्षा हो जाती थी। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ रही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। खुलते चले जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो किसान के बच्चे को, मजदूर परिवार के बच्चे को हो रहा है। आप किसी भी जगह जाकर देखेंगे जब एक तरफ आप इनकम टैक्स वसूल रहे हैं, रोड टैक्स वसूल रहे हैं, जी0एस0टी0 के रूप में पैसा ले रहे हैं। जब उन्हीं लोगों को शिक्षा का बेहतर माध्यम न मिल पाये, बेहतर जगह न मिल पाये तो निजी विश्वविद्यालयों को इसलिए बढ़ावा नहीं दे रहे। अभी शारदा यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी कि आप यूनिवर्सिटी का दर्जा देने जा रहे हैं। इसके अलावा सरोज, जे0एस0एस0 विद्यालय है। इसके पूर्व में भी जिन-जिन लोगों को आपने दिये हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं ये वे लोग हैं जो या तो बहुत मोटा चन्दा देते हैं या बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं जिन लोगों ने कहीं न कहीं कुछ लोगों को ऑब्लाइज कर रखा है। नहीं तो ऐसी व्यवस्था आप लेकर नहीं आते। आप खुद इस चीज को बताएं जब आपसे पूछा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आपने कहा कि वर्ष 2020-21 में आई है। वर्ष 2020-21 में आपने इसको लागू किया और सेमेस्टर सिस्टम चल गया। सेमेस्टर सिस्टम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों में है। लेकिन जो आप स्किल्ड की बात कर रहे हैं कि स्किल्ड एजुकेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों ने आज तक न तो कोई फण्ड दिया है न कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है कि स्किल्ड एजुकेशन मिल पाये। अगर ये बच्चे डिग्री ले भी लें। किसी को एक साल का डिप्लोमा मिल जाये, किसी को दो साल का डिप्लोमा मिल जाये या किसी को डिग्री मिल जाये। उसके बाद अगर इस डिप्लोमा को लेकर नौकरी के लिए जाते हैं तो आप पक्का यह मानिये कि उस नाम पर उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। क्योंकि आज तक जितनी परीक्षाएं हैं या तो दसवीं क्लास से सम्बन्धित हैं या बारहवीं लिखा हुआ आता है या ग्रेजुऐशन लिखा हुआ आता है। बहुत कम में ऐसा आता है कि इसमे कम्प्यूटर की जरूरत है। मान्यवर, जो पूरी संरचना है जो लोकतंत्र का ढ़ांचा है जो पूरा सदन है इसकी पूरी व्यवस्था पब्लिक वेलफेयर के लिए है। पब्लिक वेलफेयर के लिए हम लोग बैठे हैं कि कैसे इस सदन से कल्याणकारी नीतियां बने और हम लोग कैसे बेहतर को और बेहतर बना सकें। प्राइवेट एजुकेशन के नाम पर जिस तरीके से हर जगह पर आप देखेंगे कि अगर अभी बी0ए0 का बच्चा किसी सरकारी महाविद्यालय में पढ़ता है किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करता है। अगर वही बच्चा निजी विश्वविद्यालय में जाकर बी0ए0 करना चाहता है तो उससे हजारो रुपये नहीं, लाखों रुपये वसूले जाते हैं। बी0सी0ए0 कोर्स ऐसा है जिसमे एक-एक लाख रुपये की फीस निजी विश्वविद्यालयों में है।

एक तरीके से उसको बाजारीकरण करने का काम होने जा रहा है। जहां आरक्षण की व्यवस्था है। हम लोग लगातार यह बात बोलते आये हैं कि जातीय जनगणना हो और जनगणना के हिसाब से जिसका जितना हिस्सा आये, उसको मिल जाये। सरकारी कालेजों, सरकारी यूनिवर्सिटी में आप आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, जो भी निजी

विश्वविद्यालय हैं उन निजी विश्वविद्यालयों में कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था का कोई प्राविधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से चूंकि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी दोनों यहां पर बैठें है। अगर किसी निजी विश्वविद्यालय का दौरा करके आ जाईये। जो लास्ट टाइम आपने जिनको मान्यता दी है, जिसमें मेरठ, नोएडा, मथुरा, आगरा वाले भी हैं। किसी का भी दौरा करके आईए। क्या उसमें पूरी फैकल्टी है ? और जो फैकल्टी है तो क्या वह मानक के अनुरूप रखी गयी है ? क्या उनकी डिग्री पूरी है ? या जिनकी डिग्री पूरी हैं, मैं उन शिक्षकों की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि जो वहां फैकल्टी है उनकी तरफ से भी कहना चाहता हूं कि उनकी डिग्री तो ले लेंगे लेकिन वे लोग उनको वेतनमान भी ठीक तरीके से देने का काम नहीं करते हैं। मैं फीस की बात कर रहा था। निजी विश्वविद्यालयों की चर्चा चल रही थी। आप सरकारी मेडिकल कालेज में जाइए। एक एम0बी0बी0एस0 करने वाला बच्चा जो हजारों रुपये की फीस कहीं 20 हजार कहीं 25 हजार सालाना देता है। किसी-किसी निजी विश्वविद्यालय में एक करोड़ से कम में एम0बी0बी0एस0 नहीं कर सकता। एक बी0एस0सी0 नर्सिंग है, जी0एन0एम0 कोर्स है, ए0एन0एम0 कोर्स है। काउंसलिंग होकर बच्चे जा रहे हैं और 40 हजार रुपये काउंसलिंग में बच्चे जमा कर रहे हैं और जब कालेज में पहुंचते हैं तो उनसे एक से दो लाख रुपये की रिश्वत लेने का काम कालेज वाले करते हैं। ऐसे पता नहीं कितने कालेज आपको मिल जायेंगे जिस-जिस निजी विश्वविद्यालय को आप यह सारी चीज देंगे छूट देंगे वह यह करके दिखायेगा और गरीब का बच्चा वहां पर शिक्षा नहीं ले पायेगा। इसके अलावा जब आप बात करते हैं निजी विश्वविद्यालय की, मेरा अपना कहना और मैं पूर्व में भी इसके बारे में बोल चुका हूं। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ा भी हूं और वहां रहा भी हूं और मैंने मुद्दे भी उठाये हैं तथा मैंने वहां पर परेशानी भी देखी है। मैं आपसे पूछना और कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ऐसी तो कोई व्यवस्था कर दीजिये कि यह निजी विश्वविद्यालय लोगों का खून चूसने का काम न करें, बाद में अपनी मनमर्जी न चलायें।

मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं एक पोस्ट उसमें डाल दें कि एक रजिस्ट्रार या यह फाइनेंस कंट्रोलर शासन के माध्यम से वहां पर चला जाये तो इन पर नियंत्रण आप थोड़ा-मोड़ा कर सकते हैं। वरना इतनी बड़ी लकीर खिंच जायेगी लोगों के बीच में कि गरीब का बच्चा कमजोर का बच्चा किसान का बेटा वहां पर शिक्षा नहीं ले सकेगा। मेरी सरकार से उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बारे में जरूर सोचेंगे कि एक रजिस्ट्रार और एक फाईनेंस कन्ट्रोलर इसमें नियुक्त कर दिया जाये जिससे उन कालेजों और यूनिवर्सिटियों पर सरकार का नियंत्रण हो सके। इसमें आप एग्जाम कन्ट्रोलर भी रख सकते हैं। सरकार यदि इन तीन पोस्टों को भी अपनी तरफ से नियुक्त कर देगी तो सारी की सारी चीजें आपकी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है, वरना इतनी बड़ी मनमानी है कि सेमेस्टर के नाम पर परीक्षा दोबारा कराने के नाम पर, कहीं अटेंडेंस के नाम पर और कई और तमाम चीजों के नाम पर लगातार यह

प्राइवेट कालेज शोषण करते हैं। इतनी भयंकर समस्या होती है जितने जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं अगर कोई व्यक्ति किसी निजी कालेज में परेशानी लेकर आये हुए छात्रों की समस्या को किसी मालिक के सामने रखने का काम करता है तो उसका साफ और स्पष्ट कहना है कि हमारा अपना खुद का निजी विश्वविद्यालय है जिस मर्जी से चाहेंगे उस मर्जी से चलायेंगे। ऐसी व्यवस्था आज के समय में हो रही है। मैं अपने मेरठ का बता देता हूं वेस्ट यू0पी0 में मेरठ ऐसा हब है जिसमें निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है। हम लगातार देखते हैं और ऐसे मामले कितने आते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। किसी दिक्कत परेशानी में किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया उनके घर और परिवार वालों ने लोन निकालकर किसी तरह से एडमिशन कराया एडमिशन होने के बाद में इतना शोषण उस निजी विश्वविद्यालय ने कर दिया कि जिसके बाद उन बच्चों को दूसरा मौका नहीं होता है वह आत्महत्या तक कर लेता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस निजीकरण के बढ़ावे को रोकते हुए एक लास्ट बात कहते हुए किसी भी व्यापारी का काम पहला काम सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने का है। कोई व्यापारी अगर दस रुपये लगायेगा तो सोचेगा कि मैं इसके 12 रुपये कैसे करूं। लेकिन हम और आप जो यहां पर बैठे हुए हैं यह व्यवस्था उन लोगों के लिये जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, जो आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति है उस तक सुविधा पहुंचाने का काम हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य विश्वविद्यालय आपने खोले, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन साथ ही साथ जो पूर्व के राज्य विश्वविद्यालय हैं जैसे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हमारे मेरठ में है उनके फण्ड की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

फण्ड की व्यवस्था नहीं हो रही तो वहां पर वह प्राइवेट कोर्स लेकर आ रहे हैं। जो प्राइवेट कोर्स लेकर आ रहे हैं उसकी फीस का निर्धारण भी खुद यूनिवर्सिटी कर रही है। सरकार ने हमें मना कर दिया कि हम आपको तनख्वाह के पैसे नहीं दे सकते। आप अपने पैसे का इंतजाम खुद करिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सरकारी कालेज में यह व्यवस्था होने जा रही है, तो प्राइवेट कालेज कैसा हाल करते होंगे ? चूंकि मैं लगातार उस व्यवस्था से जुड़ा रहा हूँ इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब आप इतने प्रचण्ड बहुमत में हैं और लोगों ने आपको बहुमत दे रखा है तो कम से कम इस चीज पर आप अपना ध्यान जरूर आकर्षित करिये। लगातार मैंने देखा और मैं पिछले कई सत्रों से आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उन यूनिवर्सिटीज को देखिये जिनकी जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर है। आप देखिये कि बी0सी0ए0 की एक लाख फीस कौन दे पायेगा और बी0ए0 की एक लाख फीस कौन दे पायेगा ? आप जो व्यवस्था करते जा रहे हैं उससे स्थिति और खराब होती जा रही है।

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं और मैं विशेष अनुरोध करता हूँ कि जहां सरकारी यूनिवर्सिटी और कालेजों का ध्यान रखा जाये, वहीं यह जो निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, इनमें कम से कम आपकी तरफ से अंकुश रखने के लिए रजिस्ट्रार, फाइनेंस कन्ट्रोलर और एक्जामिनेशन कन्ट्रोलर की व्यवस्था कर दी जाये जिससे वहां पर सरकार का कोई अंकुश रह सके और हम जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं इनके पास जो समस्यायें और दिक्कतें लेकर आते हैं उन समस्याओं का निराकरण हम लोग उनसे करा सकें। हम चाहते हैं इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक महीने में अपनी संस्तुति उपलब्ध करा देगी। धन्यवाद।

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी विपक्ष ने कुछ प्रश्न उठाये और उसमें सदन को कुछ गुमराह करने का भी प्रयास किया। इन्होंने जिन तीनों विश्वविद्यालयों के नाम पढ़े। जे0एस0एस0 एक समाजसेवी संस्था है जो पूरे विश्व में जानी जाती है और पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर इसके विश्वविद्यालय उदाहरण हैं। आप जाकर देखकर आईये। मैं खुद गया था वहां पर देखने। इसीलिए कि यहां पर संस्था आ रही है, यह एक धार्मिक संस्था है और वह यहां पर विश्वविद्यालय खोल रही है। शारदा विश्वविद्यालय जो खोल रहे हैं इन्होंने मारीशस तक में जाकर विश्वविद्यालय खोला है। यह कोरे व्यापारी नहीं हैं। यह लोग समाज सेवा के लिए, शिक्षा के उन्नयन के लिए और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए काम करते हैं।

श्री अतुल प्रधान-

वहां पर पांच-पांच लाख रुपये की डोनेशन ली जाती है। क्या इसे आप समाज सेवा कहेंगे ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मेरी बात सुन लीजिये। मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है। मैंने धैर्य से सुना है आपको। छात्रों के लाभ की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया और खुद शिक्षा लेने विदेश गये थे। अपने बच्चों को कान्वेन्ट में पढ़ाते हैं और विदेशों की सैर कराते हैं। वह लोग आज यहां पर बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन रोका जाये। यह तो वह बात हो गई कि किसी को जुखाम हो गया, तो उसका इलाज न कराओ, बल्कि नाक काट दो जिससे जुखाम ही नहीं होगा। अगर किसी व्यवस्था में कोई खोट है तो उसको ठीक करना चाहिए। माननीय योगी जी की सरकार ने इसको ठीक किया है। आज यहां पर वह लोग बात कर रहे हैं जो खुद निजी विश्वविद्यालय या निजी महाविद्यालय चला रहे हैं। यह लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि यह नहीं चाहते कि इस प्रतिस्पर्धा में अच्छे लोग आ जाये। क्योंकि इससे इनके ताजिये ठण्डे हो जायेंगे। जहां तक छात्रों के लाभ की बात है, तो मैं बताना चाहता

हूँ कि पहले हमने छः मण्डलों में विश्वविद्यालय खोले। इससे पहले वह छात्र कहां जाते थे ? जब उन्हें अपनी मार्कशीट तक भी लेनी होती है तो वह सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर दूर जाते थे। वह एक मार्कशीट के लिए दिन भर ठोकर खाते थे और उनका कम से कम हजार-डेढ़ हजार रुपये खर्च होता था। आज जब उसके जिले में ही उसको विश्वविद्यालय मिल रहा है, तो उसका पैसा बच रहा है। अन्तिम छोर तक बैठे व्यक्ति के पास शिक्षा कैसे पहुँच सके हमने यह व्यवस्था की है। वह समय भूल जाईये जब आपकी सरकार थी और आप लोगों ने नकल कराई, आप लोगों ने पेपर लीक कराये, जब आप लोगों ने बोर्ड और विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्री दिलाई। आज हमारी सरकार में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, इसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, जी नहीं। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 6 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 38 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 38 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक संस्था का नाम
39	"शारदा विश्वविद्यालय आगरा" आगरा, उत्तर प्रदेश	श्री आनन्द स्वरूप एजुकेशनल ट्रस्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश
40	सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश	श्रीमती सरोज सिंह, शिक्षण संस्थान, 8 माल एवेन्यू लखनऊ, उत्तर प्रदेश
41	जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश	जे0एस0एस0 महाविद्यापीठ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, "शारदा विश्वविद्यालय आगरा", आगरा, उत्तर प्रदेश अथवा सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश अथवा जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2024, 2 सन् 2024, 3 सन्, 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाए।

महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा वही तर्क इसमें भी है। इस पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं वह पूरे प्रदेश के लिए खोले जा रहे हैं। हर कोने पर एक-एक विश्वविद्यालय खुल जाए इसकी व्यवस्था है। जिन लोगों ने विकास के नाम पर उसे सैफई तक समेट लिया था, उन लोगों को यह दर्द जरूर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ? अब देखिए, जो पिछले प्रस्ताव में पारित हुआ वह आगरा, लखनऊ, नोएडा, बरेली यानि इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी है और मध्य उत्तर प्रदेश भी है इसलिए यह जो शिक्षा का प्रचार-प्रसार, विस्तार हो रहा है, यह प्रदेश के लिए आवश्यक है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है। आज विदेशी यूनिवर्सिटीज के लोग मुझसे एप्रोच कर रहे हैं कि हम भी आपके यहां पर फैकल्टी खोलना चाहते हैं। हम लोग आपके विश्वविद्यालय में फैकल्टी लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की यह प्रगतिपूर्ण स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए यह विधेयक पारित करना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

संशोधन पर कौन माननीय सदस्य बोलेंगे ?

श्री ओम प्रकाश-

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए और अपना प्रविवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत किया जाए।

महोदय, द्वितीय और तृतीय संशोधन पर हम बोलने जा रहे है अतुल जी छात्र नेता रहे हैं और मुझे भी यह सौभाग्य मिला है।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी इस तरह से अपनी बात रख रहे थे, पता नहीं आपको कहाँ से जानकारी है, हमारे बच्चे तो कान्वेंट में नहीं पढ़े हैं और मैं भी कान्वेंट में नहीं पढ़ा हूँ। हम काशी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और उदय प्रताप कालेज जो राजर्षि थे जिनके कोई पुत्र नहीं था और पता नहीं कितने पुत्र पैदा करके हम जैसे नौजवानों को सीना ठोंककर कहने का

अधिकार मिलता है कि मैं उदय प्रताप कालेज से राजर्षि पुत्र हूँ। मैं बी0एच0यू0 महामना का पुत्र हूँ यह सम्मान मुझे मिलता है। अभी जो प्रस्ताव आप रख रहे हैं आप एस0एस0 का नाम लिये दूसरा शारदा का तीसरा सरोज का नाम लिये। यह महामना नहीं हैं। यह सर सैय्यद नहीं है। यह रवीन्द्रनाथ टैगोर नहीं हैं। यह बवायी कौम महात्मा गाँधी नहीं हैं। अगर आप इनकी बुनियाद को खंगालेंगे तो यह समझ में आयेगा कि यह लोग धंधा करने आये हैं। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, इस देश की व्यवस्था में अगर हम थोड़ा पीछे जायें, हम सनातन धर्म की बात करें तो जहाँ रामकृष्ण सभी लोगों को शिक्षित करने का काम किये। लोग भिक्षा मांग कर शिक्षा ग्रहण करते थे। जहाँ घूम-घूमकर पहले भिक्षा मांगे फिर शिक्षा ग्रहण किये हैं। चाहे राजर्षि का तपोवन रहा हो, चाहे उद्दीपन ऋषि का रहा हो, चाहे नालन्दा विश्वविद्यालय रहा हो। आप लोग बोलते तो बहुत अच्छा है। इतना सुन्दर बोलते हैं कि वाणी का सौदागर हो तो आप सबसे एक नम्बर का सौदा करोगे। आपके सौदे का कोई मोल ही नहीं है। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मारीशस की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं।

आप पुराने विश्वविद्यालय की स्थिति को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। आज आल इण्डिया सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में काशी विश्वविद्यालय में तीन हजार पद, वहीं से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। वहीं से हम लोग छात्र राजनीति शुरू किये हैं। मा0 मंत्री जी आपको विश्वास नहीं होगा कि 98 रुपया में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं यूनिवर्सिटी में कैप्टन कलर (खेल) होल्डर रहा हूँ। इसके बाद हास्टल की भी फीस माफ थी और मैं किसान का बेटा था और पूरी फीस माफ थी। हम लोग सौ-सौ रुपये में बी0ए0 पास किये, एम0ए0 पास किये, पी0एच0डी0 किये हैं। यह बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण करने जा रहे हैं। अभी आप सैफई पर कह रहे थे। आपको जानकारी नहीं है। आप उस समय बाल्यावस्था में होंगे जब आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी 1989, 1991 और 93 में सरकार बनाये थे, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, पूछिये। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, हम लोग उस समय कोई विरोधी नहीं थे कि यहां प्राइवेट सेक्टर न आये। लेकिन एक मानक के अनुसार आये। वह मानक इतना अच्छा हो कि वहां से पढ़ने वाला बच्चा जहां भी जाये उस विद्यालय का भी नाम रोशन करे और उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन करे। लेकिन आज क्या हो रहा है। जैसे अभी भाई अतुल जी ने कहा, आपको पता नहीं कहां से ज्ञान है कि अतुल जी का विश्वविद्यालय है, मेरे पास विश्वविद्यालय है या हम लोग कोई इण्टर कालेज या डिग्री कालेज चलाकर राजनीति में आये हैं। हम लोग हास्टल से गये और 25 साल में विधायक हो गये। सोचे भी नहीं थे कि ऐसे दौर भी आयेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहन मोना जी ने पिछली बार अपनी बात रखी थी, इनका और इनके पिताजी का भी इतिहास आप पता कर लीजिये, हम लोगों का भी इतिहास पता कर लीजिये। मैं

पूछना चाहता हूं कि जो पुराने सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति क्या कर रहे हैं क्या आपको यह नहीं मालूम है। जहां आपकी पकड़ है वहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जहां आप कुछ नहीं हो, न जमीन में हो न आकाश में हो, वहां के लिये आप कह रहे हो कि मारीशस में विश्वविद्यालय चलता है। बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश का, विधेयक लाये हो उत्तर प्रदेश का। क्या आपसे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड का विश्वविद्यालय यह कहने के लिये आया था कि लखनऊ में यूनिवर्सिटीज खोल दीजिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

आक्सफोर्ड से आये थे ?

श्री ओम प्रकाश-

आक्सफोर्ड खोलने जा रहे हैं, तो खोलिये न। आप खोलिये और उसके लिये प्रस्ताव लाइये, हम सहर्ष कह रहे हैं कि आक्सफोर्ड का कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी खोलने में और करने में बड़ा अन्तर है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अच्छा दिन आ गया है सभी को दो करोड़ नौकरियां मिल गयी हैं, यह कितनी अच्छी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप उच्च शिक्षा में जो खिलवाड़ करते जा रहे हैं और जो हो रहा है। जैसा माननीय सदस्य अतुल जी ने कहा है और यह छात्र नेता हैं हम लोग रोज पैरवी की होगी आप भी राजनीति में रहे होंगे तो आपने भी पैरवी किए होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से सेंटीमेंट्स (भावनाओं) को उभार कर हम कोई काम करें तो इसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश सभी लोगों का है, केवल आपका ही उत्तर प्रदेश नहीं है। यह सरकार सिर्फ पांच साल के लिए ही है, आप क्या सोच रहे हैं कि पूरी जिंदगी भर के लिए सरकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास ने आपको मौका दिया है, आप इतिहास के कोई अन्तिम व्यक्ति नहीं हैं कि आपके बाद इतिहास बन्द हो जायेगा। इतिहास अपनी गति से चलेगा, हाँ, कुछ समय के लिए आप इतिहास को मुट्ठी में बन्द करना चाहते हैं लेकिन आप यह मत सोचिए कि आपके बाद इतिहास खत्म हो जायेगा। इतिहास मेरी भी व्याख्या करेगा और आपकी भी व्याख्या करेगा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और बैंगलौर एवं महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर आए तो इंजीनियरिंग में बिहार एवं यूपी के बच्चे जाते थे। कई तरह की समस्याएं थीं, भाषा की समस्या थी, भोजन की समस्या थी, रहने की समस्या थी, अभाव भी था, वह दौर कुछ और था।

आज सबसे पहले तो आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात कर रहे हैं उनका स्तर बने। जिनको आप बवायी कैम महात्मा गांधी समझ रहे हैं, महामना समझ रहे हैं, सर सैय्यद समझ रहे हैं वह छगनलाल-मदनलाल हैं। वह धंधा करेंगे, राजनीति और शिक्षा धंधा नहीं है। यहां काम करता है दूसरे के लिए पहचान अपनी बनती है उसे शिक्षा और राजनीति

कहते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय सदस्य मोना जी ने कहा कि आप रख दीजिए क्योंकि हम भी विश्वविद्यालय से निकलकर आए हैं। बहुत दर्द है, बहुत कुछ बदलने के लिए आए थे, आठ बार जीतने के बाद ऐसा नहीं सोचे थे कि हम लोग कुछ नहीं कर पायेंगे, बहुत कुछ सोचकर आए थे। ठीक है आपको इतिहास ने मौका दिया है आप उच्च शिक्षा मंत्री हुए हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं तो क्या उत्तर प्रदेश को लूटा जायेगा, चंगेज खां बनना चाहते हो, आप शिक्षा मंत्री हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य मेरा आपसे निवेदन है कि आपका अनुभव विधेयक के प्रति आ जाए तो ज्यादा अच्छा है।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के पैमाने पर कह रहा हूँ कि अगर कोई गांव शहर बना है तो उसका नाम सैफई है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी आप विधेयक के ऊपर बात कीजिए।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय कोई आरोप लगा देना बड़ा आसान है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप सभी माननीय सदस्य शान्त रहें। माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी आप अपनी बात रखिए।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात ही कह रहा था, लेकिन पीठ से टोका-टाकी शुरू की गयी है और जब पीठ से टोका-टाकी होगी तो हम भी करेंगे। हम भी चाहेंगे तो यह नहीं बोल पायेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं के पास बहुमत है और यही जो चाहेंगे वही करेंगे। यह काम हम भी कर सकते हैं और काम कर भी चुके हैं, लेकिन अब उम्र अधिक हो गयी है, इसलिए करना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। यह जो कर रहे हैं वह सब मैं कर चुका हूँ। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में निवेदन है कि प्राईवेट सेक्टर में कहां विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं, कहां पर स्थापना करवायेंगे। गांव में, सुदूर में, बलिया में, गाजीपुर-मऊ में। ये लोग व्यवसायिक लोग हैं, सरकारी संस्थानों को आप ठीक

करिए। विश्वविद्यालयों के कुलपति कितने अच्छे हैं, कभी आंख बन्द करके सिर पर तेल लगाकर सोचिएगा। दूसरी बात, थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखिए, इनको बेलगाम घोड़ा मत बनाइए। ये व्यापारी लोग हैं, ये पहचानते हैं कि जो घुड़सवार है, जो घोड़ा चला रहा है वह अच्छा है या नहीं, इसलिए बिना जाने-पहचाने किसी को भी आप घोड़ा पर बैठाकर कहिए कि ये घुड़सवार अच्छा है, सही नहीं। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा हम लोगों के अनुभव का भी फायदा उठाइए। मैं पुनः इन्हीं बातों के साथ निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, कोई स्पेसिफिक बात हो तो बताइए अन्यथा हम प्रश्न रखते हैं। स्पेसिफिक बात हो ताकि चर्चा स्वस्थ रहे।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इनकी बात का जवाब तो देना पड़ेगा। वे लोग ये बातें कह रहे हैं जिन्होंने प्राइवेट जौहर विश्वविद्यालय दिया था और उसका क्या हश्र हुआ, हम सब जानते हैं। वे लोग ये बातें कर रहे हैं, चूंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सदन की मर्यादा है दूसरों का नाम न लेना, जो फर्जी डिग्री बांटा करते थे, इनके ही शासनकाल की बात है। वे आज प्राइवेटाइजेशन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और उनको दुरुस्त हमने किया। मैं उनका नाम लूं क्या, मुकेश यादव, सुन लीजिए। जहां तक ये छात्र नेता होने का दम्भ भर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं भी छात्र नेता रहा हूं, मैंने भी वहीं से राजनीति की ए बी सी डी सीखी है। आप जिस पाठशाला में पढ़े हैं मैं भी उसी पाठशाला से गुजरकर आया हूं, लेकिन जहां तक सरकारी विश्वविद्यालयों की बात करें एक भी सरकारी विश्वविद्यालय पिछली सरकारों में ग्रेडिंग में कहीं नहीं था। अण्डरलाइन करके कह रहा हूं आज सरकारी विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों से ज्यादा ग्रेडिंग में योगी जी की सरकार में आ गये हैं। 07 विश्वविद्यालय ए-डबल प्लस और 04 विश्वविद्यालय ए प्लस श्रेणी में है। दो सरकारी विश्वविद्यालय यूजीसी के ग्रेड 01 में आये और दो इण्टरनेशलन ग्रेडिंग में दौड़ रहे हैं। साथ-ही-साथ निजी विश्वविद्यालय भी बढ़े हैं। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो गुणवत्ता बढ़ेगी, ये नियम है। ये कहते हैं कि वो लोग लूट रहे हैं, निश्चित रूप से इन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, डिमाण्ड एण्ड सप्लाई से कीमत डिसाइड होती है। अगर सप्लाई कम है, उपलब्धता कम है तो निश्चित रूप से कीमतें बढ़ेंगी और उपलब्धता बहुतायत में है तो निश्चित रूप से कीमतें कम होंगी, इससे शिक्षा भी सस्ती होगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, प्रचार-प्रसार भी होगा और विस्तार भी होगा।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 मंत्री जी, तुष्टिगुण ह्रास नियम यहां पर नहीं चलेगा। ये इकोनॉमिक्स नहीं है, जो आप हमको पढ़ा रहे हैं। कुछ गलतियां हुई होंगी, सत्ता आती है तो अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। आप लोग तो अवतारी हैं, आप लोग तो मां के पेट से पैदा ही नहीं हुए हैं।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 ओम प्रकाश जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, मैं क्यों वापस लूंगा, मैं तो मजबूती से प्रस्ताव रख रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 02 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 41 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 41 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
42	फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उसी तर्ज का यह भी हैं, इसमें जी0एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश और एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद हैं, यह उसमें जुड़े हैं। जिनको नई सूची में क्रमांक-43 और 44 पर रखना है। मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि तर्क वही है कि शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा। जब यह सब चीजें शिक्षा से जुड़ रही हैं तो शिक्षा में उन्नति हो रही है, शिक्षा एक नए आयाम को छू रही है, नए आसमान को छू रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको पारित किया जाय।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक मिनट में अपनी बात कह लूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मोना जी, माननीय सदस्य ताहिर खान जी पहले अपनी बात रख लें।

***श्री मो0 ताहिर खान-**

माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस सदन से और माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सोच को सकारात्मक रखते हुए, यह उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है और 90 परसेंट जो कमेरा समाज है जो कमा कर खाता है, मेहनत करके खाता है। जिस तरीके से उसे उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वह नहीं कर पा रहा है। मैं चाहूँगा कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर, सागर बनकर आप सबको समाहित करने का काम करें, उत्तर प्रदेश में सबका विकास करने का काम करें। मान्यवर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर सैयद अहमद साहब जो सोच रखते थे, मदन मोहन मालवीय साहब जो सोच रखते थे, जिस प्रकार से आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। आपने मध्यांचल की बात की, आप बताइये, आपने हमारे सुलतानपुर जिले को क्या दिया ? आपको हुकूमत करते हुए साढ़े सात साल हो गया है, इन साढ़े सात साल में हमारी इसौली विधान सभा क्षेत्र को आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोड़िए, सुल्तानपुर जिले को, मध्यांचल को आपने कुछ नहीं दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ये निजी विश्वविद्यालय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे सिर्फ लूट-खसोट और अव्यवस्था बढ़ेगी। मान्यवर, आप जान लें, जो हालात आज इस वक्त है, बहुत तेजी से निजी विश्वविद्यालय फीस बढ़ा रहे हैं। जो विश्वविद्यालय हैं, जैसा आपने लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की, वह ए प्लस ग्रेड में जा रहा है और आप प्राइवेट के हालात देखिए। जितने भी प्राइवेट कालेज हैं, मैं अपनी बात को माननीय ओम प्रकाश सिंह जी और अतुल प्रधान जी से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ, अगर छात्रों के पठन-पाठन की इतनी फीस प्राइवेट विश्वविद्यालय बढ़ा दे रहे हैं तो कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को उनमें पढ़ा ही नहीं सकता है और वहां के लोग बे-लगाम होते जा रहे हैं, इसके लिए आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अभी-अभी हमारे साथी कह रहे थे कि रजिस्ट्रार पर या वित्त नियंत्रक पर कंट्रोल होना चाहिए।

निजी विश्वविद्यालय पर आपकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, लेकिन आपकी कोई कंट्रोलिंग नहीं है, सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस मामले के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पूंजीपतियों को फायदा न दे करके, 90 परसेण्ट जो कमाकर खाता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म का हो, दलित हो, बैकवर्ड हो बेचारे आरक्षण वाले लोग कहां जाएंगे, इनको कोई फायदा नहीं होगा, निजी विश्वविद्यालय में सिर्फ इनका शोषण होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं, उसमें बच्चों का शोषण होता है, जबकि सरकारी विश्वविद्यालय में उसमें बच्चों का शोषण नहीं होता है, लेकिन निजी विश्वविद्यालय में शोषण होता है, इन बच्चों को शोषण से बचाने के लिए हमारा एक टारगेट होना चाहिए और हमको चौमुखी विकास करना चाहिए। अपने प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय को हटा करके किनारे करना चाहिए। जैसी सोच मदन मोहन मालवीय साहब की थी, जिन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पर काम किया जो उनकी सोच थी, वह सोच रख करके आप काम करें। आप तो बहुत बड़े खजाने के मालिक हैं, आप तो दस, बीस और पच्चीस हजार विश्वविद्यालय खुद बना सकते हैं, क्यों नहीं आप सकारात्मक सोच रखते हैं। जो कमजोर वर्ग का समाज है उसको केवल दस परसेण्ट लोगों को काम देने का सोच रहे हैं, 90 परसेण्ट लोगों के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह लोग लापरवाही क्यों कर रहे हैं, सकारात्मक सोच रख करके क्यों नहीं सबको समेटने का काम करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी बात को यहीं ब्रेक करता हूं और मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मान्यवर, हम कहते हैं कि हमारे सुल्तानपुर जिले के लिए कुछ खजाना खोल दीजिए और सुल्तानपुर जिले में विश्वविद्यलाय बना दीजिए। आप तीन-चार कालेजों के कहां चक्कर में पड़े हैं, आप सैकड़ों कॉलेज बना सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कोई कटाक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जो बोलना था मैंने बोल दिया। कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें पहले के पूर्व के कई डिग्री कालेजों की स्थापना हो चुकी है और महाविद्यालय बने खड़े हैं, उनकी बिल्डिंग पूरी हो गई है, उसमें स्टाफ नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटियों को हैण्ड ओवर कर दिया। अभी आपका एक लेटेस्ट जी0ओ0 आया उस लेटेस्ट जी0ओ0 में यह रखा गया कि नहीं फिर वापस सरकार उनको नियुक्तियां करने का काम करेगी तो एक तो इसको दिखवा लीजिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि निजी विश्वविद्यालयों की ताकत की बानगी एक उदाहरण से सबको बता सकता हूं कि कितने ताकतवर लोग हैं। एक हमारे यहां हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज और अवध यूनिवर्सिटी भी बन रही है या फिर बनने वाली है। मा0 मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान देंगे और सारे जितने लोग हैं वह भी ध्यान देंगे। एक व्यक्ति अपनी मां को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद में रक्त स्राव होता रहा और रक्त स्राव होने के 14 दिन बाद वह लगातार शिकायत करता रहा तो उनके गार्ड उनको डराते, धमकाते रहे, इसके बाद उसने 112 नम्बर पर फोन किया फिर 112 नम्बर की पुलिस पहुंची तो मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट था, उसमें किसी को घुसने नहीं दिया, बल्कि बाहर कर दिया, फिर उसने इन्स्पेक्टर को सूचना दी, फिर इन्स्पेक्टर थाने का वहां पर पहुंचा, उसको भी बाहर कर दिया, उसके बाद उसने कप्तान को सूचना दी, कप्तान ने कहा सी0ओ0 को और आस-पास की पुलिस लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचिये और उससे पूछिये कि वह इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हो, जब पुलिस का जमावड़ा हुआ तो बाद में एडिशनल एस0पी0 भी मौके पर पहुंच गए तो उसको न्याय दिलाने की बजाए उन्होंने कहा कि आप भी अन्दर एण्ट्री नहीं कर सकते और यहां तक कि दो घण्टे के बाद फरमान आया सरकार का और एस0पी0 हापुड़ व एडिशनल एस0पी0 हापुड़ दोनों दो घण्टे के बाद गायब, उसके बाद डॉयल 112 नम्बर के दरोगा को सस्पेण्ड किया गया, वहां के दरोगा का ट्रांसफर कर दिया गया।

आज की तारीख में क्या किसी आम आदमी की हिम्मत है कि वह वहां पर चला जाए, क्या कोई गरीब आदमी वहां पर अपना इलाज करा पायेगा ? इसलिये मा0 मंत्री जी आप इसे प्रवर समिति को सौंपिये और कुछ अंकुश लगाने का काम करिये। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इसको बचाइये और रही बात मॉरीशस की तो अगर कभी कोई मौका बनेगा तो देखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मोना जी, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह केवल एक महत्वपूर्ण बिल ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात संक्षेप में रखियेगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

श्रीमन्, मैं मात्र दो मिनट में बहुत ही गम्भीर चीज आपके समक्ष रखना चाहती हूं। मैंने पहले भी सदन में कहा है, मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिर इसमें सरकार की मंशा और मानसिकता दोनों क्या है ? आखिर आप यह कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को या प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। यह इस प्रदेश और देश में हमेशा से होता रहा है। आज जो शिक्षा की नींव है या जो इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का रहा है जिन्होंने इन इन्स्टीट्यूशन्स को व्यक्तिगत रूप से बनाया है, प्रदेश में बड़े-बड़े इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनको लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। उन लोगों ने इनको अपने पास से घोषित किया है और उनको बना करके खड़ा किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मा0 मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं, मेरा एक सवाल कल भी था, आज भी आपके समक्ष है और आप इसे गम्भीरता से सुनियेगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिर एक प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब बनती है तो आप उसको क्यों प्रमोट करते हैं, आपकी मंशा तो यही है न कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सकें। ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो वंचित रह जाते हैं, वे शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इसके पीछे आपकी और सरकार की यही मंशा है तो यह एक अच्छी मंशा है, लेकिन मुझे आप यह बताइये कि ये यूनिवर्सिटीज खुल कहां रही हैं ? क्या यह बात सही है कि ये केवल कुछ इलाकों तक ही सीमित है, जैसे देश के एन0सी0आर0 या स्टेट कैपिटल रीजन के आस-पास ही ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलती चली जा रही हैं। क्यों नहीं ये यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में खुल रही हैं, जैसे बुन्देलखण्ड है, पूर्वांचल है, जहाँ पर वाकई शिक्षा का अभाव है। अभी जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि इसके पीछे मंशा यह है कि ये लोग कोर बिज़नेसमैन हैं, ये व्यवसायी लोग हैं और इनकी मंशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की रहती है, इनकी मंशा यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का विस्तार किया जाए।

मेरा केवल इतना कहना है कि आप और भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन पर सरकार का नियन्त्रण होना बहुत आवश्यक है। क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि जो फीस सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ली जाती है, वह फीस वहाँ पर नहीं है। जिस तरह से आपकी विभिन्न बाडीज़ हैं, चाहे वह ए0के0टी0यू0 हो, चाहे यूनिवर्सिटी संचालन की समिति हो, आप सब जानते हैं तो क्या उनकी फीस के निर्धारण पर

आपका कोई नियन्त्रण है ? आप यह कैसे रोक लेंगे कि जब एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो 500 रुपये की फीस दे रहा है, लेकिन जब वही बच्चा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो 50,000 रुपये की फीस दे रहा है। इसलिए यह डिस्पैरिटी हो रही है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, वहाँ पर जो रिक्रूटमेण्ट्स हो रहे हैं, चाहे वे टीचर्स के हो रहे हैं, चाहे प्रोफेसर्स के हो रहे हैं या लेक्चरर्स के हो रहे हैं तो क्या उन रिक्रूटमेण्ट्स पर आपका कोई नियन्त्रण है ? मेरा कहना है कि उन पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। साथ ही वहाँ पर सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स वाली आरक्षण की विधा भी लागू नहीं है, आप वहाँ पर आरक्षण की प्रणाली को लागू करने में सक्षम हैं, नहीं हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर कोई नियन्त्रण नहीं है। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स यह कहते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चा पढ़ करके निकलता है, उसको पढ़ने के बाद प्लेसमेण्ट मिलेगा, लेकिन क्या उन बच्चों को वास्तव में प्लेसमेण्ट मिल पा रहा है ? क्या आप इन इन्स्टीट्यूशन्स को इस प्रकार के सवालों पर बाध्य कर सकते हैं, ताकि वे आपको इनका जवाब दें। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों ऐसे कॉमन विषय हैं जो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप इस पर कोई एक कमेटी बना दीजिए, जैसे यू0जी0सी0 है, जैसे ए0के0टी0यू0 है, जो इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स और यूनिवर्सिटीज़ पर नियन्त्रण रख सकें। इसलिए मेरा कहना है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए ताकि सरकार इन पर नियन्त्रण रखने की कोई न कोई नई तकनीक लाकर प्राविधान बना सके।

(एक सदस्य के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अगला भी इसी से सम्बन्धित है आप उस पर अपनी बात रख लीजिएगा।

मा0 सदस्य आप लोग व्यवस्था बनाए रखें। मा0 मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे या हम प्रश्न उपस्थित कर दें। आप देखिए और भी पूरा बिजनेस है। मा0 मंत्री जी यदि कोई आवश्यक बात हो तो बतायें अन्यथा हम प्रश्न उपस्थित कर देंगे।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

हालांकि वही बातें रिपीट हो रही हैं, जो पिछले दो मा0 सदस्य कह चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता-

उस बात को न रिपीट करें कोई नई बात हो तो कहें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सब वही बात रिपीट कर रहे हैं दो तीन नई बातें आयीं। पहली बात तो मोना जी ने अपनी तरफ से हमारी बात को स्वीकृति दे दी कि प्राइवेट

लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। इसी शहर लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ कि सरकार के कितने डिग्री कालेज हैं ? और कितने ही डिग्री कालेज अन्य समाज के हैं या किसी जाने-माने व्यक्ति ने बनाये होंगे। आज अगर वह नहीं बनते तो क्या छात्रों के एडमिशन सम्भव थे ? नहीं थे। छात्र भटकता घूमता है उसे कहीं एडमिशन नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षा नहीं मिलती तो अशिक्षित व्यक्ति कैसा बनता यह सोचने की बात है। हमारे नेता मा0 योगी जी शिक्षा को अन्तिम छोर तक पहुँचाना चाहते हैं। आरक्षण का एक विषय यह भी आया है। आरक्षण की बात किसी मा0 सदस्य ने उठाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण होना चाहिए। मैंने उसके संविधान को पूरा पढ़ा है, लेकिन आरक्षण मिलता है क्या ? वहाँ के लिये ये लोग आरक्षण की क्यों नहीं बात करते हैं क्यों नहीं कहते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण हो। उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोच सिमट गई है क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था ? तारिक साहब बोल रहे थे शायद अब वह चले गये हैं कोई बात नहीं। मान्यवर, अध्ययन और अध्यापन दोनों में अन्तर है। वह कह रहे थे कि कमेरा समाज अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, तो वह विश्वविद्यालय खोले ये बड़े-बड़े धनवान सेठ क्यों खोल रहे हैं ? अरे क्या कोई कमेरा समाज इतने बड़े विश्वविद्यालयों को खोल सकता है ? हाँ उसके रिप्रजेन्टेटिव हैं जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोग खोल रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग भी खोल रहे हैं अब तक 22-25 जो एल0वाई0 या एल0ओ0बी0 उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं और अन्य वर्ग के लोग भी हैं। मोना जी बुन्देलखण्ड में एक विश्वविद्यालय खुला है और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां शिक्षा का प्रसार न हो रहा हो और मा0 योगी जी अगली योजना ला रहे हैं कि हर जिले में एक सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय हो। इस योजना को लाने की कोशिश की जा रही है शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिये, इसमें नीति बना रहे हैं कि कुछ इन्सेन्टिव दिये जायें जिससे अच्छे लोग आयें। जी0एस0एस0 के बारे में इन लोगों को अभी मालूम नहीं है। आप उसके बारे में जानते नहीं हैं .....

(विपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

वह एक धार्मिक संस्था का है तो किसी व्यक्ति का नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी आप अपनी बात रखिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

इसलिये शिक्षा का उन्नयन करना है शिक्षा का विकास करना है तो शिक्षा को नये आयाम देने होंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान की शिक्षा आज भी सिर्फ सरकारी नहीं है, सरकारी एक सहयोग है और वह लोग बात कर रहे हैं मा0 अधिष्ठाता महोदया जिन्होंने 70 साल में 8 मण्डलों को सरकारी विश्वविद्यालय विहीन कर रखा था और अपने विश्वविद्यालय खोले हैं,

अपने लोगों के खोले हैं। वह लोग बातें कर रहे हैं जो निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय चलाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है उनका क्लाइन्टेज घट जायेगा यही डिमाण्ड और सप्लाई की बात है कि यदि नये-नये विश्वविद्यालय खुल गये तो लोग वहां जायेंगे निकटतम विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में जायेंगे और उनकी छात्र संख्या घट जायेगी।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री अतुल प्रधान-

यदि हमारे कालेज वालों से सम्बन्ध है या हमारे यहां हमारा कालेज है तो सारे सदन के सामने हम कह रहे हैं कि ये उस पर रिपोर्ट है कि ये उस पर रिपोर्ट लगाकर उस पर पाबन्दी लगा दें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अतुल जी, अब हम प्रश्न कर रहे हैं, कृपया आप बैठ जाएं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 04 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 2019 की अनुसूची-2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 42 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और क्रम संख्या 42 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
43	जी0 एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश	श्री जयपाल सिंह शर्मा, ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
44	एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, "जी0एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़" उत्तर प्रदेश या एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2024, 11 सन् 2024

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध उक्त सारवान समयों में प्रवत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायँ ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाये। मान्यवर, आज जो बिल हम लेकर आये हैं, इसके सम्बन्ध में एक अध्यादेश पहले से ही प्रामुलगेट किया गया है और उसी का प्रतिस्थानिक बिल आज हम सदन के समक्ष लेकर आये हैं। जो हमारा पहले 1998 का बिल था, वह वर्तमान समय में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आई0टी0 सेक्टर का बहुत ज्यादा प्रभाव सोसायटी पर है। उसमें उसका भी उल्लेख नहीं था और साथ ही पैनॉलिटीज़ भी ऐसी नहीं थी, कई चीजें इसमें लैक करती थीं, इसलिए इस नये बिल की आवश्यकता पड़ी। मान्यवर, जो मेधावी छात्र, जो खास तौर से अपनी मेहनत के भरोसे सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में कोई स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बिल उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। खासतौर से इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि सावर्जनिक परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता यह युवाओं में जरूर लायी जाये और वह लोग यह महसूस कर सकें कि उनकी क्षमता का, उनकी योग्यता का सही तरीके से मूल्यांकन हो सके। इसमें खास तौर से इस बात का प्राविधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई लोक सेवक या कोई अधिकारी अगर किसी प्रकार से, किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित संसाधनों का प्रयोग करता है। या अपने माध्यम से करवाता है या उसमें सहयोगी बनता है तो उसको इसमें दोषी ठहराकर ज्यादा-से-ज्यादा सजा का प्राविधान करने का प्रयास किया गया है। सजा का ज्यादा प्राविधान इसलिए किया गया है, ताकि लोग इसके भय से उस तरफ कदम न बढ़ा पायें। यह प्रदेश की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा चाहे वह प्रोन्नति की परीक्षा हो, किसी विभाग में सेवा की परीक्षा हो या प्रदेश में जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसकी परीक्षा हो। यह सामान्य परीक्षार्थी पर भी लागू होगा जो किसी अपने एकेडमिक एक्जाम को पास करने के लिए, एक्जाम देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई दण्ड की व्यवस्था उसमें नहीं है। सेक्शन-3 में खास तौर से उसका वर्णन किया गया है। इस बात को मैं इसलिए कोड कर रहा हूं कि शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में अगर कोई छात्र सम्मिलित होता है तो उसके ऊपर दण्ड का प्राविधान नहीं लगेगा, उसको इससे इम्यून किया गया है, लेकिन अगर वो किसी नौकरी के लिए, किसी प्रोन्नति के लिए परीक्षा में बैठता है तो वह सारे प्राविधान उस पर भी लगेंगे जो इसमें दिये गये हैं।

लेकिन अपनी एकेडमिक क्वालीफिकेशन को अगर बढ़ाने की वो परीक्षा देता है तो केवल उसका वही साल बर्बाद होगा। उसको दण्ड या किसी तरीके से प्रिक्यूनरी फाइन या पेनाल्टी उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का जो बिल है वह केवल केन्द्रीय सर्विसेज के ऊपर लागू है। वह प्रदेश की सर्विसेज पर लागू नहीं है। इसलिए इसके लिए अलग से बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है। अगर कोई व्यक्ति साल्वर गैंग का सदस्य है, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं इग्जाम कराती हैं, जो परीक्षा कराने वाला है वह अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरीके से अनुचित संसाधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसका सहयोगी बनता है या किसी प्रकार से जिसके हाथ में जो पेपर है वह दिया जाता है, उसकी कस्टडी में दिया जाता है, अगर वो किसी प्रकार से उसका अनुचित तरीके से प्रयोग करके किसी ग्राटिफिकेशन के तहत लाभ के तहत अगर किसी को पेपर लीक करता है तो भी इसमें कड़ी सजा का प्राविधान है। कहीं पर 02 साल से 07 साल तक है तो कहीं पर 02 साल से 10 साल तक का प्राविधान है और अगर रिपीटेड आफेन्स है तो रिपीटेड आफेन्स के लिए इसमें आजीवन कारावास तक है और एक करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी की भी व्यवस्था है। इसमें खास तौर से पैसा देकर किसी प्रकार का ग्राटिफिकेशन देकर अगर सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो जितनी सम्पत्ति या जितना धन इसके माध्यम से उसने अर्जित किया है जिलाधिकारी को यह पॉवर होगी कि वह उसकी उस सम्पत्ति को कुर्क कर वह धन ले ले और ये बर्डन आफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि उसने इस सम्पत्ति को उस पर्टिकुलर एक्ट या माध्यम से अर्जित नहीं किया है। अगर जिलाधिकारी इस बात से सन्तुष्ट होंगे कि किसी ग्राटिफिकेशन या किसी प्रलोभन के तहत उससे धन लेकर अनुचित साधनों का प्रयोग किसी परीक्षा में करवाया है तो उसकी प्रापर्टी जब्त हो जायेगी।

मान्यवर, इस बात की काफी कोशिश की गई है कि जब यह ऑर्डिनेंस लाया गया कि हर तरह से हम निष्पक्षता को, पारदर्शिता को, विश्वसनीयता को परीक्षाओं में बढ़ा सकें और मेधावी लोग जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, जो योग्य हैं, जो अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षा पास कर सकते हैं, वही इससे लाभान्वित होंगे, मोटे तौर पर इस बिल को हमारा लाने का यह उद्देश्य है। इसमें कई प्रॉविजन ऐसे किये गये हैं कि अगर कोई परीक्षा केन्द्र भी बदलता है तो भी वह लॉयबिल फॉर पनिशमेण्ट होगा। परीक्षा होने से एक दिन पहले अगर उस केन्द्र में दाखिल होता है तो भी वह इसके तहत उस पनिशमेंट का लॉयबिल होगा। इसलिए हर तरह से इस बात की कोशिश की गई कि एक सख्त से सख्त कानून हो, जिससे योग्य लोगों को परीक्षा में पास होने का, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का या उन्नति के लिए अगर परीक्षा दी गई या सेवा के लिए दी गई, सर्विस के लिए दी गई है या जॉब के लिए दी गई है तो उसी को यह मौका मिले। यह सेशन ट्रायलेबल होगा, नॉन बेलेबल, नॉन कम्पाउण्डेबल होगा और इसमें सर्किल ऑफिसर या डिप्टी एस0पी0 तफ्तीश करेंगे। जो संस्था इस प्रकार से परीक्षा कराती है और अगर अनुचित साधनों का प्रयोग पाया जाता है तो जो भी उस परीक्षा में व्यय होगा, वह उस संस्था से भी वसूल किया जा सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इधर कई घटनायें ऐसी

हुई, जिसमें पेपर लीक हुआ और परीक्षा रोकनी पड़ी। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। निष्पक्षता और पारदर्शिता खासतौर से हो और दिखाई भी पड़े, इसलिए योगी सरकार द्वारा इस प्रकार का बिल लाया गया है। मेरा आपके माध्यम से सभी सदस्यों से अनुरोध है कि चूँकि एक अच्छी मंशा से यह बहुत अच्छी कोशिश है, ताकि हम सार्वजनिक परीक्षाओं में सुचिता स्थापित कर सकें। इसलिए इसको पास किया जाये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सचिन यादव जी, इसे पास करायेंगे ?

***ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-**

नहीं, मान्यवर। हम संशोधन रखेंगे।

आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 के संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। देश में 10 साल की सरकार के बाद, प्रदेश में 7 साल की सरकार के बाद 48 परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद या उनमें गड़बड़ियाँ पाये जाने के बाद और उत्तर प्रदेश में 16 बार पेपर लीक या पेपर में गड़बड़ियाँ होने के बाद आज यह सरकार जागी है। अधिष्ठाता महोदय, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कॉन्सटेबल भर्ती 2021 में पेपर लीक हुआ, इसी सदन में उसके खिलाफ आवाज उठी, आवाज दबा दी गई। आर0ओ0, ए0आर0ओ0 परीक्षा की जो भर्ती 2021 में निकली, उसमें भी पेपर लीक हो गया, गड़बड़ी हुई। 12वीं क्लॉस के बच्चों के बायो, मैथ्स और साइंस के पेपर लीक हो गये। नीट का पेपर लीक हुआ, यू0जी0सी0-नेट का पेपर लीक हुआ है, दरोगा भर्ती जो 2017 में आई थी, जिसके लिए बहुत से नौजवानों ने बार-बार धरना दिया, 1 लाख 20 हजार लोग उस परीक्षा में बैठे थे, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। यू0पी0-टेक जो 2021 में हुआ, जिसमें 12 लाख लोग बैठे थे। उसमें भी पेपर लीक पाया गया। फॉरेस्ट गॉर्ड की भर्ती की परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक या गड़बड़ी पाई गई है। एडेड स्कूल के प्रिंसिपल्स की वर्ष 2021 में जो भर्ती हुई, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। यू0पी0एस0एस0एस0सी0 पेट एग्जाम, 2021 में 20 लाख नौजवान बैठे और उसमें भी गड़बड़ी पाई गई।

यू0पी0पी0सी0एल0 वर्ष 2018 में 3 हजार पद निकले, उसके पेपर में भी गड़बड़ी पाई गयी। यू0पी0एस0एस0एस0सी0 लोअर सब-ऑर्डिनेट की भर्ती निकली जिसमें 67 हजार बच्चे बैठे, उसमें भी गड़बड़ी पायी गयी। यू0पी0एस0एस0एस0सी0 ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती निकली जिसमें 20 लाख लोग बैठे, उसमें भी गड़बड़ी पायी गयी। यू0पी0 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती निकली, उसमें भी पेपर लीक हुआ और गड़बड़ी पायी गयी। वी0डी0ओ0 के पेपर में भी गड़बड़ी पायी गयी। प्राइमरी स्कूल के सहायक भर्ती में भी गड़बड़ी पायी गयी। ऐसी 16 परीक्षायें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी सरकार ने पिछले 7 साल में करायीं जिसमें या तो गड़बड़ी हुयी या पेपर लीक हुआ। बार-बार इस सदन में यहाँ के मा0 सदस्यों ने इस आवाज को उठाया। इस सदन के बाहर जिन नौजवानों ने बहुत ही मुश्किलों से पढ़ाई की थी, जिनके माँ-बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाया था, उन बच्चों ने सड़कों पर धरने दिये, उन्हें पुलिस के डण्डे खाने पड़े, पुलिस का अत्याचार सहना पड़ा, उनको कभी-भी न्याय नहीं मिला। आज मैं धन्यवाद देता हूँ इण्डिया गठबन्धन का जिसने लोक सभा में ऐसा परिणाम दिया कि सेंट्रल में पहले यह बिल आया और सेंट्रल में लोक सभा रिजल्ट के दबाव के बाद जब यह बिल आया, उसको यू0पी0 गवर्नमेंट ने कॉपी करने का काम किया है। अगर यू0पी0 गवर्नमेंट पहले से यह बिल लाती तो समझ सकते थे कि उनकी मंशा है इस तरह की लीक और गड़बड़ियों को रोकने की, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरह की कोई मंशा 7 साल में दिखाई नहीं दी। नियम-56 में आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी यहाँ बैठे हैं उन्होंने दरोगा भर्ती पर सवाल उठाया था। उसी दिन दरोगा भर्ती के पेपर बाँट दिये गये थे। इन सारे पेपर लीक या पेपर गड़बड़ियों से 2 करोड़ के लगभग नौजवान प्रभावित हैं। उनके परिवार प्रभावित हुये, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो मल्टिपल बार प्रभावित हैं, लेकिन सरकार 7 साल तक सोती रही।

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने प्रीवेन्टिव मेजर्स की बात कही थी। कानून व्यवस्था पर इसकी बात हुई थी, लेकिन इस बिल में प्रीवेन्टिव मेजर्स को लेकर कोई बात नहीं हुयी। करप्शन में हमारा प्रदेश नम्बर-4 पर पहुंच गया है, पूरे देश में भ्रष्टाचार है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह इण्डियन करप्शन सर्वे वर्ष 2019 कहता है। उत्तर प्रदेश के 74 प्रतिशत लोगों को कभी-न-कभी रिश्वत देने की जरूरत पड़ जाती है। यह इण्डियन करप्शन सर्वे कह रहा है। यू0पी0 साइबर क्राइम में 8वें नम्बर पर चल रहा है। यह नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कह रहा है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक इनके लिए प्रीवेन्टिव मेजर्स नहीं लिये जायेंगे तब तक आगे इन परीक्षाओं को कैसे अच्छे से कराया जायेगा। जब तक हमारे प्रदेश में करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक परीक्षाओं को कैसे कराया जायेगा। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी आई0आई0टी0 की बात कर रहे थे, बहुत सही बात कही है कि आई0आई0टी0 का पिछले 20, 25 सालों में काफी एडवांसमेंट हुआ, लेकिन अभी भी उनको मानना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन पर कम्प्यूटर की उपलब्धता है। डिजिटल लिटरेसी बहुत ही हमारे प्रदेश में कम है। जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह सारे के सारे एग्जाम अब कम्प्यूटर पर होने हैं। मैं यह सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पूरा बिल पढ़ा, इस पूरे बिल में टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। जो अधिकारी लोग इसका टेंडर निकालते हैं, जो कम्पनी को देते हैं, जो यह परीक्षायें कराती हैं उनके ऊपर इस पर कोई बात नहीं की है कि अगर टेंडर कराया जायेगा तो उसमें क्या व्यवस्था होगी। ऐसी बहुत-सी कम्पनियाँ पायी गयी हैं जो ब्लैक लिस्टेड थीं, लेकिन उनको बार-बार टेंडर दिया गया। टेंडर प्रोसेस को कैसे ट्रांसपेरेंट रखा जायेगा। इसका इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। रिजल्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जो नौजवान एग्जाम देता है और अच्छे से एग्जाम देता है, सही

तरीके से एग्जाम देता है, अगर पेपर लीक हो जाता है तो रिजल्ट का क्या होगा। आज भी ऐसी स्थिति बाहर बनी हुयी है। बहुत-से नौजवान पेपर लीक से प्रभावित हुये, लेकिन रिजल्ट आउट हो गया जिन्होंने गलत तरीके से परीक्षायें दीं उनको अप्वाइंटमेंट मिल गया, तो रिजल्ट को लेकर क्या बात हुई, क्या तब तक रिजल्ट को रोका जायेगा, जब तक पूरी इसकी छानबीन न हो जाये, क्या पेपर वापस कराया जायेगा अगर इसमें एफ0आई0आर0 होती है। इस तरह की कोई भी चर्चा इस बिल में कहीं दिखाई नहीं दी है। इससे लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है क्योंकि वही चीज है रिजल्ट, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, नौजवान प्रभावित होते हैं, उनके परिवार प्रभावित होते हैं और जो बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम फीस देते हैं, फार्म खरीदते हैं, उससे सरकार की आमदनी होती है तो उनको कैसे कम्पनसेट किया जायेगा। उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने घर से बस का किराया दिया।

श्री अधिष्ठाता

कन्क्लूड करें।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

आपने सबको 10 मिनट दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

निवेदन है कि जैसे आपने टेण्डरिंग की बात कही उसी तरह से प्वाइन्टेड बातें बता दें।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

मान्यवर, जहां तक स्टूडेंट कम्पनसेशन की बात है, एक बच्चा अपने घर से निकलता है, रिक्शा करता है, बस लेता है, ट्रेन लेता है, एग्जाम सेन्टर्स पर जाता है तो कभी-कभी होटलों में रुकता है, इन सारी चीजों का वह पैसा देता है। इससे सरकार की आमदनी होती है, लेकिन जब वह परीक्षा कैंसिल हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है तो उस स्टूडेंट/बच्चे को कोई कम्पनसेशन नहीं मिलता। उसका मानसिक उत्पीड़न होता है, उस मानसिक उत्पीड़न का भी कोई कम्पनसेशन नहीं मिलता है। अगर सरकार की वजह से या सरकार की कमियों की वजह से कोई पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट्स को भी कम्पनसेशन मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, मीडिया बहुत बार उन चीजों को उजागर करती है, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मीडिया को भी कोई कम्पनसेशन मिलना चाहिए, जिससे कि सच सामने आ पाये। साइबर क्राइम्स को लेकर इसमें कोई चर्चा नहीं है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, क्योंकि उनको बिल के बारे में बहुत जानकारी है, हम जब स्टूडेंट थे तब वह मंत्री थे, इस बिल में है कि जब बार-बार रिपीट कोई करेगा तब जाकर उम्रकैद की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। जबकि आपने न्यूज पेपर्स में देखा होगा कि अब उम्रकैद की सजा होगी या एक करोड़ का जुर्माना होगा, लेकिन यह सिर्फ रिपीटेटिव होगा। अब रिपीटेटिव हुआ

या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, कभी कोई अपने नाम से करेगा, कभी भाई के नाम से करेगा क्योंकि बड़ी-बड़ी कम्पनियां इस चीज को चला रही हैं इसलिए मेरा मानना है कि रिपीटेटिव के स्थान पर अगर सिंगिल बार कोई पेपर लीक करता है, तो कड़ी सजा होनी चाहिए। इसमें ज्यादातर जो सजा के प्वाइंट हैं वह 2 साल में ही निपट जाते हैं। पेज नम्बर-6 के प्वाइंट नम्बर-14 पर है कि अगर कोई जानबूझकर कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो सिर्फ दो साल की सजा। पेज नम्बर-5 के प्वाइंट नम्बर-12 पर दो साल की सजा, नम्बर में हेरा-फेरी होती है तो दो साल की सजा और कम पैसे देने पड़ेंगे। पेज नम्बर-4 का प्वाइंट नम्बर-पांचवां, छठवां, सातवां, दसवां और बारहवां, जिसमें प्रश्न-पत्र पहले से डिस्क्लोज हो जाएं, परीक्षा केन्द्र में अदला-बदली हो जाए तो इन सब में सिर्फ दो साल की सजा है। इतना बड़ा क्राइम जिसमें 6 करोड़ शिक्षित नौजवान शामिल होते हैं उसमें सिर्फ दो साल की सजा है, उम्रकैद की सजा नहीं है।

मान्यवर, इसमें सजा और जुर्माने को बढ़ाने का काम किया जाय। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अगर उससे उन्होंने पैसा कमाया और प्रापर्टी बनायी तो उससे रिकवरी की जायेगी, लेकिन मान्यवर, अगर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगती है और उसकी प्रापर्टी नहीं पायी जाती है, प्रापर्टी उसके घर वालों के नाम से है, रिश्तेदारों के नाम से है, उसके जानने वालों के नाम से है तो कैसे वसूला जायेगा, इसका कोई भी जिक्र इस पूरे के पूरे बिल में नहीं हुआ है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि पीपीएस अधिकारी इसकी इन्वेस्टीगेशन करेंगे, इसमें हमारी मांग है कि आईपीएस अधिकारी इस तरह के पेपर लीक मामलों की इन्वेस्टीगेशन करें, क्योंकि जब बड़े अधिकारी इन्वेस्टीगेशन करेंगे तो जवाबदेही अच्छी तय होगी। जमानत के लिए जो पेज नम्बर-8 का प्वाइंट नम्बर-18 है उसको भी काफी गोल-मोल तरीके से रखा गया है और जो कम्पनी पर दण्ड लगाया गया है पेज नम्बर-6 के प्वाइंट नम्बर-15 पर, उसे भी बहुत गोल-मोल तरीके से रखा गया है। इससे ऐसा लगता है कि बड़ी कम्पनियों को किसी न किसी तरह से कानून में बचाने का काम किया जायेगा। इस बिल में बहुत कमी है, इसमें नौजवानों के लिए कम्पनसेशन की बात नहीं है, दो साल से ज्यादा दण्ड देने के बहुत कम चांसेज हैं, यह अभी इन्कम्प्लीट बिल है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने टाइम का ध्यान रखते हुए मैं आपसे और पूरे सदन से अनुरोध करता हूँ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है और पूरे सदन से कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संग्राम जी एक-दो सुझाव और रख दें और संक्षेप में अपनी बात रखें।

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आभारी है आपने हमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) 2024 पर विचार जो हमारे साथी सचिन जी ने विस्तार से प्वाइंटवार चर्चा करने का कार्य किया है। आज देश या उत्तर प्रदेश पर आप नजर डालेंगे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, आज सबसे ज्यादा जो मेधावी छात्र हैं वह परेशान हैं, कुंठित हैं, निराश हैं। कानून तो पहले से ही है और उस कानून को लागू करने के लिए आपकी दिली इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहीं न कहीं सरकार की दिली इच्छा शक्ति के अभाव के कारण आज यह माफिया पूरी परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को देश और प्रदेश में तार-तार कर दे रहे हैं। मान्यवर, इस देश के अन्दर अभी नीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ, पुलिस का पेपर आउट हुआ और उत्तर प्रदेश पी0सी0एस0 खुद लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के अन्दर यह बातें आईं कि 50 कॉपियां चेंज की गयीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप विधेयक ले करके आए हैं, आखिर वह कौन सी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो गयी कि जिसके कारण आपको इस तरह का विधेयक लाना पड़ा। क्या जो कानून पहले से थे अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो इस देश के अन्दर और कुछ राज्य के अन्दर जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, वही इस तरह का रैकेट चलाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही को देख रहा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर एक हो करके एक मजबूत निर्णय ले करके आएं कि सबसे ज्यादा आज युवा कुंठित हो रहा है, इन कोचिंग संस्थानों पर जब तक आप लगाम नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। यह जो आप कानून बनाने जा रहे यह केवल लोगों के दिमाग को डायवर्ट करने जा रहे हैं। आपने कार्यवाही क्या की ? उत्तर प्रदेश के अन्दर आपकी ही तो सरकार थी, लोक सेवा आयोग को लेकर आपने पूरे देश में प्रोपोगंडा खड़ा किया था कि लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार है। आपने सी0बी0आई0 जांच करवायी, आज 7 साल हो गये सी0बी0आई0 जांच को होते हुए, किस परिणाम तक आप पहुंचे ? क्या एक भी अभ्यर्थन आप निरस्त कर पाए ? क्या आप कोई एफ0आई0आर0 दर्ज कर पाए ? कानून तो पहले से ही है ऐसा नहीं है कि कानून लचर पड़ गया है, आप उनकी प्रापर्टी को ध्वस्त कर देंगे, जब्त कर लेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मान्यवर यह गांव-गरीब के बच्चों से जुड़ा सवाल है आज नकल माफिया इतना हावी हो गया, राजस्थान के कुछ कोचिंग संस्थान, आपके उत्तर प्रदेश के अन्दर जो नर्सिंग की भर्ती हुई है, उन चुनिंदा कोचिंग संस्थानों से बच्चे आ करके आपके ही संस्थानों में नियुक्ति पाए हैं। पहले आप उनकी जांच कराके उनको सजा दीजिए, आप उनको सजा नहीं दे रहे हैं, आप उनको बचाने के लिए एक अध्यादेश ले करके आए हैं। ताकि उनको यह महसूस हो सके कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की बात मैंने उनसे कह ही दिया था। हम सब जब कोई बात करते हैं, तो आप 100 साल, 50 साल या 15 साल पीछे चले जाते हैं। अगर हमसे गलतियां न हुई होतीं तो आखिर आपको वहां बैठने का अवसर कैसे मिलता ? हम तो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन

क्या आप अतीत में जाकर बच्चों के वर्तमान भविष्य को बना सकते हैं। अगर आज वह पुलिस भर्ती हुई होती, तो आज नौजवान वर्दी पहन लिया होता। हम जानना चाहते हैं कि कौन ऐसा नकल माफिया था, कौन ऐसा पर्चा आउट कराने वाला था, जिसको आप आज तक चिन्हित नहीं कर पाये, आप उसके घरों पर बुल्डोजर नहीं चलवा पाये ? मान्यवर, अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इस तरह की घटनायें हो रही हैं, जिसके कारण सरकार अपने को पाक साफ दिखाई देने के लिये सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 2024 का जो प्रस्ताव लेकर आये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संग्राम जी, आप संसोधन रखिये।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कानून बनाने से पहले पूरा का पूरा कानून रेस्टीकेट से ले करके देख लें। मेरा एक सुझाव है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता जी, अध्यादेश पर तो हम बोलेंगे ही।

श्री अधिष्ठाता-

हमने आपसे निवेदन किया है कि अगर कोई सुझाव है, तो संक्षिप्त में रखकर उसको खत्म करिये।

डॉ0 संग्राम यादव-

मेरा सुझाव यह है कि आप ऐसे कोचिंग संस्थाओं पर नकेल डालिये, जो आपकी परीक्षा प्रणाली को प्रदूषित और दूषित कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि आप जो प्राइवेट एजेन्सी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, ऐसा न करके आप अपने गवर्नमेंट प्रेस से पेपर छपवाइये, गवर्नमेंट कालेज में सेण्टर बनाइये, तब जाकर आप इस बीमारी से लड़ पायेंगे, अन्यथा इस तरह से विधेयक ला करके केवल आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जमीनी हकीकत में कहीं आप उसके लिये उन मेघावी छात्रों के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 समरपाल जी, आप अपनी बात संक्षिप्त में रख दीजिये।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आपका धन्यवाद। मैं मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक 11 भर्तियों का पेपर लीक हुआ है, उस पर सरकार ने क्या सकारात्मक कार्रवाई की है ? अब तक तो 5-10 व्यक्तियों के घर टूट जाने चाहिये थे, बुल्डोजर चल जाना चाहिये था। यह सबसे कमजोर सरकार है जो दोबारा अध्यादेश ला रही है, बिल बनाना चाह रही है। हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब तक आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे या आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे, तब तक हमारे सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आपकी सरकार बहुत कमजोर है, जिससे सभी पेपर लीक हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 समरपाल जी, आप संसोधन बतायें।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अपने आपको इंजी0 सचिन से सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कहती थी कि परिन्दा पर नहीं मार सकता है, नकल विहीन परीक्षा होगी। हम पूछना चाहते हैं कि जो बच्चे ओवरएज हो गये, उनके लिये आप क्या करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप संसोधन बता दीजिये।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, हम यह कह रहे हैं कि ऐसा काम न करें कि आपको इधर आना पड़े और हमें उधर आना पड़े। यह कौन गारन्टी लेगा कि इस विधेयक के बाद पर्चे लीक नहीं होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कोई संशोधन हो, तो कृपया बतायें।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, चाहे गुजरात की कम्पनी हो, तो भी नहीं कर सकते। यह गुजरात के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मैं अपने आपको इंजी0 सचिन से सम्बद्ध करते हुए कहूंगा कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। मा0 मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो लोग सदैव से नकल के हिमायती रहे हैं, वह हम पर आरोप लगा रहे हैं। एक अच्छा काम हो रहा है। जो बात मा0 सदस्य सचिन यादव जी ने उठायी है। आप देख लें कि इसमें इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर प्रणाली का जिक्र है, इसमें नियम बनाने की शक्ति भी दी गयी है। अभी इस पर रूल्स नहीं बने हैं। रूल्स में जो बातें आपने उठायी हैं, वह बातें रूल्स में आयेंगी । आपने टेण्डर प्रक्रिया के बारे में कहा है। क्या टेण्डर प्रक्रिया किसी एक्ट में दी जाती है ? कम से कम इस बात की जानकारी तो कर लें कि कौन सी बात एक्ट में रहेगी और कौन सी बात रूल्स में रहेगी। दूसरी बात यह कि जो एक्ट भारत सरकार का बना है यह लोक सभा के चुनाव से पहले बन गया था। यह 12 फरवरी को लांच हो गया था और लोक सभा चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च को जारी हुई। यह जानकारी मा0 सदस्य सचिन यादव जी को होनी चाहिए। वह काफी पढ़े-लिखे हैं और विदेश में भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की, अच्छा है। कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह कदम ठीक है। हमने कोशिश यह की है, आपने पूरे हाउस में केवल 2 साल की सजा बता

दी है। आप इसको देखिए तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और 2 लाख रुपये अर्थदण्ड की व्यवस्था है। परीक्षा कराने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न-पत्र खोलने और वितरित करने के लिए निर्धारित समय से पहले उसे खोलना, लीक करना, प्राप्त करना या हल करने का प्रयास करने पर न्यूनतम 2 वर्ष की सजा है। दैट मे बी एक्स्टेंडेड अप टू टेन ईयर्स । 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना है। परीक्षा कराने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित साधनों में लिप्त होकर किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु जानकारी देने में भी 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास है और 5 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र के अलावा किसी अन्य स्थान का प्रयोग करने में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास, 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड है, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास है। परीक्षार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन या उसके मूल्यांकन के अभिलेख में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हेर-फेर करने में 2 वर्ष की सजा, 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड और 10 साल तक की सजा है। परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी ऐसे संस्थान का प्रबन्धन या कर्मचारी जिन्हें सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के कार्य सौंपे गये हों, सॉल्वर गैंग के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी परीक्षार्थी की सहायता करना या सहायता करने का प्रयास करने में न्यूनतम 3 वर्ष कारावास की सजा, 3 लाख रुपये का अर्थदण्ड, 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपये तक का दण्ड हो सकता है। सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर धमकी, प्रलोभन, बाधा, बल प्रयोग, निरीक्षण दल, पर्यवेक्षीय कर्मचारी के साथ कर्तव्य निभाने से या किसी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने से रोकने में 3 वर्ष तक के कारावास की सजा और 3 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड है। दैट मे बी एक्स्टेंडेड अप टू टेन ईयर्स एण्ड टेन लैक्स। अभ्यर्थियों को धोखा देने या आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने में 3 वर्ष कारावास की सजा और 3 लाख रुपये अर्थदण्ड है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नकल करने या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश-पत्र जारी करना या प्रस्ताव-पत्र जारी करने पर न्यूनतम 3 वर्ष कारावास, 3 लाख रुपये अर्थदण्ड जो 10 वर्ष कारावास और 10 लाख रुपये तक अर्थदण्ड बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा हर तरह से इस बात की कोशिश की गयी है कि कठोरतम दण्ड हो। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी परीक्षार्थी की सहायता करना या सहायता करने के प्रयास करने पर न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपये का अर्थदण्ड है, इसमें 14 वर्ष का कारावास और 25 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड हो सकता है। मान्यवर, धमकी, प्रलोभन, प्रलोभन बाधा या बल प्रयोग द्वारा निरीक्षण दल पर्यवेक्षी कर्मचारी को वैध कर्तव्य से या किसी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने से रोकना न्यूनतम पांच वर्ष कारावास और दस लाख रुपये अर्थदण्ड, अधिकतम चौदह वर्ष का कारावास और पच्चीस लाख रुपये का अर्थदण्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में प्रश्न-पत्र प्राप्त करना खोलना या लीक करने का प्रयास उसे हल

करना, परीक्षार्थी को अनुचित लाभ देना, सम्मिलित होने हेतु उकसाना और जानकारी देने या जानकारी देने का वादा करना न्यूनतम पांच वर्ष का कारावास और दस लाख रुपये अर्थदण्ड अधिकतम चौदह वर्ष का कारावास और पच्चीस लाख रुपये अर्थदण्ड। परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता सरकार की किसी अधिकृत एजेन्सी से जुड़े व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता को धमकी देना, गलत तरीके से रोकना या किसी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना आजीवन कारावास तथा पचास लाख से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना। यह इसमें प्रॉविजन किये गये हैं और कोशिश यही है कि हर तरह से हम सार्वजनिक परीक्षा में सुचिता को स्थापित करें। बाकी जो बातें बताई हैं वह रूल्स अभी बने नहीं हैं। रूल्स बनाने की शक्ति इसमें है। नियम-24 भी आप देख लें कि रूल्स बनाने की शक्ति इसमें है। रूल्स-24(1) में है कि इस राज्य सरकार से अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो। वह अपने आप में मैं समझता हूं कि जहां तक सम्भव हो कानूनी विशेषज्ञों से देखकर राय करके इसको जो हमारा अध्यादेश है वह जारी किया गया। उसी का प्रतिस्थानी बिल लाये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सचिन जी आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

(सदस्य ई0 सचिन यादव जी द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लेने से मना किये जाने पर)

ठीक है, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 27 तक तथा खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, प्रश्न पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन को रोकने, सॉल्वर गिरोह को अभिनिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, –

(क) "सार्वजनिक परीक्षा का संचालन" में प्रश्नपत्र की तैयारी, कोडिंग, डीकोडिंग, मुद्रण, संग्रहण, सुरक्षित अभिरक्षा और वितरण, सार्वजनिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा और उससे संबंधित अन्य मामलें सम्मिलित हैं;

(ख) "परीक्षार्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे परीक्षा प्राधिकारी द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में, उसके निमित्त लेखक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में "परीक्षा प्राधिकरण" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, –

(एक) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग;

(दो) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग;

(तीन) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय;

(चार) पूर्वोक्त आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय द्वारा नियोजित या गठित कोई अभिकरण या भर्ती समिति; और

(पाँच) सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित, घोषित या नियोजित कोई अन्य प्राधिकरण, अभिकरण या भर्ती समिति;

(घ) "परीक्षा केंद्र" का तात्पर्य सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट परिसर से है;

(ङ) "निरीक्षण दल" का तात्पर्य किसी भी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने और परीक्षा प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से है;

(च) "परीक्षा प्राधिकरण से संबद्ध व्यक्ति" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो परीक्षा प्राधिकरण के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, भले ही ऐसा व्यक्ति कर्मचारी या अभिकर्ता हो या किसी भी तरह से उससे संबद्ध हो;

(छ) "सार्वजनिक परीक्षा" में सम्मिलित हैं, –

(एक) परीक्षा प्राधिकारी द्वारा लोक सेवा में किसी पद पर भर्ती या नियमितीकरण या पदोन्नति के लिए संचालित कोई अर्हकारी या प्रतियोगी परीक्षा;

(दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या किसी अन्य शैक्षणिक विशिष्टता को प्रदान करने या किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता हेतु संचालित कोई अर्हकारी या प्रतियोगी परीक्षा;

(तीन) कोई अन्य परीक्षा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षा घोषित किया गया हो;

(ज) "लोक सेवा" का तात्पर्य निम्नलिखित के किसी कार्यालय या स्थापनों में सेवाओं से है, –

(क) राज्य सरकार;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम या उपक्रम;

(घ) उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसमें विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निकाय या समितियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से निधि प्राप्त करने वाली कोई समिति, या कोई शैक्षणिक संस्था, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, किंतु राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करती हो;

(झ) "सॉल्वर गिरोह" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से एक या अधिक सार्वजनिक परीक्षाओं में, –

(एक) सार्वजनिक परीक्षा में स्वयं को वास्तविक परीक्षार्थी होने का दिखावा करता हो और ऐसी सार्वजनिक परीक्षा में वास्तविक परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित होता हो या उपस्थित होने का प्रयास करता हो; या

(दो) सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रतिलिपि को ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से पहले या उसके दौरान भौतिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करता है, –

(क) ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के एक या अधिक परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ या सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे प्रश्नपत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या हल करने में सहायता प्रदान करना; या

(ख) ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के एक या अधिक परीक्षार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से अनुचित लाभ या सहायता प्रदान करना, जिसमें संचार के साधन या अन्य आधुनिक तकनीक सम्मिलित हैं; या

(तीन) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए किसी भी तरह से सम्मिलित होना;

(ञ) "पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द" में सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(ट) "अनुचित साधन", –

(एक) सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय परीक्षार्थी के संबंध में इसमें सम्मिलित हैं, –

(क) किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी रूप में लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि की गई, मुद्रित या पुनः उत्पादित किसी भी सामग्री से अनधिकृत सहायता लेना, या किसी भी प्रकार के अनधिकृत टेलीफोनिक, बेतार, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या अन्य उपकरण या गैजेट का उपयोग करना, या

(ख) परीक्षार्थी के शरीर या परिधान के किसी भाग, या परीक्षा हॉल में फर्नीचर, फिक्सचर या फिटमेंट पर साशय कोई चिह्न या छाप अंतलिखित करना, जिसका उपयोग सार्वजनिक परीक्षा के दौरान सहायता के रूप में किया जा सकता है;

(दो) परीक्षार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में इसमें सम्मिलित हैं, –

(क) अनधिकृत रूप से प्रश्नपत्रों का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकटन करने का प्रयास करना या प्रकटन करने का षड्यंत्र करना या प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में रखना या रखने का प्रयास करना; या

(ख) किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्नपत्र हल करना, हल करने का प्रयास करना या हल करने में सहायता प्रदान करना, या किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

(ग) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;

स्पष्टीकरण– उप–खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, शब्द "कंप्यूटर नेटवर्क", "कंप्यूटर संसाधन" और "कंप्यूटर प्रणाली" के वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21, सन् 2000) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ञ), (ट) और (ठ) में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं;

(तीन) धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना;

(चार) धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा का संचालन, फर्जी प्रवेश पत्र या ऑफर लेटर जारी करना;

(पाँच) अनुचित मौद्रिक अभिलाभ और भौतिक लाभ प्राप्त करने के आशय से परीक्षा से पहले असली प्रश्नपत्र के रूप में फर्जी प्रश्नपत्र परिचालित करना।

(2) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित का वही अर्थ होगा, जो उन विधियों में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित है।

अपवर्जन

3–(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अनुशास्ति या दंड से संबंधित उपबंध उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं:

परन्तु यह कि यदि ऐसा परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में किसी पेपर का उत्तर देने में अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ या लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से घोषित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध "सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकारी" द्वारा आयोजित "सार्वजनिक परीक्षा" पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2024) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) और (ठ) में क्रमशः परिभाषित हैं।

अनुचित साधनों के प्रयोग या उनमें लिप्तता का प्रतिषेध

4–(1) किसी सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में या उसके संबंध में अनुचित साधनों का प्रयोग या उसमें लिप्तता प्रतिषिद्ध होगी ।

(2) परीक्षार्थी द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन की जांच संबंधित परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से की जाएगी:

परन्तु यह कि ऐसी जांच में परीक्षार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(3) संबंधित परीक्षा प्राधिकारी धारा 13 की उपधारा (1) में परिकल्पित प्रतिबंधों को लगाने के लिए विहित रीति से अनुशास्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।

प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण

5–सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अपने कर्तव्यों के आधार पर विधिपूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञात कोई भी व्यक्ति, परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को प्रश्न–पत्र खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व, –

(क) प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग या प्रतिलिपि को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा, उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या हल नहीं करेगा; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई सूचना नहीं देगा या सूचना देने का वादा नहीं करेगा, जिसके बारे में उसे यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सूचना ऐसे प्रश्न–पत्र से संबंधित है, उससे व्युत्पन्न है या उस पर प्रभाव डालती है।

सूचना देने का प्रतिषेध

6–कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य से न्यस्त किया गया है, सिवाय इसके कि उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने की अनुमति दी गई हो, अनुचित साधनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके, किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी या उसका कोई भाग, जो उसे न्यस्त कार्य के आधार पर ज्ञात हुआ हो, परीक्षार्थी को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के लिए नहीं देगा या देने का प्रयास नहीं करेगा।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर प्रतिषेध

7–कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य न्यस्त नहीं किया गया है और जो परीक्षार्थी नहीं है, सार्वजनिक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा या ऐसे केन्द्र में प्रवेश करने के पश्चात् सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने में किसी परीक्षार्थी को कोई सहायता या सहयोग प्रदान करने के लिए वहां नहीं रहेगा।

सहायता करने पर प्रतिषेध

8–निम्नलिखित को, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, निम्नलिखित में से एक या समस्त के साथ, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग या उनमें लिप्तता में किसी परीक्षार्थी की सहायता करने या सहायता करने का प्रयास करने से प्रतिषेध किया जाएगा:–

(एक) परीक्षा प्राधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी;

(दो) सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए विनिर्दिष्ट या सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्यों से न्यस्त संस्थान का प्रबंधन या कर्मचारिवृन्द; और

(तीन) सॉल्वर गिरोह।

9–कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से या सॉल्वर गिरोह के साथ मिलीभगत करके, निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द, अधिकारी या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त, न्यस्त, लगे हुए, सहयोजित किसी व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित नहीं करेगा या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, ताकि वह विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन न कर सके या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सके। सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित करने पर प्रतिषेध

10–कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजनार्थ परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा या कराने का कारण नहीं बनेगा। परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग सार्वजनिक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा

11–धारा 9 और 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सॉल्वर गिरोह को निम्नलिखित कार्य करने से प्रतिषिद्ध किया जाएगाः– सॉल्वर गिरोह पर प्रतिषेध

(एक) सार्वजनिक परीक्षा के दौरान या उससे एक दिन पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना;

(दो) संबंधित सार्वजनिक परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या प्रति को अपने पास रखना, उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना, खोलना या प्रकटन करना;

(तीन) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित सार्वजनिक परीक्षा के दौरान या उससे पहले प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग को हल करना या हल करने का प्रयास करना;

(चार) सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त, न्यस्त, लगे हुए या संबद्ध निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द, अधिकारी या व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित करना या प्रभावित करने का प्रयास करना, विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन करने या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकना;

(पाँच) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत, न्यस्त या किसी व्यक्ति से बल, उत्प्रेरणा या प्रलोभन द्वारा कोई सूचना प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना;

(छः) परीक्षार्थी को गलत लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उसमें संलिप्त अथवा अंतर्वलित होने का कार्य, प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना; और

(सात) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई जानकारी देना या जानकारी देने का वादा करना, जिसके बारे में उसे यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्र से संबंधित है या उससे व्युत्पन्न है या उस पर प्रभाव डालती है।

12–कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन या उसके मूल्यांकन के अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी अथवा हेरा–फेरी करने के प्रयत्न में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त अथवा अंतर्वलित नहीं होगा, जहां ऐसा अभिलेख किसी भी प्रकार से अनुरक्षित किया जाता है। मूल्यांकन में हेर–फेर का निवारण

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द, "मूल्यांकन अभिलेख" में उत्तर पुस्तिका, सारणीयन पत्रक, अंक रजिस्टर, व्यक्तिगत अंक पत्रक, परिणाम पत्रक या उसकी प्रतिलिपि या इस निमित्त किसी भी प्रकार से अनुरक्षित कोई अन्य रजिस्टर या अभिलेख सम्मिलित है।

13–(1) जहां कोई परीक्षार्थी धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वहां संबंधित सार्वजनिक परीक्षा का उसका परिणाम रोक लिया जाएगा और उसे उस कैलेंडर वर्ष के उत्तरवर्ती एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है, जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उसका परिणाम रोक लिया जाता हैः शास्ति

परन्तु यह कि ऐसा विवर्जित आदेश उसे विवर्जित अवधि के पश्चात किसी सार्वजनिक परीक्षा या लोक सेवा में सम्मिलित होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा ।

(2) जहां धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) के उपखंड (दो) में उल्लिखित परीक्षार्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे दो वर्ष से अन्यून कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति धारा 5, 6, 7, 10 या 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह दो वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा दो लाख रुपए के जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति धारा 8 या 9 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह तीन वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा तीन लाख रुपए के जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(5) जहां कोई सॉल्वर गिरोह धारा 8, 9 या 11 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह सात वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा दस लाख रुपए के जुर्माने से, जो पच्चीस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा :

परन्तु यह कि यदि कोई सॉल्वर गिरोह ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो वह आजीवन कारावास के दण्ड तथा न्यूनतम पचास लाख रुपए के जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(6) जहां कोई व्यक्ति, चाहे सॉल्वर गिरोह के साथ मिलीभगत से या अन्यथा, आर्थिक या अनुचित लाभ के लिए, परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाकर या सदोष अवरोध द्वारा सार्वजनिक परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में बाधा डालता है या प्रभावित करता है, तो वह आजीवन कारावास और न्यूनतम पचास लाख रुपये के जुर्माने जो एक करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा ।

कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड

14–जो कोई, किसी सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी कार्य या किसी कर्तव्य के पालन का कार्य सौंपे जाने पर, जानबूझकर किसी कार्य या कर्तव्य की उपेक्षा करेगा, जिसका पालन किया जाना उसके द्वारा अपेक्षित है और जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक परीक्षा से पहले प्रश्न–पत्र का प्रकटन हो सकता है या सार्वजनिक परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

15–(1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध के विरुद्ध कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी भी, उस अपराध की दोषी समझी जाएगी और कार्यवाही किये जाने के दायी होंगे और तदनुसार दंडित किये जायेंगे:

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसा कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और कार्यवाही किये जाने का दायी होगा और उसे तदनुसार दंडित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:– इस धारा के प्रयोजन के लिए, –

(क) 'कंपनी' का अर्थ है कोई निगमित निकाय और इसमें फर्म, सोसायटी या व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित है; और

(ख) 'निदेशक' के संबंध में,–

(एक) फर्म का अर्थ है फर्म में भागीदार;

(दो) "सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य संघ" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे सोसायटी या अन्य संघ के नियमों के अधीन, यथास्थिति,सोसायटी या अन्य संघ के मामलों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।

संपत्ति की कुर्की और अधिहरण

16–(1) सॉल्वर गिरोह के सदस्य के रूप में अकेले या समूह में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, ऐसी कोई संपत्ति धारण नहीं करेगा या उस पर कब्जा नहीं करेगा जो पूर्वोक्त धाराओं के अधीन अपराध करके अर्जित की गयी है ।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद चल या अचल संपत्ति, उपधारा (1) में यथो उल्लिखित किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, चाहे न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान लिया गया हो या नहीं।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) में कुर्की के लिए उपबंधित प्रक्रिया प्रत्येक ऐसी कुर्की पर लागू होगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई किसी भी संपत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक के पास ऐसी संपत्ति के सर्वोत्तम हित में प्रशासन करने की सभी शक्तियां होंगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता प्रदान कर सकता है।

(6) जहां कोई संपत्ति उपधारा (2) के अधीन कुर्क की जाती है, वहां उसके आवेदक ऐसी कुर्की की जानकारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को एक अभ्यावेदन दे सकते हैं, जहां वह परिस्थितियों और सम्पत्ति अर्जन के स्रोत प्रदर्शित कर सकेगा, जिनमें ऐसी सम्पत्ति उसके द्वारा अर्जित की गयी है ।

(7) यदि जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (6) के अधीन किए गए दावे की मौलिकता के बारे में संतुष्ट हो जाता है, तो वह संपत्ति को तुरंत कुर्की से निर्मुक्त कर देगा और तब ऐसी संपत्ति दावेदार को सौंप दी जाएगी।

(8) जहां उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जाता है या संपत्ति उपधारा (7) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्मुक्त नहीं की जाती है, वहां जिला मजिस्ट्रेट मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

(9) जहां जिला मजिस्ट्रेट ने उपधारा (2) के अधीन किसी संपत्ति को कुर्क करने से इनकार कर दिया है या उपधारा (7) के अधीन किसी संपत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहां राज्य सरकार या ऐसे इनकार या निर्मुक्ति से व्यथित कोई व्यक्ति, उपधारा (8) के अधीन सक्षम न्यायालय को जांच के लिए आवेदन कर सकता है कि क्या संपत्ति सॉल्वर गिरोह के किसी सदस्य द्वारा अकेले या समूह में अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी, जो इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध का अभियुक्त है। न्यायालय, यदि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करने या उसे अपास्त करने के लिए आदेश पारित कर सकता है।

(10) उपधारा (8) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर या उपधारा (9) के अधीन किसी आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय जांच के लिए दिनांक नियत करेगा और उपधारा (9) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति को, यथास्थिति, उपधारा (6) के अधीन अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को तथा राज्य सरकार को, तथा किसी अन्य व्यक्ति को भी, जिसका हित, मामले में अंतर्वलित प्रतीत होता है इसकी सूचना देगा ।

(11) इस प्रकार नियत दिनांक को या जहाँ जांच स्थगित की गयी हो किसी पश्चातवर्ती दिनांक को, न्यायालय पक्षकारों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्राप्त करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, और विनिश्चिय करेगा कि क्या संपत्ति सॉल्वर गिरोह द्वारा इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी तथा ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में उचित और आवश्यक हो ।

(12) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत संपत्ति या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गयी थी, सॉल्वर गिरोह द्वारा अर्जित संपत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

(13) यदि ऐसी जांच के बाद न्यायालय पाता है कि संपत्ति इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप सॉल्वर गिरोह द्वारा अर्जित नहीं की गई थी,न्यायालय उस सम्पत्ति को उस व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह सम्पत्ति कुर्क की गयी थी।

(14) जहां अभियुक्त को इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वहां न्यायालय, कोई भी दण्ड पारित करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि ऐसे अभियुक्त की कोई भी संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित मानी जाएगी।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए "संपत्ति" से तात्पर्य ऐसी समस्त संपत्ति से है, चाहे वह चल हो या अचल, जो किसी सॉल्वर गिरोह द्वारा इस अधिनियम की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गयी हो या ऐसी संपत्ति जो अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गयी हो तथा इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, चाहे वह संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर हो या किसी के कब्जे में पायी गयी हो।

संज्ञान और विचारण

17–(1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय, गैर–जमानतीय अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा अन्य रूप से विचारणीय होंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से अनिम्न पद के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

जमानत से संबंधित उपबंध

18–इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन किसी अपराध का आरोपी कोई व्यक्ति तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि,–

(एक) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(दो) जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता है, वहां सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन यदि सत्र न्यायालय ऐसा निदेश दे,किसी अपराध का आरोपी कोई व्यक्ति, जो महिला, बीमार या दुर्बल है, जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

सभी लागतों और व्ययों का भुगतान करने के लिए प्रबंधन आदि का दायित्व

19–(1) यदि कोई व्यक्ति, संस्था, मुद्रणालय, सेवा प्रदाता, जिसने –

(एक) परीक्षा के लिए अनुबंध किया हो या आदेश दिया हो; या

(दो) परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन किया हो; या

(तीन) परीक्षा सामग्री रखने या परिवहन के लिए प्राधिकृत किया हो;

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित लागत और व्यय का भुगतान करना होगा और भविष्य में ऐसे समनुदेशन के लिए हमेशा के लिए वर्जित कर दिया जाएगा।

(2) यदि परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल द्वारा प्रश्न पत्र हल किए जाते हैं या किसी भी तरह से सहायता प्रदान की जाती है, तो उक्त केंद्र को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन से विवर्जित कर दिया जाएगा।

लोक सेवक

20–सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में लगे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45,सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

21–राज्य सरकार समय–समय पर इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए लिखित रूप में निदेश या आदेश जारी कर सकेगी। निदेश या आदेश जारी करने की शक्ति

22–इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या आशयित सार्वजनिक परीक्षा में अंतर्ग्रस्त राज्य सरकार या लोक सेवा में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

23–भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) के अध्याय इकतीस के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील पर लागू होंगे। अपील

24–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 3 के अधीन अनुचित साधनों का प्रयोग करते या उनमें संलिप्त पाए गए परीक्षार्थी के परिणाम की घोषणा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परीक्षार्थी की जांच;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन मंजूरी प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करने का तरीका; और

(घ) कोई ऐसा विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

25–इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अध्यारोही प्रभाव

26–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होंगे।

27–उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1988) और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 2024) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है: निरसन और व्यावृत्तियां

परन्तु यह कि ऐसा निरसन प्रभावित नहीं करेगा,–

क–इस प्रकार निरसित अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन; या

ख–इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

ग–इस प्रकार निरसित अधिनियम के किसी उपबंध के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या

घ–पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय प्रारम्भ किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू किया जा सकेगा और ऐसा कोई शास्ति, समपहरण या दंड लगाया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था:

परन्तु यह और कि, पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन, इस प्रकार निरसित अधिनियम या अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन जो कुछ भी किया गया या की गई कोई भी कार्रवाई (जिसमें बनाए गए प्राधिकरण, प्रदत्त शक्तियां, दिए गए आदेश और स्वीकृत क्षतिपूर्ति सम्मिलित हैं) जहां तक वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्सम्बन्धी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक/सम्बद्ध समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-27 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।

यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है, पहले से यह एक्ट मौजूद है, 2021 और इस पर हम दो-तीन संशोधन ले करके आये हैं, कुछ बढ़ाया गया है, तो थोड़ा कठोर भी बनाया गया है। इसमें पहले एफ0आई0आर0 केवल पीड़ित व्यक्ति कर सकता था अब इसमें एफ0आई0आ0 कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो पीड़ित का सहयोगी हो, साथी हो। इसमें सजा में भी वृद्धि की गयी है। उपबन्धों का उल्लंघन करने पर पहले यह प्राविधान था कि एक वर्ष से कम सजा नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माना भी पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगा। जो कोई किसी अव्यस्क महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा-3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी। धारा-5(1) में परिवर्तन यह किया गया है कि तीन वर्ष से कम नहीं, किन्तु दस वर्ष के कारावास से दण्डित किया जायेगा तथा न्यूनतम पचास हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। पहले जो एक वर्ष और पाँच वर्ष तक था उसे तीन वर्ष और दस वर्ष कर दिया गया है। न्यूनतम पचास हजार रुपये जुर्माना है, जो पहले कम था। विकलांग या मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा-3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर पाँच वर्ष से कम नहीं, किन्तु चौदह वर्ष तक के कठोर कारावास से दण्डित किया जायेगा तथा न्यूनतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। मान्यवर, यह संशोधन है।

इसमें दो सब क्लॉज नये जोड़े गये हैं। नये जोड़े गये सब-क्लॉज-2 के अन्तर्गत जो कोई भी अवैध धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम सात वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास से दण्डित किया जायेगा, लेकिन जो चौदह वर्ष तक का हो सकेगा और वह न्यूनतम दस लाख रुपये तक के जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। नये जोड़े गये सब-क्लॉज-3 के अन्तर्गत जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के इरादे से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या सम्पत्ति के लिये भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करता है या विवाह करने का वादा करता है या इसके लिये प्रेरित करता है या षड़यंत्र करता है या किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को बहला-फुसलाकर या अन्यथा बेचकर उसका अवैध व्यापार करता है, या इस सम्बन्ध में उकसाता है, प्रयास करता है या षड़यंत्र करता है, उसे कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास से दण्डित किया जायेगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास होगा, और वह जुर्माने के लिये भी उत्तरदायी होगा। परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिये न्यायसंगत और उचित होगा। परन्तु यह और भी कि इस धारा के अन्तर्गत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जायेगा यानी कि पीड़ित को दिया जायेगा, जुर्माना भी और प्रतिकर भी। इसके सब-क्लॉज-4 के अन्तर्गत न्यायालय उक्त धर्म परिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा देय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा। एक तरफ जो जुर्माना करेगा वह भी पीड़ित को जायेगा और न्यायालय उक्त धर्म परिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा देय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा। यह राशि जुर्माने के अतिरिक्त होगी। सब-क्लॉज-5 के अन्तर्गत जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये पहले दोषसिद्ध हो चुका है तथा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये पुनः दोषसिद्ध होता है, तो वह ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त उपबन्धित दण्ड से दुगुने तक के दण्ड से दण्डित किया जायेगा। साथ ही साथ यह सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। इसमें जो बेल है वह बिना पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को सुने और बिना उसको अवसर दिये हुये सुनी नहीं जायेगी, अर्थात् बेल के समय पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को भी अवसर दिया जायेगा। यह बहुत छोटा संशोधन है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दण्ड को बढ़ाया गया है, कुछ क्लॉज नये जोड़े गये हैं, पीड़ित का ध्यान रखा गया है। जो वास्तव में पीड़ित होता है या जिसको बहला-फुसलाकर किसी रूप में परिवर्तन किया जाता है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा सबमिशन है कि इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मोना जी, क्या आप संशोधन रखेंगी ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम सबके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल सदन में आया है। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराना, इसका साथ न हमारी संस्कृति देती है और न यहां बैठे किसी भी सदस्य की मंशा होती है। सर्वप्रथम यह दण्डनीय अपराध होना चाहिए । अगर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए। इसके साथ-साथ हमको इस मामले पर बहुत संवेदनशील भी होना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि कुछ मामले जो धर्म परिवर्तन के आते हैं वह गलत होते हैं और मैं यह भी कहूँगी कि ज्यादातर गलत होते हैं। पर मैं यह भी कहूँगी कि सब गलत नहीं होते हैं। कुछ स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन किए जाते हैं जो संविधान में इस देश के हर नागरिक को अधिकार है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी वकील भी हैं और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टिकल-21 ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन राइट टू लाइफ एण्ड लिबर्टी यह कहता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज आपने जो प्राविधान पढ़े जिसमें दण्ड की सीमा बढ़ाई गयी है। यह हम सब जानते हैं कि 7 से 10 वर्ष की जब सीमा बढ़ जाती है तो वह दण्डनीय अपराध हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगता है तो पुलिस उसको तुरन्त अरेस्ट करके जेल भेज देगी। जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अभी पढ़ा कि एफ0आई0आर0 केवल पीड़ित नहीं कोई भी व्यक्ति करा सकता है। इस धारा में अरेस्ट होने के बाद व्यक्ति जेल जाएगा और जल्दी ट्रायल पर यह मामला आएगा भी नहीं और यह चूँकि 10 साल से ज्यादा की सजा है तो यह मजिस्ट्रेट नहीं, यह सेशन कोर्ट में जाएगा। इसमें एक क्लॉज है कि जब तक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को नहीं सुना जाएगा तब तक उसकी बेल पर सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट निर्णय नहीं ले सकेगा। क्या हम जूडिशियरी को भी बाध्य नहीं कर रहे हैं ? जो हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में एक सामान्य व्यक्ति को जो आर्टिकल-21 में लिबर्टी है क्या यह उसका हनन नहीं है ? दूसरा इसका निर्णय कौन लेगा ? आप जो बात कह रहे थे मैं उसको बहुत गम्भीरता से सुन रही थी और समझ रही थी। इसका निर्णय कौन लेगा कि एक व्यक्ति का जीवन 20 वर्ष के लिए समाप्त हो जाएगा या आजीवन कारावास उसको हो जाए। पुलिस की एक एफ0आई0आर0 में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि ट्रायल में वह व्यक्ति बरी हो जाए या आरोप उस पर सिद्ध न हो, गलत हो, तब उस व्यक्ति का क्या होगा ? क्या हम उसके अधिकारों का हनन नहीं कर चुके होंगे ? मान्यवर, धर्मान्तरण एक सामाजिक समस्या है।

मनोवैज्ञानिक समस्या है। अशिक्षा से जुड़ी हुई समस्या है। बेरोजगारी से जुड़ी हुई समस्या है। इसका समाधान आप कड़े से कड़े कानून बनाकर नहीं कर सकते। समाज में

सामाजिक रूप से हम सबको, पक्ष-विपक्ष को बैठकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करने का रास्ता ढूंढ़ना पड़ेगा। क्या यह कानून पहले नहीं था ? माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे थे। उन्होंने लव जिहाद की बात की। क्या आज से साढ़े सात साल पहले आपने यह कानून नहीं बनाया था ? तो क्या धर्म परिवर्तन रुक गया। जिहाद की समस्यायें समाप्त हो गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें कोई संशोधन सुझाव बता दें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उसी पर आ रही हूं। यह बहुत सेन्सिटिव इश्यू है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर इसको दोहराऊंगी कि यह राजनैतिक विषय नहीं है, यह सामाजिक विषय है। आपने इस तरह से कानून बनाया कि एक एफ0आई0आर0 थाने में लिखी जायेगी। मान्यवर, उसके बाद क्या होगा ? जो आरोपी है वह तो जेल चला गया पर जो पीड़िता है उसका क्या होगा ? क्या इस कानून में उसका कोई प्रोटेक्शन है ? उस महिला का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वह कल भी शाफ्ट टार्गेट थी और आज भी शाफ्ट टार्गेट है। क्या रिहैबिटेशन का प्रोटेक्शन का कोई प्राविधान इसमें लाये हैं। आजीवन कारावास दूसरा सबसे कठोर दण्ड है। मेरा सबसे बड़ा संशोधन का सुझाव यही है कि स्टेज ऑफ डाईवर्जन ऑफ द डिसीजन, सबसे पहले एक कमीशन बनायें जो इस चीज का निर्धारण करे। या एक ज्यूरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर वर्ग के और हर एज के लोग होने चाहिए, ताकि वो इस पूरे मामले को समझ सकें और उसके बाद निर्णय ले सकें। यदि आप एक कमीशन बनायेंगे और यह सारे प्रकरण उनके माध्यम से जायेंगे तभी इस तरह की समस्याओं को भविष्य में हम रोक पायेंगे वर्ना 307 और 302 की धारायें भी हैं, पर क्या हत्या के मामले रुक जाते हैं। मेरा पुनः अनुरोध है कि इस पूरी समस्या को चूंकि यह गम्भीर विषय है, समाज से जुड़ी हुई समस्या है। इस पर कठोर से कठोर कानून बनायें। उन्हें दण्ड दीजिए, पर मान्यवर हमारा संविधान यह जरूर कहता है कि अगर एक निर्दोष को आपने सजा दे दी तो वह बहुत बड़े पाप के बराबर है। आपसे अनुरोध करूंगी कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी न करें। पहले भी यह कानून बना है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। इसमें संशोधन लायें। इसमें गम्भीरता से चर्चा हो उसके बाद इस कानून को, इस एक्ट को दुबारा सदन में लायें।

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के पास होने से दल मुकदमें भी बहुत लिखे जायेंगे। मुझे याद है जब गैंगेस्टर एक्ट बन रहा था तो मैं इसी कुर्सी पर विपक्ष में था और मैंने उस समय भी कहा था और एक संशोधन दिया था । आज भी मैं कह रहा हूं और मैंने खण्डशः संशोधन नहीं दिया है। मौखिक रूप से कह रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसके सेक्शन-7 में एक 'ग' जोड़ दें इस स्तर का कि यदि मुकदमा चलाने के बाद कोर्ट से वह आदमी छूट जाता है। उसे बरी कर दिया जाता है, तो जो चालान करता है उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाये और कम से कम एक साल की सजा हो। अगर आप यह प्राविधान कर दें तो फर्जी नहीं होंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, मोना जी ने जो कुछ कहा है संविधान का आर्टिकल-21 कोट किया है। इस अधिनियम को भी अगर देखा होता इन्होंने तो उसमें जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। मगर आपने देखा नहीं है, धारा-8 और धारा-9 देख लीजिए। इसमें स्वेच्छा से जो धर्म परिवर्तन करे उसके लिए कोई किसी प्रकार का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन जो किसी न किसी प्रकार से लालच देकर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर माइनर लोगों को इस प्रकार से करते हैं वहीं अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए इसमें कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है और हम समझते हैं माता प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है। अभी मुझे नई सी0आर0पी0सी0 का मालूम नहीं है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना है, लेकिन सेक्शन-182 में प्रोविजन है कि अगर कोई किसी के खिलाफ गलत रिपोर्ट देता है या किसी के खिलाफ गलत गवाही देता है तो उसके खिलाफ वह खुद ही लाइबल होगा उसी से गवर्न होता है तो यह सारी जीचें मान लीजिए ऐसा नहीं है इसमें अलग से कुछ करने का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। नागिरक सुरक्षा संहिता सी0आर0पी0सी0 का सब्स्टीट्यूट है। उसमें जो भी इस समय परिवर्तन हुआ है और जो पुरानी सी0आर0पी0सी0 है और नई सी0आर0पी0सी0 केवल सेक्शन्स और जो उसके कन्टेन्ट्स हैं। अगर किसी चीज की परिभाषा बदली है। जैसे मिसाल के तौर पर पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा बदली है। नए एक्ट में भारतीय नागिरक सुरक्षा अधिनियम में जो पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा है वह पुराने एक्ट में सब्स्टीट्यूट कर दी जायेगी । उसके लिए 16 जुलाई, 2024 को केन्द्र सरकार की एक अधिसूचना भी हो गयी है। जो भी हमने आई0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 या एविडेंस एक्ट को हमने रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागिरक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया उसमें आटोमेटिकली वह नई व्यवस्था में दर्ज हो जायेंगी। वहीं अपने आप में स्वीकार है उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो सेक्शन-182 में प्रोविजन हैं वह इसको अट्रेक्ट करता है और उसके तहत कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को फाल्स, डुप्लीकेट या झूठी गवाही देता है तो वह इसके अन्तर्गत लाईबिल है। मेरा सब्मिशन यह है कि अधिष्ठाता जी, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने केवल सजा बढ़ाई है, हमने केवल दो पैराग्राफ्स बढ़ाये हैं, वह केवल किसी भी प्रकार से लालच देकर, प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार से माइनर का अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह उसी के ऊपर लागू होगा। जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है उस पर यह लागू नहीं होगा। यह मूल एक्ट में भी दिया हुआ है और आर्टिकल-21 में दिया हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, इसे पारित किया जाये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 मंत्री जी, आपने सेक्शन-182 की बात कही, सेक्शन-182 एक लम्बी प्रक्रिया है। जो आदमी पीड़ित होगा, जेल में होगा छूटेगा तो उसे उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर इसी में यह प्रॉविजन रहेगा तो एक तो फाल्स रिपोर्ट नहीं होगी और दूसरा इसमें यह होगा जो इसका चालान करेगा वह चालान सोच समझकर करेगा कि अगर यह छूट जायेगा तो मैं खुद ही मुल्जिम बन जाऊंगा। सेक्शन-182 तो हमेशा से है, लेकिन सेक्शन-182 कहीं हो पाता नहीं है। अगर इसमें प्राविजन कर दिया जाये तो ज्यादा सुरक्षित हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मूल रूप से कानून से न्याय प्राप्त करना एक लम्बी प्रक्रिया है। पहले एफ0आई0आर0 होती है उसके बाद किसी न किसी रूप में चार्ज बनता है फिर चार्ज के बाद ब्यान होते हैं। उसको बदल नहीं सकते हैं। आप जो कह रही थीं कि लोक सेवक को उसका मौका न दिया जाये। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है और न्याय दिखाई पड़े। यह प्रिसिंपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। उसमें केवल वही तो है कि लोक सेवक को सुनने के बाद फैसला करें। यह तो नहीं है कि लोक सेवक प्रभावित करेगा। अल्टीमेटली दोनों को इसमें इन्कारपोरेट किया है। इसकी अलग से आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरा सबमिशन है कि इसको आगे बढ़ाया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीया आराधना मिश्रा जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगी या मैं प्रश्न उपस्थित करूँ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य सायं 04 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: –

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2021 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, में), धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"4–अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी सूचना देने के रीति वही होगी जो जैसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) के अध्याय 13 में दी गयी हैं।"

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात:–

"5 (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जायेगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा;

(2) जो कोई विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में किन्हीं विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दस लाख रूपये से कम नहीं होगा।

(3) जो कोई धर्म संपरिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह या विवाह करने का वचन देता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है या षडयंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिक, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है या अन्यथा उन्हें विक्रीत करता है या इस निमित्त दुष्प्रेरण, प्रयास अथवा षडयंत्र करता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

(4) न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पांच लाख रूपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(5) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन तद्निमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा ।"

4–मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात:– धारा 7 का संशोधन

"7 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि,–

(क) लोक अभियोजक को, ऐसे छोड़े जाने के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने हेतु अवसर न प्रदान कर दिया जाय; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध करता है वहाँ सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभाव्य नहीं है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 30 जुलाई, 2024 को कुल 121 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :-

मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं-

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	डॉ0 अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर अन्तर्गत मसौधा से सुचित्तागंज अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनावंटन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
2	डॉ0 रागिनी	आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत नियुक्त CHOs प्रोत्साहन राशि तथा 4800 ग्रेड-पे पर नियमित नियुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री ओम प्रकाश	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल अभियन्ता का अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति तथा ड्राइंग संवर्ग प्रारूपकार से संगणक पद पर पदोन्नति में हो रही विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में।
4	श्री राजेश्वर सिंह	विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के शहरी क्षेत्र में जलभराव से निजात दिलाये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, औद्योगिक विकास विभाग एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त समिति गठित कर समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	ई0 सचिन यादव	जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों के लिए बिछ रही पाइप लाइनों से टूट रहे सी0सी0 मार्गों एवं बी0सी0 मार्गों की जानकारी विषयक।
6	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद के प्रस्तावित राजा का ताल पुलिस चौकी को उच्चीकृत करते हुए थाना राजा का ताल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 सदस्यों की सूचनाएँ केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं-

1	श्री पलटूराम	विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत महेशभारी भैसहवा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री राम फेरन पाण्डेय	ग्राम मलावां जनपद बहराइच के 20 किमी0 की परिधि में कोई राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के निवारण के सम्बन्ध में।

मा0 सदस्यों की सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री सर्वेश सिंह	अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, कैसरबाग, लखनऊ में पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर की गयी भर्ती की अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में।
2	श्री तुफानी सरोज	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा पूर्व में अनुबन्धित स्टर्लिंग कम्पनी के आउटसोर्सिंग कर्मियों के 4 माह का वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	जनपद इटावा स्थित जसवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के नौ राजस्व ग्रामों का नाम तहसील सैफई स्थित निबन्धन कार्यालय में प्रदर्शित न होने के कारण वहाँ के निवासियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।
4	डॉ0 आर0 के0 वर्मा व श्री राम सिंह पटेल	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड होलागढ़ की कतिपय ग्राम पंचायतों के तालाबों में हो रहे अवैध खनन के प्रकरण की जाँच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
5	डॉ0 वीरेन्द्र यादव	विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में बिजली विभाग के जे0ई0 द्वारा किये जा रहे अवैध वसूली की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी	जनपद गाजीपुर, मुहम्मदाबाद के ट्रामा सेंटर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री लक्ष्मी राज सिंह	विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में राज्य सरकार द्वारा घरौनी प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वे कराकर शामिल करते हुये लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री राजीव गुम्बर	विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर के खलासी लाइन एवं पुरानी रेलवे लाइन के आस-पास रोहिंग्या (बांग्लादेशी) का वोटर लिस्ट से नाम कटवाना तथा सरकारी भूमि का अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'	जनपद कानपुर नगर के जलकल जोन-3 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र वार्ड-36 अजीतगंज चाचा नेहरू पार्क में ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
10	श्रीमती पूनम संखवार	विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत तिस्ती से सूरजपुर वाया खेड़ा कुर्सी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्रीमती राजबाला सिंह	विधान सभा क्षेत्र मिलक जनपद रामपुर में सरकार द्वारा कराये गये विकास कार्यों के शिलापट्ट पर उनका नाम अंकित न किये जाने के प्रकरण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्रीमती केतकी सिंह	विधान सभा क्षेत्र बांसडीह, बलिया अन्तर्गत विभिन्न गांवों में पशु चिकित्सालयों के भवनों एवं वहाँ पहुंचने वाले जर्जर रास्तों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन के अन्तर्गत सुशील नगर उरई एवं इन्द्रा नगर उरई में नये विद्युत पावर हाउस स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री जवाहर लाल राजपूत	उ0प्र0 आवास विकास परिषद् झांसी द्वारा तालपुरा योजना झांसी के अन्तर्गत कब्जा की गयी किसानों की जमीन वापस दिलाये जाने अथवा उसका मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री हरिओम	अमाँपुर से जनपद एटा मार्ग नगला गुलरिया तक अवशेष मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया	विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूँ के डहरपुर फीडर से विद्युत आपूर्ति 3-4 दिन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
17	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में विद्युत उपकेन्द्र, बदलापुर ग्रामीण/बदलापुर टाउन, लेदुका, सहीदपुर को अपग्रेड किये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री आशु मलिक	जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत ब्लॉक पुवांरका के ग्राम दाबकी गुर्जर में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया :-

श्रीमती जय देवी, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्रीमती रेखा वर्मा, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्रीमती सरोज कुरील, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री संदीप सिंह, श्री सुशील कुमार शाक्य, श्री अशोक कुमार, श्री मनोज प्रजापति, श्री विजय पाल (आढ़ती), श्री विनोद सरोज, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री बम्बा लाल, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री कमलाकान्त राजभर, श्री अखिलेश, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राम अचल राजभर, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री संग्राम यादव, श्री हरी प्रकाश वर्मा, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री प्रेम सागर पटेल, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री पूरन प्रकाश, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, श्री आकाश सक्सेना, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री राम चन्द्र यादव, श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री मुकेश चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, श्री राम सिंह पटेल, श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्री विकास गुप्ता, श्री जीत लाल पटेल, श्री शफीक अहमद अंसारी, डॉ0 आर0 के0 पटेल, श्री आनन्द कुमार यादव, श्री आशुतोष शुक्ल, डॉ0 असीम कुमार, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री सुधाकर सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री अतुल प्रधान, श्री गौरव कुमार रावत, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री कवीन्द्र चौधरी, ई0 बृजेश कठेरिया, श्री पंकज पटेल, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री अनिल प्रधान, श्री रफीक अंसारी, श्री अनिल कुमार वर्मा, श्री बेचई सरोज, श्री जाहीद, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राम कृष्ण भार्गव, श्री अमरेश कुमार, श्री प्रभाष कुमार, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री हरि प्रकाश वर्मा, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री श्यामधनी राही, श्री रमेश जायसवाल, श्री संग्राम सिंह, ई0 सरवन कुमार निषाद, श्री मनीष रावत, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री अशरफ अली खान, श्री कमाल अख्तर, श्री मनोज पारस, श्री नाहिद हसन, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री बेदी, श्री लकी यादव, श्री मूल चन्द्र सिंह, श्री राम अवतार सिंह, श्री अताउर्रहमान, श्री राजीव तरारा, श्री पंकज गुप्ता, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री बाबूलाल, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल व श्री महबूब अली।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 30 जुलाई, 2024 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-49 पर।

कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश
द्वितीय तल, शास्त्री भवन, सचिवालय लखनऊ
Contact-0522-2238200, 2237515 Email: rahat@nic.in, stateeoc.up@gmail.com

संख्या– 5959/रा0आ0का0/डी0आर0/2024–25

प्रेषक,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सं0- 1268/रु0-10-2024

सेवा में,

विशेष सचिव,
राजस्व अनुभाग–10,
उ0प्र0 शासन।

राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊः दिनॉकः 25 जुलाई, 2024

विषयः–श्री शहजिल इस्लाम अंसारी(मोजीपुरा), मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र, 2024 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–07 का उत्तर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0– ए0क्यू025/एक–10–2024(ए0क्यू0) दिनांक 22.07..2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0सदस्य विधान सभा, श्री शहजिल इस्लाम अंसारी(मोजीपुरा), मा0 सदस्य द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न–7 के माध्यम से प्रदेश में विगत 3 वर्षो में कितने लोगो कि मृत्यु वज्रपात से हुई तथा मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने की अपेक्ष की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में उत्तरालेख निम्नवत् हैः–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षो में कितने लोगो की मृत्यु वज्रपात से हुई तथा मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने की सरकार की क्या योजना है ?	प्रदेश में विगत 3 वर्षो में वज्रपात से हुई जनहानियों का विवरण निम्नवत् हैः– कम सं0 | वर्ष | जनहानियों की सं0 1 | 2021–22 | 273 2 | 2022–23 | 410 3 | 2023–24 | 320 राजस्व अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–303/1–11–2016–4(जी)/16 दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से वज्रपात को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वज्रपात से मृत्यु की दशा में प्रति मृतक के आश्रितों को 04 लाख दिये जाने का प्रावधान है।
ख)	क्या सरकार विगत 3 वर्षो सहित वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 31.1.24 तक मृत परिजनों के भुगतानित मुआवजा का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?	उपरोक्त
ग)	यदि नही तो क्यों?	प्रश्न नही उठता।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में आकाशीय विद्युत से हुई जनहानियों का विवरण

क्रम सं0	जनपद	2021-22	2022-23	2023-24
1	Agra	0	2	0
2	Aligarh	1	2	1
3	Ambedkar Nagar	1	4	6
4	Amethi	1	3	1
5	Amroha	0	3	0
6	Auraiya	3	1	2
7	Ayodhya	1	2	7
8	Azamgarh	9	11	9
9	Bahraich	2	2	0
10	Bagpat	0	2	2
11	Ballia	6	10	15
12	Balrampur	2	2	1
13	Banda	2	25	13
14	Barabanki	1	3	5
15	Bareilly	0	1	0
16	Basti	3	2	0
17	Bhadohi	2	1	2
18	Bijnor	0	1	2
19	Budaun	0	0	4
20	Bulandshahr	0	1	0
21	Chandauli	3	15	4
22	Chitrakoot	5	7	5
23	Deoria	4	4	0
24	Etah	2	2	4
25	Etawah	0	1	0
26	Farrukhabad	5	1	1
27	Fatehpur	7	16	14
28	Firozabad	7	2	1
29	G.B. Nagar	1	0	0
30	Ghaziabad	0	0	0
31	Ghazipur	11	11	26
32	Gonda	1	4	2
33	Gorakhpur	4	8	2
34	Hamirpur	7	17	2
35	Hardoi	1	7	3
36	Hapud	0	0	0
37	Hathras	0	0	0
38	Jalaun	0	9	7
39	Jaunpur	2	5	10
40	Jhansi	11	19	3
41	Kannauj	1	3	2
42	Kanpur Dehat	7	5	6
43	Kanpur Nagar	0	8	1
44	Kansganj	0	1	4
45	Kaushambi	5	13	9
46	Kushinagar	3	2	6
47	Lakhimpur Kheri	0	3	3
48	Lalitpur	16	21	13
49	Lucknow	0	0	0
50	Mahrazganj	0	5	2
51	Mahoba	8	8	6
52	Mainpuri	2	3	9

कम सं0	जनपद	2021-22	2022-23	2023-24
53	Mathura	1	2	3
54	Mau	2	6	6
55	Meerut	0	0	0
56	Mirzapur	22	25	27
57	Moradabad	0	0	0
58	Muzaffarnagar	0	0	0
59	Pilibhit	2	1	1
60	Pratapgarh	4	1	4
61	Prayagraj	31	26	14
62	Raebareli	6	4	5
63	Rampur	0	0	0
64	Saharanpur	0	1	0
65	Sambhal	0	0	2
66	Sant Kabir Nagar	5	5	3
67	Shahjahanpur	2	2	0
68	Shamli	1	0	0
69	Shravasti	0	0	0
70	Siddharth Nagar	3	10	5
71	Sitapur	3	6	1
72	Sonbhadra	37	32	28
73	Sultanpur	2	5	3
74	Unnao	4	2	2
75	Varanasi	1	4	1
	कुल योग	273	410	320

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या–303 /1–11–2016–4(जी)/16
लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2016

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के सम्बन्ध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या–32–7/2014– एन0डी0एम0–1, दिनॉक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

13.	State specific disaster within the local context in the State, which are not included in the notified list of disaster eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF. • The Flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disaster for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disaster; with the approval of SEC.

2. राज्य में बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू–प्रकोप से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जन–धन की हानि होती है। अतः भारत सरकार द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–249/1–11–2015–4(जी)/2015, दिनांक 15.04.2015 (यथा संशोधित दिनांक 16.04.2015) को निरस्त करते हुये श्री राज्यपाल महोदय बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू–प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त राज्य आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के लिये निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जायेगी।

4. उक्त राज्य आपदाओं के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

5. प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

U.O. 2016 //Pg72

नत्थी (ख)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-78 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-85 पर।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में चलित कटाव निरोधक बाढ़ परियोजनाओं का विवरण

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0)	अबतक कुल आवंटन
1	2	3	4
1	जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के दायें तट पर स्थित झावांकोट तटबंध के किमी0 0.600 से किमी0 0.860 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	429.43	386.48
2	जनपद महराजगंज में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित बेलसर रिगौली तटबंध के किमी0 8.450 से किमी0 8.700 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	518.07	310.80
3	जनपद महराजगंज में सदर तहसील के अन्तर्गत रोहिन नदी के बायें तट पर स्थित राजगढ़ माता मंदिर एवं जगपुर सतामतमढ़ ग्राम समूह के सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	531.93	319.15
4	जनपद महराजगंज में नौतनवां तहसील में रोहिन नदी के दायें तट पर स्थित दशरथपुर ग्राम समूह एवं खजुरिया ग्राम समूह के सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	696.93	418.15
5	जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर निर्मित जर्दी डोमरा तटबंध के किमी0 6.700 से 6.915 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	351.56	289.60
6	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दॉयें तट पर निर्मित असवनपार गहिराघाट तटबन्ध के किमी0 2.000 से किमी0 2.200 के मध्य पूरे कटान स्थल पर बाढ़ से सुरक्षा हेतु परियोजना।	437.55	395.04
7	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित बढ़याकोठा तटबंध के किमी 1.710 से किमी0 2.520 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	587.78	328.89
8	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित बेलसर रिगौली तटबन्ध के किमी 16.300 से 16.675 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	538.95	349.47
9	जनपद गोरखपुर में रोहिन नदी के बायें तट पर स्थित बनरहा तटबंध के किमी 2.965 से किमी 3.165, किमी 3.850 से 4.120, किमी 4.760 से 4.830 एवं किमी 5.590 से 5.720 के मध्यं कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	784.11	512.05
10	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित सहजनवा डुमरिया बाबू तटबन्ध के किमी0 12.000 से 12.500 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	415.01	138.34
11	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित सहजनवा डुमरिया बाबू तटबन्ध के किमी0 16.525 पर स्थित सिसई पुल के डाऊन स्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	268.46	221.80
12	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर भोजपुर-शाहपुर तटबंध के किमी0 5.600 से 6.030 के मध्य ग्राम-मझौवा के निकट कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	253.55	190.94
13	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बलरामपुर भइरिया तटबंध के किमी 10.900 से किमी. 11.200 के मध्य ग्राम-खम्हरिया के निकट कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	336.38	50.45
14	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर करमहना-भोजपुर तटबंध के किमी0 0.000 से 0.450 के मध्य ग्राम-करमहना के निकट कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	263.45	86.15
15	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर करमहना तटबंध के किमी0 3.690 से 4.100 के मध्य ग्राम-नसीबगंज के निकट कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	244.56	37.00
16	जनपद-बलरामपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बलरामपुर-भइरिया तटबंध के किमी 17.300 से किमी 17.600 व किमी 18.200 से 18.300 के मध्य कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	273.15	41.00
17	जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित भोजपुर-शाहपुर तटबन्ध के किमी. 17.650 से 18.000 के मध्य खन्ता कटान स्थल की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	408.14	334.54

23/07/24
(हरि ओम कुमार)
अधि० अभि० (बाढ़) मण्डल

23.07.2024
(अवध[illegible] [illegible]कुमार शर्मा)
[illegible] अभियन्ता
अनु० एवं नियो० (बाढ़)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0)	अबतक कुल आवंटन
18	जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित बांसी-डुमरियागंज बांध के किमी0 21.800 से 22.400 के मध्य तिघरा ग्राम समूह के निकट बोल्डर डेम्पनर के पुनर्स्थापना एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजना	475.78	295.55
19	जनपद-सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित भौजपुर शाहपुर तटबन्ध के कि0मी0 29.920 से 30.500 के मध्य ग्राम समूह वीरपुर कोहलवा कटान स्थल की कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	283.20	165.92
20	जनपद देवरिया में सदर तहसील अन्तर्गत तरकुलवा ब्लाक में छोटी गंडक नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम कोन्हवलिया भरत राय के पास कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	400.15	395.56
21	जनपद देवरिया में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित छितुपुर-भागलपुर तटबन्ध के डाउन स्ट्रीम में किमी0 0.400 से 0.900 के मध्य भागलपुर कस्बे की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	1128.05	814.00
22	जनपद देवरिया में रुद्रपुर तहसील के अन्तर्गत गुर्रा नदी के बायें तट पर निर्मित पाण्डेय माझा जोगिया तटबन्ध के किमी0 1.160 से 1.390 के मध्य (ग्राम पाण्डेय माझा जोगिया) कटाव निरोधक कार्य तथा किमी0 2.500 से 2.600 के मध्य (ग्राम-शितलमाझा) कटाव निरोधक कार्य की पुर्नस्थापना कार्य परियोजना।	255.20	197.26
23	जनपद देवरिया में सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी के दांये तट पर स्थित ग्राम-बनकटा दिक्षित के नदी की कटान से सुरक्षार्थ 350 मी0 लम्बाई मे कटाव निरोधक कार्य एवं पूर्व निर्मित 03 अदद डैम्पनर (स्टोन बोल्डर) के मरम्मत की परियोजना।	185.77	143.57
24	जनपद देवरिया में सरयू नदी के बायें तट पर निर्मित छितुपुर-भागलपुर तटबन्ध के किमी0 2.000 के निकट ग्राम-देवसिया की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	931.65	629.64
25	जनपद-संतकबीरनगर में घनघटा तहसील के अन्तर्गत घाघरा/सरयू नदी के बॉये तट पर स्थित मदरहा-बेहराडाड़ी तटबंध के किमी0 10.850 से किमी0 11.350 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	352.51	88.13
26	जनपद-संतकबीरनगर में घनघटा तहसील के अन्तर्गत घाघरा/सरयू नदी के बॉये तट पर स्थित मदरहा-बेहराडाड़ी तटबंध किमी0 11.770 से किमी0 12.07 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	496.38	414.20
27	जनपद-बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम समूह-कोढ़वा, करेहना एवं पिपरी की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	447.80	443.18
28	जनपद-बहराइच में सरयू (घाघरा) नदी के बॉये तट पर स्थित ग्राम समूह-चहलवा, बरखड़िया, मंगलपुरवा एवं विजयनगर की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	547.98	274.52
29	जनपद-बहराइच में सरयू नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम समूह-परागी बेली, झंडी, गइरियनपुरवा, अहिरनपुरवा, चौकसाहार एवं चमारनपुरवा की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	479.68	464.58
30	जनपद-बहराइच में सरयू नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम समूह-बौण्डी, सोनईपुरवा, बहादुरपुरवा एवं ललईपुरवा की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	397.07	393.98
31	जनपद श्रावस्ती में राप्ती बैराज के डाउन स्ट्रीम के बाएं तट पर स्थित लक्ष्मणपुर भगवानपुर (लक्ष्मणपुर कोठी), परसा डेहरिया ग्राम समूह के पास चैनेज किमी0 0.000-0.100 तक कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	304.86	101.12
32	जनपद हरदोई में रामगंगा नदी के बायें तट पर स्थित बाढ़ग्रस्त ग्राम गौरिया, सॉई शिवपुरी एंव बरहुली में कटाव निरोधक कार्य की परियोजना ।	400.32	356.96
33	जनपद हरदोई में गर्रा नदी के दायें किनारे पर स्थित संवेदनशील ग्राम समूह उमरिया एवं ग्राम केवलपुर की कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	335.10	320.67

(हरि मोहन गुप्ता) 23.07.24 (अखिलेश कुमार शर्मा) मुख्य अभियन्ता नि0 नि0 (बाढ़)

2

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0)	अबतक कुल आवंटन
34	जनपद उन्नाव के अन्तर्गत तहसील बांगरमऊ में गंगा नदी के बांए किनारे पर स्थित संवेदनशील ग्राम नयापुरवा एवं धन्नापुरवा की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	784.96	656.74
35	जनपद उन्नाव में तहसील बांगरमऊ के अंतर्गत गंगा नदी की उपधारा के बांए किनारे पर स्थित ग्राम दबौली बाजार एवं ग्राम-छौरी की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	415.39	373.99
36	जनपद लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी के दायें किनारे स्थित ग्राम-माथुरपुर एवं कुरतैया की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	498.52	465.77
37	जनपद लखीमपुर-खीरी में घाघरा नदी के दायें किनारे स्थित ग्राम समूह-नयापुरवा, गोड़ियनपुरवा, रमनगरा एवं खेसवाही की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	566.42	424.82
38	जनपद लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत घाघरा नदी के दाहिने किनारे स्थित ग्राम सरैयाकलां व सिद्धनपुरवा में कटाव निरोधक कार्य के अपस्ट्रीम में रिवर ट्रेनिंग कार्य की परियोजना।	438.39	416.29
39	जनपद लखीमपुर-खीरी में घाघरा नदी के दायें किनारे स्थित ग्राम-परौरी एवं उसके मजरों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	566.11	424.58
40	जनपद लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत घाघरा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम समूह कैरातीपुरवा, बंशीबेली व पौण्डपुरवा की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	862.68	647.01
41	जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी के बायेंं किनारे पर स्थित ग्राम समूह बेलवागदियाना, राजापुरपेमन एवं तिवारीपुरवा की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	699.93	524.94
42	जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी के बांये किनारे पर ऐरा पुल से अम्बरपुर तटबन्ध के कि0मी0 2.430 से 2.900 कि0मी0 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	348.35	329.28
43	जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम समूह नौवापुर, मठियापुरवा एवं घुरघुट्टा की सुरक्षा हेतु एवं स्पिल बंद करने की पूर्व निर्मित परियोजना के डाउनस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	249.38	234.21
44	जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम समूह क्रान्तीनगर, गोइवा व पकरिया के समीप कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	542.68	452.23
45	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम नहरोसा, गौंटिया, टिब्बा आदि ग्राम समूह एवं पूर्व निर्मित परियोजना के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की परियोजना	763.47	257.03
46	जनपद शाहजहाँपुर के अंतर्गत देवहा नदी के दाँयें किनारे पर स्थित ग्राम मकरन्दापुर, अभयपुर व हरदेनी आदि ग्राम समूह की बाढ सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	640.44	370.22
47	जनपद शाहजहाँपुर के अंतर्गत रामगंगा नदी के दाँये किनारे पर स्थित ग्राम पहस्आ, कुनिया व हरिहरपुर आदि गंग्राम समूह की बाढ सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना (लम्बाई 510 मी0)।	677.85	388.92
48	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम सलोमई के समीप उसहैत तटबंध के किमी0 6.800 से किमी0 7.650 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	692.67	100.00
49	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित उसहैत तटबंध के किमी0 14.450 एवं किमी0 14.520 पर क्षतिग्रस्त स्पर्रों के पुनरूद्धार के साथ-साथ किमी0 14.100 से किमी0 14.350 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	683.26	491.63
50	जनपद बरेली में रामगंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम गोविन्दपुर एवं तोमडिया की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	178.56	143.81
51	जनपद बरेली में रामगंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित भगवानपुर-रूकमपुर तटबंध के किमी0 4.410 से किमी0 5.310 के मध्य तटबंध की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	598.75	299.72

23/07/24
(अधिशासी अभियन्ता)
सिंचाई एवं साधन मण्डल

23.07.2024
(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
अनु0 एवं नि0 (बाढ़)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0)	अबतक कुल आवंटन
52	जनपद बरेली में रामगंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम समूह गोपालपुर, तिरहा एवं सिपरिया गौटिया आदि मंडे निर्मित बाढ़ सुरक्षा परियोजना के डाउन स्ट्रीम में कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	202.52	144.10
53	जनपद बरेली में रामगंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम गुर्जर गौटिया एवं धिमरपुर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कटान निरोपक कार्य की परियोजना।	305.45	199.02
54	जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत कोसी नदी के दॉये किनारे पर स्थित ग्राम हरपालनगर, गदईखेडा एवं रनियाठेर की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	183.32	99.92
55	जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम लोधीपुर एहतमाली, लोधीपुर बासु एवं बीकनपुर की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	316.19	276.96
56	जनपद मुरादाबाद में ढैला नदी के दाँये किनारे पर स्थित रोशनपुर राजवाहा के किमी० 2.340 पर राजवाहा एवं सेवा मार्ग आदि की बाढ़ सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	162.48	8.06
57	जनपद मुरादाबाद में ढैला नदी के दॉये किनारे पर स्थित रोशनपुर बंध के किमी0 1.900 पर ग्राम तुमरिया कलां की ग्रामीण आबादी, सिंचाई भूमि तथा बंध आदि की बाढ़ सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	165.10	124.79
58	जनपद बिजनौर में गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित गलखा देवी मंदिर एवं ग्राम मिर्ज़ापुर की सुरक्षार्थ हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	137.23	98.74
59	जनपद बिजनौर में बनैली नदी के बांये किनारे पर स्थित शाहपुर राजवाहे की सुरक्षा हेतु शाहपुर राजवाहे के कि0मी0 8.800 से कि0मी0 9.300 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	174.87	110.64
60	जनपद बिजनौर में कोटावली नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम रामपुर चाठा एवं प्रेम नगर के निकट कटाव सुरक्षात्मक कार्यो की परियोजना।	199.29	4.65
61	जनपद बिजनौर में मालन नदी के किनारे पर स्थित ग्राम बढ़िया, चंडीगढ एवं बीरूवाला के निकट कटाव सुरक्षात्मक कार्यों की परियोजना।	92.35	67.19
62	जनपद-कासगंज में तहसील पटियाली के अन्तर्गत गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित कादरगंज पुल के अपस्ट्रीम व डाऊन स्ट्रीम में गंगा नदी के कटान से सुरक्षा हेतु बाढ निरोधक कार्य।	650.61	216.87
63	जनपद बुलन्दशहर में नरौरा बैराज के अपस्ट्रीम में राजघाट एवं डाउनस्ट्रीम में गांधीघाट के समीप स्टोन रिवेटमेन्ट और नरवरघाट पर कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	332.20	34.81
64	जनपद फर्रूखाबाद में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित अचानकपुर ग्राम समूह की गंगा कटान से सुरक्षा हेतु परकोपाइन स्टड निर्माण द्वारा कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	159.44	36.35
65	जनपद फर्रूखाबाद में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित पैतानी दक्षिण ग्राम समूह की कटान से सुरक्षा हेतु परकोपाइन स्क्रीन के निर्माण की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	187.50	16.79
66	जनपद फर्रूखाबाद में रामगंगा नदी के दाये तट पर स्थित कडक्का तटबन्ध के सुरक्षार्थ हेतु कडक्का तटबन्ध के किमी0 7.450 से अपस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	354.00	26.10
67	जनपद फर्रूखाबाद में गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम नगला खेम रैगई ग्राम समूह की कटान से सुरक्षा हेतु परकोपाइन स्टड द्वारा कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	227.00	155.93
68	जनपद फर्रूखाबाद में गंगा नदी के दाये तट पर स्थित ग्राम पंखियन की मढैया ग्राम समूह की कटान से सुरक्षा हेतु परकोपाइन स्टड द्वारा कटाव निरोधक कार्य की परियोजना	327.99	21.66
69	जनपद फर्रूखाबाद में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित ग्राम समेचीपुर चितार के डाउन स्ट्रीम में गंगा कटान से सुरक्षा हेतु परकोपाइन द्वारा कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	74.45	50.99
70	जनपद फर्रूखाबाद में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित पुन्थरदेहामाफी ग्राम समूह की गंगा कटान से सुरक्षा हेतु परकोपाइन स्टड द्वारा कटाव निरोधक कार्य की परियोजना	73.13	24.64

23/07/24
अ०अ० (बाढ़) मु०अ०

23.07.2024
(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
गंगा नियो० (बाढ़)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0)	अबतक कुल आवंटन
71	जनपद हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर व रतमऊ मार्जिनल तटबन्ध के सुरक्षार्थ रतमऊ नदी के दांये किनारे पर स्पर संख्या 03 व स्पर संख्या 05 के मध्य कटाव निरोधक कार्यो के निर्माण की परियोजना।	461.92	393.00
72	जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित रामराज तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0 4.390 से किमी0 5.000 के मध्य कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	552.24	366.66
73	जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित रामराज तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0 5.170 से किमी0 5.660 के मध्य कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	587.29	402.53
74	जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित रामराज तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0 3.650 से किमी 4.200 के मध्य कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	722.01	449.72
75	जनपद बिजनौर में गंगा नदी पर निर्मित चौ0 चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बांये अफलक्स बंध के किमी0 7.250 से किमी0 7.750 के मध्य कटाव निरोधक कार्यो के निर्माण की परियोजना।	990.61	595.30
76	जनपद बिजनौर में गंगा नदी पर निर्मित चौ0 चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बांये अफलक्स बंध के किमी0 6.000 से किमी0 6.400 के मध्य कटाव निरोधक कार्यो के निर्माण की परियोजना।	970.68	585.30
77	जनपद बिजनौर में बडकला ग्राम के समीप मालन बंध के उच्चीकरण एवं कटाव निरोधक संरचनाओं की पुर्नस्थापना के कार्यो की परियोजना।	117.61	80.51
78	जनपद बांदा के यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित ग्राम पंचायत सबादा, रामपाल का डेरा, जगुआडेरा ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	620.25	377.31
79	जनपद बॉदा के तहसील पैलानी के अन्तर्गत केन नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम कछार डेरा, दुर्जन डेरा, नया डेरा एवं नरी ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	305.29	253.23
80	जनपद बॉदा के विकास खण्ड जसपुरा के अन्तर्गत केन नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम पैलानी डेरा की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	319.71	38.55
81	जनपद बॉदा के विकास खण्ड बडोखर खुर्द में केन नदी के दाहिने तट पर स्थित कनवारा पम्प नहर की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	100.60	2.00
82	जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ में यमुना नदी के दायें किनारे पर स्थित टिकरा, मनकुँवार तथा पश्चिम पताई ग्राम समूह की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	581.89	5.00
83	जनपद चन्दौली के सकलडीहा तहसील में धानापुर ब्लाक के अन्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम गुरैनी में हो रहे कटान को रोकने हेतु कटान निरोधक परियोजना।	394.01	78.80
84	जनपद गाजीपुर, तहसील जमानियॉ में कर्मनाशा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम-गायघाट की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	372.95	50.00
85	जनपद गाजीपुर में टोंस नदी के दाये किनारे पर स्थित ग्राम सिधागर की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	216.07	140.10
86	जनपद-गाज़ीपुर में गंगा नदी के बांये तट पर स्थित ग्राम समूह शेरपुर-सेमरा के मजरा बीसवा की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	754.20	631.01
87	जनपद गाजीपुर में टोंस नदी के दायें किनारे पर स्थित नगर पंचायत बहादुरगंज की टोंस नदी के कटान से सुरक्षा हेतु पूर्व में निर्मित कटाव निरोधक कार्य के पुनरोद्धार की परियोजना।	72.11	44.55
88	जनपद गाजीपुर में टोंस नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम समूह रामगढ़ की टोंस नदी की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	169.55	118.74
89	जनपद-गाजीपुर में गोमती नदी के बाएँ तट पर स्थित ग्राम समूह तेतारपुर की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	102.88	74.49
90	जनपद-गाजीपुर में गंगा नदी के बाएँ तट पर स्थित ग्राम समूह पलिया बुजुर्ग की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	173.70	37.96

23/07/24
अधी० अभि० [illegible]

23.07.2024
(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
अनु० एवं नियो० (बाढ़)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0)	अबतक कुल आवंटन
91	जनपद-गाजीपुर में गंगा नदी के बांये तट पर स्थित ग्राम समूह शेरपुर सेमरा के मजरा माघी के डाउनस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	461.24	443.75
92	जनपद गाजीपुर के तहसील सैदराई में कर्मनाशा नदी के बाये किनारे पर स्थित ग्राम समूह -राजमल बॉध की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	158.31	54.50
93	जनपद गाजीपुर तहसील जमानियॉ में कर्मनाशा नदी के बाये पर स्थित ग्राम समूह-केशरुआ की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	160.48	53.49
94	जनपद सहारनपुर में तहसील सदर, विकास खण्ड सरसावा के अन्तर्गत यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम टोडरपुर, मुकारमपुर लालवाला एवं टापू माजरी की बाढ से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	299.60	282.51
95	जनपद सहारनपुर में तहसील सदर, विकास खण्ड सरसावा के अन्तर्गत यमुना नदी के दायें किनारे पर स्थित सौंपेबॉस-ग्याजुदीनपुर तटबन्ध की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	539.33	369.66
96	जनपद गाजियाबाद में यमुना नदी के बांए किनारे पर स्थित अलीपुर तटबन्ध के स्पर संख्या 13, 14 एवं 15 की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	987.83	561.94
97	जनपद-गौतमबुद्धनगर में ग्राम-कामनगर के निकट हिण्डन-यमुना दोआब बंध के किमी0 20.600 से किमी0 21.100 के मध्य यमुना नदी के बांये किनारे पर कटान को रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्यो के निर्माण की परियोजना।	477.80	308.23
98	जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्राम-याकूतपुर के निकट यमुना नदी के बांये किनारे पर हिण्डन-यमुना दोआब बंध के किमी0 26.900 से किमी0 27.200 के मध्य कटाव निरोधक कार्यो के निर्माण की परियोजना।	192.73	123.83
99	जनपद बिजनौर में गंगा नदी के बाये किनारे पर स्थित ग्राम गासपुर सुक्खापुर कुन्दनपुर मिजापुर सिम्भली, राजारामपुर रघुनाथपुर आदि ग्रामों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यो की परियोजना।	6328.78	2520.53
100	जनपद रामपुर में कोसी नदी के बाँये तट पर बाढ़ से रवन्ना, दलेलनगर, प्रानपुर आदि ग्रामों को बाढ़ एंव कटान से सुरक्षा हेतु लालपुर-स्हेला(फेज-2) बंध एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना (किमी0 4.331 से कि0मी0 8.700 तक)।	1054.00	768.44
101	जनपद लखीमपुर–खीरी में घाघरा नदी के दायें किनारे पर स्थित अतिसवेंदशील ग्राम समूह मिर्जापुर मल्लापुर व गनपुर की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	719.28	500.00
102	जनपद जालौन में यमुना नदी के दायें किनारे पर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई के किले के समीप कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	646.21	563.65
103	जनपद बांदा में केन नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम कनवारा, बरुआडेरा, टिकरी ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	1025.00	837.62
104	जनपद बांदा में यमुना नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम इछावर, धरीखेडा, पाण्डेपुरवा तथा जिउलाडेरा ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	1046.97	855.57
105	जनपद बांदा में यमुना नदी के दांयें तट पर स्थित ग्राम लसडा, बसधरी, कुदाडेरा ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	1106.18	903.96
106	जनपद गाजीपुर में मुहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम समूह अराजी बीरपुर एवं प्राचीन शिव मन्दिर की गंगा नदी से कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	411.52	400.18
107	जनपद गाजीपुर तहसील सेवराई के अन्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर स्थित पश्चिम बस्ती की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	314.74	300.39
108	जनपद गाजीपुर तहसील सेवराई के अन्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम बारा में बारा डेम्न के मुहाने के अपस्ट्रीम मंडे 400 मी0 लम्बाई में कटाव निरोधक कार्य परियोजना।	621.46	494.87

23/07/24 (अवधेश कुमार शर्मा) मण्डल अधि0 अभि0

23.07.24 (अवधेश कुमार शर्मा) मुख्य अभियन्ता अनु0 एवं नियो0 (बाढ़)

क्र०	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0)	अबतक कुल आवंटन
	महायोग	54430.47	33695.97

23/07/24
सहा० अभि०
यूनिट-10

23/07/24
(हरि ओम गुप्ता)
अधी० अभि० (बाढ़) मण्डल

23.07.2024
(अवधेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता
अनु० एवं नियो० (बाढ़)

नत्थी (ग)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-113 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-105 पर।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु श्री मोहम्मद हसन रूमी (कानपुर कैन्टोनमेंट), मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–113 का संलग्नक!

क्र0सं0	ग्राम का नाम	कुल ग्राम समाज भूमि का क्षेत्रफल (बी–बी–बी–ए–)
1.	टिकरिया	49–11–6
2.	दलितपुर धामीखेड़ा	15–07–0
3.	पोखरपुर	27–19–0
4.	ख्यौरा कछार	21–18–0
5.	विसायकपुर कछार	52–10–0
6.	टिकरी पैगम्बरपुर	25–14–0
7.	लखनपुर	06–01–0
8.	अमरामऊ	62–02–11
9.	खजुरी	22–18–5
10.	जगतापुर	02–08–0
11.	घकं कस्बा मलिक	11–10–0
12.	बीबीपुर	80–03–0
13.	घाघूखेड़ा	42–01–0
14.	सराय रामराय	10–11–0
15.	तौघकपुर	237–4–0
16.	खाण्डेपुर	137–09–0
17.	रावतपुर	09–02–0
18.	कल्यानपुर नर्वल	138–03–0
19.	विनायकपुर	0–19–0
20	दबौली	129–17–06
21.	मदारपुर	122–0–0
22.	पनकी भाउसिंह	227–15–0
23.	हंसपुर	129–19–0
24.	हसनपुर	13–03–0
25.	गज्जूपुरवा	268–16–0
26.	जमुई	163–12–14
27.	बैरी अकबरपुर कछार	94–15–18
28.	परदेवनपुर गौशाला	50–09–0
29.	कमालपुर	26–06–0
30.	सफीपुर	272–18–10
31.	किशुनपुर नर्वल	210–10–0
32.	शेखपुर	172–07–03
33.	सजारी	751–06–0
34.	गौरया	97–10–0
35.	सकरापुर	383–05–0
36.	विनगवाँ	417–06–0
37.	विसायकपुर बांगर	132–17–10
38.	बगाही	3–08–0
39.	रूमा	521–9–19
40.	ख्यौरा बांगर	147–1–0
41.	नारामऊ बांगर	67–11–0
42	शाहपुर मोहसिनपुर	68–15–0
43.	उचटी	15–19–10
44.	उरमानपुर	55–17–0
45.	घुसरामऊ	88–6–2
46.	ज्यौरा नवाबगंज	79–13–15
47.	निहुरा	55–3–0
48.	जाना	130–16–0
49.	मिर्जापुर	419–19–18
50.	मवैययया	617–11–15
51.	चन्दारी	740–11–0–1

26/07/2024
Tah. K.D.A.

52.	चकेरी	482–18–16
53.	कुलगांव	1057–12–15–0
54.	सतवरी	384–11–0
55.	छतमरा	587–6–0
56.	जाजमऊ उर्फ वाजिरपुर	621–4–19
57.	बैरी अकबरपुर बांगर	320–10–18
58.	टटिया घनाकू	446–3–0
59.	जरौली	403–19–17
60.	अर्रा	388–16–11
61.	वारासिरोही	788–13–11
62.	गुजैनी	729–0–2
63.	पनकी गंगागंज	1534–15–0
64.	अहिरवां	669–11–15
65.	सनिगंवां	793–7–0
66.	कपली	376–1–15
67.	बर्रा	555–19–15
68.	मोहसिनपुर उर्फ मसवानपुर	694–1–18
69.	बुढ़पुर मछरिया	625–8–0
70.	नौरियाखेड़ा	414–14–16
71.	जूही कलां	1582–7–6–18
72.	देहली सुजानपुर	1859–14–5
73.	नौबस्ता	480–8–10
74.	पैवन्दी	132–18–10
75.	कल्यानपुर कलां	68–07–0
76.	कल्यानपुर खुर्द	74–1–6
77.	मुज़फ़्फ़रपुर	94–6–7
78.	गंगापुर	186–4–0
79.	आराजी परदेवनपुर	18–6–0
80.	पुरवा नानकारी	251–8–4
81.	जूही खुर्द	नानजेड एरिया
82.	गुटैया	नानजेड एरिया
83.	काकादेव	नानजेड एरिया
84.	नारायणपुर	नानजेड एरिया
85.	सीसामऊ	नानजेड एरिया

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

26/07/2024
तहसीलदार
विकास प्राधिकरण कानपुर

संतोष कुमार
अमीन
का० वि० प्रा०

राम लाल
अमीन
का०वि०प्रा०

नत्थी (घ)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-145 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-125 पर।

क्रमांक	भूमि का प्रकार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	अन्य बन्जर	8क	0.013	रिक्त
2	अन्य बन्जर	106क	0.228	रिक्त
3	अन्य बन्जर	115ख	0.076	रिक्त
4	अन्य बन्जर	117ख	0.101	रिक्त
5	अन्य बन्जर	139द	0.413	रिक्त, पुरानी आवादी
6	अन्य बन्जर	151	0.379	पुरानी आवादी
7	अन्य बन्जर	208ख	2.341	पंचातय भवन, अम्बेडकर मूर्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिक्त
8	अन्य बन्जर	277क	0.316	रिक्त
9	अन्य बन्जर	319ख	0.319	रास्ता
10	अन्य बन्जर	422ख	0.013	रिक्त
11	अन्य बन्जर	475क	0.013	पुरानी आवादी
12	अन्य बन्जर	490	0.254	रास्ता
13	अन्य बन्जर	560	0.409	रास्ता
14	अन्य बन्जर	578	0.076	रिक्त
15	अन्य बन्जर	601	1.201	पुरानी आबादी
16	अन्य बन्जर	602	1.049	पुरानी आबादी
17	अन्य बन्जर	603	0.754	पुरानी आबादी
18	अन्य बन्जर	630	0.531	रास्ता
19	अन्य बन्जर	686	0.018	रिक्त
20	अन्य बन्जर	724	0.43	रास्ता
21	अन्य बन्जर	733	0.12	रिक्त
22	अन्य बन्जर	750ख	0.076	रिक्त
23	अन्य बन्जर	752	0.177	पानी की टंकी
24	अन्य बन्जर	799	0.806	रिक्त
25	अन्य बन्जर	809	1.018	पुरानी आबादी
26	अन्य बन्जर	814	0.158	पुरानी आबादी
27	अन्य बन्जर	828	0.556	पुरानी आबादी
28	अन्य बन्जर	830	0.231	पुरानी आबादी
29	अन्य बन्जर	850	0.101	रास्ता
30	अन्य बन्जर	868	0.051	पुरानी आबादी
31	अन्य बन्जर	104/884	0.246	रिक्त
32	अन्य बन्जर	220	0.079	रास्ता
33	अन्य बन्जर	112क	0.004	रिक्त
34	अन्य बन्जर	237	0.303	पुरानी आबादी

24.7.24

29.7.24

29.7.24
(रविन्द्र चन्द्र)
अनुभाग अधिकारी
राजस्व अनुभाग- 2
उ0 प्र0 शासन।

29.07.2024
(शाम स्वरूप)
विशेष सचिव
राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with C

35	अन्य बन्जर	844	0.311	पुरानी आवादी
36	अन्य बन्जर	125	0.014	पुरानी आवादी
37	अन्य बन्जर	263	0.171	पुरानी आवादी
38	अन्य बन्जर	222	0.092	पुरानी आवादी
39	अन्य बन्जर	474	0.142	पुरानी आवादी
40	अन्य बन्जर	226	0.051	पुरानी आवादी
41	अन्य बन्जर	470	0.386	पुरानी आबादी
42	अन्य बन्जर	860	0.365	पुरानी आबादी
43	अन्य बन्जर	230	0.579	पुरानी आवादी
44	अन्य बन्जर	471	0.038	पुरानी आबादी
45	चरागाह	541/2	1.138	रिक्त
46	चरागाह	882	0.686	रिक्त
47	चरागाह	308	1.116	रिक्त
48	परती नवीन	658	0.063	रिक्त
49	परती नवीन	732/2	0.013	रिक्त
50	परती नवीन	132	0.022	रिक्त
51	परती नवीन	117क	0.008	रिक्त
52	परती नवीन	245	0.038	प्राथमिक विद्यालय
53	परती नवीन	131	0.035	रिक्त
54	परती नवीन	852	0.054	रिक्त
55	परती नवीन	843	0.039	पुरानी आबादी
56	परती नवीन	295	0.005	रिक्त
57	परती नवीन	201/3	0.025	रिक्त
	कुल रकबा		18.251	

24-7-24

राजेश मिश्रा
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र- फराराण्डी कलाँ
तहसील- महिमाबाद, रामनगर

तहसीलदार
महिमाबाद

29.7.24
(सविन्द्र चन्द्र)
अनुभाग अधिकारी
राजस्व अनुभाग- 2
उ0 प्र0 शासन।

29.07.2024
(राम रतन)
विशेष सचिव
राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

नत्थी (ङ)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-160 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-133-134 पर।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री कविन्द्र चौधरी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–160 का संलग्नक

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सिंचाई विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कराये गये कार्यों का विवरण

क्र0सं0	खण्ड का नाम	कार्य का विवरण
1	2	3
		सरयू संगठन
		सरयू परि0–1, अयोध्या
1	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	भानपुर माइनर के पुनर्स्थापना का कार्य।
2		गांझा माइनर पर कुलाबा निर्माण एवं स्क्रैपिंग का कार्य।
3		हरिवंशपुर माइनर पर स्क्रैपिंग का कार्य।
4		पैकोलिया माइनर पर स्क्रैपिंग का कार्य।
5		नगर राजवहा के किमी0 29.000 से किमी0 36.000 के मध्य जंगल सफाई का कार्य।
6		नगर राजवहा के किमी0 35.000 से किमी0 36.000 के मध्य बैंक सुदृढीकरण का कार्य।
7		नेवादा माइनर के स्क्रेपिंग का कार्य।
8		नगर राजवहा के किमी0 29.000 से किमी0 36.000 के मध्य कुलाबा लगाने का कार्य।
9		हरैया राजवहा के किमी0 13.945, 16.630, 16.900, 19.340, तथा 21.975 पर वाक्स कल्वर्ट के निर्माण का कार्य।
10		वीरपुर माइनर पर कुलाबा निर्माण एवं स्क्रैपिंग का कार्य।
11		नागपुर माइनर पर कुलाबा निर्माण एवं स्क्रैपिंग का कार्य।
12		शम्भूपुर माइनर पर कुलाबा निर्माण एवं स्क्रैपिंग का कार्य।
13		पिपराकाजी माइनर पर कुलाबा निर्माण, बैंक सुदृढ़ीकरण एवं स्क्रैपिंग का कार्य।
14		वसन्तपुर माइनर पर स्क्रैपिंग का कार्य।
15		सैदोलिया माइनर पर स्क्रैपिंग का कार्य।
16		रामपुर माइनर पर स्क्रैपिंग का कार्य।
17		ऊंजी माइनर पर स्क्रैपिंग का कार्य।
18		बड़ोसर माइनर पर स्क्रैपिंग का कार्य।
1	सरयू नहर खण्ड–3, गोण्डा	धमनान राजवाहा के किमी0 11.000 से 27.000 के मध्य विभिन्न चैनेजों पर पुनर्स्थापना एवं पुल–पुलियों के मरम्मत के कार्य कराये गये हैं तथा इससे निकलने वाली एफटकवा माइनर एवं परसपुर माइनर पर अनुरक्षण का कार्य कराया गया है।
1	सरयू नहर खण्ड–4, गोण्डा	बिछिया माइनर के किमी0 0.000 से 3.700 तक स्क्रैपिंग का कार्य।
2		बेलवरिया माइनर के किमी0 0.000 से 0.400 तक स्क्रैपिंग का कार्य।
3		धनघरिया माइनर के किमी0 0.000 से 1.680 तक स्क्रैपिंग का कार्य।
		सरयू परि0–2, गोण्डा
1	सरयू नहर खण्ड–4, बस्ती	रगवापुर ड्रेन 5.800 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
2		रामवापुर पाण्डेय ड्रेन 1.800 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
3		बरडाड़ मझौवा बुधनाथ ड्रेन 12.200 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
4		शिवपुर ड्रेन 2.550 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
5		रतनिया खास ड्रेन 1.950 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
6		मझौवा चौधरी ड्रेन 2.550 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
7		अधेड़ी ड्रेन 2.000 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
8		पड़रिया ड्रेन 1.900 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।
9		मेहनिया ड्रेन 7.200 किमी0 में सिल्ट/जंगल सफाई का कार्य।

		गण्डक संगठन
1	बाढ़ कार्य खण्ड–प्रथम बस्ती	जनपद बस्ती मे हरैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित कटरिया–चॉदपुर तटबन्ध के किमी0 1.885 एवं किमी 2.050 पर दो अदद स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना।
2		जनपद बस्ती में हरैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित कटरिया–चॉदपुर तटबन्ध के किमी 5.335 पर क्षतिग्रस्त स्पर के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना।
3		जनपद बस्ती के हरैया तहसील में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित गौरा–सैफाबाद तटबन्ध की सुरक्षा हेतु किमी0 2.300 एवं किमी0 3.600 पर दो अदद डैम्पनर एवं रिवेटमेंट निर्माण कार्य की परियोजना।
4		जनपद बस्ती के हरैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बांये तट पर निर्मित गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के सुरक्षा हेतु तटबन्ध के किमी0 4.200 पर एक अदद स्पर के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना।
5		जनपद बस्ती के तहसील हरैया में घाघरा (सरयू) नदी के बांये तट पर स्थित उमरिया रिंग बांध के किमी0 0.600 से 4.700 तक पुनर्स्थापना एवं किमी0 0.600 से 1.000 के मध्य रिवेटमेंट तथा लांचिंग एप्रन तथा स्लोप पिचिंग व 02 अदद रेगुलेटर निर्माण की परियोजना। उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में पड़ने वाले तटबन्धों क्रमशः कटरिया–चांदपुर, चादपुर–गौरा, गौरा–सैफाबाद, सैफाबाद–कलवारी,हरैया–पण्डूलघाट, पण्डूलघाट–नयकापार, बैलाक्षताल एवं अकसरा–नगहरा की बाढ़/कटान से सुरक्षा हेतु बाढ़ पूर्व उन पर पूर्व निर्मित संरचनाओं के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य गया तथा कटान की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर पॉर्क्युपाइन में झाड़–झंखाड़ भरकर कटाव निरोधक कार्य कराया गया। साथ ही तटबन्धों के सुरक्षा के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त पटरी एवं स्लोप की मरम्मत कराते हुए जंगल झाड़ी इत्यादि को भी साफ कराया गया। साथ ही तटबन्धों को जीपेबुल बनाया गया जिससे बाढ़ के दौरान निरीक्षण एवं ग्रामीणों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नही हुई। इसके साथ–साथ बाढ़ से सम्भावित फ्लड फाइटिंग की तैयारी की गयी तथा बाढ़ के दौरान आवश्यकतानुसार फ्लड फाइटिंग (Flood fighting) के लिए कार्य कराया गया है।

(संजय त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0–प्रथम)
26.7.24

नत्थी (च)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-175 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-142 पर।

/24/24, 4:36 PM

पह रिपोर्ट 7/24/2024 3:00:01 AM अपडेट है

जनपद वार रिपोर्ट

सन 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागवार अभिलेखों में दर्ज तालाब /झील / अन्य अन्य वाटरबॉडीज की गाटावार स्थिति !

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम/ शहर	फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार अभिलेखों में दर्ज तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज की गाटा सं0	फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार अभिलेखों में दर्ज तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज का कुल क्षे0 (हे0)	चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज का वर्तमान में परिवर्तित गाटा सं0	चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज का वर्तमान में परिवर्तित गाटा का कुल क्षे0 (हे0)	फसली वर्ष 1359 की स्थिति के पश्चात नये खुदवाये गये तालाबों / झील / अन्य वाटरबॉडीज की गाटा सं0	फसली वर्ष 1359 की स्थिति के पश्चात नये खुदवाये गये तालाबों / झील / अन्य वाटरबॉडीज कुल क्षे0 (हे0)	कुल तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज की गाटा सं0	कुल तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज के गाटा का कुल क्षे0 (हे0)	कुल अक्षांश/ देशांतर	तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज के प्रबन्ध कर्ता / विभाग का नाम	दिनाँक 01.04.2021 को तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडी का अति क्रमित कुल क्षे0 (हे0)	माह में तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडी का अति क्रमण से मुक्त कराया गया कुल क्षे0 (हे0)	कमिक रूप से तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडी का मुक्त कराया गया कुल क्षे0 (हे0)	तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडी का अवशेष अति क्रमण कुल क्षे0 (हे0)	अति क्रमण कर्ता का नाम	अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध की गयी कार्यवाही				अवशेष अतिक्रमित तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज को मुक्त नहीं कराने का कारण	तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज का फोटोग्राफ्स दिनांक सहित जिस पर अतेक्रमण दर्शाया हो	अतिक्रमण मुक्त होने उपरान्त तो तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज का फोटोग्राफ्स दिनांक सहित (जिस पर अतिक्रमण न हो)	तालाब / झील / अन्य वाटरबॉडीज का फोटोग्राफ्स दिनांक सहित
																				राजस्व वाद संख्या	यदि आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो FIR की वर्तमान स्थिति	ए0 बी0 एम0 पी0 पोर्टल पर दर्ज सन्दर्भ संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+9)	12 (6+10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26
1	अमेठी	4	978	22937	9470.1851	23269	9561.3922	2896	343.5803	25833	9813.8654	23233	-	3.6340	0.0000	0.3490	3.2850	-	-	-		-	-	21	21	23276
2	अम्बेडकरनगर	5	1650	17099	9643.1523	17088	9374.2078	4848	2509.6934	21947	12152.8457	16849	-	6.3570	0.0000	0.2330	6.3240	-	-	-		-	-	80	41	16704
3	अमरोहा	4	965	4847	1329.6170	5053	1523.4586	154	26.4530	5001	1356.0700	5003	-	53.7080	0.0000	14.6720	39.0360	-	-	-		-	-	239	131	4886
4	अयोध्या	5	1275	15134	18375.2483	16094	16738.4066	13159	27167.1890	28293	45542.4373	4318	-	2.1369	0.0000	2.0670	0.2699	-	-	-		-	-	3	2	6306
5	अलीगढ़	5	993	3281	2233.8496	3307	1733.1404	2922	1570.5812	6203	3804.4308	3314	-	12.7096	0.0000	0.0000	12.7096	-	-	-		-	-	30	30	3308
6	आगरा	6	866	3192	798.9523	3777	881.7838	102	23.8144	3494	821.9667	3651	-	6.0659	0.0000	0.5100	5.5559	-	-	-		-	-	200	55	3884
7	आजमगढ़	8	3591	33035	12576.3691	33013	11529.7805	5744	0.1000	38779	12576.4691	32610	-	3.5740	0.0000	0.0710	3.6030	-	-	-		-	-	150	113	32450
8	इटावा	6	771	1873	806.1989	1356	405.8491	1394	858.7684	3267	1664.9673	2198	-	6.9727	0.0000	0.8220	5.2507	-	-	-		-	-	68	64	2350
9	उन्नाव	6	1662	17020	12173.7493	19028	43102.7675	8275	13027.6305	25295	25201.3798	18104	-	0.4058	0.0000	0.0100	0.3958	-	-	-		-	-	3	2	17896
10	एटा	3	711	3283	1565.8246	2467	1482.1375	1429	437.7516	4712	2003.5762	3019	-	199006	0.0000	16.7960	3.1046	-	-	-		-	-	44	39	2954
11	औरैया	3	818	3162	796.0583	3182	773.6853	393	27.3975	3555	823.4558	3159	-	8.3871	0.0000	0.2160	8.1711	-	-	-		-	-	60	15	2304
12	कन्नौज	3	622	3226	830.2843	3222	1176.1737	53	5.6220	3279	835.9063	3132	-	4.1021	0.0000	0.0002	4.1019	-	-	-		-	-	52	49	2695
13	कुशीनगर	6	1051	5729	19832.4151	5699	6605.1618	4905	1543.3360	10634	21375.7511	64	-	0.7341	0.0000	0.0428	0.6913	-	-	-		-	-	85	57	3687
14	कानपुर देहात	6	1047	6598	2622.9364	6717	2273.3365	576	173.0870	7274	2796.0234	6120	-	13.6986	0.0000	0.3481	13.3505	-	-	-		-	-	123	106	6539
15	कानपुर नगर	4	948	5587	2843.5437	5420	6805.9050	2921	5853.1680	8508	8696.7117	557	-	123833	0.0000	2.3900	9.9933	-	-	-		-	-	15	11	1683
16	कासगंज	3	730	1935	690.5959	1953	692.3953	99	23.8520	2034	714.8479	1553	-	0.8570	0.0000	0.5930	0.2640	-	-	-		-	-	2	2	1952
17	कौशाम्बी	3	685	9014	9538.9818	9124	64619.3788	8209	10662.4315	17223	20201.4133	6187	-	11.7569	0.0000	1.5565	10.2004	-	-	-		-	-	47	20	7116
18	खीरी	7	1564	16248	13941.4083	15916	31432.3241	9624	4545.0250	25872	18490.4333	6248	-	11.4230	0.0000	1.5010	9.9220	-	-	-		-	-	66	54	13758
19	गाजियाबाद	3	233	991	485.2387	1058	507.9179	210	47.3378	1201	532.5765	172	-	38.9600	0.0000	0.0000	38.9600	-	-	-		-	-	93	1	111
20	गाजीपुर	7	2325	12965	10128.3867	12353	6581.7775	6452	2037.9347	19417	12166.3214	12862	-	9.0576	0.0000	0.4950	8.5626	-	-	-		-	-	299	272	12932
21	गोण्डा	4	1743	25465	9357.7802	25464	9361.3259	15942	3537.0081	41407	12894.7883	553	-	2.0644	0.0000	0.1920	1.8724	-	-	-		-	-	49	43	23406
22	गोरखपुर	7	3273	15237	36851.6130	10773	25214.2954	5922	11255.6918	21159	48108.3048	8274	-	8.9943	0.0000	4.0520	4.9423	-	-	-		-	-	47	27	14378
23	गौतमबुद्धनगर	3	338	991	13394.2713	1016	2484.0375	698	1524.8118	1689	13546.7531	982	-	14.2002	0.0000	0.8827	13.3175	-	-	-		-	-	66	32	955
24	चंदौली	5	1067	2471	1250.1464	2388	1337.0536	1781	6393440	4252	1889.4904	1355	-	6.1686	0.0000	0.3640	5.8046	-	-	-		-	-	46	46	2264
25	चित्रकूट	4	492	3764	2313.2551	2299	1103.2579	1323	5540496	5087	2867.3047	3642	-	8.8050	0.0000	0.0000	8.8050	-	-	-		-	-	38	33	3611
26	जालौन	5	1158	2998	1671.8011	2998	1609.5714	366	3157245	3364	1987.5256	2197	-	3.6815	0.0000	0.0992	3.5823	-	-	-		-	-	79	68	3202
27	जौनपुर	6	2331	10752	17835.3118	10729	26296.5576	5004	8025.7459	15756	25861.0577	8487	-	2.8500	0.0000	0.8410	2.0090	-	-	-		-	-	26	16	8922
28	झाँसी	5	380	1216	1090.9540	1211	1015.8010	794	5010194	2010	1591.9734	1269	-	0.1840	0.0000	0.0000	0.1840	-	-	-		-	-	1	1	1262
29	देवरिया	5	2222	8490	3645.6413	8347	5169.9345	6718	2965.5890	15208	6611.2303	7147	-	5.7310	0.0000	0.0280	5.7030	-	-	-		-	-	66	25	7061
30	प्रतापगढ़	5	1808	19183	13308.9811	18602	22398.5307	16574	15073.2481	35757	28382.2292	12170	-	1.9620	0.0000	0.1820	1.7800	-	-	-		-	-	12	11	16546

31	प्रयागराज	8	1670	9039	16081.9955	9652	61925.6576	6855	25322.7691	15894	41404.7646	589	-	57.6770	0.0000	0.2400	57.4370	-	-	-	-	-	1	1	2792
32	पीलीभीत	5	1428	8179	2414.3684	8397	2638.1355	2463	255.1494	10642	2669.5178	8107	-	48.7268	0.0450	6.1000	42.6268	-	-	-	-	-	232	108	7963
33	फतेहपुर	3	1430	24385	8891.8134	28971	13492.3395	11226	7919.9998	35611	16811.8132	21393	-	2.7360	0.0000	0.2340	2.5020	-	-	-	-	-	95	62	23182
34	फर्रूखाबाद	3	866	3857	4416.8646	2441	2350.7397	3077	2130.9998	6934	6547.8544	3310	-	0.0120	0.0000	0.0120	0.0000	-	-	-	-	-	1	1	3454
35	फिरोजाबाद	5	758	3488	827.4620	2867	663.1020	186	46.5780	3674	874.0400	3488	-	3.8030	0.0000	0.2850	3.5180	-	-	-	-	-	18	9	3507
36	बदांयू	5	1371	5729	2481.6040	5620	8165.4928	1332	574.1865	7061	3055.7905	5605	-	0.9930	0.0000	0.0630	0.9300	-	-	-	-	-	25	11	5600
37	बरेली	6	1866	12196	7627.7128	12111	8588.9173	7907	4603.9042	20103	12231.6170	10639	-	2.7842	0.0000	1.2480	1.5362	-	-	-	-	-	48	9	10995
38	बुलन्दशहर	7	1261	3721	1458.2665	3855	1431.0399	200	52.7196	3921	1510.9861	3850	-	52.2580	0.0000	12.2583	39.9997	-	-	-	-	-	129	113	4055
39	बलरामपुर	3	933	13895	40495.4864	8834	43937.0627	7439	56316.2786	21334	96812.7650	2511	-	0.0140	0.0000	0.0000	0.0140	-	-	-	-	-	1	1	8889
40	बलिया	6	2417	8029	4317.7684	8156	9371.5152	3172	4443.5401	11201	8761.3085	7134	-	11.0610	0.0000	0.1160	10.9450	-	-	-	-	-	163	136	9022
41	बस्ती	4	2127	10349	20695.355	10347	37296.2695	5772	16288.0123	16121	36983.3674	943	-	0.0620	0.0000	0.0000	0.0620	-	-	-	-	-	2	2	7041
42	बहराइच	6	1151	10989	6002.1453	10967	7247.8590	4718	3637.2916	15707	9639.4369	6292	-	7.2786	0.0000	0.6510	6.6276	-	-	-	-	-	142	141	6064
43	बागपत	3	296	1173	766.4892	1398	854.6601	60	0.0000	1233	766.4492	1396	-	155.6857	0.0000	3.2100	152.4757	-	-	-	-	-	587	20	1183
44	बांदा	5	675	4805	2521.9625	3472	1560.5811	1000	8.3670	5805	2530.3295	4798	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	0	0	4819
45	बाराबंकी	6	1753	21891	10861.0606	24986	15835.2831	21413	12441.6110	45304	23302.6716	16017	-	16.1012	0.0000	1.7250	14.3762	-	-	-	-	-	78	74	23154
46	बिजनौर	5	2096	9201	3445.5109	9516	3352.1202	2598	530.6754	11799	3976.1863	9428	-	29.3931	0.0000	1.7523	27.6408	-	-	-	-	-	140	139	8990
47	मऊ	4	1280	7606	10603.7301	7654	18099.1455	3680	3730.6070	11286	14334.3371	7413	-	5.3410	0.0000	1.2490	4.0920	-	-	-	-	-	10	10	7088
48	मुजफ्फरनगर	4	581	4145	1966.6309	3622	2092.5529	422	34.9915	4567	2001.6224	1245	-	145.7367	0.0000	0.0250	145.7117	-	-	-	-	-	154	20	1947
49	मथुरा	5	901	2986	1890.4215	2027	1520.4685	580	73.2720	3566	1963.6935	53	-	14.5710	0.0000	2.3100	12.2610	-	-	-	-	-	37	24	305
50	मैनपुरी	6	725	5087	3952.4102	5055	7308.5267	4208	6294.9128	9295	10247.3231	4759	-	0.9422	0.0000	0.0944	0.8478	-	-	-	-	-	34	30	4791
51	मेरठ	3	605	3944	1461.9126	3499	1451.8780	491	189.1381	4435	1651.0507	3922	-	53.0609	0.0000	1.9395	51.1214	-	-	-	-	-	281	281	3849
52	मुरादाबाद	4	952	4768	1577.4529	5526	1706.8895	225	37.2670	4993	1614.7199	5482	-	37.4342	0.0000	0.6100	36.8242	-	-	-	-	-	207	145	5552
53	महाराजगंज	4	1157	12369	8695.8886	12296	12682.5922	4880	4912.4019	17249	13608.2905	3759	-	0.7600	0.0000	0.0080	0.7520	-	-	-	-	-	22	22	10984
54	महोबा	3	381	3571	2531.9948	3495	3105.0221	602	248.0046	4173	2779.5994	1753	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	0	0	1271
55	मिर्जापुर	4	1144	2522	2015.8227	2965	2155.5189	2266	7451.1635	4788	9466.9862	1997	-	0.0070	0.0000	0.0000	0.0070	-	-	-	-	-	1	1	2696
56	रामपुर	6	941	3959	916.1321	4093	995.8292	2039	182.6958	5998	1098.8279	4007	-	21.3895	0.0000	1.4438	19.9457	-	-	-	-	-	132	112	4161
57	रायबरेली	6	1490	26452	13958.2776	24667	13809.1718	16907	12829.2220	43359	26787.4996	26168	-	71.1197	0.0000	0.5360	70.4837	-	-	-	-	-	368	304	26385
58	लखनऊ	5	685	7617	16563.9473	7609	10885.9430	4349	2554.3392	11966	19118.2865	2048	-	16.7290	0.0000	4.4450	12.2840	-	-	-	-	-	35	29	4728
59	ललितपुर	5	142	256	545.9380	169	227.4100	5	2.6380	261	548.5760	425	-	2.0080	0.0000	2.0080	0.0000	-	-	-	-	-	5	5	439
60	वाराणसी	3	864	3639	1538.1641	1858	1491.6582	1829	577.4181	5468	2115.5822	3248	-	3.9917	0.0000	1.6350	2.3567	-	-	-	-	-	65	62	3154
61	श्रावस्ती	3	536	6152	9639.8636	5115	7462.3979	1368	605.3288	7520	10245.1924	2393	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	1	9	4366
62	शामली	3	283	2163	1264.9904	1627	1940.1958	150	61.9138	2313	1326.9042	936	-	165.1829	0.0000	0.6560	164.5269	-	-	-	-	-	370	297	1984
63	शाहजहांपुर	5	1737	8670	5800.5155	8812	5981.6362	4594	2122.6136	13264	7923.2291	8677	-	17.9130	0.0000	2.3680	15.5450	-	-	-	-	-	159	90	7874
64	संतकबीरनगर	3	1511	9772	11294.0132	9690	9108.5306	3140	699.7133	12912	11993.7265	9358	-	2.6080	0.0000	0.2570	2.3510	-	-	-	-	-	55	54	9511
65	संतरविदास नगर	3	706	3428	3526.3205	3375	28667.4671	2843	18774.2754	6271	22300.5959	1664	-	1.9620	0.0000	0.0330	1.9290	-	-	-	-	-	10	8	3154
66	सम्भल	3	858	4721	3467.8197	4674	1972.7244	2113	3212.9702	6834	6680.7899	3117	-	6.1897	0.0000	2.7470	3.4427	-	-	-	-	-	15	15	4397
67	सुल्तानपुर	5	1594	20135	14178.9671	19480	26649.1595	2044	521.2252	22179	14700.1923	20028	-	2.7352	0.0000	0.0410	2.6942	-	-	-	-	-	38	32	20199
68	सहारनपुर	5	1152	5953	2247.3455	5594	2000.6673	2843	730.1008	8796	2977.4464	5950	-	51.0091	0.0000	1.3775	49.6316	-	-	-	-	-	45	43	4455
69	सिद्धार्थ नगर	5	2317	10779	6640.6811	10663	5451.5941	6817	2395.0721	17596	9035.7532	9306	-	0.5428	0.0000	0.0400	0.5028	-	-	-	-	-	14	4	10611
70	सीतापुर	7	2319	27973	14043.1565	27833	15400.7299	6571	9245.3542	34544	23288.5107	18600	-	16.8132	0.0000	11.6340	5.1792	-	-	-	-	-	86	49	19494
71	सोनभद्र	4	539	958	912.8659	842	827.1728	581	515.9496	1539	1428.8155	967	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	0	0	885
72	हमीरपुर	4	469	2621	1378.3219	2537	2427.7020	135	34.3120	2756	1412.5339	2683	-	2.9867	0.0000	0.3560	2.6307	-	-	-	-	-	31	10	2006
73	हरदोई	5	1706	21129	23453.9559	20628	23377.6162	8661	16618.1054	29790	40072.0613	20371	-	0.3770	0.0000	0.0000	0.3770	-	-	-	-	-	3	3	18190
74	हाथरस	4	598	2358	1800.3713	2280	1583.8937	565	141.6151	2923	1941.9864	1940	-	1.0920	0.0000	0.0000	1.0920	-	-	-	-	-	34	31	1724
75	हापुड़	3	320	1564	790.2319	1383	685.2988	482	192.2411	2046	982.4730	1414	-	35.4241	0.0000	0.2419	35.1822	-	-	-	-	-	60	7	1055

7/24/24, 4:36 PM Report

प्रदेश का कुल योग :-	350	88888	648246	533368.1602	633581	743569.4974	294295	343469.9800	942541	876838.0602	480322		1347.5774	0.0450	113.3632	1231.2142						604	3911	566363

नत्थी (छ)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-200 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-158 पर।

संलग्नक:- (1)

न्यायालय उपजिलाधिकारी बांसी
तहसील बांसी जनपद-सि०नगर

सुबाष चन्द्र
बनाम
राममिलन आदि

वाद सं०
धारा इ०सं० 2006
बाबत मौजा त्रिगौडवा तप्पा गोविना
परगना-बांसीपूरब, तहसील-बांसी
जनपद सि०नगर

महोदय,
पूर्व सूचना के आधार पर आज दिनांक 09/11/2023 को उपजिलाधिकारी महोदय बांसी के आदेश दिनांक 26/10/2023 के अनुपालन मे गाटा सं० 306/0.077 हे० का पत्थर नसल ग्राम वासियो एवं अन्य पक्ष (पक्ष विपक्ष) की उपस्थिति मे कर दिया है गाटे के चारो कोनो पर पत्थर गड़वा दिया गया है। सत्यापन कार्यवाही के दौरान थाना पचरा के हेड कान्सटेबल प्रवीण यादव एवं कान्सटेबल विरेन्द्र प्रताप सिंह एवं राज नि० जोगिया एवं दीपक लेखपाल और अन्य ग्राम वासियो एवं पक्ष विपक्ष के हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा ले लिया गया है।

सुबाष चन्द्र
शेषराम
राम शब्द
फूल चन्द्र चौधरी
रामलाल

नागेन्द्र
9.11.23

Shailesh Kumar
लेखपाल 9/11/2023

HC प्रवीण यादव
C- Singh

तहसीलदार
बांसी
14-11-23

.....शैलेश कुमार.....लेखपाल तहसील – बांसी जनपद –सिद्धार्थनगर को सूचित किया जाता है कि न्यायोलय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर में .....सुभाष चन्द्र.....बनाम .....रामफिलन आदि.....अन्तर्गत धारा -24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बावत गाटा संख्या.....306..... .....रकबा.....0.077 है0.....गांटा संख्या.....X.....रकबा.....X.....स्थित ग्राम.....लिगोडवा.....तप्पा.....मसिना..... परगना.....बांसी पूर्व.....तहसील- बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर में दिनांक.....05/11/2023.....को ~~मेरी निशानदेही~~ पैमाइश होना निश्चित है |

अतः आप वादीगण व अगल बगल के खातेदारो तथा ग्राम प्रधान व ग्रामवासियो को अवगत करा दें ताकि पैमाइश के समय मौके पर उपस्थित रहे |

सुभाष चन्द्र वादि
ग्रामवासी

चन्द्र शेखर
दीपक
फूल चन्द्र चौधरी
रामनरेश
रामबलराम
रामेन्द्र

Shailesh Kumar
02/11/2023
हस्ताक्षर
लेखपाल
दिनांक 2/11/23

हस्ताक्षर
राजस्व निरीक्षक
दिनांक 2-11-23

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र सं0-47, डुमंवा मुहया
वि0ख0-बांसी-सिद्धार्थनगर
उमेश चन्द्र

—3—

संलग्नक।- 2

नजरी नक्शा बाबत गाटा संख्या 306
ग्राम- तिगोडवा तप्पा भसिना तहसील बांदी
जनपद- सि० नगर

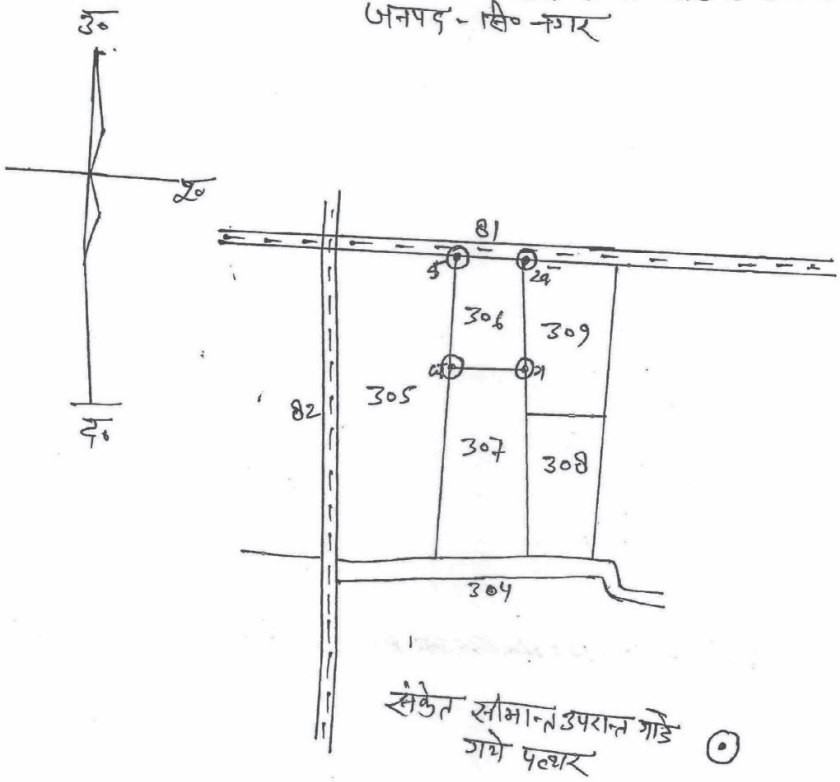

Shailesh Kumar
24/7/2024

24/7/24

संलग्नक 1-3

पत्थर संख्या-क

संकेत–सीमान्त उपरान्त गाडे गये पत्थर सं–क टूट गया है

संकेत–सीमान्त उपरान्त गाडे गये पत्थर सं0–ग

संकेत–सीमान्त गाडे गये पत्थर सं0–ख

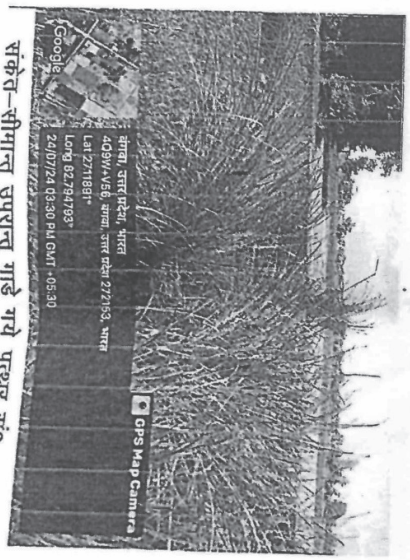

संकेत–सीमान्त उपरान्त गाडे गये पत्थर सं0–घ मलबाघाटो मे छिप गया है

पी0एस0यू0पी0-एल0 305 विधान सभा (513)-21-03-2025-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।